Friday, 4th August 1995

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौदहवां - सत्र
(दसवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 54
Date 5.7.96

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा के दिनांक 4 अगस्त, 1995 के

वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची(ii)	3	राज्य सभा द्वारा यथापारित विचार करने के लिए प्रस्ताव	राज्य सभा द्वारा यथा पारित विचार करने के लिए प्रस्ताव
169	19	श्री परसराम भारद्वाज	श्री परसराम भारद्वाज
226	नीचे से 2	योजना	भोजन
260	नीचे से 2	श्री कमला मित्र मधुकर	श्री कमला मिश्र मधुकर

विषय-सूची

दशम माला, खंड 43, चौदहवां सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 5, शुक्रवार 4 अगस्त, 1995/13 श्रावण, 1917 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		1-27
* तारांकित प्रश्न संख्या :	81 और 83	1-8
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		27-200
* तारांकित प्रश्न संख्या :	82, 84 से 100	27-48
अतारांकित प्रश्न संख्या	730 से 959	48-200
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डाक्टरों के दल को सफलतापूर्वक हृदय प्रतिरोपण शल्य चिकित्सा करने के लिए बधाई		200
श्री अटल बिहारी वाजपेयी		200
श्री गुलाम नबी आज़ाद		201
श्री सोमनाथ चटर्जी		201
श्रीमती गिरिजा देवी		202
उड़ीसा में स्थानीय निकायों को भंग करना		202-209
महाराष्ट्र में एनरॉन विद्युत परियोजना के बारे में		209-212
सभा पटल पर रखे गए पत्र		227-230
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति		
दसवां प्रतिवदेन — प्रस्तुत		230
रेल संबंधी स्थायी समिति		
सोलहवां प्रतिवदेन तथा कार्यवाही सारांश — प्रस्तुत		230
गृह कार्य संबंधी समिति		
बीसवां प्रतिवेदन — सभा-पटल पर रखा गया		231
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य		213-226
(एक) महाराष्ट्र सरकार द्वारा दभोल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण का परित्याग किया जाना और द्वितीय चरण को रद्द किया जाना-सभा पटल पर रखा गया		
श्री एन०के०पी० साल्वे		213
(दो) खरीफ फसलों के लिए मूल्य नीति — सभा पटल पर रखा गया		
श्री बलराम जाखड़		229
सभा का कार्य		231-233

विषय	कॉलम
प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक	234
राज्य सभा द्वारा यथा पारित विचार करने के किए प्रस्ताव	
श्री पवन सिंह घाटोवार	234
श्री वी० धनंजय कुमार	235
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	236
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य	239
श्रीमती सरोज दुबे	241
विधेयक — पुरःस्थापित	241-243
(एक) वरिष्ठ नागरिक पेंशन संदाय विधेयक	
श्री डी० वेंकटेश्वर राव	241
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक (दसवीं अनुसूची में संशोधन)	
श्री डी० वेंकटेश्वर राव	242
(तीन) एकसमान शिक्षा विधेयक	
श्री डी० वेंकटेश्वर राव	242
(चार) मंत्रियों और संसद सदस्यों द्वारा अपनी आस्तियों की घोषणा विधेयक	
श्री डी० वेंकटेश्वर राव	242
(पांच) चीनी विकास निधि (संशोधन विधेयक (नई धारा 6क, का अंतः स्थापन आदि)	
श्री उत्तमराव देवराव पाटील	243
(छः) बालिका शिशु हत्या निवारण विधेयक	
श्री मोहन सिंह (देवरिया)	243
संविधान (संशोधन) विधेयक	243-278
(नये अनुच्छेद 330क और 330ख, का अंतः स्थापन आदि)	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री के०पी० रेड्डय्या यादव	244
श्री चन्द्रजीत यादव	250
श्री. मोहन सिंह (देवरिया)	254
प्रो० रासा सिंह रावत	256
श्री संतोष कुमार गंगवार	259
श्री कमला मिश्र मधुकर	260
डा० के०वी०आर० चौधरी	262
श्री सैयद शहाबुद्दीन	263
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	273-278

लोकसभा

शुक्रवार, 4 अगस्त, 1995/श्रावण 13, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

सूती धागे की आपूर्ति

***81 श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा बुनकरों को विशेषकर उत्तर प्रदेश के बुनकरों को वर्ष, 1993-94, 1994-95, तथा 1995-96 के दौरान जून, 1995 के अंत तक किस मूल्य पर सूती धागे की आपूर्ति की गई अथवा की जा रही है;

(ख) इसके मूल्यों में हाल ही में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) सूती धागे के मूल्यों में वृद्धि के कारण बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) क्या सरकार का विचार बुनकरों को कम मूल्य पर सूती धागा उपलब्ध कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) बुनकरों को, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के बुनकरों को, अक्तूबर, 1993 और जून, 1995 के दौरान जिस मूल्य पर हैंक यार्न की आपूर्ति की गई है, उसका विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख) मुख्य रूप से कपास के मूल्यों में हुई वृद्धि, पंजाब, हरियाणा में कपास की फसल में कीड़ा लगने से कपास फसल का खराब होना, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और गुजरात में आई बाढ़ और आंध्र प्रदेश में तूफान, अनिश्चित खरीद और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास की कमी के कारण सूती हैंक यार्न के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

(ग) सूती हैंक यार्न के मूल्यों में वृद्धि के कारण हथकरघा उत्पादों के उत्पादन, बेरोजगारी और हथकरघा उत्पादों के विपणन आदि में प्रभाव पड़ सकता है। तथापि सरकार विभिन्न योजनाओं जैसे हैंक यार्न मूल्य सब्सिडी योजना और मिल गेट मूल्य योजना के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को उचित मूल्यों पर धागा उपलब्ध करवाने के लिए उचित कदम उठाती रही है।

(घ) जी हां।

(ङ) वर्ष 1994-95 के दौरान भारत सरकार ने 15 रुपये प्रति किलोग्राम सब्सिडी की दर से 20 मिलियन हैंक यार्न की आपूर्ति की एक योजना आरम्भ की थी। यह योजना वर्ष 1995-96 के लिए भी बढ़ा दी गई है और 20 मिलियन किलोग्राम हैंक यार्न की आपूर्ति के लिए सब्सिडी की दर बढ़ाकर 20 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई है। मिल गेट मूल्य योजना के अंतर्गत भारत सरकार राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के माध्यम से बुनकरों को मिल गेट मूल्यों पर हैंक यार्न उपलब्ध करवाती है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध

उत्तर प्रदेश में सूती हैंक यार्न की आपूर्ति के मूल्यों का विवरण

(एक गठरी का मूल्य-रुपए में)

काऊण्ट	नवम्बर, 93	दिसम्बर, 93	जनवरी, 94	फरवरी, 94	मार्च, 94	अप्रैल, 94 से जुलाई, 94	अगस्त, 94 से अक्तूबर, 94	नवम्बर, 94 से फरवरी, 94	मार्च, 94 से जून, 94
10S	193.20	193.20	193.20	193.20	224.00	224.00	236.00	237.00	280.00
20S	218.70	218.70	218.70	218.70	267.70	267.70	257.00	338.00	345.00
30S	250.35	250.35	250.35	250.35	296.00	296.00	331.00	456.00	415.00
40S	299.37	299.37	299.37	299.37	330.00	330.00	428.00	528.00	466.50
60S	392.34	392.34	392.34	392.34	528.00	528.00	—	528.00	528.00

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : माननीय अध्यक्ष जी, हमारा यह प्रश्न भारतवर्ष के बुनकरों के संबंध में है। भारतवर्ष के बनुकर अपनी मेहनत से स्वतः रोजगार प्राप्त करते हैं और अपनी कलाओं के माध्यम से वस्त्र बना कर, आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से विदेशों में और सारी दुनिया में निर्यात करते आ रहे हैं। ऐसे बुनकरों को जो रॉ-मेटिरियल, सूती धागा मिलना चाहिए वह उनको समय पर मिलने में कठिनाई उत्पन्न होती है। जैसा कि मंत्री जी ने हमारे प्रश्न के उत्तर में बताया है इसको देखने से यह पता लगता है कि 130 रुपए 80 पैसे से लेकर 127 रुपए, 164 रुपए 65 पैसे और 135 रुपए 36 पैसे की मूल्य वृद्धि 1993 से अभी तक हुई है। मैंने यह जानना चाहा था कि क्या सरकार इन बुनकरों को सस्ते मूल्य पर सूत उपलब्ध कराएगी ? इसके उत्तर में इन्होंने बताया है कि इनको 15 रुपए,

20 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। मेरा कहना यह है कि इस सब्सिडी से उनका भला नहीं होना है। मेरा मंत्री जी से कहना है कि यह बुनकर अपना रोजगार सुचारू रूप से चला सकें और अपनी कलाओं का प्रदर्शन करके, उसका निर्माण करके विदेशों में ज्यादा से ज्यादा निर्यात कर सकें और भारत में विदेशी मुद्रा ला सकें, इस संबंध में उनको सस्ते मूल्य पर सब्सिडी नहीं, बल्कि उनको सस्ते मूल्य पर सूत उपलब्ध कराना सुनिश्चत करेंगे?

श्री जी० वेंकट स्वामी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको माननीय सदस्य ने उठाया है। आप जानते हैं कि देश के अंदर कॉटन के प्राइसेस बढ़ने की वजह से हैंक यार्न के प्राइसेस भी बढ़े हैं, जिसके लिए बुनकर काफी परेशान थे। गवर्नमेंट को उसके लिए उन लोगों को किस तरह से सहूलियत पहुंचानी चाहिए, बुनकरों की 1991 में जो हालत थी उसको सामने रखते हुए देखें तो पता चलेगा, कि 1993-94 में काफी रेट इजाफा हुए, 1992 में 1 करोड़ 37 लाख कॉटन का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन 1993-94 में हमें 10 लाख बेल्स की कमी हुई है जिसकी वजह से रेट्स में इजाफा होता गया और इस तरह से इजाफा हुआ कि बुनकरों को हैंक यार्न खरीदना भी मुश्किल हो गया था। बनुकरों का जीना मुशिकल हो गया था। इस वक्त हमने एनटीसी में जो भी प्रोडक्शन हुआ, उसको कम रेट पर पहले बेचने की व्यवस्था की। इंडिया में जो दूसरी टेक्सटाइल मिल्स थीं, उनको भी इस काम में मदद करने के लिए कहा गया। वहां से भी यार्न 8 रुपए पर के जी कम कीमत पर दिया गया। उसके बाद सरकार द्वारा 1993 में 15 रुपए पर के जी सब्सिडी दी गई, ताकि बुनकरों पर दाम बढ़ने का असर न हो। 1994-95 में दामों में और बढ़ौतरी हुई, जिसका कारण पंजाब और गुजरात में कॉटन प्रोडक्शन में कमी आना और पाकिस्तान में फसल को कीड़ा लगना रहा और प्रोडक्शन में 10 लाख बेल की कमी आई। सारे देश में डोमेस्टिक कंजम्शन 1993-94 में 1 करोड़ 25 लाख बेल था और 1994-95 में 1 करोड़ 28 लाख बेल की आवश्यकता थी, जिसकी वजह से यह शार्टेज हो गई और रेट बढ़ते गए। वीवर्स की असुविधा को दूर करने के लिए ओजीएल में विस्कोस को इंपोर्ट करने की इजाजत फाइनांस मिनिस्ट्री ने दी। उसके बाद कॉटन इंपोर्ट करने की अनुमति भी दी गई कि जितना चाहे काटन बाहर से मंगवाइए। इसके पश्चात वीवर्स को सहूलियत पहुंचाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स से बात की गई और वहां पर जो कोआपरेटिव फेडरेएंस थी, उनको हैक यार्न सप्लाई करने की पूरी चेष्टा की गई। मैं इसके आंकड़े भी दे सकता हूं कि कितना यार्न सप्लाई किया गया और कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इस सारी कार्यवाही से बुनकरों को राहत मिली है। कोआपरेटिव सोसायटीज के माध्यम से वीवर्स को सिस्टेमेटिकली यार्न सप्लाई करने का काम किया गया और 20 रुपए पर केजी सबसिडी दी गई । इससे वीवर्स की परेशानी कम हुई। मैं माननीय सदस्य को बताना चहाता हूं कि हैंक यार्न सप्लाई के लिए जितनी भी एप्लीकेशंस थीं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जितना हैंक यार्न मिल ओनर्स से लेना था, उसको पूरा किया और मिल रेट पर उसको सप्लाई किया। उसमें 20 रुपए पर केजी स्टेट गवर्नमेंट को सबसिडी दी गई। वीवर्स पर किसी तरह का भार न पड़े, इसका पूरा ध्यान रखा गया। काटन यार्न और खासतोर से हैंक यार्न में कीमतों में जो इजाफा हुआ है, उस भार से बुनकारों को मुक्त रखने की कोशिश की गई।

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : मंत्री महोदय ने जो बताया है, वह उनके लिखित उत्तर में है। मैंने जो प्रश्न पूछा था, उसको संभवतः मंत्री महोदय समझ नहीं पाए हैं, इसलिए मैं पुनः प्रश्न पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बाराबंकी में भारी संख्या में बुनकर हैं जो बहुत गरीब बुनकर हैं। मैं उन गरीब बुनकरों की बात कर रहा हूं, लखपति या करोड़पति बुनकरों की बात नहीं कर रहा। पैसे वाले बुनकरों पर मूल्य वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास धनराशि उपलब्ध होती है और वे अपना काम चला लेते हैं। मैं उन बुनकरों की बात कर रहा हूं जो अपने यहां करघा लगा कर भारत का यह गृह-उद्योग चला रहे हैं और जिनकी संख्या करोड़ों में है। आपने वर्ष 1993 में 15 रुपए उनको सब्सिडी दी, लेकिन आपने स्वयं अपने जवाब में बताया है कि जून 1995 तक 127 रुपए, 164.66 रुपए, 135.66 पर बंडल दाम बढ़े हैं और आप सबसिडी 15 या 20 रुपए दे रहे हैं। 1991 में जो घोषणापत्र निकाला गया था, उसमें मूल्य कम करने की बात की गई थी। उस वचन के अनुसार 1993 के बाद जो मूल्यों में वृद्धि हुई हे, क्या उसकी पूर्ति की जाएगी। मुझे हां या न में जवाब चाहिए।

श्री जी वेंकट स्वामी : मैंने माननीय सदस्य को डीटेल्ड रिपोर्ट दी है, जो फैक्ट्स थे, वे बताए हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

श्री जी वेंकट स्वामी : माननीय सदस्य 1993 के रेट्स के आधार पर जानना चाहते हैं, जो प्रश्न उन्होंने रिपीट किया है।

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : मैं रिपीट कर रहा हूं। 1993 में आप किस रेट पर बुनकरों को सूत उपलब्ध कराते थे।

अध्यक्ष महोदय : त्रिपाठी जी, मैंने आपको इजाजत नहीं दी है। मंत्री महोदय, वह सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि भाव कम करने की आपने बात की थी। उसके ऊपर आप कब अमल करने वाले है?

[अनुवाद]

उन्होंने आपके प्रश्न का विस्तृत उत्तर दे दिया है। अब किसी अनुपूरक प्रश्न की गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री जी० वेंकट स्वामी : अध्यक्ष जी, देश के अंदर जो कॉटन के मूल्य में इजाफा हुआ है उसकी बजह से ही यार्न की कीमत में इजाफा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : आप दाम कम करने की कोशिश तो करेंगे।

श्री जी० वेंकट स्वामी : कोशिश जरूर कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। श्री अंसारी।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : मान्यवर, मेरे प्रश्न पूछने का कोई लाभ नहीं हुआ।

[अनुवाद]

डा० मुमताज अंसारी : अध्यक्ष महोदय, सभा में माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था लेकिन इसके बावजूद भी हैंक यार्न के मूल्यों में वृद्धि हो रही है और यह वास्तविक बुनकरों को उपलब्ध भी नहीं कराया गया है। माननीय मंत्री महोदय के अपने राज्य में भी बुनकरों की भूख के करण मृत्यु

हुई है। महोदय, मंत्री महोदय को यह तथ्य मालूम है कि जो भी राज सहायता और सुविधाएं बुनकरों को दी जा रही हैं यह सब वास्तविक बुनकरों तक नहीं पहुंच रही हैं। काफी बड़ी संख्या में बिचौलिये हैं जैसे राष्ट्रीय विकास निगम और हथकरघा विकास निगम। इसलिये, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं ताकि ये सुविधाएं और लाभ वास्तविक बुनकरों तक पहुंच सकें ?

[हिन्दी]

श्री जी० वेंकट स्वामी : अध्यक्ष जी, हमने बहुत सारे डिपो हरके स्टेट में खोले हैं। अपैक्स-बॉडी का हमने हैंक-यार्न सप्लाई किया है और उनसे कहा है कि 20 रुपयें कम पर बुनकरों को पहुंचाए। सीधे तौर पर भारत सरकार की तरफ से हम यह नहीं कर सकते हैं, सिवाए इसके कि स्कीम बनाकर उनको दें ताकि बुनकरों को वह पहुंचे। बहुत हद तक स्टेट गवर्नमेंट को दिया है लेकिन बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को पहुंचा नहीं है। माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है अध्यक्ष जी, उसमें थोड़ी सच्चाई है। वह इसलिए है कि इम्प्लीमेंट अथार्टी स्टेट गवर्नमेंट है। स्कीम बनाकर पैसा पहुंचाने का काम भारत सरकार का है, जो हमने सिन्सेएरली किया है, यह मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं।

[अनुवाद]

डा० मुमताज अंसारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि कुछ अनियमितताएं हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में उन्होंने आपकी बात सुन ली है और वह कुछ न कुछ जरूर करेंगे।

श्री सुधीर गिरि : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने विश्वास दिलाया है कि सरकार गरीब लोगों को सहायता देने जा रही है। गरीब लोगों और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिये कपड़ा एक बुनियादी आवश्यकता है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि एक किलोग्राम कपास के ऊपर 15 रुपए राज सहायता दी जा रही थी।

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1993-94 और 1994-95 में 15 रुपए की दर से राज सहायता दिये जाने के वक्त कपास का मूल्य क्या था क्योंकि वर्ष 1995-96 से सराकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से राज सहायता देने वाली है ? यह मेरे प्रश्न का भाग (क) है।

मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि 20 मिलियन किलोग्राम से अधिक पर राजसहायता क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है जबकि सच्चाई यह है कि हमारे देश की जनसंख्या में वृद्धि हो गई है ?

अध्यक्ष महोदय : अगर इस समय आपके पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि किसी विशेष समय पर कपास का यथार्थ मूल्य कितना था तो आप बाद में उपलब्ध करा सकते हैं। परन्तु, वह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार अधिक लोगों को राज सहायता देने जा रही है।

[हिन्दी]

श्री जी० वेंकट स्वामी : हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक वीवर्स को सबसिडी पहुंचे। इसके लिये हमने स्टेट गवर्नमेंट को धनराशि एलॉट की है।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : यह सवाल का जवाब नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार के लिये यह सम्भव है कि और अधिक लोगों को तथा और अधिक मात्रा में राज सहायता दी जा सके।

[हिन्दी]

श्री जी० वेंकट स्वामी : मोर सबसिडी देते हुए हमने 20 रुपये देने का फैसला किया और वे इससे सैटिसफाइड भी हैं।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : अध्यक्ष महोदय, वास्तविक बुनकरों की समस्या का एक प्रमुख कारण यह है कि उनको यार्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये कतिपय उपायों के बावजूद भी उपयुक्त समय पर उचित मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में यार्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसको महसूस करते हुये तत्कालीन सरकार ने लगभग 8 वर्ष पहले यार्न बैंकों को खोलने की परियोजना शुरू की थी। त्रिवेंद्रम में एक इकाई का उद्घाटन किया गया था और यह अच्छी तरह से कार्य कर रही थी। परन्तु, कुछ कारणों से यह बेकार हो गई है। इसलिये, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वास्तविक बुनकरों तक राज सहायता नहीं पहुंच रही है तो क्या यार्न बैंकों को पुनर्जीवित किया जायगा और अधिक इकाइयां खोली जायेंगीं ताकि वास्तविक बुनकरों को यार्न बैंकों से राज सहायता प्राप्त यार्न मिल सके ?

[हिन्दी]

श्री जी० वेंकट स्वामी : यार्न बैंक खोलने का अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। इस वक्त जो सबसिडी दी जा रही है, वह आपकी सूचना के लिये –**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : इसका उद्घाटन किया गया था और अच्छी तरह से कार्य कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय : वह कह रहे हैं कि यह बुकनरों तक नहीं पहुंच रही है। क्या आप यार्न बैंक खोलने जा रहे हैं ताकि बुनकरों को इसका लाभ मिल सके? यह प्रश्न है।

श्री ए० चार्ल्स : ये पहले कार्य कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : आप इसकी जांच करवा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जी० वेंकट स्वामी : मैं इसे एग्जामिन करूंगा।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि सूत के दाम बढ़ने से विपणन की समस्या बुनकरों के सामने हैं। आज बुनकरों की हालत सबसे अधिक खराब है। पहले सरकार की योजना थी कि सूत के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिये उस पर सबसिडी नहीं दी जायेगी। इसलिये बुनकरों के सामने जो प्रोडयूस मैटिरियल की समस्या थी, उसको सरकार खरीदती थी। जितनी उन पर लागत आती थी, उसमें थोड़ा गुजारे भर का मुनाफा देकर सरकार उनके फीनिश मैटिरियल को खरीदने का इंतजाम

करती थी। इसलिये जनता धोती और साड़ी की स्कीम चलायी गई। उस स्कीम को भारत सरकार के आदेश पर बंद कर दिया गया, खास तौर से उत्तर प्रदेश में और देश के दूसरे प्रान्तों में। इससे बुनकरों की समस्या बहुत ज्यादा खराब हो गई। बुनकरों की हालत खराब होने का यह बड़ा कारण है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बढ़े हुए दाम पर सबसिडी नहीं देते क्यों कि 193 रुपये का जो भाव है तो 15 रुपये सबसिडी देते थे, 285 का भाव है तो 20 रुपये देते थे।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका जवाब दे दिया है।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या बुनकरों की जीविका भर के लिये, उनका तैयार किया हुआ जो माल है, उसको खरीदने और उस पर सबसिडी देने की पुरानी परम्परा को चालू करने का सरकार कोई इंतजाम करेगी ?

श्री जी० वेंकट स्वामी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि जनता साड़ी और धोती की स्कीम पहले थी लेकिन उसमें काफी स्किल मार खा रही थी और उसमें गड़बड़ भी थी। हमारे बुनकर बहुत ही अच्छा कपड़ा तैयार करते हैं। वह एक धोती तैयार करते थे तो चार ध ोती लिखायी जाती थी। इस तरह से करप्शन बढ़ा। -**(व्यवधान)** मैं माननीय सदस्यों की जानकारी में यह बात ला रहा हूं लेकिन वह सुनना ही नहीं चाहते हैं। हमने इसको कम करने की कोशिश की। दूसरी जो नई स्कीम आई है, वह मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि हम किस तरह से बुनकरों के स्टैंडर्ड आफ लाइफ को ऊपर उठाने के लिये कोशिश कर रहे हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 7300 करोड़ रुपये रखे गये थे और 1836 करोड़ की स्कीम बनायी गई -**(व्यवधान)** मैं पिक्चर सामने रख रहा हूं, अगर उसमें गलती है तो माननीय सदस्य जरूर पूछ सकते हैं। ऑपोजिशन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार उनको जो वेतन मिलता है, मियां-बीबी अगर इकट्ठे काम करते हैं तो 300 रुपये वेज मिलता है। उनके वेजिस कैसे इनक्रीज किये जाये, इसके लिए हमने 1836 करोड़ रुपए आठवीं पंचवर्षीय योजना में 3000 हैण्डलूम वीवर्स डैवलपमेंट सैण्टर गांवों में कायम किये और उनको जितना हैंक यार्न सप्लाई करना है, वह किया और तैयार किये हुए कपड़े को मार्केट में लाए और मार्केट में लाकर सेल करने का प्रबन्ध भी हमने किया है। हमने उनके बच्चों के लिए भी स्कीम बनायी है कि दो लाख साइकिलें हमारे पास पड़ी हैं। आप ले जाकर मार्केटिंग कीजिए। रात दिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लीजिए और मार्केटिंग कीजिए ताकि ज्यादा पैसा वीवर्स को मिले। पर जब इंप्लीमेन्टेशन का सवाल आता है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाकर हमारा सिर झुकता है। -**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : इनके मन में खोट है। -**(व्यवधान)**

श्री जी० वेंकट स्वामी : अध्यक्ष जी, ये कहते हैं कि हमारे मन में खोट है। माननीय सदस्य बिहार से आते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कितना पैसा हमने दिया और कितना वहां इंप्लीमेंट किया गया?

श्री राम कृपाल यादव : आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि कितना पैसा आपने बिहार में दिया है? -**(व्यवधान)**

श्री जी० वेंकट स्वामी : अपने चीफ मिनिस्टर से पूछिए। -**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव जी, अगर आप मंत्री महोदय की सिर्फ निंदा करना चाहते हैं तो आपको कोई सहायता नहीं मिलने वाली है। परन्तु, अगर आप कठिनाइयों पर चर्चा करना चहाते हैं तो आपको कुछ सहायता मिल सकती है।

श्री एम०आर० कादम्बूर जर्नादनन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी अपने उत्तर में 60 काऊण्ट तक का विवरण दिया है। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हथकरघा बाजार क्षेत्र, मयूरभंज क्षेत्र में हैंक यार्न के प्रमुख उपभोक्ता काऊण्ट्स 200 और 280 हैं। आपने 200 और 280 काऊण्ट्स के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। इसके अलावा, जब से माननीय श्री जी वेंकट स्वामी ने कार्यभार संभाला है उन्होंने 'हैंक यार्न दायित्व योजना' और '20 मिलियन किलोग्राम योजना' शुरू की है। मुझे बताया गया है कि 'हैंक यार्न दायित्व योजना' के तहत यार्न की खरीद में भेदभाव किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात एन०टी०सी० और सहकारी समितियों से कितना यार्न खरीदा गया है और निजी क्षेत्र से कितना यार्न खरीदा गया है ? मैं यह भी स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत से कितना-कितना यार्न खरीदा गया है। दक्षिण भारत में हैंक यार्न का दायित्व अधिक है, लेकिन फिर भी भेदभाव किया जा रहा है। अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कपड़ा उद्योग से हैंक यार्न की खरीद में किया जा रहा भेदभाव समाप्त कर दिया जाएगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से 200 और 280 काऊण्ट के बारे में भी पूछना चहाता हूं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में मुख्यतः मयूरभंज क्षेत्र में मुख्य उपभोक्ता काऊण्ट हैं। इस वर्ष कीमतों में वृद्धि हुई है जबकि सूखा भी पड़ा है। इसलिये, इस वर्ष की शेष अवधि के लिए सरकार क्या करने जा रही है?

श्री जी० वेंकट स्वामी : अध्यक्ष महोदय, हथकरघा बुनकरों के संरक्षण हेतु समुचित उपाए किये गए हैं। हैंक यार्न के दायित्व आदेशों को सख्ती से लागू किया जा रहा है ताकि बुनकरों को यार्न उपलब्ध हो सके। कपास के यार्न की निर्यात सीमा 130 मिलियन किलोग्राम से घटाकर 75 मिलियन किलोग्राम कर दी गई है।

श्री एम०आर० कादम्बूर जनार्दनन : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत से हैंक यार्न की खरीद का कितना दायित्व है ?

श्री जी वेंकट स्वामी : यह एक पृथक प्रश्न है और मैं माननीय सदस्य से इस के लिये एक सूचना देने का निवेदन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप जानकारी एकत्रित करके विश्लेषण के पश्चात उनको भेज दीजिये।

[हिन्दी]

श्रम मंत्रियों का सम्मेलन

*83. **श्री अर्जुन सिंह यादव :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 के दौरान हुए राज्यों के श्रम मंत्रियों के [illegible] में क्या-क्या निर्णय लिए गए, और

(ख) अब तक कौन-कौन से निर्णयों को स्वीकार तथा कार्यान्वित किया गया और किन-किन सुझावों को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है ?

[अनुवाद]

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के 40वें और 41वें सत्र क्रमशः 6 फरवरी और 13 अगस्त, 1992 को आयोजित किये गये थे। सम्मेलन के मुख्य निर्णय तथा उन पर की गयी कार्रवाई क्रमशः अनुबंध-I और II में दी गयी है।

अनुबंध-I

6 फरवरी, 1992 को नई दिल्ली में आयोजित श्रम मंत्रियों के 40वें सम्मेलन में लिए गए निर्णयों पर की गयी कार्रवाई

मद संख्या	निर्णय	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	औद्योगिक संबंध विधान की पुनर्सरंचना के संबंध में रामानुजम समिति की सर्वसम्मत सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। मतैक्य पर पहुंचने और भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा विचार करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उद्देश्य से 5 राज्यों के श्रम मंत्रियों के एक दल को असहमति वाले क्षेत्रों की जांच करनी चाहिए।	इस निर्णय के अनुसरण में, 25 फरवरी, 1992 को केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश, प० बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के श्रम मंत्रियों को शामिल करके एक समिति गठित की गयी थी। समिति की रिपोर्ट को 7-8 सितम्बर, 1992 को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के विचारार्थ रखा गया था।
2.	जहां तक नयी औद्योगिक नीति का संबंध है सम्मेलन सिफारिश करता है कि श्रमिकों के हितों की रक्षा करने, उनके कल्याण में बढ़ोत्तरी करने और कौशल उन्नयन संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि वे प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के साथ समायोजना कर सकें।	इस निर्णय पर विचार करते समय, सरकार ने नोट किया कि नयी औद्योगिक नीति की दृष्टि से कर्मकारों के हितों की रक्षा करने के लिए, 3.2.92 को राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की गयी है। निधि का एक घटक अर्थात् राष्ट्रीय नवीकरण अनुदान निधि (एन०आर०जी०एफ०) का उद्देश्य रुग्ण इकाइयों के पुनरूज्जीवन अथवा बंदी के कारण ऐसी इकाईयों में श्रमिकों की तात्कालिक आवश्यकताओं से निपटना था। अन्य बातों के साथ-साथ इस निधि का उद्देश्य पुनर्प्रशिक्षण, पुनर्नियोजना, परामर्शों और रोजगारों से संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित करना था। श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण ने उन कर्मकारों के लिए अल्पा-विधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शुरू किये जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये हैं तथा जो अन्यथा फालतू कर्मकार करार दिये गये हैं। वर्तमान में 1585 कर्मकारों के एक बैच को अहमदाबाद, पुणे, नागपुर, धनबाद, बंगलौर, मंगलौर, कोलार, कोयम्बटूर और कोचीन में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अभी तक इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए डी०जी०ई०टी० को 10 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गयी है।
3.	अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 20 रुपये प्रति दिन से कम निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। न्यूनतम मजदूरों को 3 से 4 वर्षों के अन्तराल पर संशोधित किया जाना चाहिए और उसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध घटक का प्रावधान होना चाहिए।	केन्द्रीय सरकार ने अपनी ओर से उन 40 अनुसूचित नियोजनों, जिनके संबंध में यह समुचित सरकार है, के लिए मजदूरों की न्यूनतम दर 20 रुपये अथवा अधिक निर्धारित की है। राज्य क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों के लिए मजदूरी की न्यूनतम मजदूरी की न्यूनतम दरों के निवारण के लिए राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन समुचित सरकारें हैं। ग्रामीण कर्मकारों के लिए 20 रुपये प्रतिदिन मूल न्यूनतम मजदूरी निर्धारित किये जाने से संबंधित रा०ग्रा० श्रम आयोग को सिफारिशों को सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ध्यान में लाया गया है। श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के 40वें सत्र के की अनुवर्ती इस सिफारिश को विभिन्न स्तरों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए पुनः दोहराया गया है। इसी प्रकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गयी है कि जब तक न्यूनतम मजदूरों के भाग के रूप में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध परिवर्ती संघटक का प्रावधान नहीं हो जाता है तब तक दो वर्षों में एक बार मजदूरों की दरों की पुनरीक्षा/संशोधन करें।
4.	प्रबंधन में कर्मकार सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि कर्मकारों और प्रबंधन द्वारा उत्पादकता तथा दक्षता के महत्व एवं प्रबंधन को समस्याएं तथा कर्मकारों के लिए कल्याणकारी उपायों की आवश्यकता की जानकारी की जा सके।	संविधान के 1973 के संशोधन के अनुसार भी, प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता संबंधी आनुक्रमिक योजनाएं शुरू की गयीं और कार्यान्वयन के लिए ली गयी। जो योजना अब प्रचलन में है उसे सरकार ने 30 दिसम्बर, 1993 को स्वयं अधिसूचित किया। समय-समय पर कार्यान्वित की गई विभिन्न

1	2	3
		योजनाओं को कर्मियों और इस बारे में प्राप्त अनुभवों को भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस विषय को विधायी आधार प्रदान करने का निर्णय लिया है। प्रबंध में कर्मचारियों को सहभागिता विधेयक, जिसे इस प्रयोजनार्थ मई, 1990 में पुरः स्थापित किया गया था, की अभी श्रम और कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति से संबंधित विभाग जांच-पड़ताल कर रहा है फिलहाल, विद्यमान योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जा रही है और समय-समय पर प्रवोधन किया जा रहा है।
5.	कई राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने इक्विटी कैपिटल में प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता और श्रमिकों द्वारा रूग्ण औद्योगिक उद्यमों के प्रबंधन को लिए जाने का समर्थन किया।	इस सुझाव पर विचार करते हुए सरकार ने नोट किया कि 24.7.91 को घोषित की गई नई औद्योगिक नीति में परिकल्पना की गई है कि रुग्ण कम्पनियों को फिर से चालू करने के लिए तैयार किए गए पैकेजों में भाग लेने के लिए श्रमिक सहकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अंतर्गत श्रमिक सहकारियों को शामिल किए जाने पर राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अधिकृत प्राधिकारियों द्वारा विचार किया गया और यह सहमति व्यक्त की गई कि कुछ अनुबंधों और शर्तों के अधीन श्रमिक सहकारियों को राष्ट्रीय नवीकरण निधि को सहायता प्रदान की जाएगी।

अनुबंध-II

13.8.1992 को नई दिल्ली में आयोजित श्रम मंत्रियों के 41वें सम्मेलन से संबंधित की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट

मद सं०	निर्णय	की गई कार्रवाई
1	2	3
(एक)	सम्मेलन में रामानुजम समिति की रिपोर्ट के विवादास्पद मुद्दों से संबंधित पांच राज्यों (महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्रियों को समिति, जिसकी अध्यक्षता श्रम राज्य मंत्री ने की थी, की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि इन सिफारिशों को 7 और 8 सितम्बर, 1992 को होने वाले भारतीय श्रम सम्मेलन के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।	रामानुजम समिति की रिपोर्ट के विवादास्पद मुद्दों से संबंधित पांच श्रम मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट 7 और 8 सितम्बर, 1992 को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 30वें सत्र में प्रस्तुत की गई। भारतीय श्रम सम्मेलन ने महसूस किया कि इस संबंध में सरकार की राय जानने के बाद इस मुद्दे पर विचार करना अधिक उपयोगी होगा। अध्यक्ष महादेय ने आश्वासन दिया कि सभी पक्षों के विचारों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए तथा देश के अंदर और बाहर हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित औद्योगिक संबंध और व्यवसाय संघ विधेयक का मसौदा तैयार किया जाएगा। तदनुसार व्यवसाय संघ अधिनियम के संशोधन से संबंधित विधेयक तैयार किया गया था और उसे जांच पड़ताल और अपनी रिपोर्ट देने के लिए श्रम और कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति से संबंधित विभाग को संदर्भित कर दिया गया है। इसी तरह से, औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव भी तैयार कर लिए गए हैं और विधेयक को संसद में पुरःस्थापित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त की जा रही है।
(दो)	सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित विषयों से संबंधित राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की सिफारिशों को जांच करने के लिए श्रम मंत्रियों की एक समिति गठित की जाए : (क) सामाजिक सुरक्षा; (ख) खेतिहर मजदूरों के लिए केन्द्रीय विधान; (ग) भवन निर्माण श्रमिकों के लिए केन्द्रीय विधान; और (घ) राष्ट्रीय बंधित श्रम आयोग का गठन। महाराष्ट्र के श्रम मंत्री समिति के अध्यक्ष होंगे और बारह राज्यों, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, त्रिपुरा,	केन्द्रीय श्रम मंत्री ने राज्य सरकार के श्रम सचिवों और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों तथा राज्यों के श्रम मंत्रियों की स्वयं बैठक बुलाई और खेतिहर मजदूरों और भवन निर्माण श्रमिकों के लिए एक केन्द्रीय विधान की आवयकता पर आम मत प्राप्त किया। इस बात पर सहमति हुई कि असंगठित वर्ग के कर्मकारों के लिए विद्यमान योजनाओं को प्रसारित करने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाएं का कार्यान्वित की जानी आवश्यक हैं। चूंकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जिसे स्थापित कर दिया गया है, भी बंधित श्रम के विरुद्ध है, यह मजसूस किया गया कि बंधित श्रम के लिए अलग से किसी आयोग के गठन की आवश्यकता नहीं है।

1	2	3
	आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर और मेघालय के श्रम मंत्री इसके सदस्य होंगे। समिति की रिपोर्ट मंत्रियों के अगले सम्मेलन के समक्ष रखा जाएगी।	
(तीन)	कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधीन चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने से संबंधित प्रश्न पर विचार-विमर्श करने के लिए श्रम मंत्रियों का विशेष सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन को अक्तूबर, 1992 के दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जा सकेगा।	श्रम मंत्रियों का 42वां सम्मेलन नई दिल्ली में 7-8 जुलाई, 1993 को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने से संबंधित विषय पर विचार-विमर्श किया गया था। इस सम्मेलन में लिये गये निर्णयों पर विचार किया गया और निर्गम ने अन्य बातों के साथ-साथ 4 अगस्त, 1994 को यह निर्णय लिया कि चिकित्सा देख रेख पर व्यय की सीमा 1.4.94 से बढ़ाकर प्रति बीमित व्यक्ति परिवार इकाई प्रति वर्ष 410 रुपये कर दी जाये जिसमें से कम से कम 130 रुपये का व्यय विशिष्ट रूप से दवाईयों और पट्टियों के लिए नामांकित किया जाना चाहिए।
(चार)	यह महसूस किया गया कि बाहरी व्यक्तियों के नियोजन पर प्रतिबंध और अंतर्राज्यिक की प्रवासी कर्मकारों की समस्याओं पर गंभीर विचार-विमर्श की आवश्यकता है अतः इस अंतर्राज्यिक परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद को भी संदर्भित किया जा सकता है।	अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों की समस्याओं संबंधी मामला प्रथमतः अंतर्राज्यिक परिषद को संदर्भित किया गया है।
(पांच)	41वें श्रम मंत्री सम्मेलन की कार्यसूची मद संख्या 12 से 47 में समाविष्ट सुझावों पर विचार-विमर्श करने के लिए पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री की अध्यक्षता में श्रम मंत्रियों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। गुजरात हरियाणा, गोवा, हिमाचल, प्रदेश राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम पांडिचेरी के राज्यों के श्रम मंत्री इसके सदस्य होंगे। समिति की सिफारिशें अगले श्रम मंत्री सम्मेलन के समक्ष रखी जायेंगी।	श्रम मंत्रियों की समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसे श्रम मंत्रियों के आगमी सम्मेलन में रखा जाएगा।
(छः)	बाल श्रम के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :	
	(क) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 का अधिक प्रभावी प्रवर्तन होना चाहिए।	राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि बाल श्रम संबंधी विभिन्न कानूनों की कड़ाई से प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए इसके प्रवर्तन की समीक्षा की जानी चाहिए।
	(ख) श्रम मंत्रालय सभी सुझावों/कमियों की जांच करेगा और अधिनियम में उचित संशोधन लायेगा।	बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ संशोधनों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।
	(ग) प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को 50% सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना जिसे पॉयलर आधार पर दो राज्यों में लागू किया गया था सभी राज्यों के लिए खोल दी जायेगी।	यह योजना केन्द्र प्रायोजित क्षेत्र में उन योजनाओं में है जिन्हें योजना आयोग के सुझाव के आधार पर बंद कर दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मूल प्रश्न था कि मज़दूरों और श्रमिकों के लिए क्या-क्या निर्णय सम्मेलनों में लिये गए और क्या लागू किये गए ? इन्होंने उत्तर दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट की बैठकें कब कब हुई हैं। मेरा मूल प्रश्न था कि क्या उन निर्णयों को सख्ती से लागू किया गया था नहीं ? अगर लागू किया गया तो कहां-कहां और यदि नहीं किया गय तो क्यों ?

[अनुवाद]

श्री पी०ए० संगमा : मैंने सभा में एक बहुत विस्तृत उत्तर दिया है जिसमें लिए गए निर्णयों और की गई कर्यावाही के बारे में बताया गया है। सम्मेलन के निर्णयों को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित कियो जाना है प्रत्येक की गयी कार्यवाही के बारे में विस्तार से बताया गया है। मैं नहीं समझता हूं कि मैं और अधिक विस्तार से बता सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखित उत्तर को पढ़िए आपको उत्तर मिल जायेगा।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह यादव : माननीय अध्यक्षजी, जुलाई, 93 में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में श्रम कानून को सख्ती से लागू करने व सतर्कता समिति के गठन की बात कही गई थी। असंगठित मजदूरों व गरीब किसानों के लिए

आयोग गठित करने की बात से भी इंकार कर दिया गया। आप उनको लाभ देने के लिए क्या कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री पी०ए० संगमा : प्रश्न विशिष्ट रूप से 1992 में आयोजित श्रम मंत्रियों के सम्मेलन से सम्बन्धित है। मैंने सब उत्त दे दिये हैं। यदि माननीय सदस्य 1993 के सम्मेलन के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री बसुदेव आचार्य : 41वां भारतीय मजदूर सम्मेलन जिसे वर्ष 1992 में आयोजित किया गया था, उसमें ग्रामीण मजदूर सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए श्रम मंत्रियों की एक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था। उस आयोग ने कृषि मजदूर और निर्माण कार्य मजदूर के लिए एक विस्तृत कानून बनाने की सिफारिश की थी, क्या मैं माननीय सदस्य से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार कृषि मजदूर और निर्माण-कार्य मजदूरों के लिए एक विस्तृत कानून लाएगी क्योंकि कृषि मजदूर आंदोलन कर रहे हैं। वे दिल्ली में संसद के सामने एक बड़ी रैली का आयोजन करने वाले हैं। कृषि मजदूरों के लिए एक विस्तृत कानून की तुरंत आवश्यकता है। मैं जानना चाहता हूं कि यह कानून लाया जायेगा या नहीं।

श्री पी० ए० संगमा : पिछले सत्र में, मुझे इस प्रश्न पर सभा को आश्वस्त करने का अवसर मिला था। ग्रामीण मजदूर सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग ने कृषि मजदूरों और निमार्ण-कार्य मजदूरों के लिए एक कानून बनाने की सिफारिश की है। श्रम मंत्रालय ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली थी। राज्य सरकारों के साथ सभी परामर्श पूरे कर लिए गए थे। मंत्रियों की समिति ने इसे अनुमोदित कर दिया है और विधेयक प्रारूपण के अंतिम चरण में है।

श्री बसुदेव आचार्य : आपने निमार्ण-कार्य मजदूरों के बारे में नहीं कहा है।

श्री पी० ए० संगमा : मैंने दोनों के बारे में कहा है।

श्री के०वी० रेड्डय्या यादव : माननीय मंत्री महोदय जानते हैं कि हमने पिछले चार वर्षों से नई औद्योगिक और आर्थिक नीति अपना ली है। पहले, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अन्तर्गत हम कतिपय श्रम कानूनों अर्थात् संघों इत्यादि को अपनाते रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय ने इस तथ्य के बारे में गम्भीरता से सोचा है कि नई औद्योगिक नीति का क्रियान्वयन और मजदूर संघवाद साथ-साथ नहीं चला सकते हैं और क्या सरकार का इरादा श्रम कानूनों, संघ कानूनों आदि का औद्योगिक नीति में से किसी को बदलने का है क्योंकि ये दोनों ही एक साथ नहीं चल सकते हैं। कई उद्योगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एक तरफ सरकार इसे नई आर्थिक नीति कहती है। दूसरी तरफ, वे संघवाद पर जोर देते हैं। ये दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं? मैं यह माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

श्री पी० ए० संगमा : हमारे देश में दो अधिनियम हैं जो औद्योगिक सम्बन्धों को शासित करते हैं। एक व्यवसाय संघ अधिनियम और दूसरा औद्योगिक विवाद अधिनिमय है। सरकार का विचार दोनों अधिनियमों में परिवर्तन करने का है। वस्तुतः, व्यवसाय संघ अधिनियम संशोधन विधेयक पहले ही एक सभा के विचाराधीन है। इसे राज्य सभा में पुरः स्थापित किया गया है। मेरा विचार है यह अब स्थायी समिति के विचाराधीन है। मुझे बताया गया है कि स्थायी समिति ने इसकी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है। जैसे ही यह हमें प्राप्त हो जाएगा, मुझे विश्वास है कि इस पर राज्य सभा में विचार किया जायेगा और तत्पश्चात् यह लोक सभा में विचारार्थ आयेगा।

जहां तक औद्योगिक विवाद अधिनियम का सम्बन्ध है, हमने इसकी पूरी तरह जांच कर ली है। हम अभी किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन सरकार वास्तव में यह महसूस करती है। कि उस अधिनियम में भी कतिपय बदलाव लाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, इसमें बताया गया है कि कामगारों की व्यवस्थापन में सहभागिता से संबंधित विधेयक मई, 1990 में सदन में रखा गया था, यानी पिछली लोक सभा में रखा गया था लेकिन उस समय से यह स्टैंडिंग कमेटी के पास लम्बित है। अब यह सदन भी समाप्त होने वाला है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पिछले चार सालों से यह विधेयक स्टैंडिंग कमेटी के पास क्यों पैंडिंग पड़ा है। क्या इसके बारे में मंत्री महोदय ने कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है कि उसके क्या कारण हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह इस सदन की स्टैंडिंग कमेटी नहीं है।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : क्या यह श्रम संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति के समक्ष है?

श्री पी० ए० संगमा : जी, हां, यह संसद की स्थायी समिति के पास है। समस्या यह है कि दूसरी सभा के माननीय संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधन बहुत अधिक संख्या में हैं जिसमें कई राजनीतिक दलों के विभिन्न विचारों और विभिन्न मतों की झलक मिलती है। हम एक प्रकार की, एकरूपता लाने की कोशिश करते हैं।

श्री राम नाईक : पिछले चार वर्षों से ?

श्री पी० ए० संगमा : विचार-विमर्श चल रहा है क्योंकि संघ भी स्वयं ही काफी विचार-विमर्श कर रहे हैं। फिर भी, विधेयक अब स्थायी समिति के समक्ष है। मैं इस स्थायी समिति के माननीय सदस्यों से मिला हूं। मेरा विचार है वे किसी समझौते पर पहुंच रहे हैं जैसे ही वे किसी समझौते पर पहुंचेंगे, उसे सभा के समक्ष रख दिया जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य : हमें और कितना इंतजार करना होगा ?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने इसी दृष्टि से टिप्पणी की थी कि शायद वह इस पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी नहीं है बल्कि लेबर मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी है लेकिन मंत्री महोदय ने तो हम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। यदि कोई स्टैंडिंग कमेटी चार वर्ष लेती है तो यह गलत है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह समय बहुत अधिक है। हम इसकी जांच करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामनिहोर राय : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अप्रैल, 1995 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उप-महानिदेशक वाराणसी और भदोही की तरफ गये थे जो कि कालीन बनाने वाली बहुत बड़ी बैल्ट है, जहां कालीन बनाने वाले मजदूर बड़ी संख्या में हैं।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न 1992 की श्रम मंत्रियों की कांफरैंस से संबंधित है।

श्री रामनिहोर राय : मैं बाल मजदूरों पर ही आ रहा हूं। भारत में कालीन उद्योग में लगे बाल मजदूरों के शोषण के संबंध में तथा कालीन निर्यातकों के विरुद्ध भारत के श्रम मंत्री के समक्ष एक ज्ञापन दिया गया है लेकिन उसका अभी तक श्रम मंत्री ने खंडन नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूं कि श्रम मंत्री जी ने उसका खंडन क्यों नहीं किया है, इसके कारण क्या हैं? मान्यवर, इसका हमारे कालीन उद्योग पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है जबकि कालीन उद्योग से भारत सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त होता है लेकिन आज मिर्जापुर, वाराणसी और भदोही के कालीन मजदूर भूखों मर रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गयी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उत्तर देना चाहेंगे ?

श्री पी० ए० संगमा : मैंने न केवल जर्मनी के माननीय मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य का खंडन ही किया है अपितु मैंने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को भी सूचित किया है कि जहां तक बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम का सम्बन्ध है हम किसी बाहरी सहायता को स्वीकार नहीं करते हैं। प्रधान मंत्री महोदय ने 850 करोड़ रु० आवंटित किए थे। यह धनराशि हमारे लिए पर्याप्त है। इसलिए, मैंने बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के लिए बाहरी सहायता लेने के लिए भी इंकार कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार हमेशा सदन में यह आश्वासन देती आयी है कि अपने देश में किसी भी दूसरे देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। यहां मेरा श्रम मंत्री जी से संबंधित सवाल है कि जर्मनी के श्रम मंत्री जब यहां आकर हमारे क्षेत्र में घूमे और उसके बाद एक प्रेस कांफरेंस करके पूरे देश में यह प्रचार किया गया कि हिन्दुस्तान में जो कालीन बनाये जाते हैं वे बाल मजदूरों द्वारा बनाये जाते हैं। और उसमें यह कहा कि हिन्दुस्तान के कालीन दुनिया के किसी भी देश में इसलिए नहीं खरीदे जाने चाहिए कि हिन्दुस्तान के बने हुए सारे कालीन बाल मजदूरों द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह कौन सी ताकत जर्मनी के श्रम मंत्री में पैदा हो गई कि हिन्दुस्तान के श्रम मंत्रालय से संबंधित सवालों को दुनिया में जा जाकर प्रचार कर रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह नहीं है। इसकी अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

आपको बोलने से यहां नहीं रोक सकते, तो वहां कहां रोक सकेंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अगर सरकार नहीं रोक सकेगी, तो हिन्दुस्तान के लोगों में इतनी ताकत है कि वे उनको जरूर रोक देंगे और मैं तो रोक ही दूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने यहां एक स्टेटमेंट दे दिया जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि हमने सब कुछ इसमें लिख दिया है उसी के अनेक्श्चर दो की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। जहां उन्होंने यह कहा है कि—

[अनुवाद]

बाल मजदूरी के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए थे :

[हिन्दी]

और यह मीटिंग अध्यक्ष जी, अगस्त 13, 1992 की है। कन्क्लूजन और एक्शन टेकन क्या है, यह भी उन्होंने बताया है—

[अनुवाद]

निष्कर्ष क्या हैं ?

[अनुवाद]

(क) बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 का और अधिक कारगर कार्यान्वयन होना चाहिए।

[हिन्दी]

राज्य सरकार के श्रम मंत्री और केन्द्र के श्रम मंत्री बैठकर फैसला लेते हैं।

एक्शन टेकन क्या है—

[अनुवाद]

की गई कार्रवाई : राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि बाल श्रमिक से संबंधित पुनरीक्षित अनेक कानूनों का कड़ाई से प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रवर्तन की स्थिति बनाएं।

दूसरी सिफारिश यह है :

[हिन्दी]

अगली रिक्मेंडेशन क्या है—

[अनुवाद]

(ख) श्रम मंत्रालय सभी सुझावों/खामियों की जांच करेगा और अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करेगा।

[हिन्दी]

1986 का कानून 1992 का फैसला और एक्शन टेकन आज के दिन क्या है—

[अनुवाद]

बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम को और कारगर बनाने के लिए कतिपय संशोधन सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

यानी कुछ नहीं और तीसरी उससे मजेदार सिफारिश अध्यक्ष जी यह है, इन लोगों ने मिल कर की है जिसमें आप सदारत करते हैं—

[अनुवाद]

(ग) प्रवर्तन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जबकि 50 प्रतिशत सहायता राज्य सरकारों को दी जाती है। जो योजना प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई है वह सभी राज्यों के लिए खोल दी जाएगी।

[हिन्दी]

और एक्शन टेकन क्या है—

[अनुवाद]

योजना आयोग की सलाह के आधार पर यह योजना उन योजनाओं में से एक है जिन्हें केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र में समाप्त कर दिया गया है।

[हिन्दी]

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आप किसके लिए इस प्रकार की कान्फ्रेंस करते हैं? यह निर्णय क्यों लेते हैं और लोगों विशेषकर मजदूरों को क्यों गुमराह करते हैं और अन्त में मैं पूछना चाहूंगा कि इस प्रकार की एक्शन टेकन रिपोर्ट क्यों सदन के सामने देते हैं?

[अनुवाद]

श्री पी०ए० संगमा : माननीय सदस्य ने मूल रूप से दो प्रश्न उठाए हैं। पहला, अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में है। यह अधिनियम राज्य सरकारों को कार्यान्वित करना है। इसीलिए इस मुद्दे पर सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई क्योंकि यह अधिनियम राज्य सरकारों ने कार्यान्वित करना है। लेकिन जब हम यह निर्णय करते हैं कि कानून को कड़ाई से लागू किया जाएगा तो यह काम एक दिन में नहीं किया जा सकता है। कानून का कार्यान्वयन विशेष रूप से इस तरह के कानून का कार्यान्वयन एक सतत् प्रक्रिया है। बाल श्रमिक के संबंध में हम जिस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं वह आसान समस्या नहीं है। वास्तव में मुझे सभा को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि हमने सन् 2000 ई०वी० तक खतरनाक उद्योगों में बाल मजदूर समाप्त करने के अपने लक्ष्य की दिशा में काफी प्रगति कर ली है। हम 13 और 14 सितम्बर को एक सौ समाहर्ताओं की एक कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं जिसमें बाल मजदूरी पर ध्यान दिया जाएगा। विचार यह है कि इसे कैसे कार्यान्वित किया जाए, कानून और अनेक अन्य परियोजनाओं को कैसे लागू किया जाए। जैसे कि मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा था कि हमारे पास 850 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं और राज्य सरकारें इसमें बहुत अधिक रुचि ले रही हैं। मैं मुख्य सचिवों और श्रम मंत्रियों से बात कर रहा हूं। वास्तव में समाहर्ताओं के प्रस्तावित सम्मेलन के संबंध में अच्छी अनुक्रिया प्राप्त हुई है और इस दिशा में बहुत कार्य किया जा रहा है। लेकिन कानून को रातों-रात लागू नहीं किया जा सकता है। मैं आपको कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, यह कोई जवाब नहीं है। आपका समाधान हुआ हो, तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने तीन मुद्दों पर प्रश्न पूछा और उन्होंने हमको एक उपदेश दे दिया। आपका अध्यक्ष जी समाधान हुआ कि नहीं, मझे नही मालूम?

अध्यक्ष महोदय : हाउस का समाधान होना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हाउस का समाधान कैसे होगा, इनके उत्तर से तो किसी एक सदस्य का भी समाधान नहीं हुआ है। मेरा उत्तर ही नहीं मिला है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न यह था कि विलम्ब क्यों हुआ। मंत्री महोदय का उत्तर यह है कि इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है।

– **(व्यवधान)** –

श्री बसुदेव आचार्य : इस योजना को बन्द क्यों किया गया है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह स्टेट गवर्नमेंट का मामला नहीं है। आखिरी मुद्दा सैंट्रल गवर्नमेंट का था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आप ठीक कह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जिस योजना को लोगों ने मिलकर तय किया, उसको डिस्कन्टीन्यू कर दिया। वहां सिफारिशें कर दीं लेकिन उसके उल्टे काम किया।—**(व्यवधान)** कुछ नहीं बोलेंगे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : इसे बन्द क्यों किया गया है?

श्री पी०ए० संगमा : इसे बन्द नहीं किया गया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपने यह बात अपने उत्तर में क्यों नहीं कही ?—**(व्यवधान)**—

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री शरद यादव को बोलने की अनुमति दी है। उनकी बातों के अलावा और कुछ कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, चाइल्ड लेबर का जो कुछ है, यह निश्चित तौर पर बहुत गंभीर सवाल है। दुनिया में जैसा हो गया, यह मैं नहीं जानता लेकिन इस देश में इसका विशेष महत्व है। यह जो चाइल्ड लेवर पर डिबेट या बहस चल रही है उसको मैं मानता हूं कि दुनिया में जो बहस है, उसकी नकल जादा है और असल इसमें कम है।

सवाल यह है कि इस देश में चाइल्ड लेबर का कान्सेप्ट क्या है, इस पर आपको सारी पार्टियो के साथ मिलकर बात करनी चाहिए। अकेले लेबर मिनिस्टर से बात करके कि इसको कैसे इम्पलीमेंट करना है या क्या करना है, वह ठीक नहीं है। चाइल्ड लेबर में कौन आता है और कौन नहीं आता

है, इस देश में इसको डिमारकेशन करना बहुत जरूरी है। हिन्दुस्तान में अपनी उम्र और होश संभालने के बाद ही बच्चों को दस्तकारी के काम में नही लगायेंगे तो हिन्दुस्तान की दस्तकारी जिन्दा नहीं रह सकती। इस देश की दस्तकारी कोई मामूली चीज नहीं है और दस्तकारी का काम बचपन से सीखना कोई अन्याय नहीं है। यह एक कला है और मैं यह मानता हूं कि कला के चलते दुनिया से इसका नाम था।

अध्यक्ष महोदय : यह रेजर का एड है, इसको आप बहुत केयरफुली बोलिये। उसके दो एसपेक्ट्स हैं।

श्री शरद यादव : मैं उसी बात की गंभीरता को कह रहा हूं। चाइल्ड लेबर के मामले में हमको यह विचार करना है कि चाइल्ड लेबर में कौन लोग आते हैं। जैसे दस्तकारी में लोग हुए लोग हैं लेकिन लुहार और बढ़ई का धंधा करने वाला 15 या 20 साल में लुहारी का काम नहीं सीख सकता। जो बुनकरी का काम है, उसको अगर बच्चा नहीं सीखेगा तो वह आगे आकर नहीं सीख सकता। इसी तरह दस्तकारी के कई काम हैं, जिन्हें दूसरा आदमी अपनी उम्र पार करने के बाद नहीं सीख सकता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आईए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न गंभीर है। यह प्रश्न हर बार उठता है और मैं हर बार यहां बोलने के लिए खड़ा होता हूं।

अध्यक्ष महोदय : भाषण के बाद आपको इस पर मौका दिया जायेगा। आज आपका प्रश्न क्या है, उस पर बोलिये, नहीं तो दूसरों को प्रश्न पूछने दीजिये।

श्री शरद यादव : मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। इस देश में जो कला है, खासकर के संगीत की कला है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी कला को संरक्षण देने के लिए आप कुछ करने जा रहे हैं या नहीं ?

श्री शरद यादव : कोई तबला बजाने वाला या कोई उस्ताद सिखा रहा है तो उसको आप बाहर निकालिये। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि सारी पार्टियों के लोगों के साथ बैठकर खासकर के चाइल्ड लेबर के मामले में हिन्दुस्तान में कौन सा हिस्सा चाइल्ड में आता है या नहीं, इस पर विचार करना चाहिए। आज बच्चों को बहुत तंग किया जाता है, उनको गन्दे काम में लगाया जाता है। उन गन्दे काम वाले क्षेत्रों को हमें देखना चाहिए। होटलों में या घरों में बच्चों से कई तरह के काम लिये जाते हैं, वे अन्यायपूर्ण नहीं है? ऐसे बच्चों को आप नेगलेट करने का काम करेंगे, ईंट भट्टों में काम करने वालों को नेगलेट करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे गहन मसले पर क्या आप विचार करने वाले हैं ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, सभी राजनीतिक दलों से परामर्श करने का अच्छा सुझाव देने के लिए मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। मैं इस सुझाव को स्वीकार करता हूं। मैं राजनीतिक दलों की एक-एक बैठक आयोजित करूंगा।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : मंत्री महोदय, के उत्तर के अनुसार श्रम मंत्रियों के सम्मेलन मे मद संख्या 2 में अर्थात श्रमिक के हितों की सुरक्षा करना, उनके कल्याण कार्य में वृद्धि करना और कौशल उनयन के लिए सुविधाएं प्रदान करना ताकि वे स्वयं को प्रौद्योगिकी में हो रहे परिवर्तनों के अनुसार ढाल सकें। कार्यान्वयन के संबंध में 3 फरवरी, 1992 को एक राष्ट्रीय नवीकरण कोश की स्थापना की गई थी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय नवीकरण कोश से अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखित रूप में यह आंकड़े मांग सकते हैं।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी ने निधि का इस्तेमाल करके इन इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु इन इकाइयों के हितों की रक्षा, के लिए अब तक कोई कदम उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास जानकारी है तो दीजिए। या आप बाद में उन्हें जानकारी भेज सकते हैं।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, मुझे जानकारी मिली है। राष्ट्रीय नवीकरण कोश के लिए 1992-93 में 829.66 करोड़ रुपए का आबंटन था और 688.72 करोड़ रुपए संवितरित किए गए थे। 1993-94 में आबंटन 1040.40 करोड़ रुपये था और 542.23 करोड़ रुपए संवितरित किए गए। 1994-95 में, 31 मार्च तक आंवटन 200 करोड़ रुपए था और 251 करोड़ रुपए संवितरित किए गए।

[हिन्दी]

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, बाल श्रमिकों पर जो उत्पीड़न हो रहा है, मंत्री जी इसे गंभीरता से ले रहे हैं, हम इस बात से सहमत हैं। मंत्री जी ने सन् 2000 तक उत्पीड़न बन्द करने के लिए स्वीकार किया है। लेकिन फिरोज़ाबाद में चूड़ी बनाने का काम बाल श्रमिक ही करते हैं और वे हिन्दुस्तान में ही नहीं विदेशों में भी अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं। उनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद बेटी, बहन, भाई और मां ही होती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे परिवार के लिए जहां पिता नहीं है सिर्फ मां है, क्या व्यवस्था करने आ रहें हैं ताकि बाल उत्पीड़न बन्द हो सके ? क्या सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है।

—(**व्यवधान**)

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : यह बहुत गंभीर सवाल है। ऐसे परिवार के लिए सरकार क्या करने जा रही है, मंत्री जी इसका जवाब दें।

[अनुवाद]

श्री पी०ए० संगमा : फिरोजाबाद प्रारंभ में चुने गए सौ जिलों में से है जहां सितम्बर में यह सम्मेलन होगा। हमने इन सौ जिलों में से हर एक जिले के समाहर्ताओं से अनुरोध किया है कि उन पच्चास स्थानों का पता लगाएं जहां हम नवम्बर के महीने से ही प्राथमिक विद्यालय शुरू करेंगे। कार्य करने वाले बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों में उन बच्चों को वृत्तिका और दोपहर का भोजन दिया जाएगा। अतः प्रत्येक जिले में नवम्बर से पचास विद्यालय शुरू किए जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : प्रश्न डिफरैंट हो गया है। हमने यह पूछा है कि उनके परिवार के लिए सरकार क्या पॉलिसी बना रही है।

अध्यक्ष महोदय : वह बच्चों को पढ़ाने पर पैसा दे रहे हैं। –(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपको यदि हमदर्दी है तो पूरी स्कीम पढ़ लीजिए।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : वह स्कीम में नहीं है। –(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में वर्कर्स पाटीसिपेंशन एंड मैनेजमैंट बिल की चर्चा की है और वह 1990 का बिल अभी भी मेरे नाम से राज्य सभा में मौजूद है। मैं जब लेबर मिनिस्टर था तो हमने सारी फौर्मेलिटी पूरी कर ली थी और पार्लियामेंट में बिल करीब-करीब पास होने वाला था। लेकिन 1990 का बिल है, पांच साल हो गए हैं और अब सरकार कह रही है कि हमने उसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजा है, उस पर विचार हो रहा है। मैं जानता हूं कि आप के मंत्रिमंडल काल में क्या उस सत्र पर विचार पास होगा या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : मैं समझता हूं कि जब मेरे मित्र श्री पासवान जी मंत्री थे तब वह अपने कार्यकाल के बारे में आश्वस्त नहीं थे कि वह कब तक मंत्री रहेंगे। अतः उन्हें रात दिन काम करना पड़ता था और उन्हें व्यस्त रहना पड़ता था। अतः इस व्यवस्तता में थी विधेयक स्वीकृत किया गया था उसमें 80 से अधिक संशोधन अत्यधिक महत्व के थे। वह सब कुछ स्थाई समिति को भेजा जा चुका है। जैसे ही वह वापस आयेगा इस उसे सभा में समक्ष रखा जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : ओब्जेक्शन है, स्टैडिंग कमेटी तो पिछले साल बनी है, इस बीच में तीन साल थे, उसमें क्या हुआ ?

[अनुवाद]

श्रीमती सुशीला गोपालन : जैसा कि हम सभी स्वीकार करते हैं। यह एक गम्भीर समस्या है। कम से कम हम इसके बारे में एक लम्बे समय से चर्चा कर रहे हैं। मैं भी समिति में थी। गहन क्षेत्रों के लिए कई प्रस्ताव किये गए थे।

अध्यक्ष महोदय : क्या, आप भी समिति में हैं ?

श्रीमती सुशीला गोपालन : पहले मैं बाल श्रमिक समिति में थी, अब नहीं हूं। हमने कई प्रस्ताव किए हैं, कि गहन क्षेत्रों में परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए उनको स्कूल भेजने के लिए और स्कूल में उनको हल्का काम देने के लिए भी कुछ प्रभावशाली उपाय किये जाने चाहिए। कुछ घन्टों के लिए उनको हल्का काम दिया जा सकता है, ताकि वे स्कूल के बाद कुछ अर्जित कर सकें। अतः इस तरह के बहुत से प्रस्ताव किए गए थे। उन्होंने शिवकाशी को चुना है और वहां पर कार्य बहुत खराब चल रहा है। वास्तविकता यह है कि उन्होंने बहुत अधिक प्रगति नहीं की है। अतः मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि वे उन क्षेत्रों में क्या करने का विचार कर रहे हैं जहां पर बाल श्रमिक बहुत अधिक हैं।

श्री पी० ए० संगमा : माननीय महिला सदस्य ने जिन प्रस्तावों का उल्लेख किया है वे सभी सरकार द्वारा स्वीकृत किए-जा चुके हैं। एक सौ जिलाधीशों से परामर्श करने के बाद –(**व्यवधान**)। ये सभी कार्यक्रम 1 नवम्बर 1995 से लागू किए जाएंगे इनमें वे कार्यक्रम भी शामिल हैं जिन का उल्लेख उन्होंने किया है।

[हिन्दी]

डा० परशुराम गंगवार : माननीय अध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी ने बताया था कि बाल श्रमिकों के लिए राज्यों को अधिकार है और उसमें प्रगति भी की है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो हमारी पार्लियामेंट के परिसर के अन्दर काम होता है, पार्लियामेंट के अन्दर जो मिट्टी का काम वगैरह होता है, क्यारियां वगैरह बनती हैं उसमें बाल श्रमिक मैंने काम करते हुए देखे हैं। यह तो राज्य सरकार का काम नहीं है। पार्लियामेंट के अन्दर बाल श्रमिक काम करते हैं, उनको रोकने के लिए हमारे श्रम मंत्री ने क्या एक्शन लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सम्भवतः आपको इसे मेरे ध्यान में लाना चाहिए था। और यदि यह हो रहा है, तो मैं इसके खिलाफ समुचित कार्यवाही करूंगा। किन्तु यह आप का कर्तव्य था कि आप सभा में उठाने के बाद उसे मेरे ध्यान में लाते। सम्भवतः आप को अपने वक्तव्य का प्रचार नहीं करना चाहिए।

(**व्यवधान**)

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, मैं उत्तर दे चुका हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य की तरफ से यह बहुत गलत है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि यह सही नहीं है, तो मैं इस विशेषाधिकार समिति को भेजूंगा।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : आप नाम लाकर दो, कौन से हैं। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : संसद को इस तरीके से बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। और संसद को इस हल्के तरीके से नहीं लेना चाहिए। यदि ऐसा है तो मैं इसे देखूंगा कि उपचारात्मक कार्यवाही की जाय और मैं अधिकारियों से पूछूंगा कि ऐसा क्यों किया गया। यदि ऐसा नहीं है तो मैं सदस्य के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजूंगा।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : लोक सभा के तो यही इंचार्ज हैं।–(**व्यवधान**)

श्री अन्ना जोशी : ले आयेंगे, लायेंगे न।–(**व्यवधान**)

प्रो० प्रेम धूमल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने पहले अनैक्सचर में जो सूचना दी है, उसमें पेज दो पर यह कहा गया है कि 20 रुपये प्रतिदिन का वेतन निश्चित करने की रिकमेण्डेशन की गई थी। साथ में यह भी था कि इस दैनिक दिहाड़ी को उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य के साथ जोड़ा जाय। एक्शन टेकन में मंत्री जी कह रहे हैं कि इस सिफारिश को विभिन्न स्तरों पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए पुनः दोहराया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आजकल की महंगाई में मात्र 20 रुपये की दिहाड़ी निश्चित करना क्या उचित है और उसको भी केवल राज्यों को आपने दोहराया है।

मेरे प्रश्न का 'क' भाग यह है कि क्या केन्द्र सरकार केवलमात्र राज्यों को इसे दोहराएगी या इसकी कोई चैकिंग करेगी कि कौन सा प्रदेश यह मिनिमम 20 रुपये भी दे रहा है या नहीं ? 'ख' भाग है कि क्या 20 रुपये को आप उचित समझते हैं ? इसका 'ग' भाग है कि जो आपने कहा था कि इसको प्राइस इन्डैक्स के साथ जोड़ा जायेगा, क्या आप इसको जोड़ने के लिए कोई इफैक्टिव कदम उठाऐंगे या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, मैं यह वह विवरण प्राप्त कर चुका हूं जो माननीय सदस्य इस वक्तव्य में जानना चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य सरकार ने क्या किया है। इसे यहां पढ़ने में बहुत अधिक समय लगेगा। शायद मैं माननीय सदस्यों को बाद में सूचित कर दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल : प्राइस इण्डैक्स से जोड़ने की बात और 20 रुपये दिहाड़ी को पर्याप्त मानना, इसमें प्राइस इण्डैक्स को मानने की बात क्लियर नहीं हुई।

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : आप ठीक कह रहे हैं। सभी राज्यों ने इसे मूल्य सूचकांक से नहीं जोड़ा है, कुछ राज्यों ने जोड़ा गया है कुछ ने नहीं। यही जानकारी उपलब्ध हैं।

प्रो० प्रेम धूमल : क्या आप उसे लागू करने के लिए दूसरे राज्यों को निर्देश देंगे ?

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी, यह श्रमिकों का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिसकी चर्चा सदन में बहुत कम होती है, वह भाग है बीड़ी बनाने वाले मंजदूर। उसमें भी 90 फीसदी औरतें काम करती हैं। पिछले सत्र के दौरान मेरे क्षेत्र में इनका बड़ा भारी सम्मेलन हुआ था। जिसमें 90 फीसदी महिलाओं ने भाग लिया था। उन्होंने सबसे बड़ा सवाल उठाया कि जहां वे काम करती हैं, काम की कंडीशन बहुत खराब है, छोटे-छोटे मकानों में काम करना पड़ता है और हवा नहीं जा सकती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि तम्बाकू जो उनकी सांस में नाक के जरिये जाता है उससे उन्हें तपेदिक जैसा रोग हो जाता है, मुझे लगता है कि कैंसर भी जरूर होता होगा। इसकी दवा की कोई व्यवस्था नहीं है। उनकी दयनीय स्थिति को देखकर उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार उनके लाइफ इंशोरेंस की कोई योजना बनाये, काम करने की अच्छी सुविधा उपलब्ध कराये और प्रमुख स्थानों पर अस्पताल खुलवाकर उनकी मदद करने की कोशिश करे। क्या इस सम्बन्ध में कोई विशेष योजना बीड़ी मजदूरों के बारे में आपने बनाई है और उस पर क्या कार्यवाही करने वाले हैं?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, यह सही है कि अधिसंख्या बीड़ी मजदूर महिलाएं हैं और वे इस कार्य को अपने घरों में करती हैं। उन्हें विनियमित करना आसान नहीं है क्योंकि रोलिंग घर में की जाती है—यह उनके अपने-अपने घरों में की जाती है। जहां तक पैकिंग का प्रश्न है, वह कारखाने में की जाती है। मैं उनमें से कई के परिवारों से मिल चुका हूं और उनके परिवारों में भी जा चुका हूं। पर बीड़ी मजदूरों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनायें चलाना भारत सरकार की प्राथमिकता सूची पर है। भारत में बहुत डिस्पेन्सरी हैं और बहुत से अस्पताल चल रहें हैं। अभी कितनी डिस्पेन्सरी व कितने अस्पताल हैं इसका पूरा विवरण अभी मेरे पास नहीं है। जहां तक बीमे का सम्बन्ध है, हमने एक 'ग्रुप इन्श्योरेन्स स्कीम' शुरू की है, अभी मेरे पास विवरण नहीं है किन्तु एक चीज जो मुझे याद है वह यह है कि बीड़ी मजदूरों को उसमें कुछ अंशदान ही देना है। 50% प्रीमियम भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से आता है और दूसरा 50% प्रीमियम उस वेलफेयर फण्ड से आता है जिसे बीड़ी मजदूरों के लिए स्थापित किया गया है। इस प्रकार ग्रुप इन्श्योरेन्स स्कीम अभी चल रही है।

श्री लोकनाथ चौधरी : सिफारिश में यह कहा गया है कि रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का मजदूरों की सहकारी समितियों द्वारा अधिग्रहण कर लिया जायेगा। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह रुग्ण इकाइयों को सहकारी समितियों को अन्तरित करने का कार्यक्रम वास्तव में लागू किया गया है।

दूसरे जहां तक सामाजिक सुरक्षा का सम्बन्ध है, यह चर्चा की गई थी और तय किया गया था कि सामाजिक सुरक्षा योजना का विस्तार किया जाना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में जिस उपान्वरित सुरक्षा योजना पर चर्चा की गयी थी वह क्या है।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, सरकार की शुरू से ही नीति थी कि यदि मजदूर कोपरेटिव सोसायटी बनाने और कारखानों को अपने हाथ में लेने के इच्छुक हैं। तो सरकार उनको यह कारखाने देने में बड़ी प्रसन्न होगी। यह घोषणा वित्त मंत्री द्वारा विशेष त्रिपक्षीय बैठक में की गयी थी और माननीय वित्त मंत्री ने यहां तक पेशकश कर दी थी कि वे यह देखेंगे कि प्रत्येक केस में देनदारियों को बट्टे खाते डाल दिया जाये। वह बात भी इसमें थी। दुर्भाग्यवश, इसके बारे में कोई बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं रही। शायद इसका एक यह कारण था कि वे राष्ट्रीय नवीकरण विधि के हकदार नहीं थे क्योंकि उसमें धन सीमित है, इसे केवल केन्द्र सरकार के सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों के लिए प्रयोग किया जा रहा था। मजदूरों की एक कोपरेटिव सोसायटी एक मिल चला रही है, जोकि एक नया केन्द्रीय जूट मिल है, वे कई बार यह पूछने के लिए मेरे पास आए थे कि वे एन आर एफ से कुछ सहायता चाहते थे। हम उन्हें यह सहायता नहीं दे सके थे, किन्तु सभा को यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि सशक्त प्राधिकरण की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि एन आर एफ से मजदूर सहकारी समितियों को भी सहायता दी जाएगी यदि वे रुग्ण इकाइयों को पुर्नजीवित कर रहे हैं।

12.00 मध्याह्न

श्री मृत्युन्जय नायक : महोदय, मैं समझता हूं कि जो मजदूर बीड़ी बनाते हैं वे तेन्दू पत्तों को इक्ट्ठा करने वाले मजदूरों से भी तुलना में सीमित संख्या में होंगे। मेरे राज्य में अधिकतर पांच या छः जिलों में, आदमी और औरतें पत्ते इकट्ठा करते हैं। मेरे राज्य में बच्चे तक तेन्दू पत्ता इकट्ठा करते हैं।

यह बड़े खेद का विषय है कि जो मजदूर तेंदू पत्ता इकट्ठा करते हैं उन्हें केवल 12 रुपए प्रतिदिन दिया जाता है। यह एक सरकारी एजेन्सी है और इसके लिए सरकार ही जिम्मेदांर है। उन्हें 20 रुपए क्यों नहीं दिये जाते ?

तेन्दू पत्ता ही मेरे *राज्य में आप का प्रमुख स्रोत है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री मृत्युञ्जय नायक : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या अभी भी उनको 12 रुपए ही दिए जाते हैं। जो पिछला बकाया था उसके बारे में क्या हुआ। क्या श्रम मंत्री तेन्दू पत्ता इकट्ठे करने वाले लोगों के साथ न्याय करेंगे।

श्री पी० ए० संगमा : तेन्दू पत्ता मजदूरों की संख्या तो मेरे पास नहीं है। मैं इसकी तुलना नहीं करता। यहां तक बीड़ी मजदूरों का प्रश्न है, देश में ऐसे पांच लाख मजदूर हैं। अकुशल मजदूरों के लिए, जिसमें तेंदू पत्ता इकट्ठा करने वाले मजदूरो भी आते हैं मध्य प्रदेश सरकार उनका निर्धारित न्यूनतम वेतन 30.76 रु० है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बैंकों में चेयरमैन/चेयरमैन-सह-प्रबंध निदेशक के रिक्त पद

***82. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पूर्णकालिक चेयरमैन/चेयरमैन-सह-प्रबंध निदेशकों के बिना कार्य कर रहे राष्ट्रीयकृत बैकों का ब्यौरा क्या है और वे पद बैंक-वार कब से रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार बैंकों में चेयरमैन का पद समाप्त करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन बैंकों में रिक्त पड़े पदों को भरने में विलंब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का केवल एक पद अर्थात इंडियन ओवरसीज बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पद दिनांक 1 अगस्त, 1994 से रिक्त है।

(ख) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशक बोर्ड में भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त दो से अधिक पूर्णकालिक निदेशक शामिल नहीं होंगे। एक पूर्णकालिक निदेशक को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदनामित किया जाता है और दूसरे पूर्णकालिक निदेशक को कार्यपालक निदेशक के रूप में पदनामित किया जाता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पद समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) रिक्त पद को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है।

सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम सहायता

***84. श्री रवि राय :**
श्री चित्त बसु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर अपने वर्तमान कर्मचारियों और सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों को भी अंतरिम सहायता देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने इस संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है और असंतोष व्यक्त किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब तक सार्वजनिक कर दी जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 1 अप्रैल, 1995 से निम्नलिखित लाभों की घोषणा की है :

(एक) सभी कर्मचारियों को मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से अंतरित राहत दी जायेगी जो न्यूनतम 100 रुपये प्रतिमाह होगी;

(दो) पेंशन पाने वालों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन के 10 प्रतिशत समेत 50 रुपये प्रतिमाह की दर से अंतरिम राहत दी जायेगी जो न्यूनतम 50 रुपये प्रतिमाह होगी;

(तीन) सेवानिवृति उपदान और मृत्यु उपदान के प्रयोजन के लिए ही परिलब्धियों की गणना के लिए औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1201.66 से जुड़ा महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन के रूप में माना जाएगा और उपदान की अधिकतम सीमा। लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दी गई है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के एक वर्ग ने अंतरिम राहत की राशि पर असंतोष जाहिर किया है। पहले से संस्वीकृत अंतरिम राहत में बढ़ोत्तरी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) संसद के इस सत्र के दौरान पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट को सभा-पटल पर रखने का प्रस्ताव है। कब तक पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जायेगा, इस पर विचार तभी किया जा सकता है जब वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

[हिन्दी]

कपड़ा मिलों को फिर से चालू करना

***85. डा० लाल बहादुर रावल :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी कपड़ा मिलों को फिर से चालू किया गया;

(ख) इन मिलों के नाम क्या हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं तथा इन्हें फिर से चालू करने पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) उन कपड़ा मिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें चालू वर्ष के दौरान फिर से चालू करने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) केन्द्रीय सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी वस्त्र मिल पुनरुद्धार नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बी०आई०एफ०आर० द्वारा रुग्ण। बंद वस्त्र मिलों के लिए पुनरुद्धार योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जाता है। इस समय बी०आई० एफ०आर० के समक्ष एन०टी०सी० और बी०आई०सी० के 11 मामले पड़े हैं जोकि केन्द्रीय सरकार से संबंधित हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन वस्त्र मिलों के पुनरुद्धार के प्रस्ताव, बी०आई०एफ०आर० द्वारा प्रत्येक मामले में निर्णीत योजना पर निर्भर होंगे।

इंडियन एयरलाइन्स के इंजीनियरों और पायलटों द्वारा हड़ताल

***86. श्री सूर्य नारायण यादव :**
श्री प्रेम चन्द्र राम :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या॰निजी विमान कम्पनियों द्वारा सेवाएं शुरू किए जाने के बाद इंडियन एयरलाइन्स के इंजीनियर और पायलट, निजी विमान कंपनियों के बराबर वेतन और भत्तों की अपनी मांग पर जोर देने के लिए बार-बार हड़ताल कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) वर्ष 1995 के दौरान अब तक कितने पायलट इंडियन एयरलाइन्स छोड़ चुके हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे क्या कदम उठाए गए हैं, जिनसे पायलट इंडियन एयरलाइन्स कम्पनी को छोड़कर न जायें?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां। लेकिन इंडियन एयरलाइन्स के पायलटों और इंजीनियरों ने निजी विमान कम्पनियों के शुरू होने से पहले भी बेहतर परिलब्धियों के लिए औद्योगिक कार्रवाई का सहारा लिया है।

(ख) विभिन्न संघों द्वारा उठाई जाने वाली मांगों पर चर्चा की जाती है और परामर्श के जरिए उनका समाधान किया जाता है। भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ के साथ नवम्बर, 1993 में किए गए समझौते के अनुसरण में इंडियन एयरलाइन्स के विमानचालकों की परिलब्धियों में पर्याप्त रूप से वृद्धि की गई थी और उनके प्रोन्नति अवसरों में सुधार किया गया था।

(ग) 1.1.1995 से इंडियन एयरलाइन्स की सेवा से तीन पायलट स्वैच्छिक रूप से सैवानिवृत्त हुए हैं और तीन से त्यागपत्र दिया है।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स की सेवा छोड़ने से पायलटों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) विभिन्न भत्तों में वृद्धि।

(2) कमांडरों के कैरियर प्रोन्नति अवसरों में सुधार।

(3) प्रशिक्षण पद्धति में सुधार।

(4) पायलटों की दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को देखने के लिए शिकायत अधिकारी की नियुक्ति।

(5) त्यागपत्र के लिए नोटिस की अवधि में वृद्धि करके एक से छह महीने करना।

(6) निजी विमान कम्पनियों में इंडियन एयरलाइन्स के पायलटों के नियोजन के लिए नागर विमानन महानिदेशक से अनापत्ति प्रामण-पत्र प्राप्त रकने की अपेक्षा शुरू करना।

(7) बांड के मूल्य को 7.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करना।

ऋणों को बट्टे खाते डालना

***87. श्री जगमीत सिंह बराड़ :**
श्री गुमान मल लोढा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान ऋण के रूप में दी गई भारी धनराशि को बट्टे खाते डाल दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों में क्रमशः वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान जमा पूंजी की तुलना में बट्टे खाते डाली गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऋण की अदायगी न करने वाले व्यक्तियों/फर्मों/उद्योगों के विरुद्ध तथा उचित और पर्याप्त प्रतिभूतियों के बिना ऋण मंजूर करने वाले बैंक अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इस तरह ऋणों को बट्टे खाते डालने की प्रक्रिया को रोकने के लिए सरकार ने बैंकों को क्या नए दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) इनसे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। 31.3.1992, 21.3.1993, और 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की चुकता पूंजी और जमाराशियां संलग्न विवरण-II और III में दी गई हैं।

(ग) जहां कहीं अनुवर्ती उपायों से परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं तो वहां सिविल अदालतों, ऋण वसूली अभिकरणों आदि में वसूली के लिए मुकद्दमे दायर किए जाते हैं। वास्तविक मामलों में समझौते भी किए जाते हैं। जहां कहीं कर्मचारियों की चूकों का पता चलता है वहां उचित जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है और चूक करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध बैंकों द्वारा विभागीय/कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अद्यतन मार्गनिर्देशों में वाणिज्यिक बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे देय राशियों की अधिकतम वसूली करें, जानबूझकर चूक करने वालों और जानबूझकर चूक न करने वालों के बीच अंतर करें, प्रतिभूति की प्राप्यणीयता का मूल्यांकन करें, उस लाभ को ध्यान में रखें जो अवरुद्ध निधियों का निरंतर उपयोग करने से उपचित होगा, जहां कर्मचारियों द्वारा की गई चूकों का पता चलता है वहां जिम्मेदारी निर्धारित करें आदि। ये मार्गनिर्देश जुलाई, 1995 में जारी किए गए हैं।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे-खाते डाले गए अशोध्य ऋणों की राशि

(राशि लाख रु० में)

क्र०सं०	बैंक का नाम	1991-92	1992-93	1993-94
1.	इलाहाबाद बैंक	93.67	127.28	3684.00
2.	आन्ध्रा बैंक	1015.50	8282.97	13163.33
3.	बैंक आफ बड़ौदा	14927.34	12027.43	48997.52
4.	बैंक आफ इंडिया	18882.12	17374.26	32846.78
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	147.42	102.01	142.01
6.	केनरा बैंक	5595.67	39548.26	15230.27
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	3627.56	197.20	10557.27
8.	कारपोरेशन बैंक	2887.55	3273.36	6207.53
9.	देना बैंक	2677.79	8701.01	12371.73
10.	इंडियन बैंक	447.30	76.16	600.70
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	89.88	419.25	461.09
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	176.00	165.00	260.13
13.	पंजाब नेशनल बैंक	5144.75	19412.34	36550.00
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	673.43	11282.40	15139.45
15.	सिंडिकेट बैंक	141.06	118.55	857.70
16.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	3531.30	4412.62	8236.90
17.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	205.00	156.00	1182.00
18.	यूको बैंक	5593.56	27346.67	36866.35
19.	विजया बैंक	213.70	304.23	451.26
20.	न्यू बैंक आफ इंडिया	19.76	113.21	*

*पंजाब नेशनल बैंक में विलय

नोट : आंकड़ों में वास्तविक और तकनीकी बट्टे-खाते शामिल हैं।

विवरण-II

राष्ट्रीयकृत बैंकों की चुकता पूंजी

(लाख रु० में)

		31.3.92	31.3.93	31.3.94
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद बैंक	107500	17250	26250
2.	आन्ध्रा बैंक	6200	9200	24200
3.	बैंक आफ बड़ौदा	23837	32995	73930
4.	बैंक आफ इंडिया	46900	46900	110400
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	14950	18450	33450
6.	केनरा बैंक	11423	20791	58878
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	18299	18299	67299
8.	कारपोरेशन बैंक	3700	67200	11200
9.	देना बैंक	9700	14700	27700
10.	इंडियन बैंक	16800	20300	42300
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	37000	37000	107500
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	4800	7800	12800
13.	पंजाब नेशनल बैंक	11284	18784	36362
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	12249	20749	36750
15.	सिंडिकेट बैंक	15900	15900	83900
16.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	10800	13800	33800
17.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	36299	36299	57800
18.	यूको बैंक	50000	50000	103500
19.	विजया बैंक	7699	12699	19199
20.	एनबीआई	12600	18600	—

विवरण-III

तीन वर्षों अर्थात् 1992, 1993 और 1994 के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमाराशियां

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च की स्थिति के अनुसार		
		1992	1993	1994
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद बैंक	6584.24	7472.50	8212.29
2.	आन्ध्रा बैंक	3762.01	4131.39	4886.13
3.	बैंक आफ बड़ौदा	3605.12	16616.85	19163.66
4.	बैंक आफ इंडिया	12805.10	14201.41	15943.02
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	3385.29	3883.89	4425.60
6.	केनरा बैंक	13687.77	15640.45	19152.57
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	12798.49	13576.61	15607.53

1	2	3	4	5
8.	कारपोरेशन बैंक	2310.25	2803.30	4083.35
9.	देना बैंक	3299.85	4012.05	4860.46
10.	इंडियन बैंक	7651.25	9385.03	10573.01
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	6254.13	7569.86	9118.53
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	2506.69	4221.00	5206.58
13.	पंजाब नेशनल बैंक	15950.23	18078.57	22146.86
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	2777.12	3337.17	3949.92
15.	सिंडिकेट बैंक	6528.65	7371.62	8523.36
16.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	7921.39	9201.40	11803.44
17.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	5027.48	5883.34	6722.58
18.	यूको बैंक	6374.06	7110.11	7265.55
19.	विजया बैंक	2716.42	3289.90	4277.43
20.	एनबीआई	2135.71	2350.82	—

डालर की खरीद

*88. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक अथवा केन्द्रीय सरकार की अन्य प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा वजट के बाद की अवधि में कितने मूल्य के अमरीकी डालर खरीदे गए;

(ख) क्या यह खरीद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमरीकी डालर की स्थिति कमजोर हो जाने के कारण की गई;

(ग) क्या ऐसी खरीद से देश की मुद्रा-प्रणाली पर दवाव पड़ा है और परिणामतः मुद्रास्फीति बढ़ी है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस समस्या का सामना करने के लिए सरकार का विचार अपनी मुद्रा विनिमय नीति में परिवर्तन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) दिनांक 28 जुलाई, 1995 की अवधि तक केन्द्रीय बजट (1995-96) के उत्तरार्द्ध में विदेशी मुद्रा बाजार से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खरीदे गए अमरीकी डालरों का मूल्य 374.73 अमरीकी मिलियन डालर तक की राशि था।

(ख) से (घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निजी विमान कम्पनियों द्वारा बोइंग विमान का आयात

*89. **श्रीमती सरोज दुबे :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोइंग विमानों का आयात करने हेतु निजी विमान कंपनियों से कितने आवेदन-पत्र सरकार को प्राप्त हुए हैं तथा प्रत्येक विमान कंपनी का नाम क्या है;

(ख) स्वीकृत किये गये तथा विचाराधीन पड़े आवेदन-पत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विचाराधीन पड़े आवेदन-पत्रों को स्वीकृति प्रदान करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) सरकार ने अनुसूचित गैर-सरकारी विमान कम्पनियों के लिए बोइंग-737 विमानों के आयात को निम्नवत् मंजूरी दे दी है :

विमान कंपनी का नाम	आयात के लिए मंजूरी दिए गए बोइंग विमानों का विवरण
1. ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	7 बी-737-200
	4 बी-737-400
	(एक प्रतिस्थापन के रूप में + तीन अनुरक्षण के लिए आरक्षित रखने हेतु)
2. जेट एयरवेज	4 बी-737-300
	2 बी-737-400
	4 बी-737-300/400
	(किसी भी समय 8 से ज्यादा विमान प्रचालित नहीं किए जायेंगे)
3. दमानिया एयरवेज	5 बी-737-200
4. मोदीलुफ्त	4 बी-737-200
	4 बी-737-400

इसके अतिरिक्त पांच और बी-737-400 विमान आयात करने के लिए 30-06-1995 को ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स से एक आवेदन प्राप्त हुआ है। कम्पनी को पहले आयात की अनुमति दिए गए विमानों को प्राप्त करने की स्थिति के बारे में जानकारी देने, प्रस्तावित बढ़ोतरी के लिए वित्तपोषण व्यवस्था विमान बेड़े के विस्तार के लिए भावी योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

बैंकों में ग्राहक सेवा

*90. **श्री राम टहल चौधरी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों में काम के प्रति

बढ़ती लापरवाही और उपेक्षा की प्रवृत्ति की जानकारी है जिसके परिणामस्वरूप जनता को संतोषप्रद बैंक सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जनता से बैंक-वार इस संबंध में कितनी शिकायतें मिलीं और उनमें कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध असंतोषजनक ग्राहक सेवा की शिकायतें समय-समय पर सरकार को मिलती रहती हैं। इन शिकायतों को, शिकायतों के निवारण सहित उपयुक्त कार्रवाई के लिये उचित प्राधिकारी के पास भेजा जाता है।

वर्ष, 1990 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री एम०एन० गोईपोरिया की अध्यक्षता में "बैकों में ग्राहक सेवा सम्बन्धी समिति" नियुक्त की थी। इस समिति ने बहुत-सी सिफारिशें की थीं जिनमें से अधिकांश को बैकों द्वारा कार्यान्वित कर दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में "बैकिंग ओमबड्समैन योजना, 1995" तैयार की है, जिसमें बैंकों के विरुद्ध ग्राहकों की शिकायतों के शीघ्र और कम खर्चीले समाधान की व्यवस्था है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 ओमबड्स-मैन पहले ही नियुक्त कर दिए हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार बैंकों को प्राप्त शिकायतों की संख्या और इन शिकायतों के संबंध में दोषी पाये गये कर्मचारियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं० बैंक का नाम	बैंकों को प्राप्त शिकायतों की संख्या			दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मकारों की संख्या		
	31.3.93	31.3.94	31.3.95	31.3.93	31.3.94	31.3.95
1. आन्ध्रा बैंक	902	767	740	उ०न०	उ०न०	उ०न०
2. इंडियन ओवरसीज बैंक	1237	1170	1135	उ०न०	उ०न०	उ०न०
3. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	2719	2379	2325	उ०न०	उ०न०	उ०न०
4. युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1034	977	1046	उ०न०	उ०न०	उ०न०
5. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	287	220	279	उ०न०	उ०न०	उ०न०
6. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	623	645	556	13	31	22
7. बैंक आफ महाराष्ट्र	598	703	732	14	3	6
8. विजया बैंक	764	676	746	43	36	19
9. बैंक आफ बड़ौदा	1659	1760	1155	2	4	2
10. केनरा बैंक	999	617	452	उ०न०	5	4
11. यूको बैंक	878	750	638	उ०न०	उ०न०	उ०न०
12. बैंक आफ इंडिया	1646	1557	1310	उ०न०	उ०न०	उ०न०
13. पंजाब नेशनल बैंक	1253	1427	1530	उ०न०	उ०न०	उ०न०
14. सिंडिकेट बैंक	1607	1510	1451	उ०न०	उ०न०	1
15. इलाहाबाद बैंक	1997	2225	1541	उ०न०	उ०न०	उ०न०
16. देना बैंक	1675	1499	1210	उ०न०	उ०न०	उ०न०
17. भारतीय स्टेट बैंक	16331	13981	14857	4	7	9
18. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	173	113	52	उ०न०	उ०न०	उ०न०
19. स्टेट बैंक आफ पटियाला	811	753	633	15	13	10
20. स्टेट बैंक आफ इन्दौर	253	214	215	7	16	12
21. स्टेट बैंक आफ मैसूर	567	425	191	25	14	8
22. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	936	777	634	46	35	32
23. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	58	42	33	उ०न०	उ०न०	उ०न०

टिप्पणी : (1) शेष 4 बैंकों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(2) उ०न०—उपलब्ध नहीं

[अनुवाद]

विदेशी ऋण

***91. डा० सुशीलाम डुंगरोमल जेसवाणी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 जुलाई, 1995 के "इकोनामिक टाइम्स" में "हेव केक, ईट इट" शीर्षक से प्रकाशित सम्पादकीय लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें यह संकेत किया गया था कि गत वर्ष वितरित किए गए रियायती ऋण का लगभग 98 प्रतिशत पिछला ऋण चुकाने में उपयोग किया गया;

(ख) गत वर्ष के दौरान विभिन्न विदेशी बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों से कितनी राशि का ऋण लिया गया और ऐसे रियायती ऋणों पर कुल कितना ब्याज चुकाया गया; और

(ग) देश पर विदेशी ऋण के भार को कम करने के लिए क्या-क्या प्रभावी दीर्घावधिक और अल्पावधिक उपाय किए गए हैं और किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) सरकारी और गैर-सरकारी खाते पर विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय अभिकरणों से 1994-95 के दौरान उधार ली गई राशि 9952.63 करोड़ रुपए होने का अनुमान है और 1994-95 के दौरान सरकारी तथा गैर-सरकारी खाते पर भुगतान की गई ब्याज की राशि 4771.80 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ग) सरकार विदेशी ऋण की स्थिति को विवेकपूर्ण सीमाओं में बनाए रखने की दृष्टि से उस पर बारीकी से नजर रखे हुए है। सरकार ने भुगतान संतुलन के चालू खाते पर घाटे को कम करने के लिए अनेक उपाय पहले से ही किए हुए हैं और इस प्रकार कुल विदेशी ऋणों में वृद्धि की दर कम हुई है। सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने उच्च लागत वाले विदेशी ऋण को नियंत्रित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें अनिवासी विदेशी (रुपया) खातों पर ब्याज दर में कटोती किया जाना, विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खातों में नए निक्षेपों को समाप्त करना जिसमें विनिमय का जोखिम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा; एफ०सी०ओ०एन० के अन्तर्गत नए निक्षेपों को बन्द करना और खर्चीले विदेशी ऋण की वापसी अदायगी करने के लिए निगम क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाना शामिल हैं। विदेशी निवेश के प्रति अपेक्षाकृत अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाने से पूंजी के ऋण सृजनकारी प्रवाह की निर्भरता में कमी आई है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा स्वर्ण आभूषणों के निर्यात में अनियमितताएं

***92. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से स्वर्ण आभूषणों के निर्यात से संबंधित योजना की कार्यप्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के मामले में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी वाले सौदे और अन्य अनियमितताएं पाई गई हैं। जिसके कारण खनिज तथा धातु व्यापार निगम भारी ऋण राशि वसूल नहीं कर पाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इससे खनिज तथा धातु व्यापार निगम को कुल कितना घाटा हुआ है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा खनिज तथा धातु व्यापार निगम में इस प्राकर की धोखाधड़ी आदि को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) एम०एम० टी०सी० लिमिटेड देश में आभूषणों के निर्यातकों को निर्यात-आयात नीति के अध्याय 8 पैरा 88 में दी गई विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत स्वर्ण की आपूर्ति करने के लिए नामित एजेन्सियों में से एक है। निर्यातकों को इस प्रकार की आपूर्ति करने के अतिरिक्त एम०एम०टी०सी० स्वर्ण आभूषणों के निर्यात की एक स्कीम भी चलाता है जिसके द्वारा यह अपने एसोसिएट के रूप में पंजीकृत निर्यातकों को उपयुक्त प्रतिभूति और निर्यात पैकिंग ऋण सीमाओं पर ऋण पर स्वर्ण दिलाता है ताकि वे आभूषण बनाकर निर्यात कर सकें। यह निर्यात एम०एम०टी०सी० के खाते पर किया जाता है। निर्यात आय को एम०एम०टी०सी० के खाते में जमा करना होता है तथा प्रदत्त पैकिंग ऋण और सेवा-प्रभार को समायोजित करने के बाद शेष धन को एम०एम०टी०सी० आभूषण विनिर्माताओं को प्रेषित कर देता है।

(ख) और (ङ) भारत से स्वर्ण आभूषणों का निर्यात करने और विकास करने के दौरान कुछ अनियमितताओं का पता चला है. इन अनियमितताओं में शामिल हैं—वायु भाड़ा (एअर-वे) बिलों में हेरफेर करना तथा निर्यात आय की वसूली नहीं करना। दिनांक 1.4.1995 को कुल 17.85 करोड़ रुपया बकाया था जिसमें शामिल हैं :

वायु भाड़ा बिलों में हेरा-फेरी	1.90 करोड़ रु०
दिनांक 1.4.1995 की स्थिति के अनुसार निर्धारित	
अवधि के बाद निर्यात आय की वसूली नहीं करना	15.95 करोड़ रु०
कुल :	17.85 करोड़ रु०

एमएमटीसी निर्यात आय की वसूली में तेजी लाने के लिए ठोस प्रयास करती रही है जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 1.8.1995 को यह राशि कम होकर 14.85 करोड़ रु० रह गई है और 1.9.1995 तक कम होकर 11.90 करोड़ रु० तक हो जाने की आशा है। वायु-भाड़ा बिलों में हेरा-फेरी के मामले जांचकर्त्ता एवं प्रवर्त्तन एजेंसियों को भेज दिए गए हैं।

यह योजना 1987-88 में शुरू की गई थी। वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कुल 861.91 करोड़ रु० के स्वर्णाभूषणों का निर्यात हुआ। तथापि 8.00 करोड़ रु० के असोध्य ऋण का प्रावधान किया गया है जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों के कुल निर्यात का 0.93% बनता है।

समान बिक्री कर

***93. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर सुधारों संबंधी राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने पूरे देश में समान बिक्री कर ढांचा लागू करने हेतु नए कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) ऐसी कर प्रणाली सभी राज्यों में कब तक लागू होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस संबंध में और आगे की कार्रवाई राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति द्वारा की जाने वाली सिफारिशों पर निर्भर करेगी। तथापि, बिक्री कर राज्यों का एक विषय है, इसलिए बिक्री कर व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उपाय करने होंगे।

(ङ) इस संबंध में कोई समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है।

एनरॉन द्वारा लिए जाने वाले ऋण

***94. श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनी एनरॉन को विदेशों से डालरों में 13 प्रतिशत ब्याज दर पर 15 करोड़ डालर का ऋण लेने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऋण लेने की इस अनुमति से देश के भुगतान संतुलन की स्थिति पर क्या प्रगति पड़ने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं। डाभोल पावर कंपनी को लन्दा अन्तबैंक प्रस्तावित दर (एल०आई०बी०ओ०आर०) की छमाही ब्याज दर जमा 3% वार्षिक दर पर 150 मिलियन अमरीकी डालर का विदेशी मुद्रा ऋण जुटाने की स्वीकृति दी गई थी। चालू छमाही एल०आई०बी०ओ०आर० 5.93% है।

(ख) और (ग) भारतीयों फर्मों द्वारा बाह्य वाणिज्यिक ऋण, विवेकपूर्ण ऋण प्रबंध और भुगतान स्थिति के समग्र संतुलन से सामंजस्य रखने वाली वार्षिक उच्चतम सीमा के अन्दर अनुमेय है। पावर क्षेत्र बाह्य वाणिज्यिक ऋणों के आवंटन के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र है।

रबड़ का आयात

***95. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रबड़ का अब तक कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया है और इस वर्ष इसका कितना आयात किये जाने का विचार है;

(ख) क्या इस आयात के लिए अनुमति देने से पहले इस पर रबड़ बोर्ड और केरल सरकार के विचार प्राप्त कर लिए गए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रबड़ के आयात का निर्णय लेने के बाद प्राकृतिक रबड़ के मूल्य में बहुत अधिक गिरावट आई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा रबड़ के आयात को रोकने और घरेलू बाजार के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (च) 1995 के शुरू से ही सरकार को घरेलू बाजार में प्राकृतिक रबड़ की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तराल आने से स्टाक में कमी आने की रिपोर्टें लगातार प्राप्त हुई थीं इसके अतिरिक्त जून, 1994 में आर०एम०एम०-4 का भाव 2851 रुपए प्रति .क्विंटल था जो जून, 1995 के मध्य में बढ़कर 6550 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था। जो सबसे ऊंचा भाव था। सभी संगत कारकों तथा रबड़ बोर्ड तथा उपजकर्त्ताओं तथा उपभोक्ता उद्योगों सहित सभी संबंधितों के दृष्टिकोणों पर विचार करने के बाद सरकार ने लगभग 38,450 मि० टन प्राकृतिक रबड़ का 31.8.1995 तक आयात करने की अनुमति दी है ताकि चालू कमी के मौसम में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके तथा घरेलू बाजार स्थिर हो सके। यह रबड़ उत्पादों के निर्यात के लिए अग्रिम लाइसेंसों के अंतर्गत किए जाने वाले आयातों के अलावा थे।

तथापि, प्राप्त सूचना के अनुसार, 21 जुलाई, 1995 तक वस्तुतः आयात किए गए रबड़ की कुल मात्रा 11,263 मि० टन थी जिसमें अग्रिम लाइसेंस पर किया जाने वाला आयात भी शामिल था।

वर्ष 1995 के दौरान घरेलू बाजार में प्राकृतिक रबड़ के भाव निम्नानुसार थे :

1995	आर०एम०एम०-4/क्विंटल की औसत कीमत
जनवरी	4273
फरवरी	4637
मार्च	5197
अप्रैल	5441
मई	6047
जून	6171
जुलाई	5231

रबड़ बोर्ड ने आयात की आवश्यकता को न्यूनतम करने के लिए रबड़ के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न विकासात्मक तथा अनुसंधान एवं विकास योजनाएं सफलतापूर्वक कार्यान्वित करता रहा है।

इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया के कर्मचारियों/पायलटों द्वारा हड़ताल

***96. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :**
डा० जी०एल० कनौजिया :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के पायलटों ने जून, 1995 के दौरान हड़ताल की थी;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया के कर्मचारियों द्वारा वार-वार हड़ताल की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इन हड़तालों के फलस्वरूप वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया को कितनी-कितनी हानि हुई;

(घ) क्या सरकार का विचार इंडियन एयर लाइन्स और एअर इंडिया के उन कर्मचारियों से यह घाटा वसूल करने का है जो अपनी शिकायतों का समाधान सुस्थापित प्रशासन तंत्र के माध्यम से कराए बिना ही ऐसी हड़तालें करते हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान दोनों एयरलाइनों के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों द्वारा औद्योगिक कार्रवाई के कारण हुई अनुमानित निवल हानि नीचे दिए अनुसार है :

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अनुमानित निवल हानि	
	एयर इंडिया	इंडियन एयरलाइन्स
1	2	3
1993-94	71.42 (अप्रैल से सितम्बर, 1993 तक)	0.90
1994-95	5.73 (मई-1994 से फरवरी, 1995 तक)	2.20

(घ) से (च) इस समय दोनों एयरलाइनों के प्रबन्धकों ने औद्योगिक अशांति की अवधि के लिए "काम नही तो वेतन नहीं" का सिद्धांत अपनाया है। तथापि, संबंधित कर्मचारियों से हानि की वसूली जैसे कठोर कदम उठाये जाने का इरादा नहीं है, क्योंकि ऐसे कदम से दोनों एयरलाइनों में औद्योगिक सम्बन्ध और बिगड़ेंगे।

[हिन्दी]

कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा की राशियां जमा न कराने वाले संस्था

***97. श्री एन०जे० राठवा :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में, विशेषकर गुजरात में कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत राशि जमा नहीं कराने वाले संस्थानों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) ऐसी चूक करने वाले संस्थानों का क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनमें से प्रत्येक की तरफ कितनी राशि बकाया है;

(ग) ऐसे चूककर्ता संस्थानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (घ) चूककर्ताओं की संख्या, देय राशि आदि को दर्शाने वाली सूचना संलग्न विवरण I एवं II में दी गई है। चूंकि चूककर्ताओं की संख्या बहुत अधिक है इसलिए एक-एक चूककर्ता के बारे में ब्यौरे देना कठिन है।

बार-बार होने वाली चूक और चूककर्ता प्रतिष्ठानों की तरफ बकाया राशि को वसूल करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक विधायी और दण्डात्मक कार्रवाईयां पहले ही की जा रही हैं।

विवरण-I

क—क०भ०नि० में चूक

(लाख रुपये में)

क्षेत्र का नाम	1992-93		1993-94		1994-95	
	चूककर्ताओं की संख्या	चूक की राशि	चूककर्ताओं की संख्या	चूक की राशि	चूककर्ताओं की संख्या	चूक की राशि
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	793	988.29	971	1618.22	647	1132.22
बिहार	1120	747.97	1139	1116.30	1304	844.03
दिल्ली	275	382.78	456	364.30	536	254.65

1	2	3	4	5	6	7
गुजरात	585	436.56	282	620.08	274	1036.12
हरियाणा	327	710.54	360	838.84	464	1389.07
कर्नाटक	330	370.50	409	508.80	412	688.99
केरल	145	356.88	503	350.35	388	411.28
मध्य प्रदेश	662	1893.32	993	1989.56	673	2476.00
महाराष्ट्र	887	2396.13	876	3137.41	768	3089.11
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	277	172.20	145	232.15	144	294.13
उड़ीसा	468	472.56	387	425.39	343	601.80
पंजाब	1081	687.71	1329	1595.54	1389	1909.84
राजस्थान	420	266.35	490	331.22	546	429.07
तमिलनाडु	1296	834.71	1316	923.92	1525	999.31
उत्तर प्रदेश	1011	1920.67	1230	3511.26	1353	3943.25
पश्चिम बंगाल	1223	14103.28	1232	18536.47	1216	17641.50

विवरण-II

ख—क०रा०बी० चूक

(लाख रुपये में)

क्षेत्र का नाम	1992-93		1993-94		1994-95	
	चूक के मामलों की संख्या	चूक की राशि	चूक के मामलों की संख्या	चूक की राशि	चूक के मामलों की संख्या	चूक की राशि
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	3205	1136.62	2661	1496.37	3086	1518.04
असम	614	171.13	695	215.99	701	255.96
बिहार	1305	790.64	1333	808.39	1366	904.62
दिल्ली	1815	292.22	1884	318.73	1859	323.13
गुजरात	2049	994.86	2651	1251.40	2884	1393.63
हरियाणा	2411	419.99	2504	445.53	2681	408.27
कर्नाटक	2904	766.53	2950	749.68	3300	902.04
केरल	1899	579.46	2062	633.68	2275	683.29
मध्य प्रदेश	1676	1496.28	1894	1851.22	2098	1690.76
बम्बई	4133	2244.42	4532	2464.34	4784	2507.89
नागपुर	484	201.76	455	214.45	523	283.13
पुणे	1728	334.33	1938	767.04	2053	779.80
गोवा	212	58.78	266	98.73	299	110.46
उड़ीसा	655	260.94	642	460.70	690	443.20

1	2	3	4	5	6	7
पंजाब	2254	619.80	2599	799.74	3112	987.00
राजस्थान	1429	287.90	1524	293.79	1716	326.90
तमिलनाडु	1962	615.35	2250	757.33	2194	756.21
पांडिचेरी	221	47.81	248	59.16	246	76.78
कोयम्बटूर	668	182.59	445	195.18	762	204.87
मदुराई	1647	278.31	1543	282.61	1045	286.43
उत्तर प्रदेश	896	823.19	1185	1336.17	1228	1499.08
पश्चिम बंगाल	3249	5293.42	3556	6245.15	4264	7735.09

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर फालतू भूमि

*98. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव :**
श्री श्रीकान्त जेना :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई ठोस नीति न होने के कारण विमानपत्तनों पर फालतू भूमि को पट्टे पर देने के मामले में व्यापक अनियमिततायें हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या हैदराबाद विमानपत्तन पर फालतू भूमि को पट्टे पर देने में बरती गई अनियमितताओं संबंधी जांच रिपोर्ट में सतर्कता अधिकारी से फालतू भूमि को पट्टे पर देने के बारे में तत्काल ही कोई नीति तैयार करने को कहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस जांच रिपोर्ट पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं और रिपोर्ट में दिए गये सुझावों के कार्यान्वयन हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग) के मुख्य सर्तकता अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में, हैदराबाद विमानपत्तन पर एक होटल परिसर बनाने के लिए एक निजी पार्टी को भूमि पट्टे पर दिये जाने में कतिपय अनियमितताओं का उल्लेख किया है। रिपोर्ट में विमानपत्तन की भूमि को पट्टे पर देने से संबंधित नीति तैयार करने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए संसाधन जुटाने हेतु होटल, रेस्टोरेंट, रेस्ट-रूम आदि स्थापित करने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम के उपबन्धों को पूरा करने की शर्त के अध्यधीन भूमि को पट्टे पर देने के लिए सक्षम है। उक्त रिपोर्ट की सरकार जांच कर रही है।

बगिया रेस्तरां का आवंटन

*99. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भारत पर्यटन विकास निगम के अनेक रेस्तरां, दुकानें और कार्यालय, प्राइवेट पार्टियों द्वारा चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे रेस्तरां और होटलों तथा उन्हें चला रही पार्टियों के नाम क्या हैं;

(ग) प्राइवेट पार्टियों को रेस्तराओं के आवंटनों में किन-किन शर्तों। का पालन किया जा रहा है;

(घ) क्या अशोक यात्री निवास स्थित "बगिया रेस्तरां" ठेके पर दिया गया था;

(ङ) यदि हां, तो उपरोक्त होटल में महिला के शव को जलाए जाने के समय इसका प्रबंध किसके हाथ में था; और

(च) वर्तमान ठेकेदार का चयन किस आधार पर किया गया और क्या इस मामले में सभी मानदंडों का पालन किया गया था ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) प्राइवेट पार्टियों को भिन्न-भिन्न प्रकार के रेस्तराओं को पट्टे पर देने के लिए शर्तें मामला दर मामला-भिन्न होती हैं। तथापि, शर्तों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं :—

- प्रतिभूति जमा नकद/बैंक गारंटी के रूप में;
- लाइसेंसधारी की क्षेत्र में सुविज्ञता और अनुभव;
- लाइसेंस शुल्क के रूप में न्यूनतम गारण्टिड राशि की शर्त के अधीन बिक्री आय का प्रतिशत;
- लाइसेंसधारी की वित्तीय स्थिति की मजबूती को सिद्ध करने वाले दस्तावेज;
- लाइसेंसधारी को समय-समय पर लागू सभी स्थानीय नियमों और विनियमों का पालन करना;
- लाइसेंसधारी को संबंधित प्राधिकरणों से सभी अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त करना;
- विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नोटिस देकर प्रबंधक वर्ग द्वारा लाइसेंस को समाप्त करने की व्यवस्था;

— होटल के साथ रेस्तरां को दैनिक बिक्री आय को जमा करना;

— प्रबंधक वर्ग की स्वीकृति के मीनू की कीमतों का निर्धारण करना;

— लाइसेंसधारी का भोजन की गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी होना;

— लाइसेंसधारी द्वारा खाद्य पदार्थों को तैयार करने में इस्तेमाल की गई समाग्री प्रबंधक वर्ग द्वारा यथानुमोदित गुणवत्ता और स्वच्छता के स्तर की होगी।

(घ) जी, हां।

(ङ) पुलिस प्राधिकारियों के प्राप्त सूचना के अनुसार प्रबंधक श्री केशव कुमार घटना के समय मौजूद थे।

(च) भारत पर्यटन विकास निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार मैसर्स एक्सेल होटल्स एण्ड रेस्टोरेंट इनका पोरेशन का सामान्य प्रक्रिया अंर्यात् प्रेस विज्ञापन के माध्यम से सार्वजनिक निविदाएं आमंत्रित करने, तकनीकी और वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने, वेंडर अवार्ड समिति द्वारा मूल्यांकन/वार्ता/सिफारिशें करने तथा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने, का अनुपालन करने के बाद ही चयन किया गया था। तथापि संबंधित मंत्रालय को यह सिफारिश की है कि इस मामले की औपचारिक जांच-पड़ताल करने के लिए सी०बी०आई० को अनुदेश दिए जाएं जिससे कि यह पता चल सके कि क्या इस मामले में कोई अनियमितता बरती गई है और यदि ऐसा है तो वे किस प्रकृति की हैं और उनके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं।

विवरण

दिल्ली स्थित भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में फिलहाल जिन प्राइवेट पार्टियों को रेस्टोरेंट के लिए जगहें पट्टे पर दी हुई है उनका ब्यौरा

होटल का नाम	रेस्टोरेंट का नाम	कम्पनी का नाम
अशोक होटल नई दिल्ली	1. ग्वैल ऑफ दि ईस्ट (चाइनीज रेस्तरां)	मैसर्स क्लास एसोसिएट्स
लोधी होटल	2. वांचाई (चाइनीज रेस्तरां)	मैसर्स वांचाई केटरर्स
	3. सागर रत्न (दक्षिण भारतीय-रेस्तरां वेजिटेरियन रेस्तरां)	मैसर्स सागर फूड होम
अशोक यात्री निवास नई दिल्ली	4. कोकोनट ग्रोव (दक्षिण भारतीय-नॉन वेजिटेरियन रेस्तरां)	मैसर्स के०एस० कुमार एण्ड कम्पनी
	5. बगिया बार-बे-क्यू*	मैसर्स एक्सल होटल्स एंड रेस्टोरेंट इन कार्पोरेशन
होटल जनपथ नई दिल्ली	6. फूड प्लाजा (फास्ट फूड कैफेटेरिया)	मैसर्स क्वालिटी केटरर्स

* लाइसेंस करार को रद्द करने संबंधी कानूनी नोटिस 14 जुलाई, 1995 को जारी किया जा चुका है।

कॉफी के मूल्यों में वृद्धि

***100. श्री राम विलास पासवान** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत लगभग एक वर्ष में कॉफी के मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कॉफी बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या वर्ष 1994-95 में हुए निर्यात के परिणामस्वरूप घरेलू बाजार में कॉफी की उपलब्धता में कमी आई है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जी, हां। ब्राजील में कॉफी की फसल को पाले के कारण नुकसान पहुंचने से घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मई-जून, 1994 के बाद से विश्व बाजार में कॉफी की कमी होने के कारण कॉफी की कीमतें तेजी से बढ़ी थीं। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ-साथ घरेलू कीमतें भी बढ़ी थीं और निर्यात भी बढ़ा था। घरेलू उपलब्धता में वृद्धि करने तथा कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार ने अगस्त, 1994 में निर्यात के लिए कॉफी की कुछ ग्रेडों पर रोक लगाने के अतिरिक्त निर्यातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध भी लगाए थे। यह प्रतिबंध 31 दिसम्बर, 1994 को समाप्त कर दिया गया था। चूंकि घरेलू बाजार में कॉफी की कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का लगातार प्रभाव पड़ रहा था और कीमतें अधिक हो रही थीं इसलिए भारत सरकार ने कॉफी बोर्ड को निर्देश दिए कि वह खुले बाजार भाव से कम भाव पर कॉफी की पेशकश करके कॉफी बाजार में हस्तक्षेप करें। तदनुसार बोर्ड अपनी दुकानों के माध्यम से दिनांक 15.7.95 से कॉफी ब्लैंडों को प्लांटेशन "सी" और वाणिज्यिक ब्लैंडों को क्रमशः 125 रु० तथा 130 रु० प्रति कि०ग्रा० की दर से बेच रहा है।

(ग) और (घ) 1994-95 में 1,80,000 मी० टन के कुल अनुमानित उत्पादन की तुलना में 1,33,794 मी० टन कॉफी का निर्यात किया गया जिससे घरेलू खपत के लिए पर्याप्त कॉफी बच गई। दिनांक 1.4.1995 से सरकार ने घरेलू बाजार में कॉफी की समस्त उपलब्धता को पूरा करने के लिए खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत बड़ी मात्रा में डीकैफिनेटिड/रोस्टिड कॉफी का आयात करने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

टसर की खेती

730. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में टसर की खेती करके जीवन यापन करने वाले जनजातीय परिवारों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा रेशम की खेती को बढ़ावा देने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में ऐसे परिवारों की सहकारी समितियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्यों में टसर रेशम में लगे जनजातियों के परिवारों के बेस-लाईन सर्वेक्षण के लिए वित्त व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त इससे पहले अन्तर्राज्य टसर परियोजना के अन्तर्गत सामाजिक तथा प्रौद्योगिकीय परिवर्तन केन्द्र, बम्बई द्वारा "प्रौद्योगिकी तथा प्रबन्धीय हस्तक्षेप द्वारा सीधे गरीबी हटाने" शीर्ष के अन्तर्गत पहले एक अध्ययन किया गया था।

(ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने उड़ीसा राज्य टसर सहकारी समिति को 6 लाख रु० की राशि का ऋण प्रदान करके सहायता की है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय सहकारी रेशम उत्पादन परिसंघ लि०, लखनऊ तथा आन्ध्र प्रदेश में रेशम कृषक तथा रेशम बुनकर सहकारी समितियों के परिसंघ को, जोकि टसर उत्पादों के विपणन के कार्य में लगे हुए हैं, को भी जनजातीय रेशम कीटपालकों से टसर कोसों की खरीद करने के लिए क्रमशः 10 लाख रु० और 17 लाख रु० की मार्जिन धनराशि की भी व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

रुग्ण औद्योगिक एकक

731. श्री राम कापसे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 में वस्त्र, इंजीनियरिंग, रसायन, लोहा, विद्युत उपकरण, कागज और चीनी के क्षेत्रों में घोषित रुग्ण एककों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) संबंधित औद्योगिक एककों में बैंकों की कितनी राशि फंसी हुई है;

(ग) इस धनराशि को वसूल करने हेतु सरकार ने क्या उपाय किए हैं; और

(घ) 31 मार्च, 1995 तक उद्योग-वार कितनी राशि वसूल की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कपड़ा, इंजीनियरिंग, बिजली के सामान, लोहा और इस्पात, रसायन, कागज तथा चीनी के क्षेत्रों में मार्च, 1992, 1993 और 1994 (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त वर्षों के लिए लघु औद्योगिक क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों और रुग्ण/कमजोर गैर-लघु उद्योग इकाइयों और बकाया ऋणों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान रुग्ण घोषित की गई औद्योगिक इकाइयों का राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा तैयार करने में जो समय और श्रम लगेगा, वह प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जो रुग्ण/कमजोर औद्योगिक इकाइयां अलाभकारी पायी जाती हैं उनसे देय राशियों की वसूली के लिए बैंक कानूनी कार्रवाई/अन्य उपाय करते हैं। संभावित रूप से अर्थक्षम पायी गई रुग्ण/कमजोर औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए पुनर्वास पैकेज तैयार करने और उसका कार्यान्वयन करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं। पुनर्वास पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ देयराशियों की चरणबद्ध ढंग से वापसी अदायगी के लिए बढ़ी हुई अवधि (7 से 10 वर्ष) सहित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की वर्तमान देयराशियों का निधीकरण, ब्याज में रियायत, नए सावधि ऋण की मंजूरी और नयी कार्यशील पूंजी सुविधायें मंजूर करने का प्रावधान है। जहां तक गैर-लघु उद्योग रुग्ण औद्योगिक कंपनियों का संबंध है, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के तहत गठित अर्ध-न्यायिक निकाय औद्योगिक एवं-वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) को रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास के लिए निरोधात्मक, सुधारात्मक, निवाराणत्मक तथा दूसरे उपायों का निर्धारण करने और ऐसे उपायों को शीघ्र लागू करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं।

गैर-लघु उद्योग रुग्ण इकाइयों के संबंध में पुनर्वास पैकेजों के कर्यान्वयन में बैंकों के कार्यनिष्पादन की भारतीय रिजर्व बैंक आवधिक निगरानी करता है और उनके कार्यकरण में पाई गई कमियों तथा त्रुटियों के बारे में संबंधित बैंकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

(घ) भारतीय रिवर्ज बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली के ऐसे आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं।

विवरण

मार्च, 1992, मार्च, 1993 और मार्च, 1994 को समाप्त वर्ष के लिये रुग्ण/कमजोर औद्योगिक एककों का उद्योग-वार वर्गीकरण

(क) गैर लघु उद्योग रुग्ण/कमजोर औद्योगिक एकक

(रु० करोड़ में)

क्षेत्र	1992		1993		1994	
	एककों की सं०	बकाया राशि	एककों की सं०	बकाया राशि	एककों की सं०	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7
इंजीनियरिंग	368	1525.94	315	1400.85	297	1302.65
इलैक्ट्रिकल	64	412.50	74	480.69	87	768.21
टेक्सटाईल	440	1960.96	476	2018.90	466	2018.70
पेपर	139	398.12	143	423.26	134	404.96
इस्पात एवं स्टील	133	443.19	152	676.94	149	749.61
चीनी	39	169.83	37	190.43	32	99.37

1	2	3	4	5	6	7
रसायन	201	699.72	216	795.90	207	866.58
(ख) लघु उद्योग रुग्ण औद्योगिक एकक						(रु० करोड़ में)
इंजीनियरिंग	27253	633.29	28667	665.11	28200	680.34
इलैक्ट्रिकल	6918	180.35	7835	217.97	8674	236.94
टैक्सटाईल	19162	210.67	20086	248.51	20668	250.30
पेपर	2533	54.23	2982	77.35	4211	88.17
इस्पात एवं स्टील	3403	157.05	4300	155.83	4078	160.25
चीनी	374	16.04	379	17.16	383	24.95
रसायन	10027	318.56	10996	351.76	11108	364.67

[हिन्दी]

दक्षिण अफ्रीका के साथ द्विपक्षीय समझौता

732. श्री पंकज चौधरी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द्विपक्षीय व्यापार, पूंजी निवेश तथा संयुक्त उपक्रम के विकास के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते को लागू करने में अब तक क्या प्रगति हुई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) तथा (ख) जी, हां। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दिनांक 22 अगस्त, 1994 को जोहान्सबर्ग में एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर हुए थे। इस करार में यह प्रावधान है कि आयात और निर्यात लाइसेंसों के सभी मामलों, आयात एवं निर्यात तथा माल के पारागमर पर लागू होने वाले सीमा शुल्क तथा अन्य सभी शुल्कों और करों के मामले में और सभी प्रकार के लाभों, रियायतें, विशेष सुविधाएं एवं छूट देने के मामले में दोनों देश एक दूसरे को परम मित्र राष्ट्र का दर्जा देंगे।

(ग) वर्ष 1993-94 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए 181 करोड़ रुपए के व्यापार कारोबार की तुलना में वर्ष 1994-95 के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार कारोबार 1045 करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंचा इस प्रकार दोनों देशों के बीच हुए व्यापार करार के फलस्वरूप व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई है।

जीवन बीमा निगम द्वारा गुजरात में किया गया व्यापार

733. श्री एन०जे० राठवा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान गुजरात में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा शुरू किए गए व्यापार का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, विगत 2 वित्तीय वर्षों के दौरान नीतियों, बीमाकृत राशि और प्रथम प्रीमियम आय के सम्बन्ध में नये कारोबार के आंकड़े उपलब्ध हैं और वे नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	पालिसियां	बीमाकृत राशि (करोड़ रुपये)	प्रथम प्रीमियम आय (करोड़ रुपये)
1993-94	781985	3175.30	103.82
1994-95	727492	4326.92	99.37

[अनुवाद]

पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार

734. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार पैदा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं और कितनी प्रगति हुई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) अतिरिक्त रोजगार अवसर उत्पन्न करना देश में पर्यटन के विकास के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। अतः सरकार ने पर्यटन के लिए आधारभूत सुविधाओं का सुधार करने के लिए कुछ उपाय शुरू किए हैं। इन में पर्यटन को विदेशी पूंजी निवेश के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में घोषित करना, प्रोत्साहनों और पर्यटन परियोजनाओं में निजी निवेश को आकर्षित

करने की सुविधाओं की व्यवस्था करना, राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करना आदि शामिल हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में होटल कारोबार के लिए केन्द्रीय राजसहायता

735. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में होटल खोलने के लिए राजसहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितने प्रतिशत राजसहायता दी जा रही है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान महाराष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रयोजनार्थ कितनी राजसहायता दी गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार चार महानगरों के बाहर स्थित 1, 2 और 3 सितारा श्रेणी में अनमोदित होटल परियोजनाओं के लिए भारतीय पर्यटन वित्त निगम राज्य वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा आरक्षण किए गए ऋणों पर 3% की ब्याज इमदाद मंजूर करती है। विशेष क्षेत्रों और विशिष्ट गन्तव्य स्थलों में स्थित परियोजनाओं के लिए और हेरिटेज होटलों के लिए ब्याज इमदाद की दर 3% से बढ़ाकर 5% कर दी जाती है।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान महाराष्ट्र राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्याज इमदाद के लिए किसी भी वित्तीय संस्थान ने दावा प्रस्तुत नहीं किया है।

चावल और गेहूं के निर्यात हेतु समझौते

736. श्री ए० इन्द्रकरन रेड्डी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष विभिन्न देशों को गेहूं और चावल के निर्यात हेतु कितने समझौते किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक देश को कुल कितनी मात्रा में चावल और गेहूं का निर्यात किया गया; और

(ग) आगामी वर्षों के दौरान चावल और गेहूं का निर्यात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान गेहूं के निर्यात के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पंजीकरण एवं आबंटन प्रमाण-पत्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष 1993-94

देश का नाम	ठेकों की संख्या
1. फ्रांस	1
2. दुबई	1
योग :	2

वर्ष 1994-95

देश का नाम	ठेकों की संख्या
1. दुबई	4
2. सिंगापुर	4
3. अल्जीरिया	2
4. दोहा	1
5. हांगकांग	1
6. नीदरलैंड	1
7. आस्ट्रेलिया	3
8. बांग्लादेश	20
योग :	37

चावल के निर्यात की अनुमति बिना किसी मात्रा एवं मूल्य प्रतिबंध के दी जाती है। चावल के निर्यात के लिए किए गए ठेकों का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान निर्यात किए गए चावल और गेहूं की कुल मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

मात्रा : मी० टन में
कीमत : करोड़ रुपयों में

मद	1993-94		1994-95	
	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत
बासमती चावल	527233	1061.27	468696	857.76
गैर-बासमती चावल	240454	255.44	422727	323.45
गेहूं	390	0.20	58206	30.85

(स्रोतः डीजीसीआई एंड एस कलकत्ता)

(ग) चावल और गेहूं का निर्यात बढ़ाने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ जो उपाय किए गए हैं, उनमें शामिल हैं :

(1) बासमती और गैर-बासमती दोनों किस्म के चावलों पर मूल्य और मात्रा के प्रतिबंध को हटाना। गेहूं का निर्यात बिना किसी मूल्य प्रतिबंध के होता है लेकिन मात्रात्मक सीमा 2.5 मिलियन टन तक की है।

(2) भारतीय खाद्य निगम को भी उत्तम और सर्वोत्तम किस्म के 2.0 मिलियन टन चावल तथा 2.5 मिलियन टन गैर-दुडुम गेहूं का निर्यात करने/निर्यात हेतु बिक्री करने की अनुमति दी गयी है। गेहूं के मामले में एफ सी आई द्वारा किए जाने वाले निर्यात/निर्यात हेतु बिक्री की मात्रा निर्यात के लिए जारी की गई गैर-दुडुम गेहूं की 2.5 मिलियन टन समग्र सीमा के भीतर होगी। इसके अतिरिक्त वर्ष 1995-96 के लिए निर्यात हेतु दुडुम गेहूं की 5 लाख मी०टन मात्रा की अनुमति दी गयी है।

(3) विदेशों में अभियान चलाने और व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए सहायता,

(4) निर्यातकों को गुणवत्ता सुधारने, पैकिंग, उत्पादों के ब्रांड संवर्धन बाजार सर्वेक्षण आदि के लिए वित्तीय सहायता देना।

(5) निर्यात योग्य देशी उत्पाद तैयार करने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय शुरू किए गए हैं जैसे—उपजकर्ताओं को अधिक पैदावार देने वाले बीज देना, उर्वरक के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करते हुए निश्चित सिंचाई क्षेत्र का विस्तारण, कृषकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना इत्यादि।

कर्मचारियों के साथ भारतीय स्टेट बैंक का द्विपक्षीय समझौता

737. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने वर्ष 1994-95 के दौरान कुछ अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई नियुक्ति देने के लिए अखिल भारतीय स्टेट बैंक स्टाफ संघ के साथ कोई द्विपक्षीय समझौता किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने इस बीच समझौते को लागू कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वस्त्र प्रयोगशालाएं

738. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में कुछ और वस्त्र प्रयोगशालाएं खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रयोगशालाओं को कब तक खोल दिया जायेगा ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) बम्बई टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (बतारा) को निम्नोक्त विचारणीय विषयों सहित वस्त्र क्षेत्र में वर्तमान सुविधाओं और परीक्षण के लिए भावी आवश्यकताओं पर अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया है :

1. देश में वस्त्र उद्योग के लिए उपलब्ध मौजूदा परीक्षण सुविधाओं का स्तर।

2. निर्यात बाजार को ध्यान में रखते हुए वस्त्र क्षेत्र की भावी आवश्कयताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा प्रयोगशालाओं के उन्नयन करने की आवश्यकता।

3. उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए नए स्थानों को अभिज्ञात करना। उद्देश्य यह होगा कि प्रमुख वस्त्र उत्पादन केन्द्रों के निकटवर्ती स्थानों पर प्रयोगशालाओं को लगाना ताकि उद्योग के अनुरोधों पर तुरन्त कार्यवाही की जा सके।

4. प्रशिक्षण की अपेक्षता तथा उसके विधितंत्र को अपनाया जाना।

5. सुविधाओं की अपेक्षताओं में अन्य बातों के साथ-साथ आर्थिक पैरामीटर भी शामिल होंगे।

6. विषय से संबंधित कोई अन्य मामले।

अध्ययन चल रहा है और इसके पूरा होने पर वस्त्र क्षेत्र में परीक्षण सुविधाओं के उन्नयन तथा विस्तार के लिए आगे और कार्रवाई की जाएगी।

केरल के समुद्री तटों का सौन्दर्यकरण

739. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु समुद्री तटों के सौन्दर्यकरण करने संबंधी कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में कितना वित्तीय आवंटन किया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, नहीं। केरल सरकार से विशेष रूप से केरल के समुद्रीतटों के सौन्दर्यकरण से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी क्षेत्र में निवेश

740. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं हेतु एक वैकल्पिक गारंटी व्यवस्था प्रदान करने और इस क्षेत्र के लिए निवेश की व्यवस्था करने के लिए आई०सी०आई०सी०आई० को प्रारम्भ में 800 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण उपलब्ध कराने में अपनी गहरी रूचि दर्शाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) विश्व बैंक के साथ एक ऐसी स्कीम बनाने के लिए विचार-विमर्श किया जा रहा है जिसके द्वारा विश्व बैंक निजी संरचनात्मक विकास परियोजनाओं के संबंध में विदेशी ऋण के चुकाने की गारंटी देगा। आई०सी०आई०सी०आई० और कुछ अन्य एजेंसियों की मध्यस्थता के माध्यम से बुनियादी वित्त पोषण की परियोजनाओं हेतु ऋण के विषय में भी विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श जारी है।

पंजीकृत प्रवासी

741. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान "प्रोटेक्टर्स आव एमीग्रेंट्स" द्वारा कितने प्रवासियों को स्वीकृति प्रदान की गई;

(ख) 1 अप्रैल, 1995 तक कुल पंजीकृत प्रवासियों की संख्या कितनी थी;

(ग) उन्होंने प्रमुख रूप से किन-किन देशों में प्रवास किया;

(घ) क्या सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के हितों की देखभाल करने के लिए उन देशों में स्थित मिशनों/पोस्टों में श्रम अताशे नियुक्त किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान, उत्प्रवासी संरक्षक ने 4.20 लाख कर्मकारों को उत्प्रवास निर्बाधन/उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं (ई०सी०एन०आर०) पृष्ठांकन जारी किए हैं।

(ख) उत्प्रवासी संरक्षक ने उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के लागू होने की तारीख से 31.3.95 तक 26.25 लाख कर्मकारों को उत्प्रवास निर्बाधन/उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं (ई०सी०एन०आर०) पृष्ठांकन जारी किए हैं।

(ग) भारतीय कर्मकारों के प्रमुख उत्प्रवास के देश किंगडम आफ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बहरीन और कुवैत हैं।

(घ) और (ङ) विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि उन सभी देशों में भारतीय कर्मकारों की समस्याओं को विशेष रूप से निपटाने और उनके समग्र कल्याण की देखरेख करने के लिए पूर्णकालिक अधिकारी तैनात किए गए हैं जहां भारतीय उत्प्रवासी कर्मकारों की संख्या अधिक है। श्रम मामलों का कार्य देखने वाले अधिकारी द्वितीय/प्रथम सचिव (श्रम) अथवा द्वितीय/प्रथम सचिव (काउंस्लर) के रूप में पदनामित किए जाते हैं। भारतीय कर्मकारों की दैनिक समस्याओं को निपटाने में इन अधिकारियों की सहायता करने के लिए कुछ मिशनों में अताशेभी तैनात किए गए हैं।

सोढानी पेनल की सिफारिशें

742. श्री सनत कुमार मंडल :
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोढानी समिति की विभिन्न सिफारिशों की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सोढानी समिति द्वारा की गई सिफारिशें भारतीय रिजर्व बैंक के परीक्षापाधीन हैं।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण देने में अनियमितता

743. श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण देने के क्या मानदंड तय किए गए हैं;

(ख) क्या इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि लोगों को परेशान किया जा रहा है और बैंकों द्वारा आवेदकों से ऋण राशि पर 10 प्रतिशत कमीशन (सुविधा शुल्क) लिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत, देश के किसी भी भाग में (ग्रामीण या शहरी) रहने वाला शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है; सहायता का पात्र है :—

(i) आयु : 18 से 35 वर्ष के बीच।

(ii) अर्हता : मैट्रिक (पास या फेल) या आई०टी०आई० पास या कम से कम 6 महीने की अवधि के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित तकनीकी पाठ्यक्रम किया हो।

(iii) निवास : कम से कम 3 वर्षों से उस क्षेत्र का स्थायी निवासी हो।

(iv) पारिवारिक आय : परिवार की आय 24,000 रु० वार्षिक तक और हिताधिकारी के माता-पिता की आय 24,000 रु० वार्षिक तक हो।

(v) चूककर्ता : वह किसी बैंक/वित्तीय संस्थान/सहकारी बैंक का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

(ख) और (ग) सरकार को प्राप्त शिकायतें मुख्यतः निम्नलिखित से संबंधित होती है : बैंकों द्वारा ऋणों को मंजूर न करना, ऋणों की मंजूरी/संवितरण में विलम्ब, संपार्श्विक प्रतिभूति/अन्य पक्ष गारंटी/सावधि जमा राशियों पर जोर देना और बैंक अधिकारियों द्वारा कथित भ्रष्ट प्रक्रियाओं का उपयोग। जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनके निवारण के लिए संबंधित बैंक के साथ उन्हें उठाया जाता है।

[अनुवाद]

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

744. श्री राम नाईक : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को स्वीकार करने वाले श्रमिकों के लिए 1992 में एक "रिवाइवल पैकेज स्कीम" शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस विलंब के कारण प्रभावित होने वाले भुगतान का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (घ) राष्ट्रीय नवीकरण निधि (एन०आर०एफ०) जिसे फरवरी, 1992 में स्थापित किया गया था, में अन्य बातों के साथ-साथ, औद्योगिक पुनर्संरचना से प्रभावित कर्मचारियों को प्रतिकर की अदायगी, जिसमें स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के अधीन अदायगी भी शामिल है, करने और प्रभावित कर्मचारियों के पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन की लागत को पूरा करने के लिए सहायता देने, जहां कहीं आवश्यक हो, की व्यवस्था की गई है।

प्रभावित कर्मकारों को स्वतः रोजगार के लिए सलाह देने/पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन करने के लिए बम्बई, कानपुर, इंदौर, अहमदाबाद और कलकत्ता के लिए पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में पांच कर्मचारी सहायता केन्द्रों को वर्ष 1993-94 में मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, मंत्रालय के अधीन रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अंतर्गत एक विशेष प्रशिक्षण योजना को मंजूरी दी गई है। 16 राज्यों में 48 और स्थलों की पहचान की गई है और यौक्तीकृत कर्मकारों के सर्वेक्षण और पुनर्प्रशिक्षण संबंधित क्रियाकलापों को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि से प्रत्येक 13 नोडल एजेंसियों को सहायता मंजूर की गई है। सर्वेक्षण, सलाह, प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण क्रियाकलापों के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि से 50 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

पांचवां वेतन आयोग

745. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :
श्री विलासराव नागनाथराव गूडेवार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवें वेतन आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की निर्धारित अवधि बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस आयोग के गठन के बाद इस पर अब तक कितना खर्च हुआ है और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख तक इस पर अनुमानतः कुल कितना खर्च होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) पांचवें वेतन आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आयोग के लिए अपनी सिफारिशें यथासमय शीघ्र देना आवश्यक है।

(ग)आयोग ने जून, 1995 के अंत तक लगभग 1.70 करोड़ रुपए का खर्चा उठाया है। मार्च, 1996 तक कुल व्यय 3.54 रुपए होने की संभावना है।

पर्यटन क्षेत्र से अर्जित विदेशी मुद्रा

746. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **नगर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को आठवीं पंचवर्षीय योजना में अब तक प्रत्येक वर्ष पर्यटन क्षेत्र से कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा के अर्जन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान पर्यटन से अर्जित अनुमानित विदेशी मुद्रा नीचे दिए गए अनुसार है :—

वर्ष	अनुमानित विदेशी मुद्रा अर्जन (करोड़ रुपयों में)
1992-93	6060.00
1993-94	6509.00 (अनन्तिम)
1994-95	7365.61 (अनन्तिम)

(ख) कोई विशेष लक्ष्य नियत नहीं किए गए हैं। तथापि, पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन को अधिकतम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कर्नाटक में निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु सहायता

747. श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने मंगलौर में प्रस्तावित निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु केन्द्रीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) मंगलौर में एक निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ई०पी०आई०पी०) की स्थापना करने हेतु कर्नाटक सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, राज्य सरकार की सिफारिशों पर, बंगालौर के निकट हूदी में एक ई०पी०आई०पी० की स्थापना को मंजूदी दे दी गयी है।

निर्यात को प्रोत्साहन

748. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु एक व्यापक अभियान चलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। व्यापारियों, उद्योगपतियों और संबंधित पक्षों के परामर्श से निर्यात बढ़ाने के उपाय किए जाते हैं। सरकार नीति संबंधी वातावरण तथा क्रियाविधियों को और अधिक निर्यात अभिमुख बनाने का प्रयास कर रही है। निर्यात संवर्धन के लिए किए गए उपायों में निर्यात आयात नीति तथा क्रियाविधि का सरलीकरण, निर्यात उत्पादन में वृद्धि, कार्यकुशलता तथा प्रतियोगिता क्षमता में सुधार, गुणवत्ता सुधार पर ध्यान केन्द्रित करना तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन, अवस्थापना में सुधार तथा निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग का उल्लेख किया जा सकता है। चालू वर्ष में एक वार्षिक कार्ययोजना तैयार की गयी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात संवर्धन के लिए वस्तु-विशिष्ट तथा देय विशिष्ट के लिए उपाय शामिल हैं।

[हिन्दी]

फल और सब्जियों के निर्यात हेतु वातानुकूलित विमान

749. श्री मंजय लाल :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा फलों और सब्जियों के निर्यात हेतु वातानुकूलित हवाई परिवहन सुविधा की आवश्यकता के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है अथवा कराया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) विमान द्वारा नाशवान वस्तुओं के परिवहन के लिए एअर इंडिया के विमान के कार्गो कक्षों में पर्याप्त तापमान नियंत्रण सुविधा उपलब्ध रहती है।

[अनुवाद]

होम्योपैथिक दवाओं का आयात

750. डा० के० वी० आर० चौधरी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और देश-वार कितने मूल्य की होम्योपैथिक दवाओं का आयात किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात की गई होम्योपैथिक दवाओं को मूल्य तथा जिन देशों में आयात किया गया उनके नाम निम्नानुसार हैं :—

(क) हैम्योपैथिक दवाएं

फुटकर बिक्री के लिए नहीं

मूल्य : लाख रु०

देश	1992-93	1993-94	1994-95 (फरवरी, 95 तक) (अनन्तिम)
फ्रांस	3.81	—	—
जर्मन संघीय गणराज्य	103.88	337.28	288.16
नीदरलैंड	—	—	15.42
यू०के०	—	—	0.80
यू०एस०ए०	5.44	1.30	93.35
इटली	4.58	37.40	—
जापान	—	9.89	4.77
स्विट्जरलैंड	—	—	2.13
योग :	117.71	385.87	404.63

(ख) होम्योपैथिक दवाएं

फुटकर बिक्री के लिए

फ्रांस	0.03	—	—
जर्मन संघीय गणराज्य	259.16	161.79	51.98
नीदरलैंड	50.65	16.83	30.55
रोमानिया	—	0.20	—
यू०के०	—	0.14	—
यू० एस० ए०	—	16.85	7.01
योग :	309.84	195.81	89.54

स्रोत : डी०जी०सी०आई० एंड एस० कलकत्ता

गोवा में मुक्त पत्तन की स्थापना

751. श्री हरीश नारायण प्रभू झांट्ये : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में मुक्त पत्तन की स्थापना किये जाने संबंधी प्रस्ताव लंबे समय से विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें क्या हैं तथा यह प्रस्ताव कब से सरकार के पास लंबित है; और

(ग) इस समय प्रस्ताव किस स्थिति में है तथा इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) मार्च, 1992 में सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में रौनक सिंह समिति ने, जिसकी स्थापना भारत में मुक्त पत्तन की स्थापना करने की वांछनीयता तथा सम्भाव्यता की जांच करने के लिए की गई थी, गोवा के उपर्युक्त स्थापना स्थल होने की सिफारिश की है। चल रहे आर्थिक उदारीकरण के संदर्भ में इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है। इस संबंध में निर्णय लेने के लिए किसी समय सीमा के विषय में बताना संभव नहीं है।

वैश्य बैंक में भारी स्टाक निवेश घोटाला

752. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जुलाई, 1995 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "मैसिव स्टाक इन्वेस्ट स्कैम अनअर्थड इन वैश्य बैंक ब्रांच" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार इस बैंक की सभी शाखाओं की जांच कराने का है ताकि सार्वजनिक जमा धनराशि की सुरक्षा हो सके;

(घ) क्या वैश्य बैंक ने स्वयं इस घोटाले की कोई जांच कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पर्यटन क्षमता

753. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस क्षमता का पता लगाने संबंधी सरकार के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) जी, हां। भारत बहुत से ऐसे आकर्षणों और सम्भावनाओं वाला एक

विशाल देश है जिनके सम्पूर्ण विकास की आवश्यकता है। इसके लिए, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी सेक्टर द्वारा संयुक्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार के लिए विकास हेतु अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के बीच पर्यटन एक है और इस प्रकार, पर्यटन के विकास के लिए निधि का आवंटन पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर किया जाना होता है।

(ग) केन्द्र सरकार पर्यटन के विकास हेतु अधिक प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकारों को उत्साहित कर रही है। पर्यटन में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने विभिन्न रियायतें और प्रोत्साहनों की घोषणा की है। पर्यटन को बहुत सी राज्य सरकारों द्वारा उद्योग घोषित किया है। इसके अलावा केन्द्र सरकार ने विदेशी निवेश के लिए, होटलों और पर्यटन से संबंधित उद्योग को प्राथमिकता वाला क्षेत्र घोषित किया है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग विदेशों में पर्यटन प्रजनन मार्किटों में भारत के आकर्षणों को भी बढ़ावा देता है और मार्केट करता है।

एन०ई०पी०सी० ग्रुप के कार्य और सौदे

754. श्री मानवेन्द्र शाह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बंबई स्टाक एक्सचेंज और विभिन्न वित्तीय संस्थाओं ने एन०ई०पी०सी० ग्रुप की कंपनियों के दूसरे "कैरियरों" आदि के साथ सौदों सहित इसके कार्यों और विभिन्न सौदों की जांच करने के लिए कार्यवाही शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न जांच कार्य इस समय किन चरणों में हैं;

(ग) विभिन्न सौदों मे पाई गई अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार/"सेबी" ने इस ग्रुप के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) भविष्य में इस तरह की अनियमितताएं रोकने के लिए क्या निवारक कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

नागर विमानन कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

755. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नागर विमानन के कर्मचारियों, पायलटों, विमान परिचारिकाओं तथा अधिकारियों ने 1 जनवरी, 1994 से 10 जुलाई, 1995 कि बीच कितनी-कितनी बार "कलम बंद" हड़ताल और -"धीमे कार्य करो" जैसी हड़तालें की हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी बार तालाबंदी हुई;

(ग) तालाबंदी और हड़ताल के क्या कारण थे;

(घ) उनके द्वारा की गई मांगों तथा मांगों को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इनके फलस्वरूप सरकार को कितने राजस्व की हानि हुई ; और

(च) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी हड़तालों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) नागर विमानन विभाग के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों ने 1 जनवरी, 1994 से 10 जुलाई, 1995 तक की अवधि के दौरान 26 अवसरों पर हड़ताल/धीरे कार्य करो आदि जैसी औद्योगिक कार्रवाइयां की।

(ख) इस अवधि के दौरान किसी तालाबंदी की घोषणा नहीं हुई ।

(ग) और (घ) वेतन और भत्तों को बढ़ाने, पचांट, समझौते पर निर्णय और सेवाओं की अन्य शर्तों की मांगें मुख्य रूप से हड़ताल के कारण है। इन मांगों पर विचार किया जाता है और संबंधित संघों तथा प्रबंधकवर्ग के बीच चर्चा के द्वारा समाधान किया जाता है।

(ङ) इस अवधि के दौरान हुई निवल राजस्व हानि इस प्रकार है :—

एअर इंडिया	—5.73 करोड़ रुपए
इंडियन एयरलाइन्स	—2.62 करोड़ रुपए और
पवन हंस लिमिटेड	—2.12 करोड़ रुपए

(च) सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की हमेशा यह कोशिश रहती है कि चर्चा के द्वारा सभी विवादों का समाधान किया जाए जिसके लिए उचित व्यवस्था विद्यमान है।

[अनुवाद]

टकसालों का आधुनिकीकरण

756. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई, कलकत्ता और हैदराबद स्थित तीन टकसालों के आधुनिकीकरण संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो टकसाल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक टकसाल के आधुनिकीकरण परियोजना खर्च होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद की सरकारी टकसालों का आधुनिकीकरण प्रगति पर है।

(ख) उपर्युक्त 3 टकसालों की विद्यमान वार्षिक क्षमता को बढ़ाने के लिए विचाराधीन आधुनिकीकरण परियोजना निम्नानुसार हैं :—

(आंकड़े मिलियन अद्दों में)

भारत सरकार टकसालें	विद्यमान क्षमता		अनुमानित क्षमता	
	ब्लैंक	सिक्का ढलाई	ब्लैंक	सिक्का ढलाई
बम्बई	550	750	1850	1000
कलकत्ता	550	750	1900	1000
हैदराबाद	350	400	950	700
	1450	1900	4700	2700

नोट : उपर्युक्त विद्यमान क्षमता रुपया तक के छोटे मूल्यवर्ग पर आधरित है और बाहरी खाली सिक्कों की अतिरिक्त मात्रा की सहायता से है। संभावित क्षमता 5 रुपए तक के मूल्यवर्ग पर आधारित है और बिना किसी बाहरी खाली सिक्कों की अतिरिक्त मात्रा से है।

(ग) इन 3 टकसालों के आधुनिकीकरण पर हुआ टकसाल-वार व्यय निम्नानुसार है :

	(आंकड़े करोड़ रुपयों में)
बम्बई टकसाल	96.48
कलकत्ता टकसाल	87.85
हैदराबाद टकसाल	117.50
जोड़	301.83

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

757. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिपिंग क्रेडिट एवं एनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी व्यापार क्षेत्र को ऋण अथवा सहायता के लिए आवेदन न करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

इंडिया एश्योरेंस कम्पनी द्वारा संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर

758. श्री हरचन्द सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1994-95 के दौरान और चालू वर्ष में अभी तक इंडिया एश्योरेंस कम्पनी को संसद सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त हुए, कितने पत्रों की सूचना भेजी गई और कितने पत्रों का अभी तक अंतिम उत्तर नहीं भेजा गया है;

(ख) क्या सरकार ने संसद सदस्यों के पत्रों का तत्काल उत्तर न देने के संबंध में कोई कार्यवाही की है अथवा करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जो सूचना न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लि० ने दी है, वह इस प्रकार है:—

		1994-95 के दौरान	चालू वर्ष में अभी तक
1.	संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की संख्या	144	16
2.	पावती भेजे गए पत्रों की संख्या	144	10
3.	उन पत्रों की संख्या जिनका अभी तक अंतिम उत्तर नहीं भेजा गया है।	1	3

(ख) से (घ) सरकारी मार्गनिर्देशों के अनुसार, संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है और यथाशीघ्र अंतिम उत्तर भी भेज दिया जाता है। साधारणतया किसी सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना भेज दी जाती है परन्तु यदि विषय की प्रकृति ऐसी हो कि इसे किसी सदस्य/सदस्या द्वारा राज्य सभा और लोक सभा में ही पूछे जाने पर उन्हें ऐसी सूचना देने के लिए इंकार किया जा सकता हो तो वह सूचना नहीं भेजी जाती है।

ठेका मजदूर

759. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों का निपटारा करते हुए यह सिफारिश की थी कि केन्द्र और राज्य सरकारें उन प्रतिष्ठानों की, जिनमें ठेका मजदूर कार्यरत हैं, जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करें;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र और राज्य सरकारों ने उच्चतम न्यायालय की इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और समितियां नियुक्त कर दी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ठेका मजदूर प्रणाली को पूर्णतः कब तक समाप्त कर दिया जायेगा?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निर्यातित चाय के लिए रूस में भण्डारण सुविधाएं

760. श्री बलराज पासी :
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय संघ (आई०टी०ए०) ने केन्द्रीय सरकार से रूस भण्डारण सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध किया है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय ब्रांड की चाय के विपणन को बढ़ावा देने के लिए गठित ब्रांड इक्विटी फंड से भी सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) इंडियन टी एसोसिएशन ने रूस के बाजार में मूल्यवर्द्धित रूप में भारतीय चायों के विपणन के लिए "इंडिया ब्रैंड" का संवर्धन करने हेतु एक प्रस्ताव हाल ही में प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ भण्डारण सुविधा, ई०सी०जी०सी० द्वारा निर्यात ऋण गारंटी के रूप में सहायता तथा संवर्धनात्मक व्यय के लिए सहायता की मांग की गई है।

इंडियन टी एसोसिएशन के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा टी बोर्ड तथा अन्य संबंधित अभिकरणों के साथ परामर्श करके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

रूस को लौटाया गया ऋण

761. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने भारत द्वारा वापस किये गये ऋण का कुछ हिस्सा संयुक्त उद्यमों पर खर्च करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारत और रूस मुख्य रूप से सहमत हुए कि रूस को भुगतान के लिए भारत के रुपया ऋण का एक भाग भारत में संयुक्त उद्यमों में रूसी निवेश के लिए उपयोग किया जा सकेगा। तथापि, विस्तृत ब्यौरे पर दोनों पक्षों के बीच अभी सहमति होनी है।

[अनुवाद]

भारत बांग्लादेश सीमा व्यापार

762. श्रीमती विभू कुमारी देवी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार और आवागमन के लिए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश के साथ लगे क्षेत्र के बीच भारत-बांग्लादेश सीमा को खोलने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विशेषतः स्वापक पदार्थों की तस्कारी और अनधिकृत विदेशी तत्वों की घुसपैठ को ध्यान में रखते हुए सीमाओं को खोलने के भावी प्रभावों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो अध्ययन के नतीजों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच सीमा व्यापार पुनः शुरू करने और पारगमन सुविधओं के लिए बंगला देश की सरकार को कई कर प्रस्ताव भेजे हैं। उनके सकारात्मक रुख के अभाव में इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है किन्तु, सरकार को इस बात की पूरी जानकारी है और अनधिकृत विदेशी तत्वों के प्रवेश से उत्पन्न स्थिति और उसके परिणामों से पूर्णतया परिचित है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक एककों को पुनः चालू करना

763. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय वित्तीय सहायता के अभाव में कुल कितने औद्योगिक एकक बंद पड़े हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इन एककों को फिर से चालू करने हेतु केन्द्रीय सरकार से सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रायोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृति की गई अथवा लिए जाने का विचार है;

(घ) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्य बैंकों ने भी इन एककों को वित्तीय सहायता-प्रदान करने का प्रस्ताव किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च, 1994 के अंत की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में 96 गैर-लघु उद्योग क्षेत्र के रुग्ण/कमजोर औद्योगिक एकक बंद पड़े थे जिनमें बैंकों द्वारा दिया गया 217 करोड़ रु० का बकाया ऋण अन्तर्ग्रस्त था। उत्तर प्रदेश में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त 46 एकक भी बंद पड़े हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इनमें से कुछेक एकक 96 लघु उद्योग क्षेत्र के रुग्ण/कमजोर एककों की सूची में भी आ सकते हैं।

संभावित रूप से अर्थक्षम पाये गये रुग्ण/कमजोर एककों के पुनरुद्धार के संबंध में पुनर्वास पैकेज तैयार करने और उसके कार्यान्वयन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। पुनर्वास पैकेजों में अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की वर्तमान देय राशियों की चरणबद्ध ढंग से बढ़ी हुई अवधि (7 से 10 वर्ष) में वापसी अदायगी करने सहित उसके निधियन, ब्याज रियायतों, नये सावधि ऋण और नई कार्यशील पूंजी सुविधाओं की मंजूरी की भी व्यवस्था है। जहां तक गैर-एस०एस०आई० रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों का संबंध है, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन गठित एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को रुग्ण एककों के पुनर्वास के लिये निरोधात्मक, सुधारात्मक, उपचारात्मक और अन्य उपायों का निर्धारण करने और ऐसे उपायों को तेजी से लागू करने के लिये आवश्यक कार्रवाई करने के वास्ते पर्याप्त शक्ति प्रदान की गई है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के निर्देशों के अनुसरण में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 26 एककों को पुनर्वास पैकेज दिये हैं।

देश में बेरोजगारी

764. श्री साइमन मरान्डी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रोजगार की समस्या के समाधान के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न रोजगार कार्यालयों में 31 जुलाई, 1995 तक कितने बेरोजगार कुशल और अकुशल श्रमिक पंजीकृत थे और श्रेणी-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान कितने युवाओं और बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार बेरोजगार व्यक्तियों की बढ़ती हुई संख्या

को कम करने तथा सभी को रोजगार देने के लिए कोई विशेष अभियान चलाने का है;

(ङ) यदि हां, तो इन रोजगारोन्मुख योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) वर्ष 1995-96 के दौरान लोगों को रोजगार देने संबंधी लक्ष्य का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) 31.7.1995 की स्थितिनुसार, रोजागार कार्यालयों में पंजीकृत कुशल एवं अकुशल रोजागार चाहने वाले बेरोजगारों की संख्या उपलब्ध नहीं है। तथापि, 31.12.1989 तक की उपर्युक्त सूचना राज्यवार संलग्न विवरण में दी गई संलग्न है।

(ग) सूचना निम्नलिखित है।

वर्ष	रोजगार कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई नियुक्तियां (000 में)
1994-95	212.5
1995-96 (अप्रैल तक)	11.4

(घ) एवं (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार नीति 10 वर्षों में यथा 2002 तक लगभग पूर्ण रोजगार स्थिति पाने के लक्ष्य के एक मध्यावधि परिप्रेक्ष्य के भाग के रूप में बनायी गई है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के पहले 3 वर्षों के दौरान लगभग 19.6 मिलियन अतिरिक्त रोजगार के अवसर या प्रतिवर्ष 6.5 मिलियन रोजगार के अवसर सृजित किए जाने अनुमानित हैं।

(च) 1995-96 के लिए, रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

विवरण

देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या

(हजार में)

क०सं० राज्य/संघ शासित प्रदेश	31.12.1989 तक की संख्या	
	कुशल/अर्द्ध कुशल	अकुशल
1	2	3
राज्य		
1. आन्ध्र प्रदेश	110.1	590.8
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—
3. असम	17.6	117.7
4. बिहार	156.4	332.7
5. गोवा	8.0	6.0
6. गुजरात	31.4	108.4
7. हरियाणा	20.5	137.7
8. हिमाचल प्रदेश	26.8	74.6
9. जम्मू और कश्मीर	4.5	40.5
10. कर्नाटक	40.3	105.8
11. केरल	106.9	187.7
12. मध्य प्रदेश	43.8	364.7
13. महाराष्ट्र	100.0	407.0
14. मणिपुर	1.4	2.1
15. मेघालय	0.2	3.9
16. मिजोरम	—	9.7
17. नागालैण्ड	0.4	1.2
18. उड़ीसा	28.0	86.8
19. पंजाब	23.6	180.3
20. राजस्थान	16.5	148.8
21. सिक्किम	—	—
22. तमिलनाडु	115.8	366.3
23. त्रिपुरा	1.0	23.4
24. उत्तर प्रदेश	171.2	554.0
25. पश्चिम बंगाल	101.2	914.2
संघ शासित प्रदेश		
26. अण्ड मान और निकोबार द्वीप समूह	—	—
27. चंडीगढ़	7.7	46.3
28. दादर और नगर हेवली	—	—
29. दिल्ली	45.6	103.2
30. दमन और द्वीप	—	—
31. लक्ष्य द्वीप	—	—
32. पाण्डिचेरी	3.9	17.2
कुल :	1182.9	4930.9

नोट : नहीं

1. इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्यरत नहीं है।
2. यह हो सकता है कि पूर्णांक के कारण आंकड़े योग से मेल न खायें।
3. यह अनिवार्य नहीं कि चालू रजिस्टर पर सभी रोजगार चाहने वाले बेरोजगार हों।

[अनुवाद]

कपड़ा श्रमिक

765. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय वस्त्र निगम के श्रमिकों के संबंध में 8 सूत्री समझौता लागू करने और उन्हें वेतन के शीघ्र भुगतान के संबंध में वस्त्र उद्योग मजदूर सभा से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) एन०टी०सी० के कार्यचालन के विभिनन पहलुओं पर, जिनमें कार्यशील पूंजी के लिए निधियों की व्यवस्था करना तथा मजदूरियों तथा वेतन का भुगतान करना शामिल है, विगत में एन०टी०सी० के कामगार संघो एसोसिएशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान एन०टी०सी० कार्यशील पूंजी की कमी का सामना कर रहा है। सरकार ने आधुनिकीकरण और पुनरुद्धार के लिए एन०टी०सी० मिलो से संबंधित विशेष त्रिपक्षीय समिति द्वारा अनुमोदित आठ सूत्रीय पैकेज के आधार पर एक संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति का अनुमोदन किया है। संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति के क्रियान्वयन से पहले बी०आई०एफ० आर० का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा। सरकार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एन०टी०सी० द्वारा सामना की जा रही धन की कमी को पूरा करने के लिए निधियां प्रदान कर रही है ताकि वह वेतन तथा मजदूरियों का भुगतान कर सके।

ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स द्वारा अर्जित मुनाफा

766. श्री चेतन पी०एस० चौहान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जून, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित "रिकार्ड नेट प्राफिट वाई ओबीसी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स के अशोध्य तथा-ऋणों की राशि भी 1992-93 तथा 1993-94 की तुलना में 1994-95 में कम हो गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में बैंक के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम/प्रस्तावित कदम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) ओरियंटल बैंक आफ कामर्स ने सूचित किया है कि 1994-95 के दौरान बैंक द्वारा अर्जित 113.36 करोड़ रुपए का निवल लाभ बैंक के प्रारंभ से लेकर अब तक अधिकतम था।

(ग) जी, हां।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

नई वस्त्र मिलें

767. डा० (श्रीमती) के०एस० सौन्दरम : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में, विशेष रूप से उड़ीसा और तमिलनाडु के जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में, कोई और वस्त्र मिलें खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यवार स्थापित की जाने वाली नई वस्त्र मिलों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बाल श्रमिकों के लिए विद्यालय

768. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाल श्रमिकों की शिक्षा के लिए विद्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बिहार में ऐसे कितने विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) ऐसे विद्यालय राज्य-वार कहां-कहां हैं ?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 के अन्तर्गत श्रम मंत्रालय की राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अन्तर्गत किया गया प्रमुख क्रियाकलाप रोजगार से हटाए गए बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, अनुपूरक पोषाहार आदि जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना किया जाना है। अनुपात सहायता योजना के अन्तर्गत श्रमजीवी बच्चों के लिए कल्याण परियोजनाएं चलाने हेतु स्वयंसेवी एजेन्सियों को 75% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(ग) इस समय बिहार में 450 बच्चों को शामिल करके 4 स्कूल कार्य कर रहे हैं।

(घ) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाएं जिनमें कार्य से हटाए गए बच्चों के लिए विशेष स्कूल शामिल हैं, इस समय निम्नलिखित राज्यों में क्रियान्वयनाधीन हैं :—

सं०	राज्य	जिला	उद्योग
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	कांच
2.		मुरादाबाद	पीतल
3.		अलीगढ़	ताले
4.		मिर्जापर-भदोही	कालीन
5.	आन्ध्र प्रदेश	मार्कापुर	स्लेट
6.		जग्गेमपट	टाइल
7.	तमिलनाडु	शीवकासी	माचिस तथा अतिशबाजी
8.	मध्य प्रदेश	मंदसौर	स्लेट

1	2	3	4
9.	बिहार	गरवा	आतिशबाजी
10.	राजस्थान	जयपुर	रत्न
11.	महाराष्ट्र	थाणे	कृषि/रसायन
12.	उड़ीसा	सम्भलपुर	बीड़ी

प्राथमिकता वाले क्षेत्र को बैंक ऋण

769. श्री नवल किशोर राय :
श्री गुमान मल लोढा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये इस आशय के निर्देशों का ब्यौरा क्या है कि राष्ट्रीयकृत बैंक प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण के रूप में कुल जमा राशियों का एक निर्धारित प्रतिशत अंश उपलब्ध कराएं;

(ख) क्या अनेक बैंकों ने 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान निदेशों का पालन नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इन बैंकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन बैंकों द्वारा उपरोक्त निदेशें का पालन न किये जाने के क्या कारण हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के अनुसार, सभी भारतीय बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निवल बैंक ऋण का कम से कम 40% प्राथमिकता क्षेत्र को दें।

(ख) और (ग), उन भारतीय बैंकों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं, जिन्होंने वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है।

(घ) भारतीय रिवर्ज बैंक ने सूचित किया है कि निवल बैंक ऋण की तुलना में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के प्रतिशत में गिरावट के लिये 1988 से बैंकों की लाभप्रदता पर दिये गये अधिक बल, आय की पहचान प्रावधान और पूंजी पर्याप्तता के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों और उच्च लेन-देन तथा प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने में अन्तर्ग्रस्त जोखिम लागत जैसे कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों के संबंध में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सभी प्रयत्न करने की सलाह दी है। बैंकों से यह भी कहा गया है कि लक्ष्य की प्राप्ति में उनकी असफलता के कारण बैंक विशिष्ट नीतिगत उपाय करने पड़ सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र को अधिक ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में अच्छे ट्रेक रिकार्ड वाले किसानों को तत्काल उत्पादन ऋण प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए कृषि ऋण कार्ड शुरू करने, नकदी ऋण सुविधा, नवोन्मेषी और उच्च तकनीकी वाली कृषि परियोजनाओं, ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि की स्थापना, प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण का बढ़ा हुआ प्रवाह सुनिश्चित करने के लिये खादी और ग्रामोद्योग आयोग को ऋण प्रदान करने के लिये कुछ चुने हुए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संघ के गठन इत्यादि जैसे कई उपाय भी किए हैं।

विवरण

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल बैंकों के नाम

सरकारी क्षेत्र के बैंक

मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार	मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार
भारतीय स्टेट बैंक	भारतीय स्टेट बैंक
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद
स्टेट बैंक आफ इंदौर	स्टेट बैंक आफ इंदौर
स्टेट बैंक आफ मैसूर	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र
स्टेट बैंक आफ पटियाला	इलाहाबाद बैंक
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	आन्ध्रा बैंक
इलाहाबाद बैंक	बैंक आफ इंडिया
आन्ध्रा बैंक	बैंक आफ महाराष्ट्र
बैंक आफ इंडिया	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
बैंक आफ महाराष्ट्र	कारपोरेशन बैंक
केनरा बैंक	देना बैंक
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	पंजाब नेशनल बैंक
कारपोरेशन बैंक	पंजाब एवं सिंध बैंक
देना बैंक	सिंडिकेट बैंक
सिंडिकेट बैंक	यूनियन बैंक आफ इंडिया
यूको बैंक	यूको बैंक
विजया बैंक	विजया बैंक

पर्यटक स्थलों के लिए बिहार को आबंटन

770. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में पर्यटक स्थलों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष परियोजना-वार कितनी राशि आबंटित की गई ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : पिछले तीन वर्षों के दौरान, पर्यटक केन्द्रों के विकास के लिए बिहार राज्य सरकार को मंजूर की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1992-93 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं/स्कीमें

क्रम सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु० में)
बिहार		
1.	बोधगया में पर्यटक स्वागत केन्द्र	20.55
2.	गया में यात्रिका	15.92
3.	पांच स्थानों — मोहनियां, सासाराम सुलतानगंज, देवघर और बसुकीनाथ में जन—सुविधाएं	12.86
4.	ट्रेकिंग उपकरण की खरीद	2.48
5.	छोटा नागपर आदिवासी मेला	2.60
	कुल :	54.51
	1993-94 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं/स्कीमें	
1.	पटना साहेब पर यात्रिका	21.93
2.	देवघर में यात्रिका	21.93
3.	झुमरी तलैया पर कैफेटेरिया	9.75
	कुल :	53.63
	1994-95 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं/स्कीमें	
1.	मुजफ्फरपुर में पर्यटक परिसर	27.07
2.	जमशेदपुर (चन्देल) में पर्यटक परिसर	26.56
3.	मसानजोर में मार्गस्थ-सुवधिाएं	8.48
4.	कुजू में मार्गस्थ-सुविधाएं	8.96
5.	देवगढ़ में पर्यटक परिसर	27.00
6.	जलक्रीड़ा उपकरण्एों की खरीद	14.05
	कुल :	112.12

बैंकिंग सेवा के लिए ओम्बड्समैन

771. डा० रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के ग्राहकों के लिए एक ओम्बड्समैन की नियुक्ति की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ओर उसके क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) इस समय उक्त प्रस्ताव किस चरण में हैं और इस सबंध में कार्य करने के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के विरुद्ध ग्राहकों की शिकायतों के शीघ्र और सस्ते समाधान के लिए "बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, 1995" तैयार की है। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं के प्रावधान के संबंध में शिकायतों के समाधान में सक्षम बनाना और ऐसी शिकायतों की संतुष्टि अथवा निपटारे में सहायता प्रदान करना है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बम्बई, नई दिल्ली, भोपाल, चण्डीगढ़ और बंगलौर में बैंकिंग ओम्बड्समैन पहले ही नियुक्त कर दिए हैं।

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्य निधि संबंधी मामलों के लिए न्यायाधिकरण

772. श्री अमर पाल सिंह : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये न्यायाधिकरण कब से कार्य करना शुरू कर देंगे;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में ऐसे न्यायाधिकरण स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक-एक कर्मचारी भविष्य निधि (क०भ०नि०) अपीलीय अधिकरण गठित किये जाने का प्रस्ताव है। विद्यमान कार्यभार को ध्यान में रखते हुए, जोनल आधार पर चार अधिकरणों की स्थापना को पर्याप्त समझ गया है। अत:, प्रत्येक राज्य में अलग से अधिकरणों का गठन किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं क०भ०नि० अधिकरणों के गठन से संबंधित प्रस्ताव में कतिपय पदों का सृजन, जिनके लिए वित्त मंत्रालय की सहमति आवश्यक है, किया जाना शामिल है। अत:, वह निश्चित समय सीमा बता पाना संभव नहीं है जब अधिकरण कार्य करना शुरू कर देंगे।

बिहार में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण

773. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार की बैंक शाखाओं विशेषकर दरभंगा तथा मधुबनी जिलों में स्थित बैंक शाखाओं द्वारा "प्रधान मंत्री रोजगार योजना" के अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु ऋण मंजूर करने में विलम्ब किया जाता है;

(ख) क्या समय-समय पर ऐसी घटनाओं के विरुद्ध शिकायतें की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है तथा इस संबंध में उत्तरदायित्व तय करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी०एम०आर०वाई०) के अन्तर्गत कार्यान्वयन की प्रगति की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एल०एल०बी०सी०) और जिला परामर्शदात्री समितियों (डीसीसी) की बैठकों में समीक्षा की जाती है। चूंकि मंजूर किये गये मामलों से संबंधित संवितरणों को संतोषजनक नहीं पाया गया था, इसलिये पटना स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय ने हाल ही में संवितरणों में तेजी लाने के लिए अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सभी बैंकों को अनुदेश जारी किये हैं।

(ख) और (ग) पी०एम०आर०वाई० के अन्तर्गत ऋणों की मंजूरी/संवितरण इत्यादि में देरी के संबंध में बिहार राज्य सहित देश के किसी भी भाग से सरकार को मिली शिकायतों को उपचारी कार्रवाई के लिये संबंधित बैंक के साथ उठाया जाता है।

बगिया रेस्टोरेंट

774. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रमथेश मुखर्जी :
श्री हाराधन राय :

क्या **नागर विमानन ओर पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उस निजी कम्पनी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करने का है जिस नई दिल्ली के अशोक यात्री निवास में बगिया रेस्टोरेंट चलाने के लिए लाइसेंस दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आई०टी०डी०सी० द्वारा राजधानी में पट्टे पर दिए गए अन्य रेस्टोरेंटों का ब्यौरा क्या है;

(घ) आई०टी०डी०सी० द्वारा रेस्टोरेंट आवंटन करने के क्या मापदंड हैं तथा क्या इन रेस्टोरेंटों के आवंटन के समय नियमों का उल्लंघन किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या ऐसे रेस्टोरेंटों के आवंटन के समय नियमों का उल्लंघन करने के संदर्भ में किसी को जिम्मेदार ठहराया गया तथा ऐसे उल्लंघन के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम का कानूनी सैल मामले की जांच कर रहा है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) रेस्तरां के आवंटन हेतु निर्धारित मानदण्ड इस प्रकार हैं :—

1. उच्चतम तकनीकी तौर पर वैध बोली।
2. अपेक्षित क्षेत्र में लाइसेंसधारी की विशेषज्ञता तथा अनुभव
3. लाइसेंसधारी की वित्तीय स्थिति की ठोसता

लाइसेंसधारी को निविदा दस्तावेज के अनुसार विभिन्न शर्तों को भी पूरा करना होता है।

भारत पर्यटन विकास निगम यह जांच पड़ताल कर रहा है कि रेस्तराओं के आवंटन के मामले में क्या सामान्य प्रक्रिया का भली-भांति अनुपालन किया गया था। तथापि, बगिया रेस्तरां के मामले में, संबंधित मंत्रालय से यह सिफारिश की गई हे कि केंद्रीय जांच ब्यूरो को एक औपचारिक जांच पड़ताल करने के लिए निदेश दिए जाएं ताकि यह पता चल सके कि क्या इस मामले में कोई अनियमितताएं बरती गई थीं और यदि ऐसा है तो किस प्रकार की अनियमितताएं बरती गईं तथा इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति कौन है?

विवरण

अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली में स्थित बार-बे-क्यू (बगिया रेस्तरां) के अलावा भारत पर्यटन विकास निगम के दिल्ली स्थित अन्य होटलों में पट्टे पर दिए गए रेस्तराओं का ब्यौरा

होटल का नाम	लीज पर दिए गए रेस्तरां का नाम	लाइसेंसधारी का नाम
अशोक होटल	(1) ज्वेल आफ दी ईस्ट (चाइनीज़ रेस्तरां)	मैसर्स क्लास एसोसिएट्स
लोधी होटल	(2) वांचाई चाइनीज रेस्तरां	मैसर्स वांचाई केटरर्स
	(3) सागर रत्न (दक्षिण भारतीय वेजिटेरियन रेस्तरां)	मैसर्स सागर फूड होम
होटल जनपथ	(4) फूड प्लाज़ा (फास्ट फूड रेस्तरां)	मैसर्स क्वालिटी केटरर्स
अशेाक यात्री निवास	(5) कोकोनट ग्रोव (दक्षिण भारतीय-नांन वेजिटेरियन रेस्तरां)	मैसर्स के० एस० कुमार एण्ड कम्पनी

[हिन्दी]

बैंक शाखाएं खोलने के मानदंड

775. श्री उदय प्रताप सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक शाखा खोलने के लिये कुछ विशिष्ट मानदंडों और दिशानिदेशों का पालन किया जाना आवश्यक है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान नीति के अंतर्गत अपनी ग्रामीण शाखाओं से संबंधित सेवा क्षेत्रों में अतिरिक्त शाखायें खोलने के लिये संभाव्य केन्द्रों/गांवों की पहचान करने का निर्णय बैंकों पर छोड़ दिया गया है। आवेदक बैंक के सेवा क्षेत्र के भीतर आने वाले केन्द्रों/गावों में अतिरिकत ग्रामीण शाखायें खोलने और संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से सिफारिश किये गये नये प्रस्तावों पर भारतीय रिजर्व बैंक विचार करता है। पिछड़े/पहाड़ी/जनजातीय/छिट-पुट आबादी वाले क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को उचित महत्व दिया जाता है। जहां तक अर्द्ध-शहरी केन्द्रों का संबंध है, बैंकों से प्राप्त इन सुझावों के आधार पर कि उन्हें कुछ हद तक स्वंतत्रता दी जानी

चाहिए, अखिल भारत आधार पर अपनी पसंद के अर्द्धशहरी केन्द्रों में अपनी शाखाएं खोलने के लिये बैंकों को एक निश्चित निर्धारित कोटा आबंटित करने का निर्णय लिया गया था। जहां तक शहरी महानगरीय केन्द्रों का संबंध है, इन क्षेत्रों के बैंक-रहित/कम् बैंक सुविधाओं वाली पॉकेटों में शाखायें खोलने के लिये संभाव्य स्थानों की पहचान करने के लिये वर्ष 1990 के प्रारंभ में उपाय शुरू किये गये थे और इसके उपरांत विभिन्न बैंकों को पहचान किये गये केन्द्र आबंटित किये गये थे। भारतीय रिजर्व बैंक शहरी/महानगरीय केन्द्रों में शाखायें खोलने के नये प्रस्तावों पर गुण-दोषों के आधार पर विचार करता है।

[अनुवाद]

भारतीय स्टेट बैंक, बंगलौर में धोखाधड़ी

776. श्री राम विलास पासवान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बंगलौर शहर में भारतीय स्टेट बैंक में 93 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के एक षडयंत्र का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए; और

(ग) इस बारे में की गई जांच का क्या परिणाम रहा तथा इसके लिए पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) भारतीय स्टेट बैंक (एस०बी०आई०) ने सूचित किया है कि एक व्यक्ति, जिसने स्वयं को अहमदाबाद स्थित एक चार्टर्ड एकाउटेंट फर्म का श्री विजय मुथा बताया था और मैसर्स रघु एक्रोस्पेस लि० एवं मैसर्स डी०एस० इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन-(प्रा०) लि० के प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले दो व्यकित मैसर्स साउथेन टैक्नालोजीज, बंगलौर नामक फर्म के लिए ऋण-सुविधाओं के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक (परिचालन) से स्थानीय प्रधान कार्यालय, बंगलौर में मिले। उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, बंगलोर से 93 करोड़ रुपए का एक उत्तर दिनांकित चैक दिया। संदेहात्मक परिस्थितियों के कारण महा-प्रबंधक ने चैक की प्रमाणिकता की पुष्टि करने के लिए आहर्ताओं और अदाकर्ता शाखा से सम्पर्क किया। जांच करने पर यह पाया गया कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, बंगलौर द्वारा ऐसा कोई चैक जारी नहीं किया गया था और उन्होंने उक्त चैक के गुम होने की सूचना भारतीय स्टेट बैंक के एरोनाटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंन्ट (ए०डी०ई०) शाखा को दे दी थी। एडीई शाखा द्वारा भी इसकी पुष्टि कर दी गई थी। दूरभाष पर सम्पर्क करने पर पुलिस भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय में आई और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बैंक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। भारतीय स्टेट बैंक में उपलब्ध सूचना के अनुसार, अब तक पुलिस द्वारा 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

[हिन्दी]

निर्यात में वृद्धि

777. श्री दत्ता मेघे : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के निर्यात का हिस्सा बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके वास्तविक हिस्से के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) तथा (ख) वर्ष 1993 के दौरान भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात का 0.6% हुआ। (स्रोत : विश्व अर्थव्यवस्था और भारत का इसमें स्थान; अक्तूबर, 1994)। शुरू में भारत की आर्थिक नीतियों में आयात प्रतिस्थापन पर जोर दिया गया। सन् 1994 से भारत ने यह निश्चत किया है कि देश की अर्थव्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का रूप दिया जाए।

(ग) इस बात को मानते हुए कि आजकल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व आर्थिक क्रियाकलाप का एक मुख्य अंग है, सरकार ने तीव्र निर्यात वृद्धि को प्रोत्साहित कर उसे बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों के फलस्वरूप जो अवसर और चुनौतियां हमारे सामने उत्पन्न हुईं उनके जवाब में जुलाई, 1991 में भारतीय व्यापार नीति का उदारीकरण किया गया था। इस व्यापार-नीति का उद्देश्य है व्यापार के लिए स्वतंत्र वातावरण बनाना, निर्यात संवर्धन ढांचे को सुदृढ़ करना, क्रिया विधियों को सरल और कारगर बनाकर क्रिया-विधि संबंधी बाधाओं को दूर करना, निर्यात उत्पादन को बढ़ाना, कार्य-क्षमता में सुधार लाना और स्पर्धात्मकता को तेज करना, निविष्टि उपलब्धता को सुकर बनाना, निर्यात संवर्धन की योजनाओं को शुरू कर उन्हें सुदृढ़ करने के अलावा गुणवत्ता एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन पर विशेष बल देना अधिक सस्ते दर पर निर्यात ऋण एवं निर्यात लाभ पर कर में छूट देने के प्रयास किए गए हैं। निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है और व्यापार, उद्योग तथा संबंधित संस्थाओं के परामर्श से निर्यात को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाते हैं।

एयर आटो कार

778. डा० मुमताज अंसारी : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अथवा कुछ गैर-सरकारी एजेंसियों का विचार शीघ्र ही "एयर आटो कार" चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

काशीनाथ सेठ बैंक में घोटाला

779. डा० परशुराम गंगवार :
श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काशीनाथ सेठ बैंक शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के कार्यकरण के बारे में की जा रही जांच के मुद्दों का ब्यौरा क्या है और जांच की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस बैंक को बन्द-किए जाने के निर्णय के विरोध में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों ने 30 जून, 1995 को एक दिन की हड़ताल की थी;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बैंक को शीघ्र ही अपना कारोबार शुरू करने की अनुमति देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और बैंक कर्मचारियों तथा खाताधारियों के संबंध में किस प्रकार से व्यवस्था की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने काशीनाथ सेठ बैंक लि० (केएनएसबीएल) का नियमित निरीक्षण किया था और खास तौर पर पोर्टफोलियो निवेश और धन की अप्राधिकृत निकासी के क्षेत्र में गंभीर अनियमिताओं का पता लगाया था।

(ख) यह सूचित किया गया है कि उत्तर प्रदेश में कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के एक वर्ग ने 30 जून, 1995 को एक दिन की हड़ताल की थी।

(ग) से (ङ) इस बैंक को दिनांक 30.6.1995 को कारोबार की समाप्ति से दिनांक 30.9.1995 तक के लिये अधिस्थगन के अधीन रख दिया गया है जिसके विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ में एक रिट-याचिका दायर की गई है। यह मामला निर्णयाधीन है।

[अनुवाद]

मुद्रास्फीति दर

780. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के महीनों में मुद्रास्फीति दर में पर्याप्त कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो गत छः माह के दौरान प्रति माह मुद्रास्फीति में आई कमी का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले छह महीनों से संबंधित वार्षिक मुद्रास्फीति की दर (1981-82 को आधार मानकर थोक मूल सूचकांक पर आधारित) नीचे दर्शायी गई है :—

को समाप्त होन वाला सप्ताह	वार्षिक मुद्रास्फफीति दर (प्रतिशत)
जनवरी, 1995	12.2
फरवरी,	11.4
मार्च	10.4
अप्रैल	9.8
मई	8.8 (अनन्तिम)
जून	8.3 (अनन्तिम)
जुलाई 15	7.7 अनन्तिम)

अकुशल श्रमिकों हेतु मजदूरी

781. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशिक्षित अकुशल श्रमिकों और दैनिक वेतनभोगियों की मजदूरी की दर में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस वर्ष के मई दिवस के अवसर पर उनके कल्याण हेतु सरकार द्वारा आरम्भ की गई कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अतर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें दोनों ही अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/संशोधित करने के लिए समुचित सरकारें हैं। केन्द्रीय सरकार 40 अनुसूचित रोजगारों के बारे में न्यूनतम मजदूरी की दरों का निर्धारण/संशोधन करने के लिए जिम्मेदार है जो मोटे तौर पर कृषि, भवन-निर्माण, खनन और रेलवे क्षेत्रों में श्रेणीवद्ध किए गए हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार कौशल और रोजगार की श्रेणी के अनुसार न्यूनतम मजदूरों को दरों का निर्धाराण करती रही है। कृषि के क्षेत्र में रोजागर के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में पिछली वार 12.8.92 को संशोधन किया गया था और बकाया 39 अनुसूचित रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में पिछली बार 12.7.94 को संशोधन किया गया था। चार क्षेत्रों में केन्द्रीय क्षेत्रों में श्रेणीबद्ध 40 अनुसूचित रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरों की दरें दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार ने इस वर्ष मई दिवस के अवसर पर किसी नयी कल्याण योजना की घोषणा नहीं की है।

विवरण

1.4.95 से संशोधित मजदूरी की न्यूनतम दरें और विशेष भत्ते

कर्मकार श्रेणी	मूल मजदूरी (रु० में)	संशोधित विशेष भत्ता (रु० में)	कुल मजदूरी (रु० में)	मूल मजदूरी (रु० में)	संशोधित मजदूरी (रु० में)	कुल मजदूरी (रु० में)	मूल मजदूरी (रु० में)	संशोधित मजदूरी (रु० में)	कुल मजदूरी (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. निर्माण		क्षेत्र "क"			क्षेत्र "ख"			क्षेत्र "ग"	
अकुशल	36.00	3.68	39.68	34.00	3.68	37.68	28.00	3.02	31.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अर्द्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	43.00	4.35	47.35	41.00	4.35	45.35	34.00	3.68	37.68
कुशल	57.00	5.35	62.35	51.00	5.35	56.35	43.00	4.68	47.68
उच्च कुशल	65.00	6.70	71.70	63.00	6.70	69.70	51.00	5.35	56.35
लिपिकीय	57.00	5.35	62.35	51.00	5.35	56.35	43.00	4.68	47.68
II. कृषि									
कर्मकारों की श्रेणी		क्षेत्र "क"			क्षेत्र "ख"			क्षेत्र "ग"	
अकुशल	33.00	20.62	53.62	28.00	20.62	48.62	26.00	20.62	46.62
अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	41.00	20.62	61.62	35.00	20.62	62.29	29.00	20.62	49.62
कुशल/लिपिकीय	48.00	20.62	68.62	41.00	20.62	61.62	34.00	20.62	54.62
उच्च कशल	58.00	20.62	78.62	50.00	20.62	70.62	41.00	20.62	61.62
III. रेलवे में माल भराई/उतराई और राख के गड्ढों की सफाई									
		क्षेत्र "क"			क्षेत्र "ख"			क्षेत्र "ग"	
अकुशल	42.00	4.42	46.42	33.00	3.48	36.48	29.00	3.08	32.08
IV. खनन									
कर्मकारों की श्रेणी		सतह के ऊपर						भूमिगत	
अकुशल	28.00	3.02	31.02			34.00	3.68	37.68	
अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	34.00	3.68	37.68			41.00	4.35	45.35	
कुशल	41.00	4.35	45.35			50.00	5.35	55.35	
लिपिकीय	41.00	4.35	42.35						
उच्च कुशल	50.00	5.35	55.35			60.00	6.36	66.36	

टिप्पणी :–

क्षेत्र "क" में शामिल : 4 महानगर और अहमदाबाद, हैदराबाद, बंगलौर, नागरपुर, लखनऊ और कानपुर

क्षेत्र "ख" में शामिल : 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 54 नगर

क्षेत्र "ग" में शामिल : अन्य सभी क्षेत्र

बाल मजदूर

782. **श्रीमती गिरिजा देवी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "यूनिसेफ" द्वारा तैयार की गई राष्ट्रों की प्रगति रिपोर्ट 1995" के अनुसार भारत में 5 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) यूनिसेफ ने अपनी राष्ट्रों की प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 1995 में टिप्पणी की है कि अनुमान है कि 16 वर्ष से कम आयु के 5% से 30% तक बालक बाल श्रम की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।

1981 की जनगणना के अनुसार देश में 4.26% बालक कामकाजी बालक हैं।

(ग) राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 के अंतर्गत बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु तीन कार्रवाई योजनाएं हैं :— (i) एक विधायी कार्य योजना, (ii) जहां कहीं संभव हो, बालकों को लाभ प्रदान करने के लिए सामान्य विकास कार्यक्रम पर जोर देना, और (iii) मजदूरी/अर्ध मजदूरी नियोजन में लगे बाल श्रमिकों की उच्च बहुलता वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्य योजनाएं।

वर्तमान में आठ राज्यों में अनुमानतः 16,000 बालकों को शामिल करके बारह राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत शुरू किया गया एक मुख्य कार्यकलाप रोजगार से हटाये गये बालकों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषणाहार आदि जैसी बुनियादी जरूरतें मुहैया करवाने के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना करना है। सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत कामकाजी बालकों के लिए कल्याणकारी परियोजनाएं शुरू करने के लिए स्वयंसेवी एजेंसियों को 75% वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण ने देश में बाल श्रम की अधिकतम प्रवृत्ति वाले 100 जिले भी पहचाने हैं। यह निर्णय लिया गया है कि जोखिमकारी नियोजनों मे बाल श्रम के उन्मूलन संबंधी परियोजनाएं इन जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना के अनुसार आरंभ की जायेंगी। नई दिल्ली में 13-14 सितम्बर, 1995 को इन 100 जिलाधीशों की एक कार्यशाला आयोजित की जायेगी। संबंधित जिलाधीशों से अनुरोध किया गया है कि वे राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम आधार पर अपने-अपने जिलों के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार करें। कार्य से हटाये गये बालकों के लिए परियोजनाएं चलाने हेतु वर्तमान वर्ष में 34.4 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

कालीनों का निर्यात

783. श्री शरत पटनायक :
श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील :
श्री गोविन्दराव निकम :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से कालीनों के आयात हेतु उन पर 'रगमार्क' डालने पर जोर दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है। किये जाने का विचार है; और

(घ) कालीनों के निर्यात में वृद्धि करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) तथा (ख) जी नहीं। तथापि, बाल श्रम के प्रयोग से विनिर्मित वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने हेतु यू०एस० कानूनों में संशोधन करने के संबंध में कुछ प्राइवेट सदस्य बिल यू०एस० सीनेट तथा हाऊस आफ रिपरेजेन्टेटिव में लम्बित पड़े हैं।

(ग) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद ने देश से निर्यात किए जाने वाले कालीनों पर कालीन बुनकरों के कल्याण के प्रति योगदान तथा भारतीय कालीन उद्योग से बाल श्रम के उन्मूलन की प्रतिबंधता के प्रतीक के रूप में 'कालीन' लेबल लगाना प्रारम्भ किया है।

(घ) सरकार द्वारा कालीनों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में, विदेशों में बिक्री-सह-अध्ययन दल प्रयोजित करना; अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में सहभागिता, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, समुद्रपार प्रचार तथा कैटलाग का प्रकाशन, सेमिनार तथा कार्यशालाओं का आयोजन और वार्षिक अखिल भारतीय कालीन व्यापार मेले का आयोजन करना शामिल हैं।

तम्बाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क

784. श्री एस०एम० लालजान बाशा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तम्बाकू और कृषि आधारित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क स्थिर रखने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) तम्बाकू और कृषि पर आधारित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क विभिन्न संगत पहलुओं को ध्यान में रख कर निर्धारित किया गया है। इन शुल्क दरों में परिवर्तन, यदि कोई हो, अभिभावी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कृतिक बल/संचालन समिति की स्थापना

785. श्रीमती महेन्द्र कुमारी :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का विचार समग्र गुणवत्ता प्रबंधन कार्य संस्कृति का विकास करने तथा अपनी प्रकार्य-विधि का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिये नौ कृतिक बलों तथा संचालन समिति की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम के कार्यकरण में सुधार करने के लिये अन्य क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) जी, हां। प्रबंधन वर्ग की आपेक्षाओं के अनुरूप मौजूदा प्रणाली और कार्यविधि का संशोधन/अद्यतन करने के उद्देश्य से, यह निर्णय लिया गया है कि भारत पर्यटन विकास निगम के सभी कार्यरत क्षेत्रों को कवर करने के लिए 7 सदस्यों वाली संचालन समिति और 9 कृतिक बलों, जिसमें प्रत्येक में 5 सदस्य हों, की स्थापना की जाए।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम के कार्यचालन में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है और इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) प्रगतिशील विपणन प्रयास

(2) विशेष आफ सीज़न टेरिफ/पैकेजों को प्रारम्भ करना

(3) होटल की परिसम्पत्तियों का आधुनिकीकरण/नवीनीकरण।

(4) तटों की निगरानी और नियंत्रण करना।

(5) प्रशिक्षण आदि देकर मानव संसाधनों का विकास करना।

[हिन्दी]

पायलट प्रशिक्षण स्कूल एवं संस्थाएं

786. श्री राजवीर सिंह :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कमर्शियल पायलटों को प्रशिक्षण देने हेतु और अधिक पायलट प्रशिक्षण स्कूलों और संस्थानों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में अभी ऐसें कितने स्कूल हैं तथा ये कहां-कहां स्थित हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार आधुनिक विमानों को उड़ाने के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए इन प्रशिक्षण विद्यालयों का दर्जा बढ़ाने का है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है;

(ङ) क्या सराकर का विचार विमानन के क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्तियों का "पूल" बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) सुविधाओं का स्तरोन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है और आवश्यकताओं/संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित है। नगर विमानन महानिदेशक ने प्रशिक्षण स्तर के उन्नयन के लिए 12 सिमुलेटरों की खरीद की है उन्हें देश में विभिन्न उड़न क्लबों में वितरित किया है।

(ङ) जी नहीं।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

फ्लाइंग क्लबों/संस्थानों की सूची

1. राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल, जयपुर
2. राजकीय फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, बंगलौर
3. बिहार फ्लाइंग संस्थान, पटना
4. राजकीय फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थान, कलकत्ता
5. राजकीय एविएशन ट्रेनिंग संस्थान, भुवनेश्वर
6. स्टेट सिविल एविएशन, उत्तर प्रदेश फ्लाइंग ट्रेनिंग सेन्टर (एस०सी०एयू० पी०एफ०टी०सी०), लखनऊ
7. अंडमान निकोबार फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थान, पोर्ट ब्लेयर
8. आंध्र प्रदेश फ्लाइंग क्लब, हैदराबाद
9. बम्बई फ्लाइंग क्लब, बम्बई
10. गुजरात फ्लाइंग क्लब, बडौदा
11. मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, इन्दौर
12. मद्रास फ्लाइंग क्लब लि०, मद्रास
13. दिल्ली फ्लाइंग क्लब, दिल्ली
14. कोयम्बतूर फ्लाइंग क्लब लि०, कोयम्बतूर
15. केरला एविएशन ट्रेनिंग सेन्टर, त्रिवेन्द्रम
16. बनसथली विद्यापीठ लाइडिंग और फ्लाइंग क्लब, बनसथली
17. नागपुर फ्लाइंग क्लब, नागपुर
18. जमशेदपुर को-ओपरेटिव फ्लाइंग क्लब लि० जमशेदपुर
19. लुधियाना एविएशन क्लब, लुधियाना
20. अमृतसर एविएशन क्लब, अमृतसर
21. नार्दन इंडिया फ्लाइंग क्लब, जालंधर
22. अकंता फ्लाइंग क्लब, औरंगाबाद
23. पटियाला एविएशन क्लब पटियाला
24. हिसार एविएशन क्लब, हिसार
25. करनाल एविएशन क्लब, करनाल
26. आसाम फ्लाइंग कल्ब लि० गुवाहाटी
27. पिंजौर एविएशन क्लब, पिंजौर
28. कानपुर ब्रांच ऑफ एससीएयूपीएफटीसी, लखनऊ
29. फैजाबाद ब्रांच ऑफ एससीएयूपीएफटीसी, लखनऊ
30. वाराणसी ब्रांच ऑफ एससीएयूपीएफटीसी, लखनऊ
31. भोपाल ब्रांच ऑफ मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, इन्दौर
32. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुरसातगंज, उ०प्र०

प्राइवेट सैक्टर में स्कूल/संस्थान

1. उड़ान रिसर्च एण्ड फ्लाइंग संस्थान, इन्दौर
2. बंगलौर एरोनॉटिक्स एण्ड टैक्निकल सर्विसिज, बंगलौर
3. अहमदाबाद एविएशन अकामी, अहमदाबाद
4. ओरिण्ट फ्लाइंट स्कूल, पांडेचेरी

यू०टी०आई० सर्टिफिकेटों का गुम होना

787. श्री मंजय लाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यूनिट ट्रस्ट सर्टिफिकेटों के गुम होने संबंधी प्रायः प्रकाशित होने वाली रिपोर्टों की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई जांच करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संस्था में अरबों रुपयों के गबन और धांधली का पता लगाने हेतु कोई योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट मामले की जांच-पड़ताल करता रहा है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट अंतरणीय/व्यापार-योग्य यूनिट सर्टिफिकेटों को पंजीकृत डाक द्वारा यूनिट धारकों को भेजता है। कभी-कभी डाक संवहन में सर्टिफिकेट खो जाते हैं, ऐसे मामले में भारतीय यूनिट ट्रस्ट मामले को डाक-प्राधिकारियों के पास भेज देता है। खो जाने के मामलों में मौलिक यूनिट धारकों को डुप्लीकेट सर्टिफिकेट भी जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने पुनर्खरीद अथवा अंतरण के लिए अपने पास धोखे से जमा कराए गए सर्टिफिकेटों का पता लगाने के लिए जांच और नियंत्रण शुरू किए हैं।

[अनुवाद]

आयात

788. श्री पी० कुमारासामी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1995 के दौरान देश के आयात में 45.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें बड़े पैमाने पर वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप अंतिम तिमाही के दौरान व्यापार घाटे में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) आयात को उचित सीमा में रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा कदम उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) आयातों में वृद्धि मुख्य रुप से औद्योगिक उत्पादन की प्रति प्राप्ति तथा घरेलू बचत की तुलना में निवेश की तीव्र वृद्धि के कारण है।

(ग) अप्रैल-जून, 1995, यह अद्यतन अवधि जिसके लिए विदेश व्यापार आंकड़े एवं किए गए हैं, के दौरान व्यापार घाटा अनुमानतः 824 मिलि० अमरीकी डालर का रहा है। जबकि पिछले वर्ष की समनुरूप अवधि में यह घाटा 198 मिलि० अमरीकी डालर था।

(घ) निर्यात-आयात नीति, 1992-97 का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ विदेश व्यापार के उदारीकृत ढांचे के भीतर अंतर्राष्ट्रीय रूप से पतियोगी आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन देना है। आयात अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार किए जाते हैं और जिसमें मुख्य रूप से उत्पादन और निर्यात के लिए आवश्यक कच्चा माल, मध्यवर्ती पदार्थ, संघटक तथा पूंजीगत वस्तुएं तथा घरेलू उपलब्धता में वृद्धि करने तथा कीमत वृद्धि को रोकने के लिए आयात की गई आम उपभेक्ता वस्तुएं शामिल हैं।

बैंकों में कंप्यूटरीकरण से संबंधित रिपोर्ट

789. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों में कंप्यूटरीकरण से संबंधित समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार सिटी बैंकों के अनुरूप स्वचालित टेलर मशीन नेटवर्क शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथ यह कब से काम करना शुरू कर देगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) डा० सी० रंगाराजन की अध्यक्षता वाली बैंकों में कंप्यूटरीकरण संबंधी समिति की कुछ सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(1) प्रतिदिन 750 या इससे अधिक के वाउचरों वाली शाखाओं के समस्त परिचालनों को पूर्णरूपेण कंप्यूटरीकृत कर दिया जाना चाहिए। तथापि, आरम्भ में प्रतिदिन 1500 या इससे अधिक के औसत वाउचरों वाली शाखाओं को पूर्णरुपेण कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है।

(2) बैंकों को कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए शाखाओं के बीच सम्पर्क स्थापित करना चाहिए।

(3) आवश्यकता एवं कार्य-भार के आधार पर बैंकों के लिए क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों को उपयुक्त कंप्यूटर प्रणली की सहायता से कंप्यूटरीकृत किया जाना चाहिए।

(4) प्रधान कार्यालयों में मेनफ्रेम प्रणालियां लगाई जानी चाहिए।

(5) कई अन्तर-बैंक और अन्तर-बैंक कार्यों के लिए बैंकनेट का प्रयोग किया जा सकता है।

(6) बैंकों द्वारा एटीएम सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(ख) और (ग) आरंभ में, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने बम्बई में एटीएम नेटवर्क स्थापित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की है। नेटवर्क के मार्च, 1996 तक आरंभ हो जाने की संभावना है।

केरल में पर्यटन हेतु आवंटित राशि का जारी किया जाना

790. श्री वी०एस० विजयराघवन : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के दौरान केरल में 9 पर्यटन परियोजनाओं के लिए मंजूर किये गये 287.06 लाख रुपये में से वास्तविक रूप से केवल 113.75 लाख रुपये जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो शेष राशि जारी नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या शेष राशि को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किये जायेंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ङ) पर्यटन विभाग भारत सरकार ने राज्य में पर्यटन का विकास करने के लिए 307.05 लाख रुपए की राशि ग्यारहा परियोजनाएं/स्कीमें स्वीकृत की हैं तथा वर्ष 1994-95 के दौरान केरल राज्य के लिए 127.25 लाख रुपए की राशि रिलीज कर दी है। राज्य सरकारों को उन्हें परियोजना कार्य शुरू करने के लिए समर्थ बनाने हेतु उस संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान धन की उपलब्धता की शर्त के अधीन स्वीकृत राशि का लगभग 50 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में रिलीज किया जाता है। और शेष राशि राज्य सरकार द्वारा पहले रिलीज की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर देने पर रिलीज की जाती है।

गैर-योजना व्यय

791. श्री राज नारायण : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक मंत्रालयों और इनसे संवद्ध विभगों में गत तीन वर्षों के दौरान गैर-योजना व्यय में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा मित्तव्ययता बरतने हेतु गत दो वर्षों के दौरान जारी निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कई मंत्रालयों में इन निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे निर्देशों को सख्ती से लागू करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालयों एवं विभागों के सामान्य प्रशासनिक खर्चों में नियंत्रित संवृद्धि कायम रही; वृद्धि सामान्यतया मामूली संवृद्धि (वेतन वृद्धि आदि) मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त प्रदान करके, अंतरिम राहत, नये पदों के सृजन के फलस्वरूप हुई वृद्धि जहां कहीं अपरिहार्य हो तक सीमित है।

(ग) से (ङ) आयोजना-भिन्न व्यय को नियंत्रित रखना एक अनवरत प्रक्रिया है और इस संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं। इन निर्देशों में पदों में कमी, दौरे के समय होटल के कमरों में ठहरने पर रोक, पेट्रोल की खपत में कमी, समयोपरि भत्ते, सजावटी, मनोरंजन तथा रोशनी एवं विद्युत पर प्रतिबंध, वाहनों की खरीद पर रोक आदि शामिल हैं। अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए बचतों के पुनर्विनियोजन पर भी प्रतिबंध लगा दिये गये हैं। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबद्ध वित्तीय सलाहकारों द्वारा मितव्ययिता निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

बोनस संदाय अधिनियम, 1965

792. डा० कार्तिकेश्वर पात्र :
श्री ए० चार्ल्स :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संशोधनों की पूर्वप्रभावी तिथि से लागू किया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे कितने कर्मचारियों को लाभ होगा ?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (ङ) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 2 (13) और धारा 12 में संशोधन द्वारा बोनस के भुगतान हेतु पात्रता सीमा 2500 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये प्रतिमाह और गणना सीमा 1600 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह करने के लिए 9.7.95 को एक अध्यादेश जारी किया गया था। यह अध्यादेश 1.4.1993 से प्रभावी होगा। अनुमान है कि यथा संशोधित बोनस संदाय अधिनियम की सीमा में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के 9 लाख कर्मचारी और निजी क्षेत्र के 24 लाख कर्मचारी और इस दायरे में आ जाएंगे।

भारत में आस्ट्रेलियाई निवेश

793. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आस्ट्रेलिया की सरकार से भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ चयन किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में आस्ट्रेलियाई निवेश के लिए कोई समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) तथा (ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

वाणिज्यिक बैंकों में संचालनात्मक लचीलापन

794. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में वाणिज्यिक बैंकों और निवेश संस्थाओं को और अधिक संचालनात्मक लचीलापन देने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की विश्व बैंक द्वारा इस संबंध में दिए गए सुझावों पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बैंक अधिकारियों से पूछताछ

795. श्री राम कृपाल यादव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रतिभूति घोटाले के संबंध में कुल कितने बैंक अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है;

(ख) क्या उनके विरुद्ध कोई आरोप-पत्र दाखिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि प्रतिभूति लेन-देनों में अनियमितताओं के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 107 बैंक अधिकारियों की जांच की जा रही हे। विभिन्न अदालतों में 47 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। अभी तक किसी भी मामले का निर्णय नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा धनराशि

796. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में जमा की गई धनराशि का दो-तिहाई भाग शेयर बाजार में लगा हुआ है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकारी मूल्यांकन के अनुसार अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में शेयर बाजार में कितनी धनराशि लगाई गई है और इसका अनुपात कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) अनिवासी भारतीयों द्वारा 31.3.1994 तक विभिन्न बैंक जमा योजनाओं के अन्तर्गत कुल विदेशी मुद्रा जमा 15.78 विलियन अमरीकी डालर थी। पोर्टफोलियो योजना के अन्तर्गत सेकेंडरी बाजार में अनिवासी भारतीय निवेश कुल बकाया जमा का केवल एक छोटा भाग दर्शाता है।

ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र को ऋण देना

797. श्री प्रभूदयाल कठेरिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाडं) ने ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र को ऋण बढ़ाने हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नीति कब तक प्रभावी हो जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबाडं) ने ग्रामीण क्षेत्रों में लघु अतिलघु, कुटी, ग्रांमीण और विकेन्द्रीकृत उद्योगों को शामिल करके ग्रामीण कृषीतर क्षेत्र (आर०एन०एफ०एस०) को दिए जाने वाले ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए नीति तैयार की है। अपनाए गए वृहत उपायों का संबंध इनसे है : आर०एन०एफ०एस० के लिए संभावनाओं का पता लगाना और रूपरेखा तैयार करना तथा ऋण के लिए प्रभावी मांग का अनुमान लगाना, आर०एन०एफ०एस० को ऋण देने में बैंकों के सामने आने वाली रुकावटों का अध्ययन करने और इन रुकावटों को दूर करने के लिए उनका मार्गदर्शन करना, नये और नवोन्मेषी ऋण लिखतों तथा वितरण प्रणाली की आवश्यकता का मूल्यांकन करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन का समर्थन करना तथा प्रयोगात्मक/संवर्धनात्मक उपायों के माध्यम से अति लघु और ग्रामीण उद्योगों को विपणन समर्थन प्रदान करना तथा निविष्टि आपूर्ति करना और इस क्षेत्र के साथ आर०एन०एफ०एस० के समर्थनकारी संबंधों के लिए प्रतिबद्ध विकासात्मक और संवर्धनकारी एजेंसियों के साथ नेटवर्क स्थापित करना।

नाबार्ड बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से इस क्षेत्र को ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए पुनर्वित्त प्रदान करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्माण, संसाधन और सेवा संबंधी गतिविधियों के व्यापक क्षेत्र का वित्तपोषण करने के लिए बैंकों को ऐसी पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध है।

नाबार्ड ने चुने हुए पांच जिलों में जिला ग्रामीण उद्योग परियोजना (डी०आर०आई०सी०) भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य ऋण हस्तक्षेप के माध्यम से आर०एन०एफ०एस० के अंतर्गत उत्पादन और निरंतर आय अर्जित करने वाले अवसरों मे वृद्धि करने के अनुकूल वातावरण और आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना है।

यह आशा की जाती है कि किए गए उपायों से आर०एन०एफ०एस० को दिए जाने वाले ऋण के प्रवाह में वृद्धि होगी।

[हिन्दी]

जर्मनी द्वारा वित्तीय सहायता

798. श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री सत्य देव सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन सरकार ग्रामीण, लघु तथा आधारभूत क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं के लिए 1995 के दौरान भारत को वित्तीय सहायता देने पर सहमत हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। जर्मन सरकार और भारत सरकार के बीच 19.6.95 को हस्ताक्षरित एक करार के अंतर्गत जर्मन सरकार भारत सरकार को वर्ष 1995 के लिए 366.6 मिलियन ड्यूश मार्क की वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हुई है इस राशि में से 241.6 मिलियन ड्यूश मार्क अंतराष्ट्रीय विकास अभिकरण की शर्तों पर उदार शर्तों वाले ऋण के रूप में और शेष 125 मिलियन ड्यूश मार्क अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे। उपर्युक्त राशि निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए प्रदान की जाएगी :

परियोजना का नाम	राशि (ड्यूश मार्क मिलियन में)	ऋण/अनुदान
1	2	3
(i) ग्रामीण जलापूर्ति पश्चिम बंगाला	20	अनुदान
(ii) हुडको-VI	50	30 अनुदान 20 ऋण
(iii) जिला स्तर पर बुनियादी स्वास्थ्य कार्यक्रम	60	अनुदान
(iv) जोखिमी अपशिष्ट व्ययन कर्नाटक	15	ऋण

1	2	3
(v) आवासी स्कूल राजस्थान	15	अनुदान
(vi) एस०आई०डी०बी०आई० को ऋण श्रृंखला	30	ऋण
(vii) गैर-फार्म ऋण और लघु सिंचाई कार्यक्रम	85	ऋण
(viii) उर्वरकों का आयात	45	ऋण
(ix) जलापूर्ति महाराष्ट्र	46.6	ऋण
	366.6	

[अनुवाद]

राज्य व्यापार निगम में फेर-बदल

799. श्री तारा सिंह : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम में बड़े पैमाने पर फेर-बदल किए जाने की योजना बनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम में की जा रही फेरबदल के कारण इसके माध्यम से किए जाने वाले निर्यात/आयात पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) ऐसी अनेक मदों, जिनका आयात और निर्यात अब तक एस०टी०सी० के जरिए होता था; के गैर-तरणीकृत हो जाने के बाद सरकार उदारीकृत अर्थव्यवस्था तथा प्रतिस्पर्धा वातावरण के अनुरूप एस०टी०सी० का अनुकूलन करने की आवश्यकता पर विचार करती रही है। अपने व्यापार क्रियाकलापों, विशेषकर गैर-तरणीकृत क्षेत्र में, का विस्तार करने के एक भाग के रूप में एस०टी०सी० एक वृहत विविधिकरण की प्रक्रिया में है, जिसका उद्देश्य निम्नांकित रणनीतियों को अपनाकर अगले पांच वर्षों के अन्दर 5,000 करोड़ रु० का वार्षिक कारोबार प्राप्त करने का है :—

— सीधी खरीद और बिक्री पर और ज्यादा जोर;

— विदेश में स्थित विपणन तंत्र को सुदृढ़ करना

— सी०आई०एस० देशों के साथ और व्यापार में वृद्धि करना

— संयुक्त उद्यमों में प्रवेश;

— ओ जी एल आयात शुरू करना

— घरेलू व्यापार का विस्तार करना।

निजी एयरलाइनों का सुरक्षा स्तर

800. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी एयरलाइनों के सुरक्षा स्तर में सुधार हेतु मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो महीनों के दौरान नागर विमानन महानिदेशालय के सुरक्षा लेखापरीक्षा दल द्वारा कितनी बार जांच की गई तथा जहां-जहां भी कमियां पाई गईं उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) निजी एयरलाइनों पर भी वही मार्गदर्शी सिद्धांत/नियम लागू होते हैं जो राष्ट्रीय विमान कम्पनियों पर लागू होते हैं। निजी एयरलाइनों सहित सभी प्रचालकों द्वारा सुरक्षा स्तर को बनाये रखने के लिए नागर विमानन महानिदेशक द्वारा लगातार कदम उठाये जाते हैं। उठाये जाने वाले महत्वपूर्ण कदमों में, एयरलाइनों की सुरक्षा जांच, नागर विमानन महानिदेशक द्वारा नियुक्त उड़ान अनुदेशकों द्वारा विमानचालकों की कार्यदक्षता और मानकीकरण जांचें, उड़ान रिकार्डरों का यदाकदा निरीक्षण करना यह सुनिश्चित करने के लिए बार-बार निगरानी जांचें कि अनुरक्षण कार्य निर्धारित कार्यविधि के अनुसार किया जाता है, प्रचालकों की अनुरक्षण सुविधाओं की जांचें, प्रचालकों इत्यादि में सुरक्षा जागरूकता जागृत करने के लिए सुरक्षा संगोष्ठियों का आयोजन शामिल है।

(ग) पिछले दो महीनों (जून और जूलाई, 1995) के दौरान, नागर विमानन महानिदेशालय के सुरक्षा जांच (ऑडिट) दल ने मैसर्स ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स की सुरक्षा की जांच (ऑडिट) की। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे कदम उठाये जायेंगे।

रूस के सहयोग से होटलों की स्थापना

801. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रूस के सहयोग से देश में कुछ होटल स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इनके लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) इस संबंध में किए गए भारत-रूस संयुक्त उद्यम समझौते का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिनांक 30 जून, 1994 को पर्यटन सहयोग के क्षेत्र में दो देशों के बीच जिस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए गए थे उसमें भारतीय और रूसी एसोसिएशनों, संगठनों, उद्यामों और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के विकास में भाग लेने तथा संयुक्त उद्यमीकरण का पालन करने वाली कम्पनियों के बीच पर्यटक सेवाएं तथा पर्यटन के क्षेत्र में पूंजी निवेश मुहैया कराने तथा होटल एवं अन्य प्रकार के पर्यटक आवासों के प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए सहयोग करने पर विचार किया गया है।

हरियाणा में पर्यटक कांपलेक्सों के बनाए जाने का प्रस्ताव

802. श्री जंगबीर सिंह : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हरियाणा सरकार से वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान हरियाणा में भिवानी के पास हांसी

और लोहानी में तथा अन्य स्थानों पर पर्यटक कांपलेक्स बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) इनकी स्थापना में कितना समय लगेगा; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (घ) हरियाणा राज्य सरकार से भिवानी के समीप लोहानी में पर्यटक परिसर के निर्माण के लिए कोईं प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। किन्तु हांसी में एक पर्यटक परिसर का निर्माण करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और 24.78 लाख रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई थी तथा वर्ष 1994-95 के दौरान इस परियोजना पर कार्य शुरू करने के लिए 10.00 लाख रुपए की राशि रिलीज कर दी गई है।

वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान अन्य स्थानों पर स्वीकृत की गई परियोजनाओं/स्कीमों के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वर्ष 1995-96 के लिए हरियाणा राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अठारह महीने की अवधि के भीतर परियोजनाएं पूरी करनी होती हैं।

विवरण

वर्ष 1992-93 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं/स्कीमें

क्र०सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (रु० लाखों में)
	हरियाणा	
1.	वार मैमोरियल काला-अंब, पानीपत में सस्ते आवास का निर्माण	6.17
2.	स्काईलार्क पर्यटक परिसर, पानीपत में फास्ट फूड सेंटर	3.60
3.	पानीपत में चार कमरे तथा हाल का निर्माण	21.64
4.	सुर्खाब, सिरसा में पर्यटक परिसर का निर्माण	23.87
5.	सूरजकुण्ड में पर्यटक स्वागत केन्द्र	23.69
6.	पिंजौर के लिए पैरा सेलिंग तथा पैरा. ग्लाइडिंग उपकरण	7.00
7.	सूरजकुण्ड क्राफ्ट मेला	15.00
8.	कुरूक्षेत्र उत्सव	4.00
9.	हरियाणा पर्यटन् पर फिल्म	1.00
	जोड़	105.97

वर्ष 1993-94 के दौरान परियोजनाएं/स्कीमें

क्रम सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (रु० लाखों में)
	हरियाणा	
1.	मल्लाह में पर्यटक परिसर	25.97
2.	तोहाना में पर्यटक परिसर	24.78
3.	हपनी कुण्ड में पर्यटक परिसर	26.46
4.	मंसा देवी में यात्रिका	23.73
5.	पेहवा में यात्रिका	23.73
6.	जींद में पर्यटक परिसर	24.80
7.	पिंजौर में सस्ते आवास	11.28
8.	डबवाली में पर्यटक परिसर	26.46
9.	दम दमा झील हेतु होवर क्राफ्ट	12.44
10.	प्रचार सहायता	5.00
11.	कुरूक्षेत्र उत्सव	3.58
12.	सूरजकुण्ड शिल्प मेला	14.98
	जोड़	223.21

वर्ष 1994-95 के लिए स्वीकृत परियोजनाएं/स्कीमें

क्रम सं०	परियोजना/स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि (रु० लाखों में)
	हरियाणा	
1.	मोरनी (जिला अम्बाला) में पर्यटक परिसर	22.45
2.	पिपली में फास्ट फूड सेंटर	14.20
3.	राय में पर्यटक स्वागत केन्द्र	28.75
4.	तिलियार में फास्ट फूड सेंटर	17.81
5.	हांसी में पर्यटक परिसर	24.78
6.	टिक्कर टांल में पर्यटक परिसर	24.78
7.	हिसार में पर्यटक स्वागत केन्द्र	22.52
8.	ओटू में पर्यटक लाज	18.69
9.	सूरजकुण्ड शिल्प मेला 1994	14.98
	जोड़	188.96

केरल में तीर्थस्थल केन्द्रों का विकास

803. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केरल में विकास के लिए तीर्थस्थल केन्द्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या विकास कार्यों के लिए कोई वित्तीय आवंटन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (घ) केरल राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विकास के लिए किसी तीर्थ केन्द्र की शिनाख्त नहीं की है। पर्यटन विभाग, भारत सरकार पहले ही नियुक्त तीर्थ पर्यटन समिति ने गुरूव्यूर की विकास के लिए शिनाख्त की थी और पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान गुरूव्यूर में पर्यटक लाज के निर्माण के लिए 49.50 लाख रु० की राशी स्वीकृत की थी। भारत सरकार, पर्यटन विभाग ने अन्य तीर्थ केन्द्रों अर्थात् कलादी, वरकला और मलयात्तूर में पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए परियोजनाएं/स्कीमें स्वीकृत की हैं जिनके ब्यौरे निम्नानुसार दिए गए हैं :—

क्र० सं०	परियोजना/स्कीम का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत की गई राशि (रु० लाखों में)
1.	मालयात्तूर में यात्री निवास	1994-95	34.26
2.	कालादी में पर्यटक परिसर	1992-93	63.08
3.	वरक्ला में रिजार्ट	1988-89	95.00

राष्ट्रीयकृत बैंकों का वित्त पोषण

804. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के वित्त पोषण का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस ऋण की शर्तें क्या हैं तथा किन-किन बैंकों का वित्त पोषण किया जाएगा; और

(घ) यह सहायता बैंकों को संकट की स्थिति से उबारने में कहां तक सहायक होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) विश्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए 700 मिलियन डालर के ऋण की मंजूरी दी है।

(ख) और (ग) ऋण में तीन घटक शामिल हैं : (i) छः राष्टीयकृत बैंकों को द्वितीय चरण में पूंजी अंशदान करने के लिए सरकार की सहायता करने हेतु 350 मिलियन डालर का पूंजी पुनर्गठन घटक ताकि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए पूंजी पर्याप्तता मानदंड प्राप्त कर सकें। मार्च, 1995 में इलाहाबाद बैंक, बैंक आफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और सिंडिकेट बैंक को 924.58 करोड़ रुपए दिए गए हैं। (ii) 150 मिलियन डालर के आधुनिकीकरण और संस्थागत विकास घटक का उद्देश्य इन छः बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत बनाना और दीर्घ-वधिक प्रतिस्पर्धा स्थापित करता है तथा इसमें स्वचालन, कंप्यूटरीकरण आदि जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। (iii) 200 मिलियन डालर की पश्चरोक (बेकस्टाप) सुविधा घटक का उद्देश्य राष्ट्रीयकृत बैंकों और अखिल भारतीय सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं को नकदी आश्वासन प्रदान करना है ताकि विदेशी मुद्रा सावधि ऋणदात्री बाजार का सुव्यवस्थित विकास करने में सहायता दी जा सके।

(घ) निश्चित ही, यह ऋण सरकारी क्षेत्र के कतिपय बैंकों का पुनर्गठन करने सहित वित्तीय क्षेत्र के सुधारों को कार्यान्वित करने में सरकार के प्रयासों की सहायता करता है।

[हिन्दी]

अंकलेश्वर में विमानपत्तन की स्थापना

805. श्री काशीराम राणा : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने अंकलेश्वर में विमानपत्तन की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव भेजा था; ओर

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस में हड़ताल

806. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंडियन एयरलाइंस में होने वाली हड़तालों तथा अन्य व्यवधानों का स्थाई हल निकालने के लिये नियोजक-कर्मचारी संबंध की समीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइंस में श्रमिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) शिकायतों का निवारण करने और स्वस्थ औद्योगिक संबंध बनाये रखने के लिए कर्मचारी संघों के साथ परामर्श करने के लिए पहले ही एक तन्त्र मौजूद है।

दिल्ली-अहमदाबाद-बड़ौदा के बीच विमान उड़ानें

807. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारी यातायात के बावजूद दिल्ली-अहमदाबाद-बडौदा के बीच सीमित विमान उड़ानों का संचालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली और गुजरात के बीच और अधिक उड़ानें शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस इस समय दिल्ली-अहमदाबाद सैक्टर पर प्रति सप्ताह 17 सेवाएं प्रचालित कर रही है, जिनमें से 7 सेवाएं बड़ौदा को विमान सेवा से जोड़ती हैं। इस सैक्टर पर निजी अनुसूचित प्रचालकों द्वारा भी दिल्ली-अहमदाबाद सैक्टर पर प्रति सप्ताह 20 सेवाएं और अहमदाबाद-बडौदरा सैक्टर पर प्रति सप्ताह 7 सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रचालन कर्मीदल की तंगी के कारण, इंडियन एयरलाइंस इस समय गुजरात राज्य स्थित स्टेशनों के लिए अपनी सेवाओं में वृद्धि करने की स्थिति में नहीं है।

बड़ौदा/राजकोट में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

808. श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर भीड़भाड़ को कम करने के लिये बड़ौदा अथवा राजकोट में कोई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अहमदाबाद हवाई अड्डे पर जमघट की कोई जानकारी नहीं मिली है। इसके अतिरिक्त, किसी भी एयरलाइन प्रचालक ने बड़ौदा अथवा राजकोट हवाई अड्डे को/से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आरंभ करने की योजनाएं नहीं बनाई हैं।

[हिन्दी]

सिंगापुर के उद्योगपतियों द्वारा उद्योगों की स्थापना

809. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में परियजोनाओं की स्थापना के लिए सिंगापुर के उद्योगपतियों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सिंगापुर सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत और सिंगापुर के बीच सहयोग के लिए अनेक क्षेत्रों की पहचान की गई है। सहयोग पर्यटन, पावर, पत्तन नौ-परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में होगा। इन क्षेत्रों के अन्तर्गत पृथक परियोजनाएं अनुमोदन के विभिन्न चरणों पर हैं।

[अनुवाद]

पत्रकारों की मांगें

810. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी पत्रकारों ने सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष रखने, मनमाने ढंग से स्थानान्तरण करने और प्रोन्नति के मामले में अधिलंगन से सुरक्षा पाने और ठेके पर रोजगार देने पर प्रतिबंध लगाने के लिए श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में व्यापक संशोधन करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (ग) सरकार को ठेका नियोजन, आदि पर रोक लगाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। इस समय इस संबंध में श्रम जीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वस्त्रों की खरीद

811. श्री मोहन रावले : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अपने विभागों मंत्रालयों को यह निर्देश जारी किए हैं कि वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एन०टी०सी० बी०आई०सी० से वस्त्र खरीदें; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने इन निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित कर हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) सरकार ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे 31 मार्च, 1995 तक की अवधि के लिए एकल निविदा के आधार पर क्रय नीति के अनुसार एन०टी०सी०। बी०आई०सी० से खरीदारी करें। इस नीति के अनुसार एन०टी०सी०। बी०आई०सी० की आपूर्ति कीमत का निर्धारण लागत जमा आधार पर किया जाता है। इस नीति को और आगे बढ़ाने का मामला विचाराधीन है।

(ख) जब कभी भी किसी विभाग ने इस क्रय नीति का उल्लंघन किया है तो ऐसे मामले को उपचारी उपायों तथा अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए संबंधित विभाग से उठाया गया है।

चालू खाता घाटा

812. श्री हरिन पाठक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सकल घरेलू उत्पाद की मात्रा और प्रतिशत के सन्दर्भ में चालू खाता घाटा संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय बजट के गैर-कर राजस्व के संदर्भ में कर राजस्व की मात्रा और प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या सरकार ने चालू बजट में निर्दिष्ट ऋण प्रतिशत और मात्रा का लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.6 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हुए वर्ष 1994-95 के दौरान भुगतान संतुलन का चालू खाते में घाटे का लगभग 1.7 बिलियन अमरीकी डॉलर का अनुमान है।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान इस राजस्व (केन्द्र के लिए निवल) का लगभग 64988 करोड़ रुपए की अनुमान है और उसका वर्ष 1995-96 में 74374 करोड़ रुपए का बजट है। गैर-कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में, कर राजस्व वर्ष 1994-95 में 273.3 प्रतिशत और वर्ष 1995-96 में 281.6 प्रतिशत हो गया।

(ग) और (घ) चालू वित्तीय वर्ष के दोरान 28 जुलाई, 1995 तक केन्द्र सरकार द्वारा ली गयी सकल उधार राशियां वर्ष 1995-96 के लिए 40805.70 करोड़ रुपए की लक्षित राशि का 10869.43 करोड़ रुपए अथवा 26.64 प्रतिशत थीं।

निर्यात का प्रदर्शन

813. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के प्रथम तीन माह की तुलना में 1995-96 की उसी अवधि के दौरान निर्यात में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ख) क्या कुछ वस्तुओं के निर्यात में भारी वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्यात के लिए चुनी गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1995-96 की प्रथम तिमाही के दौरान वर्ष 1994-95 की सम सामयिक अवधि की तुलना में निर्यात में अमरीकी डालर के रूप में 27.68% की (रुपए के रूप में 27.85%) वृद्धि दर्ज की गई।

(ख) तथा (ग) अप्रैल-मई, 1995 के लिए उपलब्ध अद्यतन अलग-अलग आंकडों के मुताबिक जिन प्रमुख उत्पादों/समूहों में पर्याप्त वृद्धि (अमरीकी डालर के रूप में 30% और उससे अधिक) (दर्ज की गई है, उनमें हैं — चाय (38.2%), कृषि और संबद्ध उत्पाद (35.5%) वयस्क और खनिज (30.6%), रसायन संबंधी उत्पाद (30%), इंजीनियरी सामान (30.2%), इलैक्ट्रॉनिक सामान (87.8%) और वस्त्र (40%)।

ग्रामीण औद्योगिकीकरण के लिए "पालिसी पैकेज"

814. श्री राम सिंह कस्वां : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नाबार्ड" ने ग्रामीण औद्योगिकीकरण के संबंध में "पालिसी पैकेज" पर कोई पत्र तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने ग्रामीण कृषित्तर क्षेत्र (आर०एन०एफ०एस०) पर अत्यधिक ध्यान देने वाली नीति बताने के उद्देश्य से एक पत्र तैयार किया है, जिसमें उस क्षेत्रों पर अधिक बल दिया गया है तथा ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने से संबंधित विभिन्न एजेंसियों के बीच समुचित समन्वय की आवश्यकता का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इस पत्र का मूल्य उद्देश्य संबंधित एजेंसियों से विचार/उनसे प्राप्त प्रति सूचना के आधार पर ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र पर विभिन्न एजेंसियों के बीच विचार-विमर्श करवाना है। नाबार्ड इसमें शामिल मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए आंचलिक/क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन करेगा।

आयात-निर्यात के लिए कोर ग्रुप

815. डा० पी० बल्लल पेरूमान : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात-निर्यात नीतियां तथा तत्संबंधी प्रक्रियाएं बनाने और उनके कार्यान्वियन के लिए किसी कोर ग्रुप के गठन का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी संरचना तथा निदेश सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ग्रुप का गठन कब तक कर लिया जाएगा।

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) जी, हां। आदेश सं० 1 (पी०आर०यू०)/92-97/95 के द्वारा 3.7.95 को एक अभ्यन्तर समूह का गठन किया गया है। अभ्यन्तर समूह के गठन तथा संदर्भ के शर्तों के आदेश की प्रति संबंधी विवरण संलग्न है।

विवरण

सं० 1 (पी०आर०यू०)/92-97/95
भारत सरकार
वाणज्यि मंत्रालय
विदेश व्यापार महानिदेशालय
नीति अनुसंधान एकक

नई दिल्ली, दिनांक : 3 जुलाई, 1995

आदेश

विषय : अभ्यन्तर समूह की स्थापना

व्यापार और उद्योग संघों के साथ कार्यात्मक स्तर पर अंतः क्रिया के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से एक अभ्यन्तर समूह की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।

2. इस अभ्यन्तर समूह के अन्तर्गत निम्नांकित होंगे :—

(i) सदस्य (सीमाशुल्क)	—	सदस्य
(i) डी०जी०एफ०टी०	—	सदस्य
(iii) महासचिव, सी०आई०आई०	—	सदस्य
(iv) महासचिव, फिक्की	—	सदस्य

(v) महासचिव, एसोचेम — सदस्य

(vi) अध्यक्ष, पिओ — सदस्य

(vii) जे०डी०जी०एफ०टी० (नीति) — सदस्य

3. यह अभ्यन्तर समूह निर्यात को सुपर बनाने तथा उसके संबर्धन हेतु प्रचालन संबंधी उन समस्याओं का पता लगाने के लिए, जिसका समाधान किया जाना है, व्यापार एवं उद्योग संघों के साथ क्रियात्मक स्तर पर अंतः क्रिया करेगा। इन प्रचालन संबंधी समस्याओं के आधार पर यह समूह ऐसी नीति/क्रियाविधि संबंधी समस्याओं की पहचान कर सकेगा जो कि आवश्यक मानी जाए। नीति/क्रिया-विधि अवस्थापना संबंधी बाधाओं से संबंधित नेमी समस्याओं का समाधान करने तथा वर्तमान स्थिति में सुधार करने के लिए सुझाव देने हेतु इस अभ्यन्तर समूह की महीने में एक बार बैठक होगी।

4. यह अभ्यन्तर समूह उन अतिरिक्त सदस्यों को शामिल कर सकता है, जिन्हें वे आवश्यक समझे।

(एस निधन)
संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

प्रतिलिप

अभ्यन्तर समूह के सदस्यों को

विद्युतकरघा क्षेत्र में उत्पाद शुल्क की चोरी

816. श्री महेश कनोडिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युतकरघा क्षेत्र में भारी कर चोरी का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों को पकड़ने और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) विद्युतकरघों पर बने, ऊन से भिन्न, बुने हुए असंसाधित फैब्रिकों पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगता है।

संसाधित फैब्रिकों के संबंध में, उन्हें चोरी-छिपे हटा कर, उत्पादन को दबा कर, फैब्रिकों की किस्म और उनके मूल्य की गलत घोषणा करके उत्पादक शुल्क का अपवंचन किए जाने का पता चला है। गत तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए ऐसे मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विभाग ने विभिन्न प्रकार की जांच-पड़ताल और निवारण संबंधी गति-विधियों को तेज कर दिया है और शुल्क अपवंचकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने वित्त अधिनियम, 1995 में के०उ०शु० हैरिफ में कुछेक परिवर्तन भी किए हैं और जिनके कारण विवादों की संख्या और शुल्क अपवंचन में कमी होने की संभावना है। इनमें टेक्सटाईल और टैक्सटाईल वस्तुओं से संबंधित अध्यायों को नामावली की सुमेलित प्रणाली के साथ पुनः मिलाना, यार्न के अपशिष्ट और स्क्रैप 10 रु० प्रति किलो की दर से उत्पाद शुल्क लगाना, मुख्य रूप से सिन्थैटिक अपशिष्ट से बने यार्न और स्टेपल फाईबर से बने यार्न पर शुल्क की यही दर लगाना शामिल है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान टेक्सटाइलों पर शुल्क अपवंचन संबंधी मामलों की संख्या और उनमें अंतर्ग्रस्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की राशि

वर्ष	मामलों की सं०	अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रुपयों में)
1992-93	446	2123.75
1993-94	469	1339.08
1994-95	638	1804.86

[हिन्दी]

सूती धागा मिलें

817. श्री फूल चंद वर्मा : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सहकारी सूती धागा मिलें कितनी हैं;

(ख) क्या ये मिलें हथरकघा एवं विद्युतकरघा उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) क्या सहकारी क्षेत्र में नई सूती धागा मिलों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसी कितनी मिलों की स्थापना की जाएगी तथा ये कहां-कहां स्थापित की जाएंगी ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) मध्य प्रदेश में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत को सूती। मानव निर्मित फाईबर वस्त्र कताई मिलें हैं।

(ख) हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्रों की यार्न की मांगों की पूर्ति, समस्त देश की सभी कताई मिलों, चाहे वे निजी, सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र की हों, के उत्पादन से की जाती हैं।

(ग) सरकार स्वतः सहकारी क्षेत्र में कोई नई सूती यार्न मिल स्थापित नहीं करती । तथापि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन०सी०डी०सी०) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार उन्हें राज्य सरकार की सिफारिश पर मध्यप्रदेश में नई सहकारी कताई मिल की स्थापना करने का कोई उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइंस के पायलटों द्वारा आंदोलन

818. श्री रामपाल सिंह : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के पायलटों द्वारा विमान परिचारिकाओं के वरिष्ठता के मुद्दे पर आंदोलन शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी उड़ानों को रद्द किया जा रहा है तथा इससे कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या इस संबंध में प्रबंधन तथा आंदोलनकारियों के बीच कोई वर्ता हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या समझौता हुआ है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ ने 5 जून, 1995 को अपने सभी सदस्यों को निर्देश जारी किए कि वे किसी भी ऐसे केबिन कर्मीदल के साथ उड़ान पर न जाएं जिनका ग्रेड कुछ विमान चालकों के ग्रेड से ऊंचा हो क्योंकि इससे विमान में कमान की श्रृंखला में हस्तक्षेप हो सकता है।

केबिन कर्मीदल अगल केडर से संबंधित होते हैं और प्रचालन मैनुअल के अनुसार, केबिन कर्मीदल कमाण्डर के कार्यात्मक नियंत्रण में रहता है और कमाण्डर की अनुपस्थिति में यह विमानचालक की। किसी कर्मचारी द्वारा अर्जित वेतन विमान के प्रचालनात्मक नियंत्रण का निर्णायक कारक नहीं है।

(ख) 8 जून, 1995 से 26 जून, 1995 तक विमानचालकों की हड़ताल के दौरान 48 उड़ानें रद्द की गई। इसके कारण लगभग 42 लाख रुपए का घाटा हुआ।

(ग) और (घ) जी, हां। इंडियन एयरलाइंस के प्रबंधक वर्ग तथा मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई चर्चा के अनुसरण में, भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ ने विमान चालकों को जारी किए गए निर्देश रद्द करने पर सहमति प्रकट की है।

[अनुवाद]

बैंक कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

819. श्री अन्ना जोशी :
श्री पी०सी० थामस :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नवम्बर, 1986 से राष्ट्रीयकृत बैंकों के सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना शुरू करने पर सैद्धांतिक रूप से तैयार हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय बैंक संघ (आई०बी०ए०) ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना शुरू करने के लिए दिनांक 29.10.1993 को कर्मचारी यूनियनों/संघों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। इस समझौते में उन बैंक कर्मचारियों को पेंशन ओर अंशदायी भविष्य निधि में से एक का विकल्प दिया गया है, जो दिनांक 1.11.1993 की स्थिति के अनुसार सेवा में थे। दिनांक 1.11.1993 को या उसके पश्चात सेवा में आने वाले कर्मचारीगण सिर्फ पेंशन के लिए पात्र होंगे। पेंशन का लाभ उन भूतपूर्व कर्मचारियों को भी दिया गया है जो दिनांक 1.1.1986 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं, बशर्ते कि वे भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान और उस पर मिले ब्याज तथा निकासी की तारीख से लेकर वापसी की तारीख तक उस राशि पर 6 प्रतिशत और ब्याज के साथ वापस लौटा दें। यह पेंशन उन्हें दिनांक 1.11.1993 से देय होगी। अपेक्षित सांविधिक स्वीकृति प्राप्त होने के तत्काल बाद यह योजना लागू हो जायेगी।

सूती धागे का निर्यात

820. श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सूती मिल संघों ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि उन्हें गैर-कोटा के देशों को 50 मिलियन किलोग्राम धागे का अतिरिक्त निर्यात करने की अनुमति प्रदान की जाए ताकि कपड़ा मिलों को वर्तमान संकट से निपटने में मदद मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) सूती यार्न के निर्यात की अधिकतम सीमा विकेन्द्रीकृत हथकरघा क्षेत्र के लिए यार्न की आवश्यकताओं, अपरिष्कृत कपास के संबंध में उत्पादन तथा घरेलू मांग, सूती यार्न के उत्पादन तथा कीमतें जैसे सभी संबंधित कारकों के सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात् घोषणा की जाती है। सरकार वर्ष 1995 के लिए घोषित सीमा को बढ़ाने के किसी भी प्रस्ताव पर इस समय विचार नहीं कर रही है।

बगिया रेस्टोरेंट का लाइसेंस तथा पट्टा रद्द करना

821. श्री हरि किशोर सिंह : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक मृत महिला के शरीर को जलाने के बाद, जिसकी मृत्यु संदिग्ध अवस्था में हुई थी, अशोक यात्री निवास के बगिया रेस्टोरेंट का लाइसेंस तथा पट्टा रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम लाइसेंस करार रद्द करने और कब्जे वाले परिसर को फौरन खाली करने संबंधी एक कानूनी नोटिस 14 जुलाई 95 को जारी कर दिया है।

[हिन्दी]

टाटा-सिंगापुर एयरलाइंस

822. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टाटा-सिंगापुर एयरलाइंस के संयुक्त उपक्रम के संबंध में काई अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) भारत में एक अंतर्देशीय एयरलाइन के प्रचालन के लिए टाटा-सिंगापुर एयरलाइंस से प्राप्त प्रस्ताव को सरकार ने अनुमोदित नहीं किया है।

(ग) हवाई परिवहन प्रचालनों की संरक्षा, सुरक्षा और व्यवस्थित संवृद्धि सुनिश्चित करने की दृष्टि से, हवाई अड्डों पर विद्यमान आधार संरचनात्मक सुविधाओं संबंधी कठिनाईयों के कारण, नई एजेंसियों को हवाई परिवहन सेवाएं आरंभ करने की अनुमति देना फिलहाल संभव नहीं समझा गया है।

[अनुवाद]

स्वायत्तशासी जिला परिषदें

823. डॉ० जयंत रंगपी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वयात्तशासी जिला परिषदों को वित्त उपयुक्त के कार्यक्षेत्र में लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या शर्ते तय की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके लिए क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) राष्ट्रपति के दिनांक 15 जून, 1992 के आदेश द्वारा 10वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। आयेाग के विचारार्थ विषयों में स्वायत्त जिला परिषदों का कोई संदर्भ नहीं था। इस आयोग ने दिनांक 26 नवम्बर, 1994 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। वित्त अयोग की सिफारिशें पर की गई कारवाई पर व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित यह रिपोर्ट दिनांक 14 मार्च, 1995 को संसद के पटल पर रखी गई थी। सरकार द्वारा यथा स्वीकृत सिफारिशें वर्ष 1999-2000 तक वैद्य हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में होटल, मोटल और अतिथि गृह

824. डा० साक्षी जी : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार की सहायता से बने होटलों, मोटलों और अतिथि गृहों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इसके लिए कितनी वित्तीय सहायता दी है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य में कितने होटल और अतिथि गृह बनाए गए ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाब नबी आज़ाद) : (क) से (ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग स्वयं कोई निर्माण कार्य नहीं करता है, परन्तु राज्य सरकारों को पर्यटक लॉजों, मार्गस्थ सुख-सुविधाओं, यात्री निवासों, कैफेटेरिया तथा कुछ तम्बुओं में आवास का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश राज्य को इन उद्देश्यों के लिए स्वीकृत की गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है :—

1992-93	37.06 लाख रु०
1993-94	52.04 लाख रु०
1994-95	72.51 लाख रु०

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की आय में कमी

825. श्री एन डेनिस :
श्री दत्ता मेघे :

क्या **नगार विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र के आविर्भाव के कारण इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की आय में तेजी से कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) जी, नहीं। पिछले दो वर्षों के दौरान एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के प्रचालन राजस्व में कोई विशेष गिरावट नहीं आई है। इसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	प्रचालन राजस्व एयर इंडिया	प्रचालन राजस्व इंडियन एयरलाइंस
1992-93	2435.86 करोड़ रुपए	1513.12 करोड़ रुपए
1993-94	2581.76 करोड़ रुपए	1781.89 करोड़ रुपए
1994-95 (अनतिम)	2961.15 करोड़ रुपए	2035.50 करोड़ रुपए

तथापि, गिरती हुई लाभ कारिता से निपटने के लिए एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस अपने उत्पादक, छवि और समय पर कार्य निष्पादन में सुधार करके प्रतियोगिता का सामना करने के लिए कदम उठा रही है।

नए विमानपत्तनों की स्थापना

826. श्री गुरुदास कामत : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आगामी पांच वर्षों के दौरान नए विमानपत्तनों की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) मेघालय में तुरा, मिजोरम में लंगपुई, जम्मू व कश्मीर में कारगिल और लक्षद्वीप में अंदरोथ में केन्द्र सरकार से बजटीय सहायता के साथ नए हवाई अड्डे स्थापित करने का प्रस्ताव है।

मध्य प्रदेश में बैंक शाखाओं को खोला जाना

827. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप पिछले दो वर्षों के दौरान स्थान-वार राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखायें खोली गयीं; और

(ख) इस अवधि के दौरान किन-किन राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोली जा चुकी हैं और इन स्थानों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान नीति के अंतर्गत शाखा खोलने के लिए कोई वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि, मार्च, 1993 और मार्च, 1994 को समाप्त वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश में खोली गई शाखाओं की कुल संख्या क्रमशः 38 और 19 थी। इसकी बैंक-वार अवस्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

1.4.1992 से 31.3.93 तक मध्य प्रदेश राज्य में खोली गई बैंक शाखाएं

क्र०सं०	बैंक का नाम	केन्द्र का नाम
1	2	3
1.	भा० स्टेट बैंक	भोपाल
2.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	भोपाल
3.	आन्ध्रा बैंक	भोपाल
4.	यूनियन बैंक	भोपाल
5.	भा० स्टेट बैंक	विलासपुर
6.	बैंक आफ बड़ौदा	काटगौरा
7.	यूनियन बैंक	कौवरा
8.	भा० स्टेट बैंक	मानिकपुर
9.	बैंक आफ बड़ौदा	छिन्दवाड़ा
10.	केनरा बैंक	भिलाईनगर
11.	ओ० बैंक आफ का	भिलाईनगर
12.	भा० स्टेट बैंक	दुर्ग
13.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	दुर्ग
14.	यूनियन बैंक	दुर्ग
15.	भा० स्टेट बैंक	खण्डवा
16.	बैंक आफ बड़ौदा	गुना
17.	स्टेट बैंक आफ पटि०	ग्वालियर
18.	भा० स्टेट बैंक	इन्दौर
19.	स्टेट बैंक आफ पटि०	इन्दौर
20.	सेंट्रल बैंक	इन्दौर
21.	देना बैंक	इन्दौर
22.	यूनियन बैंक	इन्दौर
23.	देना बैंक	जबलपुर
24.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	कटनी
25.	बैंक आफ बड़ौदा	मन्दसौर
26.	ओरि० बैंक आफ कामर्स	पोरसा
27.	भा० स्टेट बैंक	चिवरकोटा
28.	यूको बैंक	रायपुर
29.	यूनियन बैंक	रायपुर
30.	भा० स्टेट बैंक	उरला
31.	भा० स्टेट बैंक	धनघिया
32.	भा० स्टेट बैंक	सिमरिया खुर्द
33.	बैंक आफ महाराष्ट्र	पैलीमेटा
34.	भा० स्टेट बैंक	सागर
35.	भा० स्टेट बैंक	सागर
36.	बैंक आफ बड़ौदा	सतना
37.	बैंक आफ बड़ौदा	शिवपुरी
38.	यूनियन बैंक	टिकमगढ़

1.4.93 से 31.3.94 तक मध्य प्रदेश राज्य में खोली गई नई बैंक शाखाएं

क्र०सं०	बैंक का नाम	केन्द्र का नाम
1	2	3
1.	भा० स्टेट बैंक	भोपाल
2.	बैंक आफ इंडिया	भोपाल
3.	सेंट्रल बैंक	भोपाल
4.	सेंट्रल बैंक	भोपाल
5.	भा० स्टेट बैंक	प्रतापपुरा
6.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	धमनोद
7.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	इन्दौर
8.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	इंदौर
9.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	इंदौर
10.	केनरा बैंक	इन्दौर
11.	बैंक आफ महाराष्ट्र	जबलपुर
12.	ओरि० बैंक आफ कामर्स	कटनी
13.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	धमतरी
14.	भा० स्टेट बैंक	रायपुर
15.	सेंट्रल बैंक	सागर
16.	पंजाब नेशनल बैंक	मनेन्द्रगढ़
17.	बैंक आफ इंडिया	उज्जैन
18.	केनरा बैंक	विदिशा
19.	सेंट्रल बैंक	विदिशा

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

828. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के कामगारों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब से शुरू की जायेगी ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर आधारित एक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना वर्ष 1991 से जे सी आई में उसके कर्मचारियों के लिए क्रियान्वित की जा रही है। योजना में अन्य बातों के साथ-साथ भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान, जमा अर्जित अवकाश के बराबर नकद राशि, ग्रेच्युटी नियमों के अनुसार नोटिस वेतन का भुगतान करने तथा सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए 1-112 महीनों की परिलब्धियाँ अथवा सेवा निवृत्ति के समय मासिक परिलब्धियां जिसे कि सेवा निवृत्ति की सामान्य तारीख से पहले बची हुई सेवा के शेष महीनों द्वारा गुणा करने पर निकाली गई राशि, इसमें से जो भी कम हो, का भुगतान करने की व्यवस्था है।

[हिन्दी]

बंधुआ मजदूर

829. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंधुआ मजदूर प्रथा की समाप्ति हेतु योजना तैयार की है अथवा तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) इन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (ग) वंधित श्रम प्रणाली, बंधित श्रम प्रणाली (उत्सादन) अध्यादेश, 1975 बाद में बंधित श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 द्वारा प्रतिस्थापित के अन्तर्गत 25.10.1975 से समाप्त है। विधान में वंधित श्रमिकों को दासता से एक पक्षीय रूप से मुक्त कराने के साथ-साथ उनके ऋणों का परिसमापन कर दिया गया और दास्ता की प्रथा को एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया जो कानूनी तौर पर दण्डनीय है।

मुक्त कराये गए बंधित श्रमिकों के पुनर्वासन में राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए श्रम मंत्रालय ने 1978-79 से बंधित श्रमिकों के पुनर्वासन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना शुरू की है। चल रही योजना में 6250 रु० प्रति बंधित श्रमिक के हिसाब से पुनर्वासन सहायता की व्यवस्था है जिसका आधा भाग केन्द्रीय हिस्से रूप में दिया जाता है। राज्य सरकारों को अभिज्ञात वंधित श्रमिकों के प्रभावी पुनर्वासन के प्रयोजन के लिए अन्य गरीबी उपशमन तथा रोजगार सृजन योजनाओं के साथ इस योजना को समुचित रूप से समजित करने की सलाह दी गयी है।

बंधित श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के संगत उपबंधों के अधीन उल्लंघन कर्त्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

वित्तीय संस्थाओं द्वारा धनराशि का वितरण किया जाना

830. डा० आर० मल्लू : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा धनराशि के वितरण के लिए ऋण, इक्विटी, बांड तथा अन्य वित्तीय साधनों का आदर्श अनुपात कितना-कितना है;

(ख) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट हेतु ऐसा कोई आदर्श अनुपात है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस अनुपात के निर्धारित में सरकार की कोई भूमिका है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) ने सूचित किया है कि वित्तीय संस्थाएं परियोजना के आकार, एकक की ऋण शोधन क्षमता, परियोजना में अंतर्ग्रस्त जोखिम और अन्य संगत कारकों पर निर्भर करते हुए ऋण इक्विटी अनुपात के संबंध में लचीला दृष्टिकोण अपनाती हैं। हालांकि ऋण इक्विटी अनुपात 1.5 : 1 से 2 : 1 के बीच रहता है, तथापि, बड़े आकार की परियोजनाओं विशेषकर गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्युत परियोजना को अपेक्षाकृत अधिक ऋण इक्विटी अनुपात की अनुमति दी गई है।

(ख) तथा (ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू०टी०आई०) ने सूचित किया है कि वह सामान्यतः उन्हीं ऋण इक्विटी मानदंडों का अनुपालन करता है, जिनका अन्य विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुपालन किया जाता है।

विश्व व्यापार संगठन के साथ वित्तीय सेवाओं के संबंध में वार्ता

831. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व व्यापार संगठन के मार्गदर्शन में 28 जुलाई 1995 तक वित्तीय सेवाओं के संबंध में पूरी होने वाली वार्ता में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है।

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : जेनेवा में प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ द्विपक्षीय वार्ता के अनेक दौर चले। सरकार ने प्रमुख राजधानियों के संबंधित प्राधिकारियों के साथ भी सम्पर्क स्थापित किया। ये प्रयास इसलिए किए गए ताकि वित्तीय सेवाओं संबंधी भारतीय पेशकश के बदले मूल नागरिकों के आवागमन के बारे में अधिक बाजार पहुंच पैकेज प्राप्त हो सके। हमने विश्वव्यापार संगठन (डब्ल्यू०टी०ओ०) के तहत इस प्रयोजन के लिए गठित वार्ताकारी दल में अपने दृष्टिकोण को बड़े जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया।

खिलौनों के लिए कच्चे माल पर आयात शुल्क

832. श्री के०जी० शिवप्पा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खिलौने बनाने के लिए कच्चेमाल के आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क देना पड़ता है;

(ख) तैयार खिलौनों के आयात के लिए कितने प्रतिशत शुल्क देना पड़ता है;

(ग) क्या इन शुल्कों में कमी करने के संबंध में सरकार से कोई मांग की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) खिलौने के निर्माण में प्रयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की कच्ची सामग्रियों पर सीमाशुल्क की अलग-अलग दरें लागू होती हैं।

(ख) खिलौनों पर मूल्यानुसार सीमाशुल्क की 50 प्रतिशत की अधिकतम दर लागू होती है। चूंकि खिलौनों को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट प्राप्त हैं, अतः खिलौनों पर अतिरिक्त सीमाशुल्क उदग्राह्य नहीं है।

(ग) और (घ) खिलौनों के घरेलू विनिर्माताओं से खिलौनों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली कच्ची सामग्रियों पर सीमाशुल्क में कमी करने के लिए और खिलौनों के आयातकों से खिलौनों पर भी सीमाशुल्क में कमी करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, सरकार इस समय मौजूदा शुल्क दरों में कोई परिवर्तन करने के बारे में विचार नहीं कर रही है।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक

833. श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ने एशियाई विकास बैंक सहित अनेक विदेशी वित्तीय संस्थाओं और बहुराष्ट्रीय एजेंसियों से 50 मिलियन डालर ऋण की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ने उक्त ऋण का उपयोग करने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण बैंक (आई०आर०बी०आई०) ने सूचित किया है कि उसने एशियाई विकास बैंक (ए०डी०बी०) से ऋण प्राप्त किए जाने के बारे में अनुरोध किया था। लेकिन ए०डी०बी० ने अनुरोध पर विचार करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। तथापि आई०आर०बी०आई० विदेशी मुद्रा संसाधन प्राप्त करने के प्रयास कर रहा है ताकि वह भी अपने उधारकर्ताओं को विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान कर सके।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

भारतीय/विदेशी कम्पनियों द्वारा सीमा शुल्क का अपवंचन

834. श्री कुन्जी लाल :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों और संयुक्त उद्यमों की कौन-कौन सी कम्पनियां विदेशी कम्पनियों के साथ मिलकर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के अपवंचन में लिप्त हैं और इनके द्वारा गत चार वर्षों के दौरान किए गए शुल्क अपवंचन का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन कम्पनियों के विरुद्ध 1991 के पूर्व से कर अपवंचन संबंधी जांच चल रही है और ये मामले अभी तक लंबित हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश के राजस्व हित की रक्षा हेतु इस प्रथा को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इनमें से किसी कम्पनी को कर संबंधी कानूनों का सतत उल्लंघन करने के कारण काली सूची में डाला गया है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

हीरे की खानों में हीरा काटने एवं पालिश करने के क्षेत्र में रोजगार

835. श्री एन०जे० राठवा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीरा काटने और उसकी पालिश करने के क्षेत्र में, विशेषतः गुजरात में, बेरोजगार, युवाओं को रोजगार देने की व्यापक संभावना है;

(ख) यदि हां, तो हीरा काटने और उसकी पालिश करने के क्षेत्र में और अधिक रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ग) आठवीं योजना में इस संदर्भ में किस हद तक सफलता प्राप्त हुई है ?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

कपास की खेती

836. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में कपास की प्रति हैक्टेयर पैदावार में वृद्धि लिए जाने के संबंध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) कृषि मंत्रालय में प्राप्त सूचना के अनुसार फसल की सम्भावनाओं तथा अन्य संबद्ध मामलों

की समीक्षा करने के लिए कपास पर एक कार्य बल की स्थापना की गई है।

[हिन्दी]

बैंकों के कम्प्यूटरीकरण का अतिरिक्त कर्मचारियों के भविष्य पर प्रभाव

837. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कम्प्यूटरीकरण किये जाने के बाद उनमें कार्यरत बड़ी संख्या में कर्मचारियों को अतिरिक्त कर्मचारी घोषित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन कर्मचारियों को बैंकों के ग्रामीण तथा उपनगरीय शाखाओं में नियुक्त करने की कोई योजना बना रही है ताकि उन बैंकों के कार्यकरण में सुधार किया जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इन कर्मचारियों को किस प्रकार से नियुक्त किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) बैंकिंग उद्योग में कम्प्यूटरीकरण के संबंध में बैंकों के प्रबंधनों की ओर से भारतीय बैंक संघ द्वारा बैंकों की कर्मकार यूनियनों के साथ 29.10.1993 को हस्ताक्षर किए गए समझौते के अनुसार यह सहमति प्रकट की गई है कि कम्प्यूटरीकरण के कारण जो कर्मचारी अधिशेष हो गए हैं, उन्हें उसी शहर या कस्बे में दूसरी जगह नियोजित किया जाएगा। कारवार में वृद्धि होने, सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, छीजन आदि के आधार पर पुनर्नियोजन के माध्यम से अधिशेष कर्मचारियों को यथा समय समायोजित किया जाएगा।

[अनुवाद]

भारतीय स्टेट बैंक की घाटे में चल रही शाखाएं

838. श्री राम कापसे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय स्टेट बैंक की कितनी शाखाएं प्रतिवर्ष कितनी-कितनी अवधि के दौरान घाटे में चल रही हैं तथा इन शाखाओं को कितना घाटा हुआ है; और

(ख) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय स्टेट बैंक (एस०बी०आई०) द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई हैं :—

	मार्च, 1993	मार्च, 1994	मार्च, 1995
भारतीय स्टेट बैंक की घाटा उठाने वाली शाखाओं की संख्या	2421	3416	2906
घाटे की राशि (रु० करोड़ में)	74.88	122.05	110.87
तीन वर्ष से अधिक समय से घाटे में चलने वाली शाखायें	953	1194	1509
तीन वर्ष से कम समय से घाटे में चल रही शाखायें	1468	2222	1397

(ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि घाटा उठाने वाली शाखाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिये उसके द्वारा किये गये कुछ उपाय इस प्रकार हैं :— कारोबार के स्तर में वृद्धि, बेहतर वसूली द्वारा अनुपयोज्य आस्तियों में कमी, समस्त कारोबार में सुधार, कर्मचारी उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि, उपरि व्यय पर नियंत्रण और शाखाओं का पुनर्स्थापन।

कृषि क्षेत्र में अमरीकी पूंजी निवेश

839. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी फर्में भारत के कृषि क्षेत्र में इसकी उत्पादन और उत्पादकता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साम्य पूंजी लगाने की इच्छुक है बशर्तें कि भारत में मूल नियम पारदर्शी और निवेश के अनुकूल हों;

(ख) क्या भारत में अमरीकी राजदूत ने यह कहा है कि भारत में कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश को संचालित करने वाले नियम अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप होने चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के संबंध में ब्यौरा क्या है जिनमें विदेशी पूंजी निवेश को आमंत्रित करने के लिए भारत के कृषि क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) विदेशी निवेशकों ने समय-समय पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, जिनमें कृषि क्षेत्र सम्मिलित है, में निवेश करने में रूचि दिखाई है। तथापि, जुलाई, 1991 की नई औद्योगिक नीति में कृषि में विदेशी निवेश पर विचार नहीं किया गया है।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रदूषण मानदंडों का कार्यान्वयन

840. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जुलाई, 1995 के "फाइनैन्सियल एक्सप्रैस" में "आई० टी०डी०सी० स्टैंड आन पाल्युशन नोर्म्स टु डिसाइड फेट आफ इट्स होटल्स इन बंगाल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ऐसे किन-किन प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर बल दिया गया है जिन्हें पूरा करने में भारत पर्यटन विकास निगम कठिनाई महसूस हो रही है; और

(ग) इस समस्या को सुलझाने हेतु भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कलकत्ता विमानपत्तन पर स्थित होटल बंद न हों ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) जी हां। भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा, अत्यधिक धुंआ छोड़ने, वाटर फिल्टर सिस्टम आदि की सफाई के संबंध में पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन किया गया था और परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक टीम ने दिनांक 14 जुलाई, 1995 को होटल का निरीक्षण किया है। तत्पश्चात्, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने होटल एयरपोर्ट

अशोक, कलकत्ता को कोई पत्र/सलाह नहीं भेजी है तथा कथित होटल सामान्य रूप से कार्य कर रहा है।

इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में पायलट

841. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में पर्याप्त संख्या में अनुभवी पायलट/सह पायलट है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इस संबंध में कमी का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा अपेक्षित संख्या में पायलट/सह पायलट भर्ती करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस पर 83 कमाण्डरों की कमी है ए-300 विमानों के लिए 19 की, ए-320 विमानों के लिए 42 की तथा बी-737 विमानों के लिए 22 कमाण्डरों की। एयर इंडिया पर बोइंग 747-200/300 प्रकार के विमानों के लिए 21 कमाण्डरों और 21 सह विमानचालकों की कमी है।

(घ) इस कमी को पूरा करने के लिए, दोनों ही विमान कंपनियों ने सह विमानचालकों/विमानचालकों की भर्ती और प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

चाय उत्पादन को प्रोत्साहन

842. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितनी चाय का उत्पादन किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्यात कोटि की चाय के उत्पादन में विभिन्न चाय उत्पादक राज्यों का निष्पादन क्या रहा;

(ग) इस समय किन-किन देशों को चाय का निर्यात किया जा रहा है;

(घ) क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य-वार चाय के उत्पादन में कोई कमी आई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) 1995-96 के दौरान चाय के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) एवं (ख) वर्ष 1993-94, 1994-95 एवं 1995-96 (अप्रैल-जून) के दौरान चाय के राज्यवार उत्पादन को दर्शानेवाला विवरण-संलग्न है। सम्पूर्ण निर्यात में विभिन्न राज्यों से निर्यात की गयी चाय के हिस्से की सही-सही मात्रा बताना संभव नहीं है, क्योंकि अधिकांश मामलों में चाय का निर्यात सम्मिश्रण के रूप में किया जाता है।

(ग) इस समय विश्व में 80 से भी ज्यादा देशों को भारतीय चाय का निर्यात किया जाता है। भारतीय चाय के मुख्य आयातक हैं। रूस और सी०आई०एस० देश, यू०के०, जर्मनी, पोलेंड, यू०ए०ई०, इरान, ए०आर०ई०, जापान और सउदी अरब।

(घ) एवं (ङ) उत्तरी भारत के सभी चाय उत्पादक राज्यों में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में, चाय के उत्पादन में गिरावट हुई है। ऐसा मुख्यतः चाय उत्पादक क्षेत्रों में प्रतिकूल कृषि-जलवायु संबंधी परिस्थितियों के कारण हुआ है।

(च) उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चाय बोर्ड विभिन्न विकास संबंधी योजनाऐं चला रहा है। चाय के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चाय बोर्ड ने सापेक्ष महत्व की एक जैसे अल्पावधि उपाय, सिंचाई, जल निकास व्यवस्था, नवीकरण, प्रूनिंग एवं इनफिलिंग जैसे मध्यम अवधि के उपाय तथा अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलाप, पुर्नरोपण एवं विस्तार रोपण जैसे दीर्घावधि के उपाय शामिल हैं।

विवरण

वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 (अप्रैल-जून) के दौरान चाय का राज्यवार उत्पादन
उत्पादन (हजार कि०ग्रा० में)

राज्य	1993-94 अप्रैल-मार्च	1994-95 अप्रैल-मार्च	1995-96 अप्रैल-जून	1994-95 अप्रैल-जून
असम	395,815	403,581	99,395	119,625
पश्चिम बंगाल	160,176	156,563	38,777	48,971
अन्य	7,585	8,033	1,010	1,087
सम्पूर्ण उत्तरी भारत	563,576	568,177	139,182	169,683
तमिलनाडु	115,449	104,408	33,819	32,767
केरल	70,503	60,883	20,287	18,960
कर्नाटक	4,009	3,920	1,361	1,226
सम्पूर्ण दक्षिण भारत	189,961	169,211	55,467	52,973
सम्पूर्ण भारत	1753,537	737,388	194,649	222,656

मैसूर विमानपत्तन

843. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैसूर विमानपत्तन एक अप्रयुक्त हवाई अड्डा बन गया है;

(ख) यदि हां, तो मैसूर विमानपत्तन का उपयोग कब से किया जा रहा था और इसका उपयोग कब से बंद किया गया;

(ग) इस विमानपत्तन से उड़ानें बन्द करने के क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस विमानपत्तन के रख रखाव के लिये कितनी धनराशि वर्षवार खर्च की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस विमानपत्तन का वाणिज्यिक उपयोग करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) मैसूर हवाई अड्डे के लिए/से हवाई सेवाओं का प्रचालन अप्रैल, 1985 से सितम्बर, 1989 तक किया जा रहा था। प्रचालनात्मक और वाणिज्यिक कारणों से वायुदूत को सितम्बर, 1989 से अपनी सेवाएं बन्द करनी पड़ी थी।

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पिछले तीन वर्षों के दौरान इस हवाई अड्डे के अनुरक्षण पर कोई राशि खर्च नहीं की है।

(ङ) और (च) हवाई अड्डे की वाणिज्यिक उपयोगिता मैसूर से प्रचालन आरंभ करने वाली एयरलाइनों पर आधारित है।

उत्तर प्रदेश में नागर विमानन सुविधाओं का विकास

844. श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में नागर विमानन के विकास हेतु मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दोरान अब तक केन्द्र सरकार द्वारा उक्त राज्य को इस उद्देश्य हेतु प्रदान की गई धनराशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में शुरू किए गए/शुरू किए जाने वाले विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में विभिन्न हवाई अड्डों पर निम्नलिखित निर्माण कार्य आरंभ किये हैं :—

— आगरा, इलाहाबाद, देहरादून, गोरखपुर, लखनऊ और वाराणसी में वैमानिक संचार सेवाओं के लिए विभिन्न उपस्करा स्थापित करना।

— देहरादून, गोरखपुर, लखनऊ और वाराणसी में ग्राउण्ड और सुरक्षा सेवाएं

— आगरा, लखनऊ और वाराणसी में टर्मिनल भवन का विस्तार और विकास

— आगरा में टैक्सी ट्रैक को चौड़ा करना।

— लखनऊ में नया एप्रन और टैक्सी ट्रैक तथा धावनपथ पर पुनः परत बिछाना।

आंठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में नागर विमानन के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को कोई राशि आवंटित नहीं की गई है।

राज्य व्यापार निगम में चावल सौदा

845. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 जुलाई, 1995 के "फाइलेसियल एक्सप्रैस" में "एस०टी०सी० राइस डील कमीशन पेमेंट एक्सीड्स प्रोफिट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इसमें की गई टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) एस०टी०सी० ने अपने विविधिकरण प्रयासों के एक भाग के रूप में खासकर गैर-सरणीकृत क्षेत्र में, बंग्लादेश की सरकार को चावल के निर्यात के बारे में पहली बार किए गए समझौते को अन्तिम रूप दिया है। भुगतान किए जाने वाले एजेंसी कमीशन की राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तय की गई सीमा के भीतर थी। बाद में भाड़ा शुल्कों, पत्तन व्यय के निपटान और विलम्ब-शुल्क इत्यादि में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप एस०टी०सी० के अनुमानित लाभ में कमी हो गयी। इस सौदे में लाभ की अंतिम स्थिति के बारे में जानकारी तभी मालूम पड़ सकती है जब सभी खर्चों के ब्यौरे प्राप्त हो जाएंगे और उन्हें तय कर लिया जाएगा।

विमानपत्तनों का निजीकरण

846. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ विमानपत्तनों का निजीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो निजीकरण के लिए राज्य-वार किन-किन विमानपत्तनों का चयन किया गया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बीमा दावों का निपटान

847. डा० रमेश चन्द्र तोमर : क्या **वित्त मंत्री** बीमा पालिसियों के बारे में 5 मई, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4624 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली द्वारा पुनर्नवीकृत बीमा पालिसियों और उन पर भुगतान किए गए दावों के संबंध में सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) 5.5.1995 के अतारांकित प्रश्न सं० 4624 के उत्तर में सदन को दिया गया आश्वासन 1.8.1995 को पूरा कर दिया गया है। फिर भी, सूचना निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत की गयी :—

भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि ऐसे मामले में प्रीमियम का चेक उगाहा नहीं जा सका था क्योंकि नई दिल्ली स्थित बीमा

कम्पनी के संबंधित कार्यालय ने इस चैक को स्थानीय निकासी कालम में शामिल कर लिया था। जो चैक वास्तव में बम्बई के बैंक से आहरित होना था, बीमा कम्पनी के द्वारा बिना किसी ज्ञापन के वापस कर दिया गया था। परन्तु बीमा कम्पनी द्वारा इसके बारे में बीमाकृत व्यक्ति को सूचित नहीं किया गया और वह इस ख्याल में रहा कि उसकी पालिसी चालू है। यह मामला केवल तभी सामने आया जब बीमाकृत व्यक्ति द्वारा दावा दाखिल किया गया। बीमा कम्पनी ने प्रीमियम की राशि नकद लेकर इस स्थिति में सुधार किया और 20,500 रुपये में दावे का निपटान किया गया।

"नाबार्ड" में धन का अभाव

848. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नाबार्ड" को धन के भारी अभाव का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके लिए उत्तरदायी मुख्य कारक क्या हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) आधार स्तर की वित्तीय संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने के लिए पुनर्वित सहायता देता है और इसमें उसे संसाधनों की कमी महसूस होती है। नाबार्ड को सरकार के सामान्य संसाधनों से बाध्य अभिकरणों से संबंधित रुपया प्रतिरूप निधियों से यथासंभव अनुदान और ऋण के जरिए सहायता दी जा रही है। वर्ष 1995-96 के दौरान सरकार द्वारा प्रत्येक को 85 करोड़ रुपए का शेयर पूंजी अंशदान स्वीकृत किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) द्वारा इसे स्वीकृत किया जा रहा है जिससे नावार्ड की प्राधिकृत एवं प्रदत्त पूंजी 500 करोड़ रुपए हो जाएगी। इसके अलावा, आर वी आई नावार्ड को सामान्य ऋण दे रहा है तथा भारत सरकार प्रत्येक वर्ष अपनी गारंटी के साथ नावार्ड द्वारा बाजार ऋण लेने की अनुमति देती है, ताकि इसके संसाधन बढ़ाये जा सकें।

(ग) नावार्ड ने सरकार से अपनी प्राधिकृत पूंजी को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया है ताकि वह अपने संसाधनों में वृद्धि कर सके।

प्रतिभूति घोटाला

849. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 मार्च, 1995 के "द इकॉनामिक टाइम्स" में "सी बी आई एलिजिज मिसयूज आफ रुपीज 44 करोड़ ई ई पी सी हुडको फंड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वित्तीय घोटालों के कारण सरकार की कुल कितनी पूंजी डूबी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि उन्होंने हुडको द्वारा आल बैंक फाइनेंस लि० कलकत्ता में निवेश की गई निधियों के दुरुपयोग और ई०ई०पी०सी० द्वारा एक दलाल के पास अवैध रूप से निधियां रखने के संबंध में दो मामले पंजीकृत किए हैं। इन दोनों मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच पड़ताल पूरी नहीं हुई है।

(ग) प्रतिभूतियों एवं बैकिंग लेनदेनों में अनियमितताओं की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के सबंध में दिनांक 26.7.94 को संसद में प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार जानकीरमन समिति और अभिरक्षक की अध्यक्षता में गठित अन्तर अनुशासनात्मक समूह द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की समस्या एक्सपोजर का मूल्यांकन क्रमशः 4024.45 करोड़ रुपए और 3651.35 करोड़ रुपए किया गया था। दिनांक 20.12.94 को संसद में प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्ट के संशोधित पैराग्रापकों में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया था कि अधिसूचित दलालों के कारण भारतीय बैंकों/वित्तीय संस्थानों को होने वाला घाटा (ब्याज आदि छोड़कर) 320 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक महत्व के पर्यटक स्थल

850. श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे नए ऐतिहासिक स्थानों की जानकारी है जिन्हें पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित किया जा सकता है;

(ख) क्या बाराबंकी जिले में विश्व के एकमात्र 6000 वर्ष पुराने पारिजात वृक्ष के होने की सूचना प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस स्थान को पर्यटक आकर्षण स्थल के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) केंद्रीय पर्यटन विभाग ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से जिला बाराबंकी में स्थित प्राचीन पारिजात वृक्ष के बारे में सूचना मांगी थी। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वृक्ष के परिरक्षण हेतु तथा इसके आस-पास के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए उपाय किए गए हैं। वृक्ष की सुरक्षा हेतु रेलिंग का निर्माण करने के लिए वर्ष 1995-96 के लिए जिला योजना में 3 लाख रु० निर्धारित किए गए हैं। राज्य सरकार ने पारिजात वृक्ष के आस-पास के क्षेत्र का विकास करने के लिए एक स्थानीय पारिजात प्रबंधन समिति का भी गठन किया है।

[अनुवाद]

बेरोजगारी समीक्षा समितियां

851. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बेरोजगारी की समस्या की क्षेत्र-वार जांच करने हेतु जांच समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन जांच समितियों का गठन संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (ग) जी नहीं, तथापि यह उल्लेखनीय है कि शिक्षित बेरोजगारों के लिये रोजगार में वृद्धि हेतु मंत्रियों की एक समिति नवम्बर, 1991 में, योजना आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बनाई गई थी तथा रोजगार पर एक एन०डी०सी० समिति असम के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें आन्ध प्रदेश, गोवा, एवं सिक्किम के मुख्य मंत्री, कोयला राज्य मंत्री, युवा मामलों, खेल, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री तथा योजना आयोग के सदस्य शामिल थे, फरवरी/अप्रैल, 1992 में बनाई गई थी।

पत्रकारों को अंतरिम राहत

852. श्री रवि राय :
श्री जनार्दन मिश्र :
श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जुलाई, 1995 केन्द्र हिन्दुस्तान टाइम्स" "जर्नलिस्ट आर्गेनाइजेशन्स डिमांड इंटिरिम रिलीप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या समाचार-पत्र उद्योग के प्रमुख संगठनों ने मानेसाना वेज बोर्ड को पत्रकारों को दी जाने वाली अंतरिम राहत के संबंध में निर्णय लेने का आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या समाचार पत्र उद्योग ने बछावत आयोग की रिपोर्ट के पश्चात प्रगति की है; और

(ङ) इस संबंध में उक्त वेज बोर्ड का क्या निर्णय है ?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) पत्रकारों, गैर-पत्रकारों और अन्य समाचार-पत्र तथा समाचार एजेन्सी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक संगठनों ने अंतरिम राहत के भुगतान की मांग की है। मजदूरी बोर्डों ने इन मांगों पर विचार करने हेतु 22 से 25 अगस्त, 1995 तक मौखिक सुनवाई निश्चित की है।

[हिन्दी]

माल की तस्करी

853. डा० लाल बहादुर रावल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर गत तीन महीनों के दौरान कितनी मात्रा में तस्करी का माल जब्त किया गया;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ग) उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वाहन भत्ता

854. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महानगरों में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वाहन भत्ता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रोजगार के अवसर

855. श्री जगमीत सिंह बरार :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि क्षेत्र और भारी उद्योग क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न किए जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या उपरोक्त क्षेत्रों में लगी देश की श्रम शक्ति का क्षेत्र-वार प्रतिशत क्या है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो देश में निरंतर बढ़ रही बेरोजगारी पर काबू पाने हेतु देश में रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए अन्य क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में अनुमानित रोजगार की प्रतिशतता निम्नलिखित है :—

	उद्योग/क्षेत्र	रोजगार (प्रतिशत में)
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्य	62.55
2.	खनन एवं उत्खनन	0.88
3.	विनिमणि	11.27
4.	विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति	0.36
5.	निर्माण	4.24
6.	व्यापार एवं परिवहन	10.92
7.	वित्त पोषण, बीमा, अचल सम्पदा एवं व्यवसाय सेवाएं	0.84
8.	समुदाय, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं	8.94

(ख) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर विशेष बल दिया गया है। योजना में रोजगार सृजन की रफ्तार को तीव्र करने हेतु उच्च रोजगार संभाव्यता वाले सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा क्षेत्रों की तीव्र वृद्धि के साथ उच्च आर्थिक वृद्धि दर की आवश्यकता की परिकल्पना की गई है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु विशेष कार्यक्रम, कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

आयातित संगमरमर के संबंध में घपला

856. श्रीमती सरोज दुबे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जून, 1995 के "इंडियन एक्सप्रेस में" इंपोर्टर्स कार्व ए कस्टम-मेड फ्राड इन इंपोर्टेड मार्बल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं और इस संबंध में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) भविष्य में ऐसे घपले रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। सरकार को उस समाचार की जानकारी है जो 9 जून, 1995 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ था।

(ख) और (ग) शुल्क छूट स्कीम के तहत अग्रिम ला इसेसों के प्रति मारबल के आयात का बम्बई तथा नावा शेवा की बन्दर-गाहों में पता चला था। अधिकांश माल का आयात हस्तांतरित अग्रिम लाइसेंसों के प्रति किया गया था। अतः आयात, निर्यात उत्पादों में पहले से ही प्रयोग कर ली गई निविष्टियों के भराई हेतु थे। ऐसे सभी मामलों में जहां आयात किए गए मारबल का निर्यात उत्पादों में प्रयोग करने का कोई सबूत नहीं था, माल पर या तो शुल्क लगाया गया था अथवा सीमा शुल्क कानून के तहत बंधपत्र के प्रति इसकी अनन्तिम निकासी की अनुमति दी गई थी। जिन मामलों में न्यून मूल्यांकन का संदेह था, वहां बढ़ाए गए मूल्य पर अनन्तिम रूप से शुल्क लगाया गया था। ऊंचे निर्यात मूल्य शिल्प-तथ्य की प्रकृति की वस्तुओं के संबंध में थे जो मारबल के मंहगे उत्पाद हैं तथा अधिक बीजाकन का आरोप सही नहीं है। ऐसे कुछेक मामले, जिनमें नियमों के उल्लंघन का पता चला है, पर सीमाशुल्क अधिनियम के उपबंधों की शर्तों के अनुसार न्याय निर्णयन किए गए थे तथा अन्य मारबल में कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अतः धोखा-धड़ी का आरोप और सीमाशुल्क अधिकारियों की मिली-भगत संबंधी समाचार मद ठीक नहीं है। 1992-95 (31.3.95 तक) की अवधि के लिए दो बन्दरगाहों से आयात किए गए मारबल का कुल मूल्य केवल 14 करोड़ रुपए (लगभग) है। अतः 100 करोड़ रुपए की धोखा-धड़ी का आरोप भी ठीक नहीं है।

मुख्य मंत्रियों द्वारा विदेश-यात्राएं

857. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों में विदेशी निवेशकों को निवेश करने हेतु आमंत्रित करने के लिए विदेशों की यात्राएं की हैं; और

(ख) यदि हां, तो मुख्यमंत्रियों द्वारा विदेशी निवेशकों के साथ कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गए और चालू वर्ष के दौरान अब तक राज्य-वार कुल कितना निवेश किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

1995-96 के लिए इंडिया डेवेलपमेंट फोरम की वचनबद्धता

858. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 जून, 1995 को पेरिस में हुई बैठक में इंडिया डेवेलपमेंट फोरम ने वर्ष 1995-96 के लिए "कन्सोर्टियम कमिटमेंट" के रूप में 6.8 बिलियन डालर देने का वादा किया है;

(ख) यदि हां, तो देश-वार और संस्था-वार दी गई रियायत सहित तत्संबंधी निर्धारित शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या इस सहायता में से 1.2 से 1.5 बिलियन डालर जापानी सहायता है, जो अब तक जापान की सबसे बड़ी सहायता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सहायता से वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पेरिस में 29 और 30 जून, 1995 को हुई भारतीय विकास संघ की बैठक में बहुपक्षीय, द्विपक्षीय तथा प्रमुख दाता देशों द्वारा की गई वचनबद्धताओं की राशि 6.9 बिलियन अमरीकी डालर थी।

(ख) रियायती संघटक सहित देशवार और संस्थावार की गई वचनबद्धताएं इस प्रकार हैं :—

(अमरीकी डालर (मिलियन)

बहुपक्षीय	जोड़	जिसका अनुदान अथवा ब्याज मुक्त ऋण
1	2	3
बेल्जियम	1.7	1.7
कनाडा	46.0	46.0
डेनमार्क	40.7	40.7
फ्रांस	80.0	—
जर्मनी	362.5	189.9

1	2	3
इटली	39.9	0.8
जापान	1,447.6	—
नीदरलैंड	119.2	119.2
नार्वे	11.6	10.5
स्वीडन	66.4	44.8
स्विटजरलैंड	46.1	38.4
यूनाईटिड किंगडम	222.3	149.7
संयुक्त राज्य	171.5	171.3
उप जोड़	2,655.5	813.0
बहुपक्षीय		
एशियाई विकास बैंक	760.0	10.0
यूरोपियन देश	167.5	167.5
यूरोपियन निवेश बैंक	53.6	—
अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक/आई०डी०ए०	2500-2,800	1200-1,500
आई०एफ०ए०डी०	20.0	20.0
नोडिक निवेश बैंक	70.0	6.0
संयुक्त राज्य प्रणाली	241.9	241.9
अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम	200.0	—
उप जोड़	4,013.0-4,313.0	1,645.4-1,945.4
जोड़	6668.5-6968.5	2458.4-2758.4

(ग) (घ) और (ङ) जी, हां। जापान द्वारा सूचित वचनबद्धता की राशि 1.4 बिलियन अमरीकी डालर है। निबन्धन और शर्तों तथा परियोजनाओं जिन्हें इस ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किए जाने की सम्भावना है, के संबंध में संक्षिप्त ब्यौरों का पता तभी चलेगा जब दाता एजेंसी के साथ सहायता संबंध बातचीत/करारों को अंतिम रूप दे दिया जाता है।

बैंकों द्वारा बकाया ऋणों को माफ किया जाना

859. डा०(श्रीमती) के०एस० सौन्दरम : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपने बकाया ऋणों का कुछ भाग माफ करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य बातें और इस संबंध में दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को ऋण माफी के अलग-अलग मामलों में निर्णय लेते समय भिन्न मानदंड अपनाए जाने की संभावना को रोकने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) बकाया ऋणों को माफ करने/बट्टे खाते डालने या बैंक के ऋणकर्ताओं के साथ समझौता करने का निर्णय बैंक प्रबंधन द्वारा किया जाता है। बैंक के अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बोर्डों द्वारा निर्धारित की गई ऐसी सुरक्षा/शर्तों और रिपोटिंग के अध्यधीन न्यायपूर्ण निर्णय लें। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि बट्टे खाते डालने और समझौता प्रस्तावों का अनुमोदन करते समय उन्हें निम्नलिखित पहलुओं का अत्यन्त सावधानी से अनुपालन करना चाहिए :—

(क) बट्टे खाते के प्रस्ताव का, अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी ने प्रश्नगत अग्रिम को व्यक्तिगत तौर पर मंजूरी नहीं दी हो।

(ख) अग्रिमों के मामले में मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने न्यायपूर्वक अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और अग्रिमों की मंजूरी के मामले में बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशो का अनुपालन किया और यह कि सामान्य निबंधन तथा शर्त निर्धारित की गई।

(ग) अग्रिमों के संचालन और संवितरण के बाद के पर्यवेक्षण में कोई कमी नहीं थी।

(घ) कर्मचारियों की ओर से कोई भूल-चूक नहीं हुई थी जिसके कारण ऋण वसूली योग्य नहीं रहा; और

(ङ) देय राशि की वसूली के लिये सभी संभव उपाय किये गये हैं और ऋण की वसूली की और कोई संभावना नहीं है तथा बट्टे खाते डालना या समझौता करना बैंक के व्यापक हित में है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वित्तीय धोखाधड़ियों की जांच करने संबंधी ब्यूरो

860. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :
श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से वित्तीय धोखाधड़ियों की जांच करने के लिए कोई विशेष ब्यूरो स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ब्यूरो की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) बैंकों में धोखाधड़ियों की जांच करने के लिए विशेष धोखाधड़ी ब्यूरो स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

इंडियन एयरलाइन्स के विमानचालकों के आंदोलन को समाप्त कराने हेतु पैनल

861. श्री डी० वेंकटेश्वर राव :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के विमानचालकों के आंदोलन को समाप्त कराने हेतु एक पैनल बनाया गया है;

(ख) हड़ताल के क्या कारण हैं और यह हड़ताल कितने दिन चली;

(ग) क्या विवाद के समाधान हेतु समझौता करने के बावजूद इंडियन एयरलाइंस के विमान-चालकों की हड़ताल जारी रही;

(घ) विवादों का समाधान किन शर्तों पर किया गया; और

(ङ) इस कारण कुल कितनी हानि हुई ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ ने 5 जून, 1995 को अपने सभी सदस्यों को निर्देश जारी किए कि वे किसी भी ऐसे केबिन कर्मीदल के साथ उड़ान पर न जाएं जिनका ग्रेड कुछ विमानचालकों के ग्रेड से ऊंचा हो क्योंकि इससे विमान में कमान की श्रृंखला में हस्तक्षेप हो सकता है। हड़ताल 8 जून, 1995 से 26 जून, 1995 तक जारी रही।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलान्स के प्रबंधकवर्ग तथा मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई चर्चा के अनुसरण में, भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ ने विमानचालकों को जारी किए गए निदेश रद्द करने पर सहमति प्रकट की है। तथापि, भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ के कुछ सदस्य भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ द्वारा किए गए कुछ निर्देशों का अभी भी पालन कर रहे हैं।

(ङ) 8 जून, 1995 से 26 जून, 1995 तक हड़ताल के कारण लगभग 42 लाख रुपए का घाटा हुआ।

[हिन्दी]

नशीले पदार्थ जब्त करना

862. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थों को जब्त करने के मामलों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(घ) ऐसे प्रत्येक मामले में कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) स्वापक औषधों का सही मूल्यांकन, को प्रायः अनिर्धारित क्षमता और मिश्रण के होते हैं तथा नष्ट किए जाने योग्य होते हैं, संभव नहीं है। तथापि, उपलब्ध सूचना के आधार पर पिछले 3 वर्षों के दौरान स्वापक औषधों को जब्ती के संबंध में मामलों की संख्या तथा गिरफ्तार किए गए लागों की राज्य-वार कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य	1992		1993		1994	
	मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	8	20	215	218	383	404
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	3	1	1	3	3
अरुणाचल प्रदेश	13	4	12	12	47	50
असम	96	127	198	201	116	122
बिहार	373	110	124	126	189	198
चंडीगढ़	41	35	8	9	12	13
दादर और नागर हवेली	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	620	612	588	597	644	679

1	2	3	4	5	6	7
गोवा	20	32	35	36	35	37
गुजरात	19	32	209	212	279	294
हरियाणा	132	135	151	154	136	143
हिमाचल प्रदेश	63	46	71	72	88	93
जम्मू और कश्मीर	41	44	36	37	41	43
कर्नाटक	62	53	213	217	130	137
केरल	161	159	20	22	144	152
लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
मध्य प्रदेश	96	112	741	752	1052	1110
महाराष्ट्र	860	1022	1388	1404	659	694
मणिपुर	372	290	323	328	894	941
मेघालय	34	14	39	40	87	92
मिजोरम	162	203	120	122	90	104
नागालैंड	94	159	114	116	75	79
उड़ीसा	15	16	91	92	206	217
पांडिचेरी	6	—	4	4	1	1
पंजाब	103	211	319	324	300	316
राजस्थान	113	113	197	203	403	424
सिक्किम	1	—	—	—	—	—
तमिलनाडु	3080	2929	2468	2503	2700	2850
त्रिपुरा	1	1	15	16	30	32
उत्तर प्रदेश	6071	6284	5646	5732	5662	5969
पश्चिम बंगाल	91	77	172	173	242	255
कुल :	12751	12850	13518	13723	14657	15452

[अनुवाद]

बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं को धन उपलब्ध कराना

863. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री एम०बी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक लगभग एक वर्ष से पट्टेदारी तथा किराया-खरीद के सौदे करने की अनुमति पाने के बावजूद उपभोक्ताओं को धन उपलब्ध कराने के मामले में अधिक प्रगति नहीं कर सके हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या उपभोक्ता वित्त पोषण में सहायता देने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक किसी नई कार्य योजना पर विचार कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विदेशी ऋण

864. **श्री गुमान मल लोढ़ा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार विदेशी ऋण की कितनी राशि प्राप्त की गई तथा उस पर

कितना ब्याज अदा किया गया एवं ऋण की कितनी प्रतिशत राशि लौटाई गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी ऋणों की राशि/अदा किया गया ब्याज और सरकारी तथा गैर-सरकारी खाते पर प्राप्त ऋण राशि की प्रतिशतता के रूप में ब्याज अदायगी इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	प्राप्त विदेशी ऋण	अदा किया गया ब्याज	प्राप्त विदेशी ऋणों पर ब्याज अदायगी की प्रतिशतता
1992-93	10102	3961	39.21
1993-94	10895	4199	38.54
1994-95	9953	4772	47.94

[अनुवाद]

इन्डस्ट्रियल एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक

865. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक स्थापित करने की घोषणा की थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 1995-96 के अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ घोषणा की थी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए औद्योगिक उद्यमों के सृजन, विस्तार और उनके आधुनिकीकरण के वित्तपोषण और क्षेत्र में परियोजनाओं को आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक नया पूर्वोत्तर विकास बैंक स्थापित किया जाएगा।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) को पूर्वोत्तर विकास बैंक (अब पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड के नाम से पंजीकृत) की स्थापना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निगम की प्राधिकृत पूंजी 500 करोड़ रुपए होगी और विभिन्न वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा अंशदान की जाने वाली प्रारंभिक चुकता पूंजी की राशि 100 करोड़ रुपए होगी। नए निगम के लिए संगम ज्ञापन और संस्था के अन्तर नियम को अंतिम रूप दिया जा चुका है। आई०डी०बी०आई० ने निगम के प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए एक मुख्य कार्यपालक की पहचान भी की है और निगम के बोर्ड में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों की प्रारंभिक सूची भी तैयार कर ली है।

भारतीय जीवन बीमा निगम की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

866. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992-93 के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के 22 डिवीजनों में कोई सरकारी अध्ययन कराया गया था और फरवरी, 1995 में सभी डिवीजन कार्यालयों को इस अध्ययन के निष्कर्ष भेजे गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सी०वी०आई० ने इस बात की भी जांच करके यह सूचित किया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के राजस्थान डिवीजन में और देश में अन्य कुछ डिवीजनों में भी घोटाला हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और यह घोटाला किस प्रकार हो रहा है; और

(ङ) इस घोटाले में लिप्त लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और इस प्रकार की बुराई पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि 100 मंडलों में से 22 मंडलों में वर्ष 1992-93 के दौरान जारी की गयी गई पालिसियों के लिए "शून्य कालिक चूकों" का अध्ययन कराया गया है। किए गए अध्ययन से निकले प्रमुख निष्कर्ष है : (क) ऐसी पालिसियों के व्यपगत होने की घटनाएं अपेक्षाकृत अधिक हैं जहा बीमाकृत राशि 5,000 रुपये से 10,000 रुपए के बीच रही है; (ख) पालिसीधारक की आयु में वृद्धि होने के साथ पालिसियों के व्यपगत होने में कमी होती जाती है; (ग) 30 वर्ष या उससे अधिक की अवधि वाली पालिसियों के अन्तर्गत व्यपर्गता अधिक होती है; (घ) व्यपगतता का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है; (ङ) साधारणत; कम लागत वाली पालिसियों में व्यपगतता अधिक हैं; (च) इन 22 मंडलों में प्रीमियम की पहली किस्त के भुगतान के पश्चात व्यपगतता का प्रतिशत लगभग 27 प्रतिशत है।

(ग) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने राजस्थान में जीवन बीमा निगम के तीन शाखा कार्यालयों में कुछ जांच-पड़ताल की है जिसमें उन्होंने कुछ अनियमितताएं पाई हैं।

(घ) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आरोप लगाया है कि वेतन बचत स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार के अविद्यमान कर्मचारियों के नाम में पालिसियां दर्ज की गयी थीं। इसके अतिरिक्त, प्रीमियम के लिए चैकों के ऐसे भी मामले थे जो अस्वीकृत हुए थे।

(ङ) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि जांच-पड़ताल की जा रही है और इसके पूरी होने के पश्चात ही अनियमितताओं में शामिल पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

विदेशी ऋण भुगतान दायित्व

867. श्री बोल्ला बल्ली रामय्या :
श्री एम०वी० वी०एस० मूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग व्यापार मंडल परिसंघ ने "भारत का विदेशी ऋण भुगतान दायित्व" पर एक दस्तावेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस दस्तावेज में उठाए गए मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या हैं;

(ग) केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी हां। भारत के बढ़ते हुए विदेशी ऋण की वापसी अदायगी संबंधी दायित्व और तीव्र निर्यात वृद्धि की अनिवार्यताओं से संबंधित एक पत्र में भारतीय वाणिज्य और उद्योग व्यापार मंडल ने भारत के विदेशी ऋण के बोझ, ऋण की वापसी अदायगी दायित्व, निर्यात और आयात वृद्धि आदि पर प्रायोजनाएं बनायी हैं।

(ग) सरकार चालू प्राप्तियों में वृद्धि करने और गैर-ऋण के पूंजी प्रवाहों को सृजित करने के चिरस्थायी ऋण प्रबन्धन की आवश्यकता को स्वीकार करती है। अनुकूल नीतिगत वातावरण के कारण हाल ही के वर्षों के निर्यातों में साधारण रूप से उच्च कार्य निष्पादन हुआ है। बाजार द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहनों से जिन्होंने विनिमय दर को निर्धारित किया है, अदृश्य उपार्जनों के निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। विदेशी निवेशों के संबंध में नीति को उदार बनाया गया है और जिसकी प्रतिक्रिया बहुत ही उत्साहपूर्वक रही है।

हाल के वर्षों में आयातों ने बहुत ही अधिक वृद्धि दर्शाई है जो निर्यातों से सम्बद्ध घरेलू औद्योगिक उत्पादन और निर्यात निष्पादन के तेजी से पुनः प्रचलन को प्रतिबिम्बित करती है। आने वाले वर्षों में आयातों की वृद्धि दर रिकार्ड में होने की आशा है जो अर्थव्यवस्था के विस्तार की दर के समान होगी और मूल्य अतिसंवेदनशीलता की बढ़ती हुई डिग्री को दर्शायेगी ।

सरकार विदेशी ऋण स्थिति को विवेकपूर्ण सीमा के अन्दर रखने के उद्देश्य से इस पर बारीकी से नजर रखे हुए है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने उच्च लागत वाले विदेशी ऋण को नियंत्रित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसमें ब्याज की दर में कमी करना और कुछ ऊंची लागत को चरणबद्ध करना तथा अनिवासी भारतीय जमा खातों की अस्थिर करना और खर्चीले विदेशी ऋण की वापसी अदायगी के लिए निगमित क्षेत्र को बढ़ावा देना शामिल है। विदेशी निवेश के प्रति अपेक्षाकृत अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाने से पूंजी के ऋण सृजनकारी प्रवाह की निर्भरता में कमी आई है।

राजस्व प्राप्तियों में सुधार लाने के लिए अनावश्यक और कम प्राथमिकता वाले व्ययों को हटाने के लिए और चालू व्यय को वित्तपोषित करने के लिए उधार ली गई निधियों पर निर्भरता में कमी लाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मादक द्रव्यों का जब्त किया जाना

868. श्री राम विलास पासवान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 12 नवंबर, 1994 को की गई गिरफ्तारियों के बाद मादक द्रव्यों के उत्पादक संघों में स्थापित किए गए भारतीय संपर्क सूत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादक संघों के संचालकों का पता लगाने के क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या हेरोइन के स्रोत का पता लगाया जा सका है ?

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत में मादक द्रव्य विरोधी अभियान चलने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) एक जर्मन महिला नागरिक को जांच किए गए सामान के साथ 8 कि०ग्रा० हेरोइन ले जाते हुए 12.11.94 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन पर गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए भारत में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई।

(ख) से (घ) जर्मनी वे स्पेन द्वारा की गई संयुक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 7 कि०ग्रा० हेरोइन जब्त की गई। कई बैंक खातों को सील कर दिया गया। जांच कार्य अभी प्रगति पर है। स्वापक का संदिग्ध स्रोत पाकिस्तान है।

(ङ) सभी प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि एन०डी०पी०एस० एक्ट में निहित कड़े प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन प्रयास बढ़ाए और अत्यधिक सतर्कता बरते। अधिकारियों को उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वाहन तथा संचार उपस्कर प्रदान करा दिए गए है। भारत-पाक सीमा के एक भाग की घेराबंदी कर दी गई है। एन०डी०पी०एस० एक्ट के अंतर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी प्रवर्तन एजेंसियों के अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल और तटरक्षक जो भूमि तथा समुद्रतट पर लगाए गए है को सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं ताकि स्वापक औषधों का प्रत्याख्यान हो सके।

राष्ट्रीय रेशमी धागा बैंक योजना

869. श्रीमती शीला गौतम : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा क्षेत्र में रेशमी धागे की अधिक खपत करने वाले राज्यों के लिये प्रायोगिक (पायलट) आधार पर राष्ट्रीय रेशमी धागा बैंक योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत इसके आरंभ से अब तक, राज्यवार कितनी सहायता उपलब्ध की गई है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) हथकरघा बुनकरों को स्थिर मूल्यों पर उत्तम सिल्क धागा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कुछ चुनिन्दा राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में वर्ष 1993-94 से पाइलट आधार पर राष्ट्रीय सिल्क यार्न बैंक योजना आरम्भ की गई थी। यह योजना अब गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और मनीपुर में भी लागू की गई हैं।

(ग) इस योजना के अंतर्गत योजना के आरम्भ से राज्यवार दी गई सहायता का विवरण इस प्रकार है :—

(राशि लाख रुपयों में)

क्र०सं०	राज्य	1993-94	1994-95	कुल रकम
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	27.00	—	27.00

1	2	3	4	5
2	असम	13.50	33.83	47.33
3.	गुजरात	—	4.25	4.25
4.	कर्नाटक	—	42.00	42.00
5.	केरल	—	24.245	24.245
6.	महाराष्ट्र	—	23.33	23.33
7.	मणिपुर	—	1.225	1.225
8.	उड़ीसा	50.30	53.71	104.01
9.	तमिलनाडु	25.00	56.00	81.00
10.	उत्तर प्रदेश	54.00	16.20	70.20
11.	पश्चिम बंगाल	24.875	25.21	50.085
12.	एन०एच०डी०सी०	13.50	—	13.50
कुल योग		208.175	280.00	488.175

बाल मजदूरी

870. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका और अन्य यूरोपीय देशों द्वारा हाल ही में प्रतिपादित "सोशल क्लाज थिओरी" जिससे भारतीय निर्यात, विशेषतौर पर कालीनों तथा अन्य कपड़े से बनी अन्य वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग और समन्वय से बाल-मजदूरी प्रथा को, चरणबद्ध तरीक से तथा बाल-श्रमिकों के लिए हानिकारक उद्योगों से शुरू करके, समाप्त करने के लिए कोई "कार्य योजना" बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों का ब्यौरा क्या है और इसमें कितने बाल श्रमिक कार्यरत हैं और उनके पुनर्वास पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) भारत सरकार ने "सामाजिक अनुच्छेद" को स्वीकार नहीं किया क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक अनधिकृत शर्त है। सरकार ने "सामाजिक अनुच्छेद" पर अपना विरोध विभिन्न मंचों पर प्रकट किया है जिनमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन और हाल में आयोजित सामाजिक विकास संबंधी शिखरवार्ता भी शामिल हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त, 1994 को घोषणा की थी कि जोखिम कारी व्यवसायों में लगे हुए 20 लाख बालकों को अगले 4-5 वर्षों में कार्य से हटाया जाएगा। और उन्हें स्कूलों में दाखिल दिलाया जाएगा। इस घोषणा के अनुसरण में, केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन किया गया है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण ने "बाल श्रम की पहचान करने, उन्हें मुक्त कराने और उनका पुनर्वास करने' के संबंध में एक कार्य योजना अपनाई है। इस कार्य योजना को पहले ही सभी राज्य-सरकारों को आवश्यक कार्रवाई के लिए माननीय प्रधान मंत्री एवं केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा अग्रेषित कर दिया गया है। इस कार्य योजना के अंतर्गत विशेषकर जोखिमकारी व्यवसायों में बाल श्रम की समस्या से निपटने से संबंधित क्रियाकलापों को शामिल किया गया है। संक्षेप में, इसमें बाल श्रम उन्मूलन संबंधी प्रयास को प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए कार्यान्वयन स्तर-जिला स्तर पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों की सेवाओं और योजनाओं का अभिसारण किया गया है। अनुमान है कि वर्ष 2000 तक जोखिमकारी व्यवसायों से 20 लाख बाल श्रम का उन्मूलन करने में 850 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कार्य से हटाए गए बालकों के लिए परियोजनाएं चलाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए 34.4 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

चाय के निर्यात में कमी

871. श्री श्रीकान्त जेना :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981 तथा 1993 में चाय का कुल कितना उत्पादन हुआ और इसमें से कितने प्रतिशत चाय का निर्यात हुआ;

(ख) चाय के निर्यात में कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने प्रति हैक्टेयर भूमि में चाय के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये हैं।

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	उत्पादन (मिलियन कि०ग्रा०)	निर्यात (मिलियन कि०ग्रा०)	उत्पादन के०/के० रूप में निर्यात
1981	560.43	242.07	43.19%
1983	758.06	175.32	23.13%

(ख) कम मात्रा में निर्यात के कारण है—रूस और अन्य सी०आई०एस० देशों द्वारा अपनी आन्तरिक आर्थिक समस्याओं के कारण कम आयात, ईरान, मिश्र और सऊदी अरब द्वारा चाय का कम आयात और अन्य उत्पादक देशों के साथ प्रतिस्पर्धा।

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिए चायबोर्ड कई विकासात्मक योजनाएं चला रहा है। चाय बोर्ड ने चाय के उत्पादन और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक संदर्श योजना भी तैयार की है जिसमें शामिल हैं अल्पवधि उपाय जैसे निदेशों और विकसित कृषि व्यवहारों को इष्टतम करना मध्यावधि उपाय जैसे, सिंचाई निकासी, पुनर्नवीकरण प्रूनिंग तथा इनफिलिंग और दीर्घावधि उपाय जैसे पुनर्रोपण तथा प्रभावी अनुसंधान एवं विकास हस्तक्षेप।

पश्चिमी यूरोप को इलैक्ट्रानिकी वस्तुओं का निर्यात

872. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष विशेषतः पश्चिमी यूरोप को इलैक्ट्रानिकी वस्तुओं के निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो सरकार द्वारा इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए है।

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) जी हां, इलैक्ट्रानिक मदों के निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से इलैक्ट्रानिक मदों का निर्यात तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों को इसका निर्यात निम्नलिखित रहा :—

भारत से इलैक्ट्रानिक मदों का निर्यात

(करोड़ रुपया)

	1992-93	1993-94	1994-95
	617.08	952.14	1273.31
वृद्धि (%)	—	54.29	33.73

पश्चिमी यूरोपीय देशों को निर्यात

	1992-93	1993-94	1994-95
	118.15	205.74	280.84
वृद्धि (%)	—	74.13	36.50

लघु उद्योग क्षेत्रों के लिए निर्धारित क्षेत्र में निर्यातोन्मुख एकक

873. श्री प्रकाश बी० पाटील : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यातोन्मुख एककों को उन क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है जो पहले लघु उद्योग क्षेत्रों के लिए निर्धारित थे और निर्यातोन्मुख एककों के लिए मूलभूल ढांचे के निर्माण के लिए राज्यों को धनराशि आवंटित करने का भी निर्णय लिया है :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उप क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बरती गई सावधानियों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) निर्यातोन्मुखी एककों (ई०ओ०यू०) अपने समस्त उत्पादन का निर्यात करता हैं और इनकी स्थापना सभी अनुमत वस्तुओं के लिए की जा सकती है जिसमें लघु उद्योगों (एस०एस०आई०) के लिए आरक्षित वस्तुएं भी शामिल है। निर्यातोन्मुखी एककों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा के उपाय के रूप में घरेलू बाजार में सीमित प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई है लेकिन इससे घरेलू उद्योग पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं होती।

इसके अतिरिक्त, घरेलू टैरिफ क्षेत्र की गैर-लघु उद्योग एककों को लघु उद्योग क्षेत्र के एककों के लिए आरक्षित वस्तुओं का विनिर्माण करने की अनुमति उनके इस वचनपत्र के बाद दी जाती है कि वे अपने उत्पादन का 75 प्रतिशत निर्यात करेंगे।

राज्य सरकारों की निर्यातोन्मुखी उत्पादन के लिए ढांचागत सुविधाओं की स्थापना में सहायता करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ई०पी०आई०पी०) योजना तैयार की गई है। अब तक ऐसे स्थापित किये जाने वाले पार्कों अनुमोदन धनधारी कलां (पंजाब), अम्बरनाथ (महाराष्ट्र), बादूबी (हिमाचल प्रदेश) सीतापुरा (राजस्थान), हुब्बी (कर्नाटक), काकनाडा (केरल), कुन्डली (हरियाणा), सूरजपुर (उत्तर प्रदेश), गुमीडी पून्डी (तमिलनाडु) पशमयलारम (आन्ध प्रदेश), सावली (गुजरात), हाजीपुर (बिहार), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), बीरणीहार (मेघालय) और देवास (मध्य प्रदेश) में दिया गया है।

बाल श्रमिक

874. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरणीय ह्रास के कारण बाल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सेंटर आफ कंसर्न फार चाइल्ड लेबर ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बाल श्रमिकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि की समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) सेन्टर आफ कन्सर्न फॉर चाइल्ड लेबर से प्राप्त सूचना के अनुसार, उन्होंने वातावरण और बाल श्रम के बीच संबंध के बारे में एक अध्ययन करवाया है। द सेन्टर ऑफ कन्सर्न फॉर चाइन्ड लेबर ने यह भी सूचित किया है कि पूर्ण और अंतिम रिपोर्ट कुछ समय पश्चात् तैयार हो जाएगी।

(घ) भारत सरकार ने माना है कि निर्धनता, शिक्षा की कमी, जागरूकता की कमी आदि जैसे अनेक कारकों के कारण बाल श्रम विद्यमान है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए अगस्त, 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति घोषित की। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अंतर्गत बाल श्रम का पुनर्वास करने के लिए तीन सूत्री कार्य योजनाएं हैं अर्थात (i) एक विधायी कार्य योजना, (ii) जहां कहीं संभव हो, बालकों को लाभ प्रदान करने के लिए सामान्य विकास कार्यक्रमों पर जोर देना, और (iii) मजदूरी/अर्द्ध मजदूरी नियोजन में लगे बाल श्रमिकों की उच्च बहुलता वाले क्षेत्रों में परियोजना-आधारित कार्य योजनाएं।

वर्तमान में आठ राज्यों में अनुमानतः 16000 बालकों को शामिल करके बारह राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत शुरू किया गया एक कार्यकलाप रोजगार से हटाये गये बालकों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषणाहार आदि जैसी बुनियादी जरूरत मुहैया करवाने के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना करना है। सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत कामकाजी बालकों के लिए कल्याणकारी परियोजना शुरू करने के लिए स्वयंसेवी एजेंसियों को 75% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। जोखिमकारी व्यवसायों में कार्य करने वाले अनुमानित 20 लाख बाल श्रमियों का सन् 2000 तक उन्मूलन करने के लिए भारत सरकार मुख्य कार्यक्रम शुरू किया है। चालू वर्ष के लिए, योजना आयोग ने निष्पादन के आधार पर और

अधिक निधियां प्रदान किये जाने के आश्वासन के साथ 34.4 करोड़ रुपए आबंटित किये हैं।

इंडियन एयरलाइन्स में विमान चालकों की कमी

875. श्री एस०एम० लालजान बाशा : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार एअर बस-300 विमानों के लिये पर्याप्त संख्या में उपयुक्त और तकनीकी रूप से योग्य विमान चालकों को किस प्रकार भर्ती और प्रशिक्षित करने का है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) कमाण्डरों की कमी के कारण इंडियन एयरलाइंस इस समय अपने बेड़ पर ए–300 विमानों का अधिकतम उपयोग नहीं कर सकी है।

(ख) भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ और प्रबंधकवर्ग के बीच हुई सहमति से विमान चालकों का प्रशिक्षण जीविका स्वरूप के अनुसार पूरा किया जाना अपेक्षित है। विद्यमान जीविका स्वरूप के अनुसार ए-320 प्रकार के विमानों पर कमाण्डरों को ए-300 प्रकार के विमानों पर कमाण्डरों के रूप में प्रशिक्षण किया जाना होता है। इस समय ए-320 प्रकार के विमानों पर कमाण्डरों की कमी होने के कारण इंडियन एयरलाइंस ए-320 के कमाण्डरों को ए-300 के कमाण्डरों के रूप में पदोन्नत करने की स्थिति में नहीं है।

तथापि, योजनाबद्ध अनुसूची बनाने के लिए इंडियन एयरलाइंस ने ऐसे ए-300 कमाण्डरों को संविदात्मक नियुक्ति देने का प्रस्ताव किया है जो, गत दो वर्षों की अवधि के दौरान सेवानिर्वत्त हुए हैं। इसके अलावा, एयर इंडिया के एक सेवानिवृत्त कमाण्डर को भी संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है।

व्यापार घाटा

876. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही के महीनों में व्यापार घाटे में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समय आयात और निर्यात की स्थिति क्या है; और

(घ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) अप्रैल-जून, 1995 के दौरान अनूमानित अनंतिम व्यापार घाटा 824.20 लाख अमरीकी डालर है जो गत वर्ष इसी अवधि के दौरान हुए व्यापार घाटे से अधिक हैं।

(ख) घाटे के स्तर में बढोत्तरी का कारण तेल और तेल से भिन्न आयात की वस्तुएं दोनों में वृद्धि को कहा जा सकता है जिसमें कच्चा माल, मध्यवर्ती वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, निर्यात से जुड़ा आयात शामिल है। तेल से भिन्न आयात की वस्तुओं का उच्च स्तर उच्च औद्योगिक विकास और त्वरित निर्यात कार्य-निष्पादन के कारण हुआ है।

(ग) 1995-96 को पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान निर्यात और आयात का ब्यौरा और तत्संबंधी वृद्धि निम्न प्रकार हैं :–

	लाख अमरीकी डालर	वृद्धि प्रतिशत
आयात	7991.70(अ)	37.5
निर्यात	7167.50(अ)	27.7
		(अः अनंतिम)

(घ) यह जानते हुए कि आज अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व आर्थिक क्रियाकलाप का एक प्रमुख घटक है, सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने और सुदृढ़ आर्थिक विकास बनाये रखने के लिए कई कदम उठाये हैं। घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधिओं द्वारा प्रस्तुत अवसरों और चुनौतियों के प्रत्युत्तर में भारत को व्यापार नीति को जुलाई 1991 में उदारीकृत किया गया था। व्यापार नीति का उद्देश्य मुक्त वातावरण तैयार करना निर्यातसंवर्धन ढांचे को सुदृढ़ बनाना, प्रक्रिया को सरलीकृत और सुप्रवाही बनाने की प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को दूर करना, निर्यात उत्पादन में वृद्धि, कार्यकुशलता में सुधार और प्रतिस्पर्द्धा में पैनापन लाना, निविष्ट वस्तुओं को उपलब्धता सुलभ कराना, गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी को उच्च कोटि का बनाने पर ध्यान देना और निर्यात संवर्धन को सुदृढ़ बनाने के लिए स्कीमें आरम्भ करना था। अल्प ब्याज पर निर्यात ऋण प्रदान करने और निर्यात लाभों पर कर-छूट प्रदान करने के प्रयास भी किये गये हैं। निर्यात संवर्धन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और व्यापार उद्योग और सम्बन्धित संस्थानों के साथ परामर्श करके निर्यातों को बढ़ाने के उपाय किये जा रहे हैं।

एयर इंडिया द्वारा बेड़े में विस्तार

877. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जून, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एअर इंडिया टू एक्सपेंड फ्लीट बाय बैट लीजिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समाचार में उल्लिखित मुद्दों तथा विमान प्राप्त करने की वर्तमान स्थिति/लिए गये निर्णय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विमानों की सेवाएं किन-किन मार्गों पर शुरू की जायेंगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एयर इंडिया अपने उत्पाद, छवि और समय पर कार्य निष्पादन में सुधार के लिए कदम उठा रहा है। जहां तक पट्टा आधार पर अतिरिक्त विमान प्राप्त करने का संबंध है, अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

जब्त की गयी हशीश

878. श्री साइमन मरान्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों ने विदेश जा रहे कई विदेशी नागरिकों से हशीश और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1995 से आज तक कितने विदेशी नागरिकों से चरस, हशीश और अन्य आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद की गई हैं;

(ग) इन मामलों में की गई जब्ती का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन मामलों में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं; और कितने व्यक्तियों को दंडित किया गया है; और

(घ) विभिन्न अदालातों को ऐसे कितने मामले भेजे गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) जनवरी, 1995 से लेकर आज तक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे,

नई दिल्ली पर 13 विदेशी राष्ट्रिकों से हशीश तथा हेरोइन के पकड़े जाने के 11 मामले दर्ज किए गए हैं। उनसे कुल मिलाकर 8.018 किलोग्राम वजन की हेरोइन और 57.513 किलोग्राम वजन की हशीश पकड़ी गई थी। सभी तेरह विदेशी राष्ट्रिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और संबंधित न्यायालयों में पेश किया गया है। अदालती कार्यवाहियां चल रही हैं।

[हिन्दी]

हथकरघा बुनकरों के लिए आवास

879. श्री राजवीर सिंह :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार हथकरघा बुनकरों के लिये आवासों को निर्माण करने हेतु राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी सहायता प्रदान की गई तथा इससे राज्य-वार कितने बुनकर लाभान्वित हुए; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ 1995-96 के दौरान कितनी सहायता प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान हथकरघा बुनकरों के लिए कार्यशालाओं सह आवास/कार्यशालाओं के निर्माण राज्य सरकारों को दी गई सहायता और उनसे लाभान्वित बुनकरों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है :—

(राशि लाख रुपए)

क्र०सं०	राज्य	1992-93		1993-94		1994-95	
		दी गई सहायता	लाभान्वित बुनकर	दी गई सहायता	लाभान्वित बुनकर	दी गई सहायता	लाभान्वित बुकनर
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	175.785	2227	159.00	3100
2.	असम	40.00	1000	8.87	222	143.13	2078
3.	बिहार	37.00	1633	52.00	1300	80.00	2000
4.	हिमा० प्रदेश	11.20	280	28.00	700	29.49	750
5.	जम्मू-कश्मीर	5.00	333	3.76	94	[illegible].27	218
6.	कर्नाटक	60.34	431	32.94	824	80.00	2000
7.	केरल	28.86	557	70.4797	587	95.10	1137
8.	मध्य प्रदेश	19.03	1269	40.00	1000	18.24	456
9.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	22.00	550
10.	मणिपुर	—	—	30.00	750	45.60	1140
11.	मेघालय	—	—	—	—	1.20	30
12.	मिजोरम	—	—	4.00	100	10.00	250
13.	उड़ीसा	60.00	1500	40.00	1000	100.00	2500
14.	राजस्थान	—	—	40.16	1004	6.00	150
15.	त्रिपुरा	8.50	400	8.00	200	40.00	1000
16.	तमिलनाडु	121.50	2100	84.00	600	56.00	400
17.	उ० प्र०	110.50	3287	182.00	2600	182.00	3050
18.	प० बंगाल	—	—	—	—	43.97	1200
	कुल योग	501.93	12790	799.9947	13208	1115.00	22009

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान हथकरघा बुनकरों के लिए कार्यशालाओं/कार्यशाला-सह-आवास के निर्माण हेतु राज्य सरकारों को इस योजना के अंतर्गत सहायता देने के लिए 12.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बैंकों को वित्तीय सहायता

880. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों को केन्द्रीय बजट से गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बैंकवार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या इस प्रक्रिया से संबंधित राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूंजी में वृद्धि नहीं होती है क्योंकि सरकार द्वारा इन बैंकों को दी गई वित्तीय सहायता किसी अन्य रूप में वापस ले ली जाती है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार को उन बैंकों से किसी अन्य रूप में कितनी धनराशि वापस मिली जिन बैंकों को गत तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) बैंकों के पुनपूंजीकरण के लिए 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान भारत सरकार द्वारा अंशदान की गई राशियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) चूंकि भारत सरकार द्वारा किया गया अंशदान बैंकों की शेयर पूंजी के लिए है, इसलिए उनकी चूकता पूंजी में वृद्धि होगी।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों को नकद रूप में दी गई 924.58 करोड़ रुपए की राशि को छोड़कर, बैंकों के पुनपूंजीकरण के लिए सरकार द्वारा किए गए अंशदान का बैंकों द्वारा साथ-ही-साथ नियत ब्याज दर वाले सरकारी बांडों में निवेश कर दिया गया था।

विवरण

क्रम सं०	बैंक का नाम	1992-93	1993-94	1994-95	
				श्रेणी-I	श्रेणी-II
				(करोड़ रु०)	
1.	इलाहाबाद बैंक	50	90	356.20	101.61
2.	आन्ध्रा बैंक	40	150	184.32	—
3.	बैंक आफ बड़ौदा	45	400	—	—
4.	बैंक आफ इंडिया	110	635	848.38	348.22
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	40	150	334.19	—
6.	केनरा बैंक	—	365	—	—
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	50	490	632.46	—
8.	कार्पोरेशन बैंक	20	45	—	—
9.	देना बैंक	—	130	6.11	72.28
10.	इंडियन बैंक	50	220	230.96	180.94
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	50	705	258.60	132.74
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	20	50	—	—
13.	पंजाब नेशनल बैंक	—	415	—	—
14.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	20	160	116.03	—
15.	सिंडिकेट बैंक	85	630	278.59	88.79
16.	यूको बैंक	—	535	515.52	—
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	50	200	—	—
18.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	—	215	533.87	—
19.	विजया बैंक	25	65	62.31	—
20.	न्यू बैंक आफ इंडिया	45	—	—	—
	जोड़ :	700	5700	4362.54	924.58

[अनुवाद]

तमिलनाडु के लिए विश्व बैंक सहायता

881. श्री पी० कुमारासामी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में तमिलनाडु की दो विकास परियोजनाओं हेतु ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा उन परियोजनाओं के लिए कितनी राशि का ऋण स्वीकार किया गया है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना का काम कब से शुरू हो जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी हां, विश्व बैंक बोर्ड ने तमिलनाडु के लिए दिनांक 20.6.95 को द्वितीय मद्रास जलपूर्ति (न्यू. विरानम) एवं तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना, नामक क्रमशः 275.8 मिलियन तथा 282.9 मिलियन अमरीकी डालर की राशि की दो परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

(ग) ऋण करारों पर अभी हस्ताक्षर होने बाकी हैं तथापि, पूर्वप्रभावी वित्त व्यवस्था की सम्भावना पर विचार किया गया है, दोनों परियोजनाओं पर शुरू किए गए कार्य परियोजना के भाग के रूप में प्रतिपूर्ति के लिए उपयुक्त होंगे।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

882. श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों विशेषतः उड़ीसा में चलाई जा रही राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य में इस परियोजना के अन्तर्गत कितने बच्चों को शामिल किया गया है;

(ग) इन परियोजनाओं के अन्तर्गत शुरू की गई प्रमुख गतिविधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान आज तक प्रत्येक राज्य को इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित/उपयोग की गई ?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) वर्तमान में 8 राज्यों में 12 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इस परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल किये गये बालकों की राज्य-वार संख्या निम्नानुसार है :—

क्रम	राज्य	जिला	बालकों की संख्या
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	1500
2.		मुरादाबाद	500
3.		अलीगढ़	500
4.		मिर्जापुर-भदोही	2500
5.	आन्ध्र प्रदेश	मार्कापुर	1000
6.		जग्गमपेट	100
7.	तमिलनाडु	सिवाकासी	2350
8.	मध्य प्रदेश	मंदसौर	900
9.	बिहार	गढ़वा	450
10.	राजस्थान	जयपुर	1000
11.	महाराष्ट्र	थाणे	2000
12.	उड़ीसा	संबलपुर	3000

(ग) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत शुरू किया गया एक मुख्य कार्यकलाप रोजगार से हटाए गए बालकों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषणाहार आदि जैसी बुनियादी आवश्यकताएं मुहैया करवाये जाने के लिए विशेष स्कूल स्थापित करना है।

(घ) 1993-94, 1994-95 के दौरान निधियों का कुल आबंटन क्रमशः 3.20 करोड़ रुपए और 3.63 करोड़ रुपए है। उपयोग किए जाने संबंधी आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनागत योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाली परियोजना समितियों और गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि प्रदान की जाती है न कि राज्य सरकारों को।

निर्यातकों हेतु पास बुक योजना आरंभ करना

883. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु निर्यातकों के लिए पास बुक योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो इससे होने वाले लाभों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्यात हेतु ऋण के मामले में "अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों" की परिभाषा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में विस्तृत विवरण एक्सिम नीति के संशोधित संस्करण तथा क्रियाविधि संबंधी पुस्तिका, भाग 1, जोकि क्रमशः 31 मार्च एवं 30 अप्रैल, 1995 का प्रकाशित हुई, में दिए गए हैं। तदुपरान्त दिनांक 28 जुलाई, 1995 की सार्वजनिक सूचना सं० 301 (पी०एन०)/92-97 में पासबुक का प्रपत्र दे दिया गया है। एक्सिम नीति क्रियाविधि संबंधी पुस्तिका तथा सार्वजनिक सूचना की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) इस उद्देश्य के लिए "अंतर्राष्ट्रीय कीमतों" का अर्थ होगा निर्यातक द्वारा घोषित तथा संबंधित सहायक सीमाशुल्क समाहर्ता द्वारा स्वीकृत निर्यात किए गए उत्पादों में प्रयुक्त निवेशों का मूल्य।

[हिन्दी]

एस्सार ऑयल के पब्लिक इश्यू में अनियमितताएं

884. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एस्सार ऑयल लिमिटेड के पब्लिक इश्यू में अनियमितताओं के कुछ मामलों की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा निवेशकों की शिकायतों को दूर करने और कम्पनी को शीघ्रातिशीघ्र सूचीबद्ध करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ख) सेबी और सरकार दोनों को मैसर्स इस्सार ऑयल लि० द्वारा जारी किए गए वैकल्पिक रूप से पूर्णतः परिवर्तनीय डिबेंचरों (ओ०एफ०सी०डी०) के पब्लिक इश्यू में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। शिकायतों में अधिक बल इस बात पर दिया गया था कि इश्यू में अनेक अपात्र आवेदन थे। सेबी ने शिकायतों की जांच की। जांच रिपोर्ट और स्वतंत्र कानूनी मत के आधार पर सेबी ने यह निष्कर्ष निकाला कि कंपनी द्वारा ओ०एफ०सी०डी० के पब्लिक इश्यू मे कोई अनियमितताएं नहीं थीं।

(ग) कंपनी द्वारा इश्यू के सूचीकरण को रद्द करने वाले कुछ स्टाक एक्सचेंजों के आदेश सेबी द्वारा खारिज कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

गुजरात में पर्यटन विकास

885. श्री काशीराम राणा : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात सरकार को पर्यटन के विकास के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) उन परियोजनाओं/ऐतिहासिक स्थलों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए यह सहायता प्रदान की गई थी;

(ग) राज्य के पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों में स्थित उन स्थलों के क्या नाम हैं जिन्हें यह सहायता मिलेगी; और

(घ) 1994-95 तथा 1995-96 के लिए वित्तीय सहायता मंजूर किए जाने हेतु केन्द्रीय सरकार के पास लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान गुजरात राज्य में पर्यटन के विकास के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 86.66 लाख रु० की राशि की 9 परियोजनाएं/स्कीमें मंजूर की थीं। राशि तथा स्थान के ब्यौरे सहित परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है :—

क्रम सं०	परियोजना/स्कीम का नाम और स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख रु० में)
1	2	3
	1992-93	
1.	तारनेतर के लिए कैंपिंग उपकरण	15.90
2.	प्रचार सहायता	5.00
	1993-94	
3.	नालसरोवर पर पर्यटक परिसर	19.68
4.	पोरबंदर पर कैफेटेरिया	14.60
5.	सोमनाथ मंदिर की प्रकाश पुंज व्यवस्था	17.46
6.	रिपरिट टाइप लैण्ड सेलिंग याज की दो यूनिटें	4.48
7.	नवरात्रि उत्सव	1.85
8.	तारनेतर उत्सव	2.69
9.	प्रचार सहायता	5.00

(ग) नालसरोवर और तारनेतर स्थल, गुजरात राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं और सोमनाथ धार्मिक महत्व के साथ एक ऐतिहासिक स्थल है। पोरबंदर एक ऐतिहासिक स्थल है।

(घ) वर्ष 1994-95 के दौरान, 21.19 लाख रु० राशि की तीन परियोजनाएं/स्कीमें मंजूर की थीं। 1995-96 के दौरान गुजरात राज्य सरकार ने केन्द्रीय वित्तीय सहायता मांगने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

प्राइवेट विमान सेवा संचालन

886. श्री रमेश चेन्नितला :
श्री ए० इंद्रकरन रेड्डी :
डा० आर० मल्लू :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी एअरलाइनों से कतिपय अलाभकारी मार्गों पर अपने विमान चलाने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मार्गों पर विमान चलाने वाली एयरलाइनों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स द्वारा कतिपय मार्गों पर अपने विमान इसलिए नहीं चलाये जाते हैं क्योंकि इन मार्गों पर गैर-सरकारी एअरलाइन के विमान चल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) मार्ग वितरण से संबंधित दिनांक 1.3.94 को जारी मार्गदर्शी-सिद्धांतों के अनुसार सभी अनुसूचित अंतर्देशीय प्रचालकों से विशिष्ट ट्रंक मार्गों पर लगाई गई क्षमता का कम से कम 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर, अण्डमान-निकोबार या लक्षद्वीप के मार्गों पर लगाने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार लगाई गई क्षमता का कम से कम 10 प्रतिशत स्वयं इस क्षेत्र में होना आवश्यक है। प्रचालक को ट्रंक मार्गों पर लगाई गई क्षमता का कम से कम 50 प्रतिशत गैर ट्रंक मार्गों पर भी लगाना होता है।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइन्स अपने प्रचालन यातायात मांग और कर्मीदल/विमानों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर निश्चित करती है।

वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण

887. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कपास उत्पादक क्षेत्रों में वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार विशेष रूप से गुजरात में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यवार तथा विशेष रूप से गुजरात में सरकारी क्षेत्र के वस्त्र एककों के आधुनिकीकरण हेतु वर्ष 1995-96 के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है; और

(घ) वस्त्र एककों के समग्र आधुनिकीकरण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) तथा (ख) सरकार ने देश के कपास उपजकर्ता क्षेत्रों में वस्त्र उद्योग के संवर्द्धन के लिए कोई विशेष कार्य योजना तैयार नहीं की है। तथापि, सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र उद्योग के विभिन्न पहलुओं के लिए समय-समय पर अनेक योजनाएं तैयार तथा कार्यान्वित की गई हैं।

(ग) तथा (घ) वर्ष 1995-96 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में वस्त्र एककों के आधुनिकीकरण के लिए कोई निधियां अभी तक उद्दिष्ट नहीं की गई हैं। तथापि, सरकार ने गुजरात में अवस्थित मिलों सहित एन०टी०सी० मिलों के लिए एक सर्वागीण सुधार नीति का अनुमोदन किया है। इस सर्वांगीण सुधार नीति में 2005.78 करोड़ रु० की लागत पर 79 मिलों का आधुनिकीकरण शामिल है। यह पैकेज बी०आई०एफ०आर० द्वारा पुनर्वासन योजना का अनुमोदन होने के पश्चात ही लागू होगा।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम, कानपुर

888. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकार के बीच कानपुर में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की "फ्री लैंड" संपतियों के संबंध में कोई विवाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विवाद को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) 10 पट्टे भूखंडों के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार और एन०टी०सी० (उ०प्र०) लि० के बीच विवाद है। ये भूखंड रुग्ण वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 द्वारा केन्द्रीय सरकार एन०टी०सी० को अंतरित तथा सौंप दिए गए हैं। तथापि, राज्य सरकार ने इस आशय के नोटिस जारी किए हैं कि एन०टी०सी० को ऐसे परिसरों को खाली कर देना चाहिए तथा उसका स्वामित्व उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप देना चाहिए अथवा इनको पट्टेधारिता से फ्री होल्ड में परिवर्तित करने के लिए आवेदन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई के विरुद्ध नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध स्थगत आदेश जारी कर दिया तथा यह मामला न्यायाधीन है।

महिला श्रमिक

889. श्री ए० इन्द्रकरन रेड्डी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा लघु उद्योगों, आंगनबाड़ी के केयर सेन्टर आदि जैसे शैक्षिक एजेंसियों, पुलिस बल, सुपर बाजार तथा अस्पतालों में कार्यरत महिला श्रमिकों के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा महिला श्रमिकों को शिक्षित करने, प्रशिक्षण देने तथा उनके कल्याण हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कामकाजी महिलाओं में जागरूकता पैदा करने हेतु कोई नीति तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) सरकार ने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में महिला श्रमिकों के नियोजन के संबंध में अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) ने महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर शिक्षा हेतु विशेष पहुंच मुहैया करवाए जाने के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किये हैं। इन कार्यक्रमों के उद्देश्य हैं प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, माध्यमिक स्तर से आगे की शिक्षा का व्यवसायीकरण और पॉलिटैक्निक और उच्चतर तकनीकी शिक्षा का आधुनिकीकरण।

राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (एन०वी०टी०आई०) नौएडा (उ०प्र०) और भारत के भिन्न-भिन्न भागों में स्थित दस क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (आर०वी०टी०आई०) महिलाओं को बुनियादी और उच्च स्तरों पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना के अंतर्गत महिलाओं के प्रशिक्षण संस्थान (आई०टी०आई०) के आधुनिकीकरण और स्थापना के लिए विशेष ध्यान भी दिया जाता है। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी०जी०ई०टी०) के अंतर्गत एक महिला प्रकोष्ठ महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण के मामले में राज्यों के साथ समन्वय भी कर रहा है।

महिला कर्मकारों के लाभार्थ शिशु देख-रेख केन्द्रों की स्थापना करने के लिए कतिपय श्रम कानूनों में सांविधिक उपबंधों का प्रावधान किया गया है। श्रम मंत्रालय ने महिला औद्योगिक कर्मकारों के लिये शिशु गृह सुविधाओं की स्थापना करने के लिए नियोजकों को प्रोत्साहित करने हेतु स्वयं—सेवी संगठनों को सहायता अनुदान मुहैया करवाए जाने के लिए एक योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नियोजन शिशुगृहों की व्यवस्था करने में अंतर्ग्रस्त व्यय को ध्यान में रखकर महिलाओं का रोजगार कम न करें। यह योजना उन नियोजकों/प्रतिष्ठानों को भी समर्थ बनाती है जिनके लिए योजना के अंतर्गत सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए शिशुगृह मुहैया करवाया जाना संविधिक रूप से आवश्यक नहीं है।

(घ) और (ङ) महिलाओं की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने के लिए श्रम मंत्रालय में महिलाओं के लिए विशेष प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। यह प्रकोष्ठ ऐसी नीतियां प्रारूपित करने के लिए उत्तरदायी है जिनका उद्देश्य कार्य के समय उन्हें होने वाली कठिनाइयों को दूर करना, उनकी सौदेकारिता को स्थिति को सुदृढ़ करना, उनकी मजदूरी और कामकाजी परिस्थितियों को बेहतर बनाना, उनके कौशलों में वृद्धि करना तथा उनके लिए बेहतर रोजगार अवसरों का सृजन करना है।

कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के लिए पेंशन योजना

890. श्री वाइल जॉन अंजलोज :
श्री ए० चार्ल्स :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के लिए लागू की जाने वाली पेंशन योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस योजना को कब से लागू कर दिया जायेगा ?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के लिए पेंशन योजना तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार को सक्षम बनाने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में संशोधन के लिए एक विधेयक राज्य सभा में अभी लम्बित है। चूंकि प्रस्ताव, में अधिनियम का संशोधन करना शामिल है, इसलिए योजना के संभावित क्रियान्वयन का समय बता पाना मुश्किल है।

बीमा कर्मचारियों की पेंशन निधि

891. श्री दत्तात्रेय बंडारू :
श्री गुरुदास कामत :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार साधारण बीमा निगम को अपने कर्मचारियों को पेंशन निधि का प्रबंधन स्वयं करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कतिपय सरकारी संगठन जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय तेल निगम और बम्बई पत्तन न्यास अपने कर्मचारियों की पेंशन निधि का संचालन स्वतंत्र रूप से स्वयं कर रहे हैं, इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

करेंसी नोटों का मुद्रण

892. श्री मोहन रावले :
श्री रामपाल सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 जून, 1995 से करेंसी नोटों का मुद्रण कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अहमदाबाद विमानपत्तन का आधुनिकीकरण

893. श्री हरिन पाठक : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अहमदाबाद विमानपत्तन का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य हेतु अब तक कितनी राशि का आबंटन किया गया है;

(ग) क्या इस काम को शुरू करने तथा इसे पूरा करने के संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) जी, हां। 29.15 करोड़ रुपये की लागत पर अत्याधुनिक प्राथमिक तथा गौण रडार स्थापित किए जा रहे हैं और इस कार्य को जून, 1996 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त 40 लाख रुपए की लागत पर एयरपोर्ट स्पीच रिकार्डर स्थापित करने का प्रस्ताव है और यह परियोजना दिसम्बर, 1995 तक तैयार हो जायेगी।

लघु बचतें

894. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान लघु बचतों के रूप में कुल कितनी धनराशि इकट्ठी की गई है;

(ख) मूल राशि और ब्याज के भुगतान के पश्चात् उक्त वर्ष के दौरान शुद्ध रूप से कितनी धनराशि इकट्ठी की गई है;

(ग) शुद्ध बचत राशि का कितने प्रतिशत हिस्सा राज्यों में वितरित किया गया है;

(घ) इस वितरण का आधार क्या है; और

(ङ) राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान कुल लघु बचत संग्रहण (अनंतिम) 35,545.88 करोड़ रुपये था।

(ख) वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान शुद्ध संग्रहण (अनंतिम) 15, 117.49 करोड़ रुपये था।

(ग) और (घ) कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी राज्य में शुद्ध संग्रहण का 75 प्रतिशत उस राज्य की राज्य योजना के वित्तपोषण हेतु दीर्घकालीन ऋण के रूप में दिया जाता है।

(ङ) वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान राज्यवार जारी ऋण की राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1994-95 के दौरान शुद्ध लघु बचत संग्रहण की तुलना में राज्यों को जारी किए गए ऋण

राज्य का नाम	राशि (लाख रुपये में)
आन्ध्र प्रदेश	59130
अरुणाचल प्रदेश	535
असम	38798
बिहार	24510
गोवा	2300
गुजरात	62627
हरियाणा	23767
हिमाचल प्रदेश	26604
जम्मू-कश्मीर	9321
कर्नाटक	74707
केरल	39323
मध्य प्रदेश	26755
महाराष्ट्र	76673
मणिपुर	495
मेघालय	1134
मिजोरम	384
नागालैंड	178
उड़ीसा	21151
पंजाब	41106
राजस्थान	45031
सिक्किम	274
तमिलनाडु	56991
त्रिपुरा	1611
उत्तर प्रदेश	164417
पश्चिम बंगाल	135143
कुल :	932965

निष्क्रिय हवाई पट्टियों का उपयोग

895. श्री पंकज चौधरी :
श्री महेश कनोडिया :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी विमान कम्पनियों की सहायता से विमान सेवाएं आरंभ करने हेतु पर्यटन की दृष्टि से रुचिकर स्थानों में या उनके आस-पास पड़ी निष्क्रिय हवाई पट्टियों का उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो कितनी निजी कम्पनियों को इस आशय का प्रस्ताव भेजा गया है; और

(ग) इस संबंध में निजी कम्पनियों की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) जी, हां। सैक्टरों का चयन तो निजी एयरलाइनों के वाणिज्यिक विवेक पर छोड़ा जाता है, परन्तु उन एयरलाइनों को प्राथमिकता दी जाती है जो दुर्गम स्टेशनों और पर्यटक रुचि के स्थानों को विमान सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव रखते हैं। अनुसूचित प्रचालकों के लिए मार्ग वितरण अपेक्षाओं के अनुसार, ट्रंक मार्गों पर प्रचालित सेवाओं की संख्या के अनुपात में, उन्हें पूर्वोत्तर, अण्डमान और निकोबार, जम्मू व कश्मीर तथा लक्ष्यद्वीप में न्यूनतम संख्या में सेवाएं प्रचालित करनी होती हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय होटल श्रृंखला के साथ समझौता

896. डा० पी० वल्लल पेरूमान :
श्री शरत पटनायक :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का विचार अपने छह अभिजात्य होटलों के विपणन तथा तकनीकी प्रबंध हेतु अंतर्राष्ट्रीय होटल श्रृंखला के साथ समझौता करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का विचार अपने वर्तमान होटलों का विस्तार करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) जी, हां। नई दिल्ली, कलकत्ता, बंगलौर, मैसूर और कोवलम के मुख्य स्थानों में स्थित अपने छः प्रमुख होटलों के विपणन और प्रबंधन में शामिल होने के लिए विश्व भर में प्रचालनरत अंतर्राष्ट्रीय होटल श्रृंखलाओं से बोलियां आमंत्रित करने हेतु जनवरी, 1995 में एक विज्ञापन दिया था। दस होटल श्रृंखलाओं ने अपनी बोलियां प्रस्तुत की हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

न्यूनतम मजदूरी

897. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक क्षेत्र के असंगठित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों दोनों ही अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/संशोधित करने के लिए समुचित सरकारें हैं। इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई है कि एक निश्चित समय के अंतराल में, जो पांच वर्षों से अधिक नहीं होगा, अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा/संशोधन किया जाए। केन्द्रीय सरकार 40 अनुसूचित रोजगारों के बारे में न्यूनतम मजदूरों की दरों का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार है जो मोटे तौर पर कृषि, भवन-निर्माण, खनन और रेलवे क्षेत्रों में श्रेणीबद्ध किए गए हैं, कृषि के क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में पिछली बार 12.8.92 को संशोधन किया गया था और क्रमशः भवन निर्माण, खनन और रेलवे क्षेत्रों में संबंधित अन्य 39 अनुसूचित रोजगारों के लिए मजदूरी की दरों में 12.7.94 को संशोधन किया गया था।

निजी एयरलाइनों की उड़ान परियोजनाएं

898. श्री रामपाल सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी एयरलाइनों से उनकी दीर्घावधि और अल्पावधि की उड़ान परियोजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कहा है ताकि विमान यात्रा और माल परिवहन संबंधी योजनाओं को तैयार करते समय उन्हें ध्यान में रखा जा सके;

(ख) यदि हां, तो उन एयरलाइनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें ऐसे पत्र जारी किये गये हैं; और

(ग) निजी एयरलाइनों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) देश में विमान परिवहन सेवाओं के संबर्द्धन/विस्तार के लिए सुविचारित नीति तैयार करने की दृष्टि से, 6 निजी अनुसूचित एयरलाइनों और 15 गैर-अनुसूचित एयरलाइनों को हाल ही में इस संबंध में अपनी भावी योजना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। अभी तक किसी भी प्रचालक ने पूरी योजना नहीं भेजी है।

[अनुवाद]

महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना

899. श्री अन्ना जोशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक गृहणी से बचत राशि एकत्र करने के लिए महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में देश में विशेषरूप से महाराष्ट्र में कितने एजेंटों की नियुक्ति की गई;

(घ) क्या इन एजेंटों ने कार्यकुशलता और धन संग्रहण कार्य में सुधार लाने के लिए कतिपय सुझाव दिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) यह योजना केवल गृहणियों से ही नहीं, सभी लघु बचत करने वालों से 5-वर्षीय डाकघर आवर्ति जमा खातों में धन संग्रहण के लिए दिनांक 1.4.1972 से शुरू की गई थी।

(ग) देश में महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना के अन्तर्गत नियुक्त एजेन्टों की कुल संख्या 1,19,602 है और महाराष्ट्र में उनकी संख्या 52,043 है।

(घ) और (ङ) इन एजेंटों के कतिपय सुझाव दिए हैं जिनमें एजेन्ट के कमीशन की दर में वृद्धि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (आठवां निर्गम) की परिपक्वता अवधि में कमी, 3-वर्षीय आवर्ति जमा खाता शुरू करना और एजेन्टों के कमीशन के दावों का शीघ्र निपटान शामिल है। एजेंटों के कमीशन के दावों को शीघ्र निपटाने के लिए राष्ट्रीय बचत संगठन के क्षेत्रीय निदेशकों को दूर दराज के एजेंटों को चैक जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अन्य सुझावों की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

एअर इंडिया की मालवाहक सेवा

900. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :
श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील :
श्री गोविन्द राव निकम :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया ने मालवाहक सेवा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह सेवा किन-किन क्षेत्रों में उपलब्ध की गई है;

(घ) इस सेवा में कितने विमानों को लगाया गया है और इन विमानों की दैनिक मालवाडी क्षमता कितनी है;

(ङ) सरकार का विचार इस सेवा को किन अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर शुरू करने का है; भविष्य में मालवाहक सेवा के बेडे में कितने विमान शामिल किये जाने का विचार है;

(च) क्या फलों और सब्जियों आदि के लिये एक बड़ा बाजार उपलब्ध करने हेतु सरकार का विचार इस सेवा को खाड़ी देशों में भी शुरू करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) इस समय एयर इंडिया निम्नलिखित सैक्टरों पर पट्टे पर लिये गये डी०सी० 8/73 एफ विमान से कारगो सेवाएं प्रचालित करती है :—

भारत/अमरीका/भारत	—	सप्ताह में दो बार
भारत/यूरोप/भारत	—	सप्ताह में एक बार
भारत/सिंगापुर/भारत	—	सप्ताह में दो बार

ये सेवाएं प्रति सप्ताह प्रत्येक दिशा में लगभग 200 टन कारगो क्षमता प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, एयरइंडिया की अनुसूचित यात्री उड़ानों पर भी कारगो क्षमता उपलब्ध है।

(ङ) एअर इंडिया की अन्य अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर कार्गो सेवाएं आरंभ करने की कोई तात्कालिक योजनाएं नहीं हैं।

(च) से (ज) एअर इंडिया की खाड़ी देशों के लिए नाश्वान वस्तुओं के परिवहन हेतु मालवाडी सेवाएं आरंभ करने की इस समय कोई योजनाएं नहीं हैं चूंकि इसकी यात्री सेवाओं पर प्रति सप्ताह उपलब्ध 750 टन कार्गो क्षमता पर्याप्त समझी गई है।

[अनुवाद]

इलैक्ट्रानिकी और भेषज निर्यातकों को अतिरिक्त सीमाशुल्क में छूट

901. श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कच्चे माल का आयात करने पर इलैक्ट्रानिकी और भेषज क्षेत्रों को अतिरिक्त सीमाशुल्क के भुगतान करने से छूट देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या निर्यातक आयात-निर्यात नीति से पैरा 47 को हटाने की मांग करते रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) जी, हां। फार्मास्यूटिकल्स और इलैक्ट्रोनिक्स सहित विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अतिरिक्त सीमाशुल्क की अदायगी से छूट और निर्यात एवं आयात नीति (एक्जिम पॉलिसी के पैरा 47 में उपयुक्त संशोधन की मांग की गई है।

(ग) और (घ) प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार-विमर्श किया जा रहा है।

[हिन्दी]

सिलेसिलाए परिधान उद्योग संबंधी अध्ययन

902. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलेसिलाए परिधान उद्योग पर "गैट" समझौते के पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अध्ययन के मुख्य परिणाम क्या हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) जी हां। भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि०, बम्बई ने हाल ही में बहु रेशा व्यवस्था एम०एफ०ए० (युगोत्तर की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अपरेल उद्योग द्वारा अपनाई जाने वाली अपेक्षित नीति के संबंध में अध्ययन कराया है। अध्ययन की मुख्य सिफारिशें निम्नोक्त प्रकार से हैं :—

(1) सरकार फर्म आकार पर लगे प्रतिबन्धों को हटाना चाहिए, स्वयं को बढ़ावा देना चाहिए और निवेशों को आकर्षक बनाना चाहिए।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को सुपर बनाने के लिए आयात नीति, प्रक्रिया और सीमा शुल्क का पुनः अनुकूलन किया जाना चाहिए।

(3) अनुकूल भण्डार गृहों को प्रोत्साहन देना ताकि आवको की उपलब्धता सुलभता से सुनिश्चित की जा सके और मूल्य के उतार-चढ़ाव की सुभेवता को कम किया जा सके।

(4) बड़ी समन्वयकारी कम्पनियां गठित की जाएं ताकि वे लघु उत्पादकों के विनिर्माण और उत्पादन विरम में लचीलेपन का लाभ उठा सकें।

(5) वितरण माध्यमों का अनुकूल अर्जन और यूरोप तथा अमरीका के मार्वा के नामों को प्रोत्साहन देना।

(6) सेवा परति पुनरभिविन्यास के लिए केन्द्रों/संस्थाओं को गठित किया जाना चाहिए।

(7) बैंकिंग क्षेत्र की प्रशासनिक नीतियों तथा प्रक्रियाओं को पुनः अनुकूलन करके तुरन्त प्रत्युत्तर के लिए उद्योग तथा व्यापार की आवश्कयता पर ध्यान देना चाहिए।

(8) निर्यातकों और आपूर्तिकर्त्ताओं के निष्पादन निर्धारण को लागू किया जाएगा।

(9) निर्यात संवर्धन क्रियाकलापों पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

(10) कोटा आवंटन नीति तथा प्रक्रिया का पुनर्निधारण किया जाना चाहिए, जिससे प्रभावी शाली अपरेल विनिर्माण आधार बने।

(11) भारतीय बन्दरगाहों को उन्नयन पद्धति द्वारा सामान को उतारने चढ़ाने में होने वाले विलम्ब को कम करने और बड़ी-बड़ी जहाजरानी कम्पनियों को आकर्षित करना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में बैंकों में लाभ/हानि

903. डा० साक्षी जी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में 1993-94 के दौरान विभिन्न राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों को हुए लाभ/हानि का बैंकवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा घाटे में जा रही बैंक शाखाओं को लाभ अर्जित करने वाली शाखाएं बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) ने सूचित किया है कि वाणिज्यिक बैंक लाभ हानि लेखों के राज्यवार ब्यौरे तैयार नहीं करते हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुसार, बैंकों से पूरे बैंक के लिए वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि लेखे तैयार

करने की अपेक्षा की जाती है। अतः मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक को वर्ष 1993-94 के दौरान 1226 लाख रुपए का लाभ हुआ था।

(ख) बैंकों की कार्यकुशलता एवं लाभप्रदता में सुधार करने के उद्देश्य से बैंकों पर इस बात के लिए बल दिया गया है कि वे अपना ऋण मूल्यांकन तंत्र सुदृढ़ बनाए रखें और अग्रिमों पर गहन निगरानी एवं नियंत्रण रखें। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे बहुत अधिक अनुपयोज्य आस्तियों वाली शाखाओं में वसूली अधिकारियों की नियुक्ति करें और उनकी वसूली की प्रगति की मासिक आधार पर निगरानी की जानी चाहिए।

कच्चे माल पर निर्यात शुल्क

904. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कच्चे माल (निर्यात किए जाने वाला माल) पर निर्यात में कुल मूल्य का साठ प्रतिशत शुल्क के रूप में वसूल नहीं किया जाता है;

(ख) क्या सरकार की जानकारी में कुछ ऐसे मामले आए हैं कि यह माल भारत से खरीदने के बाद समुद्र में फेंक दिया जाता है चूंकि प्रायः यह माल अन्य देशों में लाभकारी नहीं होता है और इस माल का निर्यात मात्र कच्चे माल पर आयात में साठ प्रतिशत छूट प्राप्त करने के लिए किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) शुल्क छूट योजना के तहत, माल के निर्यात के लिए इस्तेमाल की जाने वाली निविष्टियां सभी आयात शुल्कों अर्थात् मूल सीमा शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क की अदायगी से छूट प्राप्त हैं। तथापि, पहली अप्रैल, 1995 के बाद जारी किए गए अग्रिम लाइसेंसों के संबंध में केवल मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई है और ऐसे लाइसेंसों के अंतर्गत आयात की गई निविष्टियों पर अतिरिक्त सीमा शुल्क उदग्रहणीय है।

(ख) ऐसा कोई मामला हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारत पर्यटन विकास निगम में अनियमितताएं

905. श्री राम कृपाल यादव : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान आज की तिथि तक भारतीय पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं से संबंधित कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त निगम के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध विभिन्न आरोपों के संबंध में सी०बी०आई० की जांच चल रही है;

(घ) यदि हां, तो ये जांच कब तक पूरी हो जाएगी;

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) कथित अवधि के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए हैं। इन मामलों का सम्बन्ध निजी लाभों के लिए सरकारी पद का दुरुपयोग करने, पक्षपात करने, निजी व्यवसाय करने, ग्राहकों को धोखा देने, चिकित्सा दावों का अनियमित आहरण करने, बकायों की वसूली न करने, सरकारी धन का दुरुपयोग करने आदि से है।

(ग) जी, हां।

(घ) सही समय बता पाना संभव नहीं है जिसके भीतर जांच-पड़ताल पूरी हो जाएगी।

(ङ) उन अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाती है जांच-पड़ताल के बाद जो चेतावनी पत्र जारी करने से लेकर सेवा समाप्ति तक विनिर्दिष्ट होती है।

(च) भारत पर्यटन विकास निगम के सतर्कता विभाग द्वारा आकस्मिक चैकों/निरीक्षणों में वृद्धि कर दी गई है और अनियमितताओं को समाप्त करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा अपनाई जा रही प्रणालियों का विश्लेषण किया गया है।

[अनुवाद]

एअर इंडिया के समक्ष वित्तीय संकट

906. श्री गुरुदास कामत :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एअर इंडिया का विचार विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से लाखों डालर कर्ज लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। फिलहाल एयर इंडिया के पास अपने मध्यम अवधि/अल्पावधि दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।

(ग) और (घ) सामान्यतया विमान प्राप्त करने के लिए ऋण व्यवस्था के माध्यम से वित्त पोषण किया जाता है। जिन दो बोइंग 747-400 विमानों की डिलीवरी जुलाई/अगस्त, 1996 में होनी है, उनको प्राप्त करने के लिए निधि-पोषण हेतु एक वित्तीय पैकेज तैयार किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा

907. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या **नागर विमानन पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) इनमें से कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए, कितने अस्वीकृत हुए और कितने प्रस्ताव अभी भी लम्बित हैं तथा प्रत्येक प्रस्ताव की अस्वीकृति के क्या कारण हैं; और

(ग) 1994-95 के दौरान इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन के विकास के लिए, वित्तीय सहायता हेतु सभी प्रकार से पूर्ण आठ परियोजनाएं/स्कीमें प्रस्तुत की थीं। सभी प्रस्ताव मंजूर कर दिए गए हैं।

(ग) 1994-95 के दौरान, राज्य में और छः उत्सव के आयोजन के लिए वित्तीय सहायत के रूप में 3.10 लाख रु० की राशि मंजूर की थी।

आयकर विभाग का कम्प्यूटरीकरण

908. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी नगरों तथा शहरों में आयकर प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस योजना के पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) जी, हां। देश के सभी आयकर कार्यालयों में 36 कम्प्यूटर केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहे हैं। दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास के इन तीन क्षेत्रों में विस्तृत कम्प्यूटरीकरण हेतु क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना की गयी है।

"करेंसी पेपर" का आयात

909. डा० मुमताज अंसारी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष में अभी तक कितने मूल्य के और कितने वाटर मार्कड बैंक नोट पेपर और स्याही का आयात किया गया;

(ख) किन-किन देशों से इनका आयात किया गया;

(ग) क्या ये आयात बातचीत के माध्यम से किये जा रहे हैं अथवा विश्व निविदाओं के माध्यम से;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में निर्दिष्ट मानदंडों और शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान उक्त आगात हेतु किन-किन पार्टियों/कंपनियों को अनुमति दी गई, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आयातित वाटर मार्कड बैंक नोट कागज और स्याही का मूल्य और मात्रा निम्नानुसार है :—

वर्ष	वाटर मार्कड कागज		स्याही	
	मात्रा (मी०टन में)	मूल्य (रुपयों में)	मात्रा (मी०टन में)	मूल्य (रुपयों में)
1992-93	256.64	6,11,05,842	402.98	22,21,35.338
1993-94	2145.58	46,89,17,443	68.00	3,38,01,832
1994-95	475.96	10,14,74,985	48.89	97,62,256
1995-96 (जुलाई तक)	497.06	14,49,18,426	57.04	4,50,61,771

(ख) "वाटर मार्कड" बैंक नोट कागज का आयात इंग्लैंड से किया जाता था, जबकि स्याही स्विटजर लैंड, जर्मनी, कनाडा और इंग्लैंड से आयातित की जाती थी।

(ग) और (घ) सभी आयात केवल विश्वव्यापी संविदाओं के जरिए और ऐसे मामले पर सरकारी नियमों के अनुसार किए जाते हैं।

(ङ) उपर्युक्त मदें निम्नलिखित पार्टियों से आयात की गईं।

मदें	पार्टियों का नाम
"वाटर मार्कड बैंक नोट कागज	मैसर्स पोर्टल्स लि० इंग्लैंड
स्याही	1. मैसर्स सिकपा एस०ए० स्विटजरलैंड
	2. मैसर्स माइकल ह्यूबर, जर्मनी
	3. मैसर्स कनाडियन बैंक नोट कम्पनी लि०, कनाडा
	4. मैसर्स बी०डब्ल्यू, इंक लि०, इंग्लैंड

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण लक्ष्य

910. श्रीमती महेन्द्र कुमारी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण प्रदान करने के मामले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का वर्ष-वार और राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण को भेजे गए मामले

911. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋण वसूली न्यायाधिकरण को बैंक-वार अब तक कुल कितने मामले भेजे गए हैं और प्रत्येक मामले में वसूल की जाने वाली राशि कितनी बनती है;

(ख) ऋण की वसूली के मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या न्यायाधिकरणों के पास मामले भेजे जाने के पश्चात् बड़ी संख्या में कर्मदारों ने परस्पर सहमत शर्तों पर बैंकों के साथ अपनी बकाया ऋण राशि के निपटान हेतु प्रयास किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन मामलों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) बैंकों को ऋणकर्त्ताओं से समय-समय पर समझौता प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और इन पर भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार और प्रत्येक बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा तैयार की गई नीति के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। तथापि, न तो सरकार की जानकारी में ऐसी बात आई है और न ही अब तक भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों से ऐसी कोई प्रति सूचना प्राप्त हुई है कि वसूली अधिकरणों की स्थापना के परिणामस्वरूप परस्पर सम्मत शर्तों पर बैंकों के साथ अपनी देयराशियों के निपटान के लिए काफी संख्या में ऋणकर्त्ता आगे आये हैं।

[हिन्दी]

नेशनल कैरियर के यात्री यातायात में वृद्धि

912. श्री राम टहल चौधरी : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी एयरलाइन्स की शुरूआत होने के बाद से सरकारी एयरलाइनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो नेशनल कैरियर में गत तीन वर्षों के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या की तुलना में गत वर्ष के दौरान इस कैरियर में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या कितनी थी;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की एयरलाइनों के घाटे में इसके परिणामस्वरूप कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) निजी अंतर्देशीय विमान कम्पनियों के प्रभाव में आने पर, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा वाहित अन्तर्राष्ट्रीय यातायात प्रभावित नहीं हुआ है। तथापि, इंडियन एयरलाइन्स द्वारा वाहित कुल यात्रियों की संख्या में गिरावट आई है।

ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	वाहित यात्रियों की कुल संख्या
1991-92	8.885 मिलियन
1992-93	7.821 मिलियन
1993-94	7.891 मिलियन
1994-95	7.635 मिलियन

(ग) और (ख) एयर इंडिया को पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई हानि नहीं हुई है। इंडियन एयरलाइन्स ने 1992-93 में 195.16 करोड़ रुपए, 1993-94 में 255.46 करोड़ रुपए और 1994-95 में 230.00 करोड़ रुपए की निवल हानि दर्शाई है।

एयर इंडिया द्वारा अवैध पूंजीनिवेश

913. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करके सिटी बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं में करोड़ों रुपये का पूंजी निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) एयर इंडिया द्वारा सिटी बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों में किये गये निवेश में अनियमितताएं पाई जाने पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 28.4.1995 को एक मामला दर्ज किया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की अन्वेषण रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

फलों का निर्यात

914. श्री एन०जे० राठवा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में देशवार विशेषरूप से गुजरात से कुल कितनी मात्रा में और किन-किन किस्म के फलों का विशेषतः आम का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : राज्यवार निर्मात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान आमों सहित देश से निर्यात किए गए फलों की कुल मात्रा तथा मूल्य निम्नानुसार है :—

मात्रा : मी०टन में
मूल्य : लाख रु० में

	1992-93		1993-94		1994-95 (अप्रैल-दिसम्बर, 94)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
1. आम (ताजा, कतला किया हुआ या सुखाया हुआ)	25943	4614	22947	4422	22958	4077

1	2	3	4	5	6	7
2. अंगूर	10801	2179	15932	3393	8002	1922
3. केला (ताजा या सुखाया हुआ)	1353	107	1086	147	786	70
4. सेब	8626	740	5988	667	4988	540
5. साइट्रस फल (ताजा या सुखाया हुआ)	8871	465	6807	426	386	24
6. अनार	1628	212	2623	367	2010	254
7. सपोटा	1510	133	2008	214	1741	156
8. अमरूद	580	166	319	72	91	12
9. अनन्नास	68	9	120	13	110	8
10. अन्य ताजे फल	15585	1243	16557	1206	2921	172

(स्रोत: डी०जी०सी०आई० एंड० एस०, कलकत्ता)

देशवार निर्यात आंकड़े वाणिज्यक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मंथली स्टेटिस्टिक्स ऑफ दि फॉरेन ट्रेड आफ इण्डिया के वार्षिक अंकों में उपलब्ध हैं, जिसकी प्रतियों संसद भवन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

भारत में जर्मन हाउस की स्थापना

915. श्री परसराय भारद्वाज : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बवेरिया के प्रमुख उद्योगपतियों ने सरकार से भारत-जर्मन आर्थिक संबंधों को तेजी से विकसित करने हेतु भारत में जर्मन हाउस की स्थापना करने का जोरदार अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जर्मनी के औद्योगिक रूप से प्रगतिशील बवेरिया और बाडेन बुट्टेमवर्ग राज्यों ने भारत में एक "जर्मन हाउस" की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित "जर्मन हाउस" ने भारतीय कंपनियों के साथ व्यवसाय संपर्कों की स्थापना और विस्तार करने के लिए जर्मन लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता करने की परिकल्पना की है। "हाउस" भारतीय कंपनियों को सूचना और सहायता भी प्रदान करेगा। भारत सरकार ने प्रस्ताव को अपना समर्थन देने की सूचना दी है।

[हिन्दी]

आर्थिक विकास

916. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपने सामाजिक दायित्वों की उपेक्षा करते हुए प्रतिस्पर्धा और मुनाफा कमाने की बढ़ती प्रवृत्ति अपनाने से देश के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि बैंक अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ब्लाक सर्च एसेसमेंट्स

917. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 मई, 1995 के "द हिन्दू बिजनेस लाइन" के नई दिल्ली संस्करण में "फाइन ट्यूनिंग ऑफ ब्लाक सर्च एसेसमेंट्स ऑन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें उल्लिखित तथ्य क्या-क्या हैं; और

(ग) इससे अधिकतम राजस्व की वसूली सुनिश्चित किए जाने के संबंध में किस हद तक सफलता प्राप्त हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार का उद्देश्य संशोधित कानून के अन्तर्गत तलाशी के मामलों का कर-निर्धारण करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख करना था जिसके बारे में अप्रैल, 1995 को आयोजित किए गए मुख्य आयुक्तों/महानिदेशकों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था। इसके पश्चात् उक्त प्रक्रिया के ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया गया है और क्षेत्र अधिकारियों को उचित अनुदेश जारी किए गए हैं। इन अनुदेशों द्वारा 1.7.95 को अथवा इसके बाद की गई तलाशी के मामलों में कर-निर्धारणों को शासित किया जाएगा।

(ग) "ब्लाक अवधि" कर-निर्धारण स्कीम दिनांक 1.7.95 को अथवा इसके बाद की जाने वाली तलाशियों पर लागू होगी। राजस्व वसूली के परिणाम

ज्ञात नहीं हैं क्योंकि आज की तारीख तक कोई ब्लाक अवधि कर-निर्धारण पूरा नहीं हुआ है।

भारत तथा स्वीडन के बीच व्यापार संबंध

918. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत तथा स्वीडन के बीच व्यापार का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार किये गये कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों के विस्तार हेतु पता लगाये गये क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकार का इरादा स्वीडन सहित सभी व्यापारिक भागीदारों के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का है। द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान, व्यापार मेलों में भागीदारी तथा बाजार सर्वेक्षण करने के अतिरिक्त भारत, स्वीडिश संयुक्त आयोग/संयुक्त व्यापार परिषद की नियमित बैंठकें शामिल हैं।

(ग) स्वीडन को निर्यात किए जाने की संभावना वाली कुछ मदें हैं :— संसाधित खाद्य, चमड़ा और उससे बनी वस्तुएं, सूती एवं रेशमी धागे/वस्त्र, हस्तशिल्प, कंप्यूटर साफ्टवेयर, ऑटोमोटिव/बिजली के उपकरण तथा समुद्री उत्पाद।

हथकरघा बुनाई तकनीक का आधुनिकीकरण

919. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा बुनाई तकनीक का आधुनिकीकरण करने हेतु कोई योजना शुरू की है;

(ख) क्या हथकरघा क्षेत्र में पारम्परिक बुनकरों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान के पारम्परिक हथकरघा बुनकरों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) समूचे देश में स्थित बुनकर सेवा केन्द्र अन्य बातों के साथ-साथ बुनाई की आधुनिक तकनीक विकास और अनुसंधान के कार्य में कार्यरत है जिसमें बुनकरों को प्रशिक्षण देना, भी शामिल है ताकि बुनकर ऐसी तकनीक को अपना सके। इसके साथ-साथ भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित प्रोजेक्ट पैकेज योजना और संगठित हथकरघा ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत भी बुनकरों को इस क्षेत्र में अपेक्षित सहायता दी जाती है।

(ख) जी हां।

(ग) राजस्थान राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रोजेक्ट पैकेज योजना और संगठित हथकरघा ग्राम विकास योजना के अंतर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हथकरघा बुनकरों के लिए 110.3325 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

साधारण बीमा निगम में अनुकम्पा के आधार पर रोजगार

920. डा० रमेश चंद तोमर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कंपनियों में कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में अनुकम्पा के आधार पर रोजगार प्रदान करने हेतु अपनाई जा रही नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान साधारण बीमा निगम और इसकी चार सहायक कंपनियों में अनुकम्पा के आधार पर रोजगार हेतु मृत कर्मचारी के कितने आश्रितों ने आवेदन किया है;

(ग) इनमें से अब तक कितने मामलों का निपटारा किया जा चुका है;

(घ) अन्य मामलों में निर्णय न लिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन मामलों का निपटारा कब तक किए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों की नीति के अनुसार, सेवा काल के दौरान मरने वाले कर्मचारी के परिवार के एक आश्रित सदस्य को यथोचित नौकरी दी जाती है, बशर्ते कि वह उस नौकरी विशेष के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता/आयु सीमा की न्यूनतम शर्तें पूरा करता हो।

(ख) से (ङ) जैसाकि साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है, विगत एक वर्ष के दौरान भारतीय साधारण बीमा निगम/सहायक कम्पनियों के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों से कुल 213 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 152 मामलों को निपटा दिया गया है। बाकी 61 मामलों को भी प्रत्येक मामले की जांच-पड़ताल के लिए आवश्यक पूरी सूचनाएं प्राप्त होने के पश्चात् यथा-समय निपटा दिया जाएगा।

[हिन्दी]

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मजदूरी

921. श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में विशेषतः उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना, गारंटीशुदा रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्यरत श्रमिकों को निर्धारित मजदूरी का भुगतान न किए जाने तथा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मशीनों की सहायता से कर किए जाने के संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (ग) संबंधित मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, जवाहर रोजगार योजना और रोजगार गारंटी योजना के

अंतर्गत कर्मकारों को संबधित राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों पर मजदूरी देना होता है। यद्यपि न्यूनतम मजदूरी दरों पर मजदूरी न दिए जाने के बारे में कोई विशेष सूचना प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी कुछ क्षेत्र अधिकारियों ने अपनी टुअर रिपोर्टों में मानकों का अनुपालन न किए जाने के बारे में उल्लेख किया है, जैसे, कुछ मामलों में न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी दी जाती है और कुछ अन्य मामलों में पुरूषों और महिलाओं को बराबर-बराबर मजदूरी नहीं दी जाती है। संबंधित राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे इस विसंगति को दूर करें।

[अनुवाद]

बीड़ी श्रमिक

922. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीड़ी क्षेत्र से बीड़ी श्रमिकों का मोह भंग करने तथा अन्यत्र रोजगार हेतु धनराशि जुटाई है;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सरकार को समूचे देश के 75 लाख बीड़ी श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु पर्याप्त धनराशि दी है, और

(ग) यदि हां, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ऋण वसूली प्रणाली

923. श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्री खेलन राम जांगड़े :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ऋण वसूली के लिए अपने मुख्यालयों में वसूली प्रकोष्ठों की स्थापना कर दी है और प्रत्येक शाखा के लिए ऋण वसूली लक्ष्य निर्धारित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले और 30 जून, 1995 की स्थिति के अनुसार ऋण वसूली में कितना सुधार हुआ है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) ने सूचित किया है कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने प्रधान कार्यालयों में वसूली कक्षों की स्थापना की है। जहां तक शाखा-वार लक्ष्यों का संबंध है, जहां कुछ बैंकों ने शाखा-वार लक्ष्य निर्धारित करने की पुष्टि की है, अन्यों ने बताया है कि उन्होंने अपने नियंत्रक कार्यालयों को शाखा-वार लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहा है। इस संबंध में बैंकों के कार्यनिष्पादन की बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों द्वारा आवधिक रूप से पुनरीक्षा की जानी होती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि दिनांक 31.3.95 को समाप्त वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में बैंकों के कार्यनिष्पादन की पुनरीक्षा की जा रही है।

विकलांगों के लिए रियायती विमान टिकट

924. डा० लाल बहादुर रावल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकलांगों को हवाई यात्रा के लिए टिकट में विशेष रियायत प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कितनी रियायत प्रदान की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वित्तीय कठिनाईयों के कारण, इस प्रकार की रियायतें साध्य नहीं समझी जाती हैं।

केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को स्कूटर के लिए अग्रिम राशि

925. श्री सूर्यनारायण यादव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिना किसी वेतन सीमा के केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को स्कूटर ऋण देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्कूटरों की कीमतों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए स्कूटर अग्रिम राशि को भी बढ़ाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) 1500 रुपए प्रति मास और उससे अधिक मूल वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी मोटर साइकिल/स्कूटर की खरीद के लिए अग्रिम राशि मंजूर किए जाने के पात्र हैं। अनुज्ञेय अग्रिम की राशि 13,000 रुपए अथवा 8 महीने का मूल वेतन अथवा स्कूटर/मोटर साइकिल की प्रत्याशित कीमत, जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

वित्तीय दबाव को ध्यान में रखते हुए विद्यमान सीमाओं को फिलहाल बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के लिए धनराशि

926. श्री जगमीत सिंह बराड़ :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 1 अगस्त, 1986 से देश में कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई कोष बनाया था;

(ख) क्या कपड़ा मिलों को ऋण देकर उनकी प्रबंध प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए 1986 से 1991 की अवधि के दौरान एक और कोष बनाया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; इसमें से वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या उक्त कोषों से धनराशि खर्च किए जाने के बावजूद भी राष्ट्रीय वस्त्र निगम की अधिकांश कपड़ा मिलें रुग्ण होती गई और 1991-92 तक इनको लगातार घाटा हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) 29 एन०टी०सी० मिलों को आधुनिकीकरण करने के लिए आधुनिकीकरण निधि से केवल 131.85 करोड़ रु० की राशि स्वीकृत की गयी। वर्ष 1991-92 तक एन०टी०सी० के घाटे पुरानी तथा अप्रचलित मशीनें, अत्याधिक जन शक्ति, कम उत्पादकता, विद्युतकरघा क्षेत्र से प्रतियोगिता के कारण थे।

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा परिवर्तकों के विरुद्ध अंकुश लगाने संबंधी उपाय

927. श्रीमती सरोज दुबे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत से बाहर यात्रा के लिये निर्धारित मुद्रा के मूल यात्रा कोटे से कालाबाजारी के माध्यम से मुनाफा कमाने वाले बड़े मुद्रा परिवर्तकों पर अंकुश लगाने के लिए कतिपय कारगर उपाय किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) जबकि मूल यात्रा कोटे के अन्तर्गत जारी विदेशी मुद्रा की काले बाजार में बिक्री का कोई मामला भारतीय रिजर्व बैंक की जानकारी में नहीं आया है, उसने भारतीय निवासियों को मूल यात्रा कोटे के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा जारी करते समय बड़े मुद्रा परिवर्तकों (एफ०एफ०एम०सी०) तथा प्राधिकृत डीलरों (ए०डी०) द्वारा कड़ाई से लागू किए जाने वाले कुछ विनियम निर्धारित किए हैं (विवरण संलग्न है)

विवरण

मूल यात्रा कोटे के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा जारी करने संबंधी विनियम है :-

(i) भारतीय राष्ट्रिकमूल यात्रा कोटे के अन्तर्गत निजी विदेश यात्राओं हेतु एक कैलेंडर वर्ष में 2000 अमरीकी डालर तक की विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकता है।

(ii) यात्री द्वारा मूल यात्रा कोटे के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा आहरण के आवेदन के साथ देश के बाहर यात्रा के प्रस्तावित स्थानों को निर्दिष्ट करते हुए मौलिक निर्गामी टिकट तथा अपना पासपोर्ट बड़े मुद्रा परिवर्तकों अथवा प्राधिकृत डीलरों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।

(iii) विदेशी मुद्रा जारी करने वाले बड़े मुद्रा परिवर्तकों/प्राधिकृत डीलर द्वारा यह जांच करने के लिए कि क्या यात्री ने चालू कैलेंडर वर्ष के दौरान मूल यात्रा कोटे के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा आहरित की है तथा उसके मूल यात्रा कोटे की हकदारी के अन्तर्गत उपलब्ध अधिशेष, यदि कोई हो, का परिकलन करने के लिए पासपोर्ट का सत्यापन किया जाना अपेक्षित होगा।

(iv) बड़े मुद्रा परिवर्तक/प्राधिकृत डीलर की प्रस्तुत की गई निर्गामी टिकट के संदर्भ में आवेदन पत्र में की गई घोषणा की जांच भी करनी चाहिए।

(V) यदि विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए रुपये में किया गया भुगतान 50,000 रुपये के बराबर या उससे अधिक हो तो विदेशी मुद्रा जारी करने वाले बड़े मुद्रा परिवर्तक/प्राधिकृत डीलर को आवेदक के बैंक खाते में उस के नाम आहरित "खरदीता के खाते में" चैक द्वारा अथवा ड्राफ्ट जारी करने बैंक से इस प्रमाणपत्र द्वारा अनुसमर्थित ड्राफ्ट, कि ड्राफ्ट के लिए भुगतान खाते के नामे प्राप्त हुआ है, द्वारा रुपये में भुगतान किए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए। नकद के रूप में विदेशी मुद्रा प्रति व्यक्ति केवल 550 अमरीकी डालर की सीमा तक ही जारी की जानी चाहिए सिवाए तब जब प्रस्तावित यात्रा रूस, सी०आई०एस० देशों या ईरान के लिए हो।

बाल श्रम का उन्मूलन

928. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ-वित्त पोषित "समेकित बाल श्रम निवारण कार्यक्रम" (आई०पी०ई०सी०) शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ से इस योजना के अन्तर्गत कितनी राशि प्राप्त की तथा यह धनराशि किस-किस परियोजनाओं/योजनाओं के लिए स्वीकृत की गई है;

(घ) क्या सरकार ने योजनाओं को लागू करने हेतु कोई निगरानी एजेन्सी गठित की है; और

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में राज्य-वार कितने बाल श्रमिकों को शामिल किया गया है?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (ङ) भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रायोजित अन्तर्राष्ट्रीय बाल-श्रम उन्मूलन कार्यक्रम (आई०पी०ई०सी०) में भाग लेती रही है। कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप लोचशील कार्यक्रम चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान की जाती है। दो द्विवर्षों 1992-93 और 1994-95 के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत के लिए 3.65 मिलियन अमरीकी डालर (10 करोड़ रुपये से अधिक) का आबंटन किया गया। 8.5 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कुल 89 परियोजनाएं

अनुमोदित की गई हैं और क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा एक राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा की जाती है जिसमें भारत सरकार और आई०एल०ओ० प्रति निधि शामिल हैं। श्रम सचिव श्रम मंत्रालय राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष हैं।

इस योजना की परिधि में आने वाले बच्चों की कुल संख्या निम्नानुसार है :—

राज्य	शामिल बच्चों की संख्या
1	2
उत्तर प्रदेश	2189
उड़ीसा	1500
तमिलनाडु	5610
आन्ध्र प्रदेश	11715
बिहार	240
कर्नाटक	1320
पश्चिम बंगाल	18065
महाराष्ट्र	1750
गुजरात	950
दिल्ली	3900
मध्य प्रदेश	500
राजस्थान	5850
मणिपुर	500
क्षेत्रीय	525
कुल :	54614

कपास के मूल्य

929. श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास और सूती धागे के मूल्यों में पिछले तीन वर्षों से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने कपास के मूल्यों में इस अंधाधुंध वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार का अग्रिम लाइसेंस धारकों को सूती धागे के निर्यात हेतु कपास का आयात करने पर विवश करने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों से सूती और सूती यार्न कीमतों में घटने बढ़ने की प्रवृत्ति रही है। तथापि, सरकार स्थिति की बराबर मानीटरी कर रही है तथा कीमतों को नियंत्रित करने और कपास की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कपास के आयात को "शून्य" शुल्क दर पर ओजीएल के अंतर्गत रखा गया है, शुल्क की "शून्य" दर पर लगभग 30 हजार मीट्रिक टन विस्कोस स्टेमल फाइबर का आयात करने की अनुमति दी गयी है, व्यापारियों तथा निगमों द्वारा अपने पास रखी जाने वाली कपास के स्टाक की उच्चतम सीमा लगाई गयी है तथा कपास और सूती यार्न के निर्यात को नियमित किया गया है।

(ग) और (घ) विदेशी व्यापार महानिदेशालय (डी०जी०एफ०टी०) अग्रिम लाइसेंसों पर इस आशय की शर्त लगा रहा है कि योजना के अंतर्गत सूती यार्न का निर्यात करने से पहले अपेक्षित मात्रा में ही कपास का आयात किया जाना चाहिए।

निवेश नीति के बारे में विश्व बैंक के सुझाव

930. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत द्वारा निवेश के मामले में बहुत कम वृद्धि और वित्तीय अनियमितता के बारे में अपनी गम्भीर चिन्ता प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विश्व बैंक द्वारा इस संबंध में कोई सुझाव दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने हेतु क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) हाल के आर्थिक सर्वेक्षण में भारत सरकार द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से बैंक सहमत है कि राजकोषीय निष्पादन को मजबूत बनाने के प्रयास जारी रहने चाहिए। बैंक ने भारत द्वारा अपनी निवेश नीतियों को उदारवादी बनाने में की गई वास्तविक प्रगति पर ध्यान दिया है और विशेषरूप से आधारभूत संरचना के क्षेत्र में अधिकारियों द्वारा तीव्र विकास के लिए किए गए प्रयासों को प्रोत्साहित करने में सहयोग दिया है।

(ख) सरकार स्वयं 1993-94 और 1994-95 में हुई राजकोषीय चूकों को परिवर्तित करने की आवश्यकता को समझती है। 15 मार्च, 1995 को संसद में वर्ष 1995-96 का बजट पेश करते समय दिए गए अपने भाषण में वित्त मंत्री ने आगे आने वाले वर्षों में राजकोषीय अनुशासन में सुधार निश्चित करने हेतु सरकार के निर्णय को दोहराया और 1995-96 में केन्द्र सरकार के राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.5 प्रतिशत तक लाने के लक्ष्य की घोषणा की।

(ग) और (घ) जैसा कि भारत सरकार के हाल ही के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है कि समग्र राजकोषीय निष्पादन में सुधार सार्वजनिक क्षेत्र की निवेश की क्षमता को बहाल करने में मदद करेंगे। विश्व बैंक ने इस दृष्टिकोण से सहमति जाहिर की है। बैंक ने सरकार के कानूनी और विनियामक ढांचा तैयार करने के प्रयासों में भी सहयोग दिया है जो निजी निवेश, विशेष रूप से आधारभूति संरचना के नए उदारवादी क्षेत्रों को सरल बनाएगा।

(ङ) आधारभूत संरचना के क्षेत्रों अर्थात राष्ट्रीय खनिज नीति में संशोधन, खान और खनिज विकास अधिनियम में संशोधन, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन और नया वायुसेवा निगम अधिनियम, 1994 का अधिनियम, तथा राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2994 आदि में निजी क्षेत्र के प्रवेश को सरल बनाने के लिए अनेक उपयोग की घोषणा की गई है।

असंगठित मजदूरों के लिये कल्याणकारी योजनाएं

931. श्री डी० वेंकटेश्वर राव :
श्री बोल्ला बल्ली रामय्या :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में असंगठित मजदूरों के कल्याण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिये 20 मई, 1995 को बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में की गयी चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे लागू करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा पर प्रतिबंध

932. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों पर विदेशी मुद्रा के प्रतिबंधों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय कम्पनियों द्वारा सीधे पूंजी निवेश के मानदंडों को कड़ा कर दिया है जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहें;

(ग) क्या समिति ने भारतीय कम्पनियों को विदेशों में संयुक्त उद्यमों में निवेश करने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए तीन स्तरीय फार्मूले का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार विदेशी मुद्रा पर प्रतिबंध को किस हद तक हटाने पर विचार कर रही है जिससे कि विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों पर प्रभाव न पड़े?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) विदेशो में भारतीय निवेशों के लिए प्रस्ताव एक नीति के अन्तर्गत तैयार किए जाते हैं जिन्हें देश में भुगतान संतुलन की स्थिति का विकास, बढ़े हुए निर्यातों के सन्दर्भ में देश के समग्र हितों, प्रौद्योगिकी की सुलभता, लाभांशों इत्यादि के माध्यम से अर्जित विदेशी मुद्रा जैसे विभिन्न विचारों को ध्यान में रखे जाने के कारण अपनाया जाता है।

भारतीय जीवन बीमा निगम, राजस्थान में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच

933. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा हाल ही में राजस्थान में भारतीय जीवन बीमा निगम की कम से कम 9 शाखाओं में भारी अनियमितताओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कुछ अन्य शाखाओं की जांच भी की जा रही है और इन शाखाओं के कर्मचारी रिकार्ड और दस्तावेज प्रस्तुत करने में अड़चन डाल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान पहली किस्त जमा कराने के पश्चात जीवन बीमा निगम की कितनी पालिसियां व्यपगत हो गई हैं और इन पालिसियों के लिए कमीशन के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है और इन पालिसियों पर कुल कितनी प्रशासनिक व्यय किया गया है; और

(च) जीवन बीमा निगम के कार्यकरण को सुचारू बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि उनके जयपुर मंडल के अन्तर्गत धौलपुर, भिवाड़ी और जयपुर शाखाओं में कुछ कथित अनियमितताओं की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है और उन्होंने कुछ शाखा कार्यलयों के साथ-साथ जीवन बीमा निगम के कुछ अधिकारियों के घरों की तलाशी ली है और कुछ रिकार्ड जब्त किए हैं।

जीवन बीमा निगम को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो किसी अन्य शाखा की जांच करने का विचार रखता है या नहीं। जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि वह केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा की जा रही जांच के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।

(ङ) जीवन बीमा निगम प्रीमियम की पहली किस्त के भुगतान के साथ व्यपगत हुई पालिसियों के संबंध में आंकड़े एकत्रित नहीं करता। तथापि, 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार पालिसियों का केवल 0.5 प्रतिशत मध्यमान अवधि (व्यपगत होने का वर्ष-नए व्यवसाय का वर्ष) के आधार पर व्यपगत हुआ है।

(च) जीवन बीमा निगम के कार्य-प्रचालन समय-समय पर सरकार द्वारा नियुक्त समितियों के साथ-साथ संसदीय समितियों द्वारा पुनरीक्षण किया जाता है और उनकी सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई की जाती है। सरकार जीवन बीमा निगम के बोर्ड में भी एक नामित व्यक्ति को नियुक्त करती है। जीवन बीमा निगम के कार्य-निष्पादन का, उनके द्वारा भेजी गई आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से कार्यक्षमता में सुधार लाने और जनता की शिकायतों को दूर करने की दृष्टि से लगातार पुनरीक्षण किया जाता है।

[हिन्दी]

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजना

934. श्री गुमान मल लोढ़ा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूरों के कल्याण के लिए हाल ही में मई माह में बंगलौर में राष्ट्रीय मजदूर केन्द्र स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के लिए इस गैर-सरकारी मजदूर संगठन की सहायता करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) सरकार को बंगलौर में राष्ट्रीय श्रम केन्द्र के गठन के बारे में कोई अधिकारिक सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ऋण भार

935. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रमथेश मुखर्जी :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जुलाई, 1995 के "स्टेट्समैन" में "गर्वनमेंट हैडिंग फॉर ए डेट ट्रेप : इकानामिस्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की वित्तीय स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा हरी है;

(ग) 1 जुलाई, 1995 को देश पर कुल कितना ऋण भार था;

(घ) ऋण में अत्यधिक वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा अपने खर्च को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। वर्ष 1995-96 में राजकोषीय घाटे का बजट सकल घरेलू उत्पाद का 5.5 प्रतिशत है जबकि इसकी तुलना में वर्ष 1994-95 (संशोधित अनुमान) में यह 6.7 प्रतिशत और 1980 के ब्लाक के उत्तरार्द्ध में औसतन 8.2 प्रतिशत था।

(ग) वर्ष के मध्य की स्थिति तो नहीं दी जा सकती, वर्ष के अन्त की स्थिति का विवरण दिया जा सकता है। वर्ष 1994-95 (संशोधित अनुमान) में का अन्त में बकाया भारत सरकार के कुल श्रण एवं अन्य देयताओं की राशि 632572 करोड़ रुपए थी।

(घ) और (ङ) जब कभी भी गैर-क्षण प्राप्तियां व्यय से कम होती है, सरकार ऋण का सहारा लेती है। सरकार की आवश्यक तथा वचनबद्ध देयताओं जैसे कि आयोजना व्यय, ब्याज की अदायगियां, रक्षा, खाद्य और उर्वरक संबंधों आर्थिक सहायता, आंतरिक सुरक्षा, पेंशनें, वित्त आयोग के पंचाटों के अनुसार राज्यों को अन्तरण आदि के अलावा व्यय की अन्य मदों की वृद्धि को सामान्यतः नियंत्रित किया गया है।

कपास भंडारण की सीमा

936. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मिलों, जिनिंग और प्रेसिंग यूनिटों, व्यापारियों और अन्य लोगों द्वारा अपरिष्कृत कपास के भंडारण पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने और देश से निर्यात किए जाने वाले सूती धागे की अधिकतम सीमा बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय रिवर्ज बैंक से कपास पर लगे चुनिन्दा ऋण संबंधी नियंत्रण समाप्त करने की भी सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसका कपास उत्पादकों और वस्त्र निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) कपास के स्टाक की सीमाओं संबंधी प्रतिबंध इस समय केवल शतप्रतिशत निर्यातोमुख एकक योजना के अंतर्गत एककों तथा ई०पी० जैड एककों तथा व्यापारियों निगमों तथा सहकारी समितियों जैसे व्यक्तियों पर लागू हैं लेकिन कपास कृषक शामिल नहीं हैं। सरकार का इस स्थिति में देश से सूती यार्न के निर्यात पर लगाई गई उच्चतम सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) सरकार, वस्त्र मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को लिखा है कि वह मिनिंग और प्रेसिंग उद्योग को कपास पर लगे चुनिन्दा ऋण नियंत्रण के क्षेत्राधिकार से मुक्त रखे ताकि ऋण के सुगम प्रभाव को सुनिश्चित पर करते हुए इस उद्योग को गति प्रदान की जा सके।

पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अपने तुलन पत्र में कथित हेर-फेर

937. श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक ने वर्ष 1994-95 के लिये अपना जो तुलन पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें बाद में हेर-फेर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो जांच से क्या निष्कर्ष निकला तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से इस मामले की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना

938. श्रीमती शीला गौतम :
श्री राजवीर सिंह :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इन क्षेत्रों की स्थापना करने हेतु राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने स्थान-वार अब तक किसी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) शेष प्रस्तावों को कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की सम्भावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) मुक्त व्यापार क्षेत्र/निर्यात संसाधन क्षेत्र स्थापित करने वक्त जो मानदण्ड ध्यान में रखा जाता है उसमें समुद्र/हवाई अड्डे के नजदीक होना, सड़के, विद्युत एवं जल आपूर्ति, बैंकिंग, संचार सुविधाएं तथा सामाजिक अवस्थापना जैसे आवास स्वास्थ्य एवं शैक्षिक सुविधाओं जैसी मूल अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता शामिल है।

(ख) एवं (ग) कर्नाटक, मध्यप्रदेश, बिहार, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, गोआ, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केरल की सरकारों ने समय-समय पर अपने राज्यों में एक निर्यात संसाधन क्षेत्र की स्थापना करने हेतु अनुरोध किए हैं। निर्यात संसाधन क्षेत्र की स्थापना के लिए राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गए कुछ खास स्थान हैं— बंगलौर, मंगलौर (कर्नाटक), घंदरी कला (पंजाब), गुड़गांव (हरियाणा), भुवनेश्वर (उड़ीसा), मरमोगोवा (गोवा), जयपुर (राजस्थान), तथा कोजीकोडा (केरल)।

(घ) से (च) : कांडला (गुजरात), बंबई (महाराष्ट्र), नोएडा (उत्तर प्रदेश), मद्रास (तमिलनाडु), कोचिन (केरल), फाल्टा (पश्चिम बंगाल), और विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) में देश के सात निर्यात संसाधन क्षेत्र (ई०पी०जेड०) कार्य कर रहे हैं। धन की उपलब्धता तथा वर्तमान निर्यात संसाधन क्षेत्रों में अवस्थापना संबंधी सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करने की आवश्यकता को देखते हुए देश में नए क्षेत्रों की स्थापना करने का केन्द्र सरकार का फिलहाल कोई विचार नहीं है। तथापि, अब राज्य सरकारों द्वारा अथवा संयुक्त/निजी क्षेत्रों में भी निर्यात संसाधन क्षेत्रों की स्थापना की जा सकती है।

[अनुवाद]

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट की धनराशि की लेखा परीक्षा

939. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत अनुमानतः कितनी धनराशि का संचालन किया जाता है और इसके यूनिट धारकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट की लेखा परीक्षा और इसकी स्कीमों के कार्यकरण के निरीक्षण हेतु कोई स्वतंत्र प्राधिकरण है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विरुद्ध इसके प्रबन्ध, कार्यकरण और इसके द्वारा किए गए धनराशि के निवेश विशेषकर इसकी विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत जारी किए गए म्यूचुअल फंडों के संबंध में गंभीर अनियमितताएं बरतने के संबंध में आरोप लगाए गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन आरोपों की कोई जांच कराई गई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(छ) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि के प्रबंध के निरीक्षण और लेखा परीक्षा हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को भारतीय यूनिट ट्रस्ट की विभिन्न स्कीमों का निरीक्षण करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 30 जून, 1995 के अनुसार, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के निवेश्य फंड 482 लाख यूनिट धारक खातों सहित लगभग 61,000 करोड़ रुपए के थे।

(ख) और (ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट का कार्यकरण भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 एवं भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमों द्वारा निर्देशित किया जाता है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम की धारा 27(1) के अनुसार, ट्रस्ट के कार्यों की लेखापरीक्षा ऐसे एक अथवा अधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाएगी जो कंपनी अधिनियम की धारा 226 के अन्तर्गत लेखापरीक्षक के तौर पर कार्य करने हेतु विधिवत् योग्यता प्राप्त हों। भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत ट्रस्ट से यह अपेक्षित है कि वह जब और जैसे उसे ऐसा करने को कहा जाए भारतीय रिजर्व बैंक अथवा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को सूचना दे। जलाई, 1994 से भारतीय यूनिट ट्रस्ट को सेवी के विनियामक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया गया है।

(घ) से (च) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा किए गए निवेशों के तर्काधारों के संबंध में समय-समय पर प्रश्न उठाए गए हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने पुष्टि की है कि उसके निवेश विवेकपूर्ण मानदंडों का समुचित ध्यान रखते हुए व्यावसायिक प्रतिफलों पर आधारित होते हैं और न्यासी बोर्ड एवं कार्यकारी समिति की संवीक्षाधीन होते हैं।

(छ) और (ज) "सेवी" ने मैसर्स हरि भक्ति एण्ड कंपनी के लेखापरीक्षकों को भारतीय यूनिट ट्रस्ट की छः योजनाओं नामतः गृहलक्ष्मी यूनिट योजना, सेवानिवृत्ति लाभ योजना, मासिक आय योजना, 1994 (iii), यूनिट योजना, 1995, यूनिट योजना, 1964 एवं मास्टरगेन, 1992 के निरीक्षण के लिए नियुक्ति किया है।

(झ) और (ञ) जुलाई, 1994 से ट्रस्ट "सेवी" के विनियामक ढांचे के अधीन आ गया है। इसके अलावा, "सेवी" को प्रतिभूति विधि संशोधन अधिनियम, 1995 के तहत किसी भी मध्यस्थ के किन्हीं खातों, रजिस्टरों एवं अन्य दस्तावेजों जिसमें म्यूचुअल फंड शामिल है, की जांच करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

इंडो-अमेरिकन कमर्शियल फ्लायंस बोर्ड की बैठक

940. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडो-अमेरिकन कमर्शियल फ्लायंस बोर्ड का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कैलिफोर्नियां में 19 जून, 1995 को हुई बैठक में दोनों पक्षों में किन-किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की सहमति हुई है;

(ग) क्या कमर्शियल फ्लायंस भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अवसरों के संबंध में सम्मेलन भी प्रायोजित कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो भारत के लिए यह फ्लायंस कहां तक उपयोग सिद्ध होगा और क्या इसमें व्यापार संघों सहित बड़े और छोटे व्यापार विशेषतः खाद्य प्रसंस्करण, कपास (बुना हुआ) धागा और लौह अयस्क भी सम्मिलित होंगे?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) इंडो-अमेरिकन कामर्शिलय फ्लायंस बोर्ड की 19 जून, 1995 को सान्ता क्लारा, कैलिकोर्निया, यू०एस०ए० में हुई बैठक में इस बात पर सहमति हुई कि प्रारम्भ में चार क्षेत्रों अर्थात कृषि व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा एवं परिवहन अवस्थापना पर ध्यान दिया जाए।

(ग) जी, हां।

(घ) इंडो-अमेरिकन कामर्शियल फ्लायंस में यह व्यवस्था है कि व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने निजी क्षेत्र के उद्यमों के बीच बेहतर पारस्परिक संपर्क हो। इस फ्लायंस का मूल उद्देश्य है बड़े मझौले तथा छोटे व्यापारों सहित भारत एवं अमेरिका के उद्यमों के बीच पारस्परिक संपर्क को बढ़ाना जोकि प्रारम्भ में उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित क्षेत्रों में है। इस फ्लायंस के क्रियाकलापों से भारत और अमेरिका के बीच और ज्यादा मजबूत व्यापार और वाणिज्यिक संबंध होने की आशा है।

लद्दाख हवाई अड्डा

941. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख हवाई अड्डे का निर्माण कार्य इस बीच पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) यहां हवाई अड्डा कब तक काम करने लगेगा;

(घ) क्या इससे पर्यटकों के आगमन में वृद्धि होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) लद्दाख अंचल में लेह विमानपत्तन और कारगिल में एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। लेह विमानपत्तन पहले से ही प्रचालनात्मक है तथा इसके विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 30.6.95 तक 91.28 लाख रुपए व्यय कर चुका है। कारगिल में एडवांस लैडिंग ग्राउंड को समतल किया जा चुका है और उस पर रोलर चलाया जा चुका है तथा यह 30 सीटों वाले विमानों के परीक्षण अवतरण के लिए तैयार है। कारगिल में एक स्थायी धावनपथ और यात्री टर्मिनल बनाने की योजना भी है जिसे पूरा होने में लगभग तीन वर्ष का समय लगेगा।

(घ) और (ङ) जी, हां। पर्यटक यातायात में हुई वृद्धि का ठीक-ठीक आंकलन करना संभव नहीं है।

विमानन विश्वविद्यालय

942. श्री एस०एम० लालजान बाशा : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा विदेशों में विमानन उद्योग की सभी श्रेणियों में प्रशिक्षित कर्मियों की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एक विमानन विश्व-विद्यालय की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, हां। विमानन उद्योग की सभी श्रेणियों के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों की मांग लगातार बढ़ रही है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। संबंधित एयरलाइनों और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जैसी प्रशिक्षिण संस्थानों द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा उड़ानें बन्द किया जाना

943. श्री पी० कुमारासामी :
श्री वी०एस० विजयराघवन :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने निजी एयर टैक्सी आपरेटरों की सुविधा के लिए अपनी कुछ उड़ानों को बन्द किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) यद्यपि, विमानचालकों की कमी और यातायात की कम संभावनाओं के कारण कुछ सैक्टरों पर सेवाएं बन्द कर दी गई हैं परन्तु, इंडियन एयरलाइन्स ने निजी एयरलाइनों के प्रचालनों को सुकर बनाने के लिए अपनी कोई उड़ानें बन्द नहीं की हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बाल श्रमिक

944. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बाल श्रम प्रथा को समाप्त करने हेतु इस समय लागू **विभिन्न कानूनों** का ब्यौरा क्या है तथा ये कानून कब-कब बनाए गए थे;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन कानूनों की समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रत्येक कानून के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने लोग दोषी पाए गए?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) विभिन्न श्रम कानूनों यथा कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत प्रतिषेधात्मक उपबंधों के अलावा, बालश्रम, बालश्रम (प्रतिषेध और अधिनियम) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अनुसूचित व्यवसायों/प्रोसेसों में प्रतिषेद्ध है। बालश्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के प्रवर्तन को केन्द्र सरकार द्वारा मॉनीटर किया जा रहा है। सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को भी बालकों से सम्बद्ध कानूनों को प्रवर्तित करना है।

(ख) और (ग) सरकार इन कानूनों की सतत् समीक्षा करती है और जब भी आवश्यक होता है अधिनियम/कानून में संशोधन किए जाते हैं।

(घ) प्रवर्तन आंकड़े, बाल-श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत रखे जाते हैं, इन अधिनियमों के अन्तर्गत वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के राज्य-वार प्रवर्तन आंकड़े विवरण I, II और III संलग्न हैं।

विवरण-I

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनिमय, 1986, कारखाना अधिनियम, 1948 का प्रवर्तन

1991-92

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निरीक्षणों की संख्या		उल्लंघनों की संख्या		अभियोजनों की संख्या		सिद्धदोषों की संख्या	
		बालश्रम अधि०	कार० अधि०	बालश्रम अधि०	कार० अधि०	बालश्रम अधि०	कार० अधि०	बालश्रम अधि०	कार० अधि०
1.	अरुणालच प्रदेश	2	—	—	—	—	—	—	—
2.	गुजरात	982	—	—	—	—	—	—	—
3.	जम्मू व कश्मीर	267	489	—	—	—	—	—	—
4.	केरल	—	11012	—	—	—	—	—	—
5.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	मेघालय	183	22	—	—	—	—	—	—
8.	उड़ीसा	16	456	—	—	—	—	—	—
9.	पंजाब	1230	74	—	—	—	345	—	440
10.	राजस्थान	28	—	—	—	—	—	—	—
11.	तमिलनाडु	—	21054	—	59	21	38	1	29
12.	उत्तर प्रदेश	2982	235	683	22	765	121	273	31
13.	दिल्ली	1094	1863	—	—	—	—	—	—
	कुल	6789	35216	683	81	787	504	274	500

विवरण-II

1992-93

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निरीक्षणों की संख्या		उल्लंघनों की संख्या		अभियोजनों की संख्या		सिद्धदोषों की संख्या	
		बालश्रम अधि०	कार० अधि०	बालश्रम अधि०	कार० अधि०	बालश्रम अधि०	कार० अधि०	बालश्रम अधि०	कार० अधि०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	हरियाणा	—	29	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	हिमाचल प्रदेश	75	58	—	—	—	—	—	—
3.	केरल	—	4679	—	—	—	39	—	12
4.	मध्य प्रदेश	12038	10961	—	5	—	695	—	389
5.	महाराष्ट्र	—	11374	—	—	—	—	—	—
6.	मेघालय	369	76	—	—	—	—	—	—
7.	उड़ीसा	7	92	—	—	1	—	—	—
8.	पंजाब	740	37	—	17	—	704	—	446
9.	राजस्थान	174	—	1	—	1	—	—	—
10.	तमिलनाडु	—	12510	—	20	—	20	1	1
11.	त्रिपुरा	9	166	—	—	—	—	—	—
12.	उत्तर प्रदेश	11534	533	1883	83	1867	135	162	26
13.	दिल्ली	—	323	—	—	—	—	—	—
14.	चंडीगढ़	74	209	—	—	—	—	—	—
	कुल	25020	41047	1884	125	1869	1593	163	874

विवरण-III

1993-94

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निरीक्षणों की संख्या		उल्लंघनों की संख्या		अभियोजनों की संख्या		सिद्धदोषों की संख्या	
		बालश्रम अधि०	कार० अधि०	बालश्रम अधि०	कार० अधि०	बालश्रम अधि०	कार० अधि०	बालश्रम अधि०	कार० अधि०
1.	गुजरात	2440	7885	—	—	—	—	—	—
2.	बिहार	1321	—	4	—	—	—	—	—
3.	हिमाचल प्रदेश	72	61	—	—	14	15	10	17
4.	हरियाणा	241	143	45	2	—	—	—	—
5.	केरल	—	3820	—	—	—	3	—	—
6.	मध्य प्रदेश	2588	1437	—	—	—	—	—	—
7.	महाराष्ट्र	731	11415	29	37	21	37	—	—
8.	मणीपुर	9	—	—	—	—	—	—	—
9.	मेघालय	290	191	—	—	—	—	—	—
10.	उड़ीसा	95	45	79	2	—	2	—	—
11.	पंजाब	726	277	1	3	1	219	—	204
12.	राजस्थान	181	836	—	—	1	—	—	—
13.	तमिलनाडु	—	6612	—	75	—	37	1	5
14.	त्रिपुरा	—	40	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	उत्तर प्रदेश	7986	263	1645	29	1271	11	254	8
16.	दमण और दीव	15	67	11	12	—	—	—	—
17.	दिल्ली	187	286	—	—	—	—	—	—
	कुल	16861	35378	1814	160	1308	324	264	234

[अनुवाद]

बोनस की अधिकतम सीमा में वृद्धि

945. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस की अधिकतम सीमा में वृद्धि की है;

(ख) यह वृद्धि किस तिथि से लागू है; और

(ग) इस वृद्धि के फलस्वरूप सरकारी कर्मचारियों को अनुमानतः कुल कितनी धनराशि दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बोनस की अदायगी के लिए पात्रता सीमा कर्मचारी पक्ष के साथ विचार विमर्श करके वर्ष 1992-93 से संशोधित की गयी थी और इसके पश्चात् केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की बोनस की अदायगी के लिए सीमा में और आगे कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

एयर इंडिया के बेड़े में विमानों का शामिल किया जाना

946. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया के बेड़े में कुल कितने विमान हैं;

(ख) क्या एयर इंडिया के बेड़े में कुछ और विमान और शामिल किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ङ) किन-किन स्रोतों से यह धनराशि जुटाई जाएगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) इस समय एयर इंडिया के पास 26 विमान हैं। कम्पनी ने 1137.70 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दो और बी-747-400 विमानों की प्राप्ति के लिए मैसर्स वोइंग के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इन विमानों के लिए वित्त व्यवस्था ऋण/उधार से किये जाने का प्रस्ताव है और इनके जुलाई और अगस्त, 1996 में डिलीवर होने की आशा है।

[अनुवाद]

कानपुर कपड़ा मिल को बंद करना

947. श्री जगत बीर सिंह द्रोण : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर कपड़ा मिल घाटे में चल रही है और इसके बंद हो जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस मिल के अधिकांश श्रमिकों के पुनर्वास हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) कानपुर टेक्सटाइल्स लि० ब्रिटिश इंण्डिया कारपोरेशन लि० की एक सूती सहायक कंपनी है। कानपुर टेक्सटाइल लि० का मामला बी०आई०एफ०आर० को भेजा गया था जिसने उसे एक रुग्ण औद्योगिक कम्पनी के रूप में घोषित कर दिया है बी०आई० एफ०आर० ने कंपनी को बंद करने के आदेश दे दिए है। कंपनी ने एल०आई०एफ०आर० के समक्ष अपील दायर की हैं जहां अपील विचाराधीन है। सरकार एकक की पुनर्स्थापना करने के कदमों पर भी विचार कर रही है।

मिस्र के साथ व्यापार सम्बन्ध

948. श्री ए० इन्द्रकरन रेड्डी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा मिस्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इससे हमारे देश का उस देश के साथ होने वाले व्यापार में कितनी वृद्धि होने की उम्मीद है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) तथा (ख) भारत-मिस्र संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक यथाशीघ्र आयोजित करने का प्रस्ताव है। इस बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के दोनों पक्षों के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इस संयुक्त आयोग की पूर्व बैठक 1988 में हुई थी।

(ग) संयुक्त आयोग की बैठक से पहले इस प्रकार का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है।

राष्ट्रीय नवीकरण कोष से राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों की धनराशि

949. श्री हरिन पाठक : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान राष्ट्रीय नवीकरण कोष से राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को कोई धनराशि दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें से गुजरात के राष्ट्रीय वस्त्र निगम एककों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के लिए निधि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन की मिलों के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान 20 करोड़ रु० की राशि रिलीज की गयी तथा वर्ष 1995-96 के बजट में 37.50 करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी।

(ग) उपर्युक्त निधियों में से एन०टी०सी० (गुजरात) लि०, को वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान क्रमशः 4.98 करोड़ रु० तथा 0.75 करोड़ रु० आवंटित किए गए।

वित्तीय घाटा

950. श्री सैयद शहाबुद्दीन :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान वास्तविक वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था;

(ख) इस वर्ष के दौरान आंतरिक और वाह्य ऋणों पर ऋण सेवा प्रभार के रूप में अदा की गई राशि अतिरिक्त विदेशी सहायता और ऋण के रूप में प्राप्त राशि के अनुपात में कितनी थी;

(ग) इस वर्ष के दौरान विदेशी ऋणों पर ऋण सेवा प्रभार के रूप में अदा की गई राशि अतिरिक्त विदेशी सहायता और ऋण के रूप में प्राप्त राशि के अनुपात में कितनी थी;

(घ) क्या विश्व बैंक ने सरकार को बढ़ते वित्तीय घाटे और ऋण सेवा प्रभार के प्रति सतर्क किया है; और

(ङ) सरकार ने चालू वर्ष के दौरान ऋण की स्थिति को नियंत्रण में लाने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वर्ष 1994-95 में वास्तविक राजकोषीय घाटे का पता इस वर्ष के खातों को अंतिम रूप से बंद करने के पश्चात् लगेगा। संशोधित अनुमान के स्तर पर यह सकल घरेलू उत्पाद का 6.7 प्रतिशत था।

(ख) वर्ष 1994-95 के संशोधित अनुमानों में ऋण शोधन के लिए कुल 106258 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी। यह संशोधित अनुमानों में कर राजस्व के केन्द्र के हिस्से के 163.5 प्रतिशत का परिचायक था। तथापि, यह भी कहा जा सकता है कि ऋण शोधन ब्याज भुगतान के अंश की राजस्व प्राप्तियों से पूर्ति की जाती है जिसमें कर और कर भिन्न राजस्व दोनों शामिल हैं जबकि वापसी भुगतानों की पूर्ति नए ऋणों से की जाती है।

(ग) वर्ष 1994-95 के संशोधित अनुमानों में सरकारी खाते पर विदेशी ऋण शोधन के लिए 9589 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। यह संशोधित अनुमानों में मानी गई 10602 करोड़ रुपये की अतिरिक्त विदेशी सहायता के 90.4% का परिचायक था।

(घ) विश्व बैंक ने अपने देश के आर्थिक ज्ञापन में बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे और ऋण शोधन प्रभारों पर टिप्पणी की है। विश्व बैंक भारत सरकार के इन विचारों से भी सहमत है कि बजट में सकल घरेलू उत्पाद के 5.5 प्रतिशत के घाटे को और कम करने की आवश्कता है ताकि 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करने में मदद मिल सके।

(ङ) सरकार का यह सतत प्रयत्न है कि ऋण-भिन्न प्राप्तियों को अधिकतम किया जाए और ऋणों का न्यूनतम आश्रय लेने के लिए व्यय पर नियंत्रण रखा जाए।

लघु उद्योगों को ऋण

951. डा० पी० वल्लल पेरूमान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न बैंकों से लघु उद्योगों को ऋण सुविधा में वृद्धि के लिए सात सूत्री कार्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) वित्त मंत्री ने 1995-96 के अपने बजट भाषण में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा था कि सरकार ने लघु उद्योगों को ऋण के प्रवाह में सुधार करने के लिए बैंकों के परामर्श के एक "सात सूत्री कार्य योजना" तैयार की है। इस कार्य योजना में निम्नलिखित बिन्दु शामिल हैं :-

1. पहचान किए गए 85 जिलों में, जहां प्रत्येक जिले में 2000 से अधिक पंजीकृत लघु उद्योग एकक हैं, विशेषज्ञ लघु उद्योग शाखाओं की स्थापना करने के लिए बैंकों द्वारा समयबद्ध कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। इन शाखाओं में पर्याप्त आधार-भूत सुविधा होनी चाहिए और इनमें आवश्यक पृष्ठभूमि और कौशलों वाले तथा उचित दृष्टिकोण रखने वाले अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।
2. लघु उद्योग एककों को पर्याप्त ऋण सुविधाओं की समय पर मंजूरी को सरल एवं कारगर बनाने के लिए बैंकों को शाखा और क्षेत्रीय स्तरों पर शक्तियों के वर्तमान प्रत्यायोजन की समीक्षा करनी चाहिए।
3. बैंकों को अपने "सक्रिय" लघु उद्योग खातों का नमूना सर्वेक्षण करना चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उन्हें पर्याप्त ऋण मिल रहा है या नहीं।
4. यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने चाहिए कि जहां तक संभव हो, लघु उद्योग उद्यमियों को संमिश्र ऋण मंजूर किए जाते हैं। राज्य वित्तीय निगमों द्वारा मंजूर किए गए ऋणों के मामले में, बैंकों को परियोजनाओं का मूल्यांकन राज्य वित्तीय निगमों के साथ संयुक्त रूप से या एक साथ करना चाहिए।

कालीकट विमानपत्तन पर विमान उतारे जाने की सुविधाएं

952. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कालीकट विमानपत्तन पर खराब मौसम में विमान उतारने संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु कोई राशि आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विमान उतारने संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम अब तक शुरू कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कालीकट पर किये जा रहे अन्य विकास कार्यों के बारे में ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 2.50 करोड़ रुपये की लागत पर एक नई उपस्कर अवतरण प्रणाली स्थापित की है। 1.20 करोड़ रुपये की लागत पर एक नई डाप्लर अतिउच्च आवृत्ति सर्व परास भी स्थापित की जा रही है इसके पूरा होने की सूचीबद्ध तारीख अक्तूबर, 1995 है।

टर्मिनल भवन का विस्तार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की रनवे की लम्बाई बढ़ाकर 9000 फुट करने की योजना है।

कजाकिस्तान के साथ व्यापार संबंध

953. श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील :
श्री गोविन्द राव निकम :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-कजाकिस्तान के बीच हुए समझौते के लागू होने के बाद से कोई उपलब्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अपर्याप्त परिवहन सुविधाओं के कारण दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (घ) जी, हां। भारत-कज़ाख व्यापार एवं आर्थिक सहयोग करार के लागू होने के बाद से, व्यापार में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है।

दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में धीरे-धीरे विस्तार हुआ है। उच्च-स्तर पर दौरों का आदान-प्रदान हुआ है और भारतीय कंपनियों ने न केवल इस नए उभरते हुए और तेजी से विकसित हो रहे बाजार का पता लगाना शुरू किया है बल्कि अलमाटी में अपने प्रतिनिधि कार्यालय भी खोले हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने कज़ाकिस्तान सरकार को 20 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण दिया है। कुछ संयुक्त उद्यम पहले से ही अलमेटी में कार्यरत हैं और भविष्य में कुछ और संयुक्त उद्यमों के स्थापित होने की उम्मीद है। अलमेटी में एक व्यापार गृह खोला गया है। दोनों देशों के बीच एक संयुक्त व्यापार परिषद पहले ही स्थापित की जा चुकी है एक संयुक्त आयोग का भी गठन किया गया है जिसकी समय-समय पर व्यापार और संबद्ध मामलों को मानीटर करने के लिए बैठकें होती हैं।

कज़ाख एअरलाइन्स ने नई दिल्ली और अलमेटी के बीच सीधी उड़ान चालू करके इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य किया।

(ग) और (घ) यह सच है कि व्यवहार्य पारगमन मार्ग की कमी द्विपक्षीय व्यापार में एक बाधा है। इस समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक बहुआयामी विशेषज्ञ अध्ययन दल गठित किया था जिसमें ईरान और मध्य एशियाई गणराज्यों को संभावित पारगमन मार्गों की जांच के लिए, ईरान और केन्द्रीय एशियाई गणराज्यों का दौरा किया। दल ने यह निष्कर्ष दिया है कि, ईरान होकर कज़ाकिस्तान के लिए पारगमन मार्ग विश्वसनीय, छोटा और किफायती हो सकता है।

इस संबंध में भारत, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इन देशों के बीच एक त्रिपक्षीय करार पर बात चल रही है।

फिर भी, वर्ष 1994-95 के दौरान देशों के बीच व्यापार, वर्ष 1993-94 के 15 करोड़ रुपये की तुलना में, बढ़कर 39 करोड़ रुपये हो गया है।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऋण

954. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि व्यावसायिक बैंकों ने मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ऋण देने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का ठीक ढंग से पालन नहीं किया है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इस संबंध में की गई अनियमितताओं के संबंध में कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं; और

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जर्मनी और यूरोप के देशों के साथ व्यापार संतुलन

955. श्री गुरुदास कामत : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा कि :

(क) क्या एक सूचना के अनुसार जर्मनी और यूरोप के अन्य देशों के साथ भारत के व्यापार संतुलन में तेजी से गिरावट आने लगी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा व्यापार संतुलनों को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं। यूरोपिय यूनियन के साथ भारत के व्यापार का विपरीत सन्तुलन पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1994-95 में बढ़ा नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण में सुधार

956. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम चरण में पुनर्गठन के लिए चयनित 49 क्षेत्रीय ग्रामीण

बैंकों में से छह बैंकों ने 1994-95 के दौरान उल्लेखनीय कारोबार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी लाभप्रदता में किस हद तक सुधार हुआ है; और

(ग) अन्य 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की क्या स्थिति है और उनकी लाभप्रदता में सुधार हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) प्रथम चरण में पुनर्संरचना के लिये चुने गए 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 26 बैंकों ने 1994-95 के दौरान अपने कार्यनिष्पादन में सुधार किया है। इनमें से तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वर्ष के दौरान उल्लेखनीय कारोबार किया है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लाभप्रदता में सुधार करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिशेष निधियों के निवेश, शाखाओं के पुनः आबंटन, ग्राहकों को अन्य सेवाएं देने आदि के संबंध में कतिपय नीतिगत छूटें दी हैं। इसके अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा तैयार किए गए विकास कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक/प्रायोजक बैंकों द्वारा बारीकी से जांच की जा रही है।

विवरण

1994-95 के दौरान पुनर्गठन के लिए चुने गए 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अनन्तिम कार्यशील परिणाम

(लाख रुपए)

क्रम सं०	पुनर्गठन के प्रथम चरण के अन्तर्गत चुने गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नाम	1993-94 लाभ/हानि	1994-95 लाभ/हानि
1	2	3	4
1.	भगीरथ ग्रामीण बैंक	220.00	88.00
2.	सरयू ग्रामीण बैंक	37.00	17.00
3.	शारदा ग्रामीण बैंक	−165.00	−207.00
4.	विंध्यवासिनी ग्रमीण बैंक	25.00	32.00
5.	गोदावरी ग्रामीण बैंक	22.00	48.00
6.	भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	−144.00	−78.00
7.	सूरत-भरूच ग्रामीण बैंक	−61.00	−41.00
8.	वल्साड-डांग्स ग्रामीण बैंक	−22.00	0.50
9.	अवध ग्रामीण बैंक	123.00	71.00
10.	फर्रुखाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	40.00	75.00
11.	औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक	−92.00	−99.00
12.	ठाणे ग्रामीण बैंक	−21.00	23.00
13.	गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	−78.00	−90.00
14.	सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	−99.00	−117.00
15.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होशंगाबाद	−234.00	−203.00
16.	साउथ मामलाबार ग्रामीण बैंक	125.00	211.00
17.	तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक	65.00	103.00
18.	दुर्ग-राजनंदगांव ग्रमीण बैंक	−279.00	−231.00
19.	कतकदुर्ग ग्रामीण बैंक	5.00	25.00
20.	वल्लार ग्रामय बैंक	−16.00	−0.30
21.	जम्मू रूरल बैंक	−411.00	−140.00
22.	भोजपुर रोहतास ग्रागीण बैंक	−79.00	−348.00
23.	हिमाचल ग्रामीण बैंक	−283.00	−182.00
24.	मगध ग्रामीण बैंक	−197.00	−352.00
25.	शेखावटी ग्रामीण बैंक	−468.00	−342.00
26.	फरीदकोट भटिंडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	8.00	20.00
27.	श्री रामा ग्रामीण बैंक	−39.00	45.00
28.	श्री सातवाहन ग्रामीण बैंक	−45.00	−103.00
29.	अरुणाचल प्रदेश रुरल बैंक	−28.00	−29.00
30.	बस्ती ग्रामीण बैंक	25.00	44.00
31.	बुंदेलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	−403.00	−306.00
32.	गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	928.00	995.00
33.	का बैंक नोंगकींडोंग रिखासी जैनतिया	122.00	95.00
34.	कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक	−117.00	−145.00
35.	मिजोरम रूरल बैंक	−67.00	−26.00
36.	नागालैंड रूरल बैंक	−15.00	−19.00
37.	बीजापुर ग्रामीण बैंक	−37.00	13.00
38.	गुडगांव ग्रामीण बैंक	−134.00	−202.00
39.	मालाप्रभा ग्रामीण बैंक	11.00	372.00
40.	प्रथमा बैंक	84.00	1.00
41.	मणिपुर रुरल बैंक	−97.00	−108.00
42.	प्रागज्योतिश गावलिया बैंक	−574.00	−626.00
43.	बर्द्धमान ग्रामीण बैंक	−163.00	−184.00
44.	कटक ग्राम्य बैंक	−350.00	−2337.00
45.	हावड़ा ग्रामीण बैंक	−48.00	−225.00

1	2	3	4
46.	जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक	−189.00	−295.00
47.	मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	−558.00	−470.00
48.	रीवा सीधी ग्रामीण बैंक	−38.00	−437.00
49.	संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	223.00	251.00

सिंडिकेट बैंक में अल्प बचत खाते

957. डा० मुमताज अंसारी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में सिंडिकेट बैंक की शाखाओं में अल्प बचत खातों में धांधली और धोखाधड़ी के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शाखावार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा गरीब जमाकर्ताओं के खातों को ठीक करने तथा दोषियों को सजा देने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सिंडिकेट बैंक को नई दिल्ली स्थित उसकी कुछ शाखाओं में अल्प बचत खातों में धोखाधड़ी के आरोप से संबंधित कुछ शिकायतें मिली हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सिंडिकेट बैंक ने कुछ दावे पहले ही निपटा दिए हैं और अपनी शाखाओं को निर्देश भी दिया है कि वे शेष वास्तविक दावों को भी निपटा दें। बैंक द्वारा लापरवाह पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है और पुलिस के पास भी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।

विवरण

क्रम सं०	शाखा का नाम	प्राप्त दावे
1.	लाजपतनगर शाखा, दिल्ली से सम्बद्ध ओखला डिपो-2 एक्सटेंशन काउन्टर	10
2.	अजादपुर-दिल्ली	32
3.	चांदनी चौक-दिल्ली	28
4.	बाराखम्बा रोड-नयी दिल्ली	1
5.	चांदनी चौक-दिल्ली	50
6.	जी०बी० रोड-दिल्ली	34
7.	मायापुरी — नयी दिल्ली	30
8.	ग्रीन पार्क — नयी दिल्ली	9
9.	करोल बाग — नयी दिल्ली	12
10.	फतेपुर बेरी-दिल्ली	9

आर्थिक अपराध

958. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए चीन के साथ सहयोग करने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) कर अपवंचन को रोकने तथा इस सम्बन्ध में सूचना के आदान-प्रदान को सुसाध्य बनाने के लिए भारत और चीन के मध्य दोहरे कराधान के परिहार के करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और चीन के बीच सीमा शुल्क के मामलों पर समन्वय का प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

गुजरात में नई हवाई पट्टियों का निर्माण

959. श्री काशीराम राणा :
श्री महेश कनोडिया :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में और अधिक हवाई पट्टियों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गुजरात में नई हवाई पट्टियां निर्मित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डाक्टरों के दल को सफलतावपूर्वक हृदय प्रतिरोपण शल्य चिकित्सा करने के लिए बधाई

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष जी, यह सदन देश और विदेश की समस्याओं में इतना घिरा रहता है, राजनैतिक दावपेंच में इतना उलझा रहता है कि हमारे पड़ौस में, हमारे आसपास मानव कल्याण के मार्ग पर निरन्तर प्रगति के जो मील के पत्थर चिन्नित किये जा रहे हैं, उनकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। मेरा इशारा ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में हमारे डॉक्टरों द्वारा हृदय के प्रत्यारोपण में जो सफलता प्राप्त की गई है, उसकी ओर है। हृदय का प्रत्यारोपण (हार्ट ट्रान्स प्लानटेशन) देश में पहले नहीं होता था। अभी भी बड़ी संख्या में लोग देश के बाहर जाते हैं। विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं लेकिन ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों ने यह चमत्कार संभव करके दिखाया है। तीन प्रत्यारोपण हो चुके हैं। पहला प्रत्यारोपण पिछले वर्ष 3 अगस्त को हुआ था। भारत के आयुर्विज्ञान के इतिहास में यह बड़ी उपलब्धि थी। यह डर था कि जिसके पहलू में नया दिल लगाया गया है उसका दिल कितने दिन धड़केगा। धड़केगा या नहीं धड़केगा। कहीं वह बीमारी का शिकार तो नहीं हो जायेगा। लेकिन साल भर बाद वह व्यक्ति स्वस्थ है, सामान्य जीवन जी रहा है और नये लोगों में यह आशा उत्पन्न कर रहा है कि भारत में हृदय का ट्रान्सप्लान्टेशन भी हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद तो और भी प्रत्यारोपण हो चुके हैं। एक प्रत्यारोपण 8 जुलाई 1995 को हुआ था और तीसरा 20 जुलाई 1995 को हुआ है। ये सभी व्यक्ति जीवित हैं, खतरे के बाहर हैं। जिनके प्रथम प्रत्यारोपण हुआ है जैसा मैंने कहा वे सामान्य जीवन जी रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे डॉक्टरों ने, नर्सों ने, टैक्नीशियनों ने आर्डली ने अपने सीमित साधन और मर्यादित सुविधाओं के होते हुए यह चमत्कार करके दिखाया है। हम उन्हें प्राइवेट नर्सिंग होम जैसी भारी भरकम तनख्वाह तो नहीं दे सकते मगर हम उनकी पीठ तो जरूर थपथपा सकते हैं, हम उनका अभिनन्दन करते हैं। मैं सरकार से निवेदन भी करूंगा कि ऐसे डॉक्टरों को बढ़ावा दें, ऐसे डॉक्टरों को प्रोत्साहन उपलब्ध करायें जिससे वे इस आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में अधिकाधिक आगे बढ़ सकें और भारत को इस मामले दुनिया की में पहली पंक्ति में बिठाने में सफल हों। धन्यवाद।

एक माननीय सदस्य : नाम भी बतायें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, क्षमा कीजिये। यह सारी टीम जिनके नेतृत्व में चली है वह डॉ० वेणुगोपाल हैं।

डा० बी० दास, डा० बलराम और डा० सम्पत कुमार—ये उनके सहयोगी हैं। जैसा मैंने कहा, उनके साथ टैक्नीशियन्स हैं, उनके साथ नरसैज हैं और आर्डरली हैं। यह काम तो टीम से होता है। यह सारी टीम हम लोगों की अभिनंदन की अधिकारी है। मैं चाहूंगा कि हमारी भावनाओं को उन डाक्टरों तक पहुंचा दिया जाए। मैं सोचता था कि इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री यहां पर होते। अभी तक भारत सरकार के नए स्वास्थ्य मंत्री ने इस टीम को बधाई नहीं भेजी है, इस टीम को बुलाकर प्रोत्साहन नहीं दिया है। कभी-कभी मुझे लगता है, मैडिसिन में इतनी पोलिटिक्स है कि पोलिटिक्स वालों को मैडिसिन की जरूरत कम पड़ती है और मैडिसिन वालों में ज्यादा पोलिटिक्स आ गई है। इस में यह राजनीति नहीं आने देनी चाहिए।

[अनुवाद]

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मैं यह घोषणा किसी अन्य अवसर पर करना चाहता था लेकिन क्योंकि श्री वाजपेयी जी ने इसे उठाया है, मैं इस मुद्दे को उठाने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

वाजपेयी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण इशू उठाया है मेरे ख्याल में पूरे भारत को इस बात पर और अपने डाक्टरों पर गर्व है। मेरी मिनिस्ट्री से इसका संबंध नहीं है, और आपने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री यहां होने चाहिए। जब तीसरी दफा डा० वेनुगोपाल ने हार्ट का ट्रासंप्लान्टेशन किया था, उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि हिन्दुस्तान में ऐसे और डाक्टरों की जरूरत है और विशेष रूप से डा० वेनुगोपाल की। फिर मैंने यह निर्णय लिया —**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) **:** सभा को देश के अन्य डाक्टरों को भी बधाई देनी चाहिए। हम उनको बधाई देना चाहते हैं। —**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद : मैंने मिनिस्ट्री की तरफ से यह निर्णय लिया कि डा० वेणुगोपाल को दुनिया के किसी भी हिस्से में और विशेष रूप से स्टेट्स और बाकी जगहों पर वे रिसर्च को फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए जाना चाहेंगे तो एयर-इंडिया की तरफ से उनको फर्स्ट—क्लास का टिकट मिलेगा, ताकि और एन्क्रेजमेंट हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष के नेता द्वारा यह मामला सभा के ध्यान में लाया गया और नागर विमानन*मंत्री ने 3 डाक्टरों की प्रशंसा करके और बहुत प्रभावी ढंग से उनको बधाई देकर बहुत उपयुक्त ढंग से उसका उत्तर दिया। संपूर्ण सभा का यह मत है कि इन डाक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया है और देश का गौरव बढ़ाया है। हम यह रिकार्ड करवाना चाहते हैं कि हम इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं और उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं और अपनी शुभकामनाएं देते हैं। संबंधित डाक्टरों को इसकी सूचना भेज दी जायेगी।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराज गंज) : महोदय, इस दिल का दान देने वाली एक महिला थी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महिलाएं अर्धांगिनी होती हैं।

—**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब महिला का दिल मर्द के सीने में रख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा —**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह एक आदर्श व्यक्ति होगा जिसमें दोनों के सर्वोत्तम गुण होंगे —**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल से दिल के बदलने से नहीं, दिमाग के बदलने से फर्क पड़ता है।

(व्यवधान)

12.09 म०प०

उड़ीसा में स्थानीय निकायों को भंग करना

[अनुवाद]

श्री लोक नाथ चौधरी (जगत सिंह पुर) : महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। उड़ीसा सरकार ने पंचायत समितियों और पंचायतों को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग कर दिया है। महोदय आप जानते हैं कि संविधान संशोधन पारित होने से पहले, उड़ीसा ऐसा सबसे पहला राज्य था जहां महिलाओं के लिए 70 प्रतिशत और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण देकर पंचायत अधिनियम को कार्यान्वित किया गया था। उस समय इसकी प्रसंशा की गई थी और अभी भी उनका कार्य काल पूरा होने में दो वर्ष और हैं। लेकिन नई सरकार जिसने अपने दस वर्ष की कार्यावधि में कभी भी पंचायत में चुनाव नहीं करवाए, ने अब इसको भंग कर दिया है।

महोदय, यदि कुछ कमी रहीं होती और फिर यदि सरकार यह माडल विधेयक लाई होती और सभा में इसे पारित किया होता तो मैं प्रसन्न हुआ होता और यदि यह उसके बाद भंग हुई होती तो यह प्रशंसा योग्य बात होती। लेकिन इस बारे में जो दृष्टिकोण अपनाया गया है वह विकेन्द्रीकरण के विरुद्ध तथा हमारे उन सिद्धातों के विरुद्ध है जिन्हें हमने अपनाया है। देश पर एक विशेष ढंग से शासन करने की प्रवृत्ति ने देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने को ही विनष्ट कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, आपको अपनी बात बहुत संक्षेप में कहनी है।

श्री लोक नाथ चौधरी : महोदय, यह एक बहुत गम्भीर मुद्दा है। यह सरकार जो पंचायती राज, प्रशासन के विकेन्द्रीकरण की बातें करती है, उड़ीसा में उनका दल.ऐसे ढंग से व्यवहार कर रहा है, जो पंचायती लोकतंत्र के ताने-बाने को विनष्ट कर रहा है। यह सम्पूर्ण देश के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है। इसका कारण यह है कि इस संसद ने पंचायतों को शासन करने का अधिकार देते हुए विधेयक पारित किया था। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास के लिए इस सरकार ने जो बड़ी, निधियां आंबटित की थीं, वे अब ...

अध्यक्ष महादेय : और भी कई मुद्दे है। हम अन्य लोगों को भी अवसर देना चाहते हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, यह धनराशि नौकरशाही द्वारा प्रयोग की जायेगी। भारत सरकार को इस बात ध्यान रखना चाहिए। यह राज्य का विषय है, फिर भी, एक दल के रूप में, कांग्रेस को ऐसा करते हुए शर्म आनी चाहिए।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं इस संबंध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या पंचायती राज्य संस्थाओं के सदस्य संविधान में हाल ही में किए गये संशोधन से पूर्व निर्वाचित किए गये थे अथवा उनका चुनाव उसके बाद हुआ था।

श्री लोक नाथ चौधरी : वे संविधान संशोधन लाये जाने से पूर्व निर्वाचित किए गये थे। इसका क्या अर्थ है? –**(व्यवधान)** उड़ीसा ही ऐसा एक मात्र राज्य था जिसने संविधान संशोधन विधेयक की अधिकांश सिफारिशों को कार्यान्वित किया था।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, पंचायती राज्य विधेयक को उड़ीसा विधान सभा में वर्ष 1992 में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। तदनुसार, इन निकायों के चुनाव भी करवाये गये थे।

तत्कालीन कांग्रेस पार्टी से चुनावों के बारे में बिल्कुल कोई शिकायत नहीं थी, जो उस समय विपक्ष में थी। वर्ष 1992 के चुनाव शान्तिपूर्वक हुए थे। कल 85000 सीटों में से, ग्राम पंचायतों में 40 प्रतिशत निर्वाचित प्रतिनिधि कांग्रेस के थे। ऐसा नहीं है कि विभिक ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समितियों में जनता दल के ही प्रतिनिधि चुने गये थे।

लेकिन प्रश्न यह है, कि अचानक ही कांग्रेस विधान मण्डल दल ने निर्णय किया और यह मांग की कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा नगर पालिकाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसे एक प्रस्ताव द्वारा समाप्त कर दिया गया क्योंकि विधानसभा में उनका बहुमत था। **ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों** तथा नगरपालिकाओं का कार्यकाल 1995 तक था। यदि संसद में पारित किए गये विधेयक में बिल्कुल कोई कमी नहीं थी तो यह कैसे हुआ? इन निकायों के चुनाव ठीक उसी तरह से हुए थे जैसा कि नॉडल विधेयक तथा कर्नाटक विधेयक में प्रस्तावित था।

अध्यक्ष महोदय : आपने यह मुद्दा उठाया है और कई अन्य प्रश्न भी हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, प्रश्न यह है कि हम बड़े जोरशोर से यह संविधान संशोधन विधेयक लाये थे। संसद की मंशा यह थी कि किसी भी ग्राम पंचायत, अथवा पंचायत समिति, अथवा नगरपालिका में कोई भी नौकरशाह पद धारण न करें। अब इन निकायों को भंग करने के पश्चात्, **ग्राम पंचायतों पंचायत समितियों** तथा नगर पालिकाओं के चुनाव करवाने का उड़ीसा सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसलिए और एक या दो वर्ष के लिए इन निकायों की अध्यक्षता निर्वाचित प्रतिनिधियों के बजाय नौकरशाह करेंगे। 85000 संस्थाओं को भंग किया गया था।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिए –**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : यह राजनीति से प्रेरित है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, संविधान के अनुसार, कोई ग्राम पंचायत, कोई जिला परिषद् अथवा कोई स्थानीय निकाय से अधिक समय तक अनिर्वाचित नहीं रह सकता। इसलिए माननीय सदस्य का यह डर कि इन निकायों के चुनाव एक वर्ष अथवा दो वर्ष से अधिक समय तक नहीं होंगे, सही नहीं है।

श्री श्रीकान्त जेना : प्रश्न यह है कि यदि मूल उड़ीसा पंचायत समिति अधिनियम अथवा उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम में कोई कमी थी, तो मॉडल विधेयक को विधान सभा में लाया जा सकता था। विधेयक को पारित करने के पश्चात् चुनावों की तारीखें निश्चित की जा सकती थीं और चुनावों के पश्चात् इस निकाय को भंग किया जा सकता था। उस प्रक्रिया का पालन किए बिना, विधान सभा ने यह निर्णय लिया है। हम इसकी निन्दा करते हैं। इस अधिनियम को सर्वसम्मति से पारित किया गया था और किसी भी पक्ष से कोई शिकायत नहीं थी। केवल राजनैतिक कारणों से जे-बी-पटनायक सरकार ने इन सभी निर्वाचित निकायों को भंग किया है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, संसद में स्थानीय निकायों के बारे में संविधान संशोधन विधेयक पास किया गया, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र की वास्तविक जड़ स्थानीय निकायों को मजबूत करना था। बहुत प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं होते थे, पंचायतों का गठन नहीं होता था, नगर-पालिकाएं भंग पड़ी रहती थीं और ब्यूरोक्रेट्स राज करते थे। इस स्थिति को सुधारने के लिए यह संविधान संशोधन किया गया, लेकिन यह सुन कर आश्चर्य हुआ कि जिस प्रदेश में 1992 में इस प्रकार का विधेयक पारित किया गया, जैसा यहां पर पास किया गया था, उसके आधार पर बाकायदा चुनाव करवाए गए और ठीक प्रकार से पंचायतों का प्रशासन चल रहा था, वहां पर हाल ही में विधान सभा में दूसरी पार्टी का बहुमत आ गया, उस बहुमत का प्रयोग करके पंचायतों को भंग कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और नए चुनाव भी नहीं करवाए, मैं समझता हूं कि यह सर्वथा गलत है और यह एक प्रकार से लोकतंत्र पर प्रहार है, आघात है। इन स्थानीय निकायों को खत्म करना सर्वथा अनुचित है और माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाओं की मैं पूरी ताईद करता हूं।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ उड़ीसा की पंचायतों के साथ हुआ है, वह एक गंभीर सवाल है। हमने वर्षों मेहनत करके देश में चौखंभा राज्य की स्थापना करने का एक रास्ता बनाया और वहां पर जो पंचायतों के चुनाव हुए थे, उनमें कोई शिकायत नहीं थी और वह लेजिसलेशन उस राज्य की विधान सभा में सर्वसम्मति से पास किया गया था, उसको भी उन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि जहां पंचायतें बन भी गई हैं, जिला परिषदें बन भी गई हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से यहां कहना चाहता हूं यदि इस देश में सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना है तो स्थानीय निकायों के चुनावों के साथ-साथ संसद द्वारा उनको पूरे अधिकार भी दिए जाने चाहिए। इस तरह से पंचायतों को समाप्त करने का जो काम हुआ है, यह बहुत बुरा हुआ है और सरकार को इस पर कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि यह कार्यवाही ठीक नहीं हुई है।

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में पंचायती-राज संस्थाओं को जो भंग किया गया है, उसके संबंध में यहां पर सवाल उठाया गया है और संसदीय कार्य मंत्री द्वारा एक क्लेरीफिकेशन चाहा गया कि क्या ये चुनाव संविधान संशोधन के पहले हुए थे या बाद में हुए थे। बताया गया कि उसके पहले हुए थे और मंत्री जी यह सोचते हुए बैठ गए कि जो कुछ किया गया है वह ठीक किया गया है। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इस संशोधन पर विचार करने के लिए जो संसदीय समिति गठित की गई थी, उसका मैं भी एक सदस्य था। उसमें यह प्रावधान किया गया था कि जहां निर्वाचित पंचायती राज्य संस्थाएं हैं, टर्म पूरा होने के पहले उनको खत्म नही किया जाएगा। यह उसमें प्रावधान किया गया था और संसद में इस पर चर्चा हुई थी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या यह कानून का एक भाग है?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : यह चर्चा का भाग है, इस पर आम सहमति थी और इसके बारे में सभी दलों के सदस्यों की बैठक हुई थी और इस बात पर आम सहमति हुई थी और बार-बार मंत्री जी द्वारा कहा गया था कि कोई स्थान खाली नहीं रखा जाएगा, 6 महीने के अंदर चुनाव कराए जाएंगे। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है बिहार में और कई राज्यों में 16-17-18 साल से पंचायतों के चुनाव नहीं कराए गए हैं और इस संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने के 2 साल बाद तक भी चुनाव नहीं कराए गए हैं।

केन्द्रीय सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है और निर्वाचित संस्थाओं को भंग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, हम आपसे निवेदन करेंगे कि जब संसद में संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया गया था और संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही हैं इन पर रोक लगे और फिर से पंचायती राज संस्थाओं को उड़ीसा में रैस्टोर किया जाए। दूसरी तरफ, जहां पर 15-16-17 साल से चुनाव नहीं हुए हैं वहां फिर से चुनावों की अविलम्ब व्यवस्था कराई जाए। जो राज्य सरकारें समय पर चुनाव न कराएं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : उड़ीसा में कांग्रेस सरकार ने वस्तुतः पंचायत प्रणाली को समाप्त कर दिया है क्योंकि वे बिना किसी स्थानीय निकाय अथवा पंचायतों के राज्य प्रशासन चलाने के अभ्यस्त है। पहले भी जे०बी० पटनायक सरकार ने बिना किसी पंचायत चुनावों के प्रशासन चलाया था। उप चुनाव में मुख्य मंत्री के रूप में उनके चुनाव के दिन से होडल्ला किया गया था। यह होड़ल्ला किया गया कि पंचायत निकायों को समाप्त किया जाना चाहिए और अब उनको समाप्त कर दिया गया है। जैसा कि पहले ही कहा गया है, कानून के अनुसार उनके चुनाव छः माह के भीतर होने चाहिए। लेकिन यहां प्रश्न वह नहीं हैं क्योंकि पंचायत निकायों का विधिवत् निर्वाचन हुआ था। उनका विधिवत् निर्वाचन हुआ था और उनकी अवधि पूरा होने में और दो वर्ष का समय है। अतः ऐसी स्थिति में स्थानीय निकायों के संबंध में उन्होंने जो किया है, उसकी निन्दा की जानी चाहिए, और या तो इन निकायों को पुनः बहाल किया जाना चाहिए अथवा पंचायत निकायों के चुनाव तुरन्त करवाने का निदेश दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने के लिए इजाजत दूंगा। बार-बार उठने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया, मैं बारी-बारी से आपको बुलाऊंगा।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देव गढ़) : महोदय, कुछ माननीय सदस्यों, जिन्होंने यह मुद्दा उठाया है, की अज्ञानता के लिए मुझे खेद है-**(व्यवधान)**

मैने वे सब बातें सुनी हैं। कृपया मुझे बोलने दें-**(व्यवधान)**-

श्री लोकनाथ चौधरी : यह अज्ञानता नहीं है। महोदय, उन्हें इसका उल्लेख इस तरह से नहीं करना चाहिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : कृपया मेरी बात सुनिए। महोदय, मुझे कुछ माननीय समस्यों की अज्ञानत के लिए खेद है, जिन्होंने यह मुद्दा उठाया है। विधान सभा में एक प्रस्ताव पारित करके पंचायत और नगर पालिकाओं को भंग किया गया है; यह सच है। यह चुनावी मुद्दा था। हाल ही में उड़ीसा में चुनाव हुए थे-**(व्यवधान)**- उड़ीसा में पिछले मार्च में ही चुनाव हुए थे। चुनाव के समय लोगों के सामने यह एक मुद्दा था। जवाहर रोजगार योजना आदि, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने में पंचायत चलाने वाले लोगों द्वारा व्यापक स्तर पर घपले के कारण, व्यापक घपले और घोटाले के कारण-**(व्यवधान)**-

श्री श्रीकान्त जेना : आप क्या कह रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : प्लीज, सुन लीजिए-**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : आप किस बारे में, कह रहे हैं?

[हिन्दी]

क्या बोल रहे हो आप ?-**(व्यवधान)**-

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मुझे अपनी बात पूरी करने का अधिकार है –(**व्यवधान**)–

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मेरे विचार से यदि आप आलोचना कर सकते हैं, तो आपको आलोचना सुननी भी पड़ेगी। यदि कोई सदस्य आपकी आलोचना कर रहे हैं तो आप उन्हें बोलने से रोक नहीं सकते।

श्री शिवाजी पटनायक : कोई भी दल विधि के उपबंधों के विरुद्ध कोई चुनावी मुद्दा नहीं बना सकती।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, लोग कांग्रेस दल को सत्ता में पंचायत और शहरी निकायों को भंग करने के प्राधिकार के साथ लाये थे। दूसरे–

अध्यक्ष महोदय : दूसरी बात कहना आवश्यक क्यों है? आप अपनी बात कह चुके हो। कृपया बैठ जाइए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, मुझे बोलने दीजिए। यह कहना कि कांग्रेस पार्टी की चुनाव करवाने में रुचि नहीं है, सच नहीं है। यह कहना कि जे०बी० पटनायक सरकार ने 1980 से 1990 की विगत इस वर्ष की अवधि में कोई पंचायत चुनाव नहीं करवाये, सचाई का अपमान करना है यदि यह सत्य पाया जाये तो मैं इस सभा को छोड़ने के लिए तैयार हूं। श्री चौधरी और अन्य सदस्यों को आगे आकर इसे सिद्ध करना चाहिए। पंचायत चुनाव 1980 और 1990 के बीच हुए थे।

श्री श्रीकान्त जेना : आपने 1984 से 1989 तक पंचायत चुनाव क्यों नहीं करवाये? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप ने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं। अब आप कृपया बैठ जाइए। आप अन्य लोगों को भी बोलने का मौका दीजिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : वर्तमान मुख्य मंत्री उस दशक अर्थात 1980 से 1990 के दौरान भी मुख्य मंत्री थे; जब चुनाव करवाये गये थे।

श्री श्रीकान्त जेना : उस समय, आपने एक व्यक्तव्य में श्री जे०बी० पटनायक की निन्दा की थी। **(व्यवधान)**

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : चुनाव यहां संविधान में संशोधन से पूर्व 1992 में हुए थे। उड़ीसा अधिनियम और संशोधित केन्द्रीय अधिनियम में आरक्षण आदि के संबंध में काफी भिन्नता है। इसलिए वहां पंचायतों को भंग करने के लिए यह उपाय आवश्यक था। वे पूर्णतया भ्रष्ट थी। मुझे विश्वास है कि, यदि आडवाणी जी वहां के लोगों से विचार-विमर्श करें तो, अब वे अपनी राय बदलेंगे।

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : जैसा कि आप जातने हैं, भंग करने के छः माह के भीतर चुनाव करवाने होंगे। उड़ीसा, सरकार इसके लिए वचन बद्ध है। वह समय पर चुनाव करवाने के लिए उपाय कर रही है। इसी कारण से, लोगों के आदेश और लोगों के मत का आदर करते हुए उन्हें भंग किया गया है। यहां जो आरोप लगाया गया है, वह केवल राजनीति से प्रेरित है। अधिकतर लोग उड़ीसा सरकार की इस कार्यवाही से प्रसन्न हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) महोदय, यहां एक सैद्धान्तिक मुद्दा उठाया गया है। हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या राज्य में सभी पंचायतों को भंग करने की बात उनके चुनाव घोषणापत्र में थी या नहीं। यदि यह संवैधानिक व्यवहार का सिद्धान्त है तो, महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक वर्ष एक करोड़ नौकरियां प्रदान करने का वचन दिया था और यह कहा था कि वह मूल्य स्तर को भी कम करके 1990 के स्तर पर ले जायेगी, तो केवल उसी आधार पर लोग कांग्रेस को सत्ता में लाये हैं। भारत के वित्त मंत्री ने यहां आकर कहा कि चुनाव घोषणापत्र का पालन नहीं करना है क्योंकि यह केवल चुनावों के दौरान कहा गया था। अतः, उनका दृष्टिकोण क्या है? भारत की संसद में यह बताया जा रहा है कि यदि कोई चुनाव मुद्दा उठाता है, तो समस्त संविधान व्यवहार को अनदेखा करना है। संविधान में कहा गया है कि पंचायतें होंगी; विकेन्द्रीकृत प्रशासन होगा। अब, वे अचानक कांग्रेस पार्टी की ओर से कह रहे हैं कि वे सब कुछ अनदेखा कर सकते हैं। वे कथित भ्रष्टाचार के कारण संविधान को अनदेखा कर सकते हैं।

और दूसरे, वे सभी पंचायतों को पूरी तरह भंग, किये जाने को घपले अथवा गबन या भ्रष्टाचार के आधार पर उचित ठहरा रहे हैं। महोदय, क्या ऐसा करने का यह तरीका है? कितनी कांग्रेस पंचायतें हैं जिनको आपने घोटाले, गमन तथा भ्रष्टाचार के लिए दोषी स्वीकार किया है। क्या ये बातें संसद में कही गई हैं और फिर वे उनसे मुकर जाते हैं इसलिए, इस पार्टी को वहां सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें तुरन्त चले जाना चाहिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : हिंसा का सहारा लिया गया था। कई लोंग मारे गये थे।

अध्यक्ष महोदय : अब केवल श्रीमती गीता मुखर्जी का व्यक्तव्य रिकार्ड किया जायेगा, और किसी का नहीं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंस कुरा) : महोदय, मुझे यह मुद्दा उठाने की अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। पिछले वर्ष समुद्र में तथा पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में स्थलीय झींगा मछली पालन केन्द्रों में छोटी झींगा मछलियों की मृत्यु के कारण, उत्पादकों, निवेशकों तथा निर्यातकों को कई करोड़ रुपयों की हानि हुई और हमारे देश को विदेशी मुद्रा अर्जन में लाखों डालर की हानि हुई। लेकिन कोचीन स्थित भारतीय समुद्री अनुसंधान संस्थान ने उपचारों का सुझाव देने के लिए कहा नहीं किया। इस वर्ष भी वही चीज हो सकती है क्योंकि आज तक संस्थान द्वारा कुछ भी सुझाव नहीं दिया गया है। तत्काल कुछ किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आजकल क्योंकि केरल की अपेक्षा पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में समुद्री उत्पाद कहीं अधिक है, इन राज्यों के उत्पादक तथा निर्यातकों के लिए आपात स्थिति में कोचीन पहुंचना बहुत कठिन होता है। इसलिए इस संस्थान के केन्द्रीय मुख्यालय–

अध्यक्ष महोदय : महोदया, आप महासागर अनुसंधान संस्थान को तटीयक्षेत्र से दिल्ली स्थानान्तरित न करें।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मेरा सुझाव मुख्यालय को स्थानान्तरित करने और फील्ड कार्यालयों को केरल और पश्चिम बंगाल में रखने का है ताकि समन्वय हो सके। **(व्यवधान) अन्यथा यह बहुत कठिन हो रहा है।** जाखड़ जी यहां हैं। वह निर्देश दे सकते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको इसकी पैरवी करने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इसीलिए मैं जाखड़ जी से इस संबंध में कुछ कहने का अनुरोध करती हूं।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : जनाब स्पीकर साहब, मैं ऐवान की तवज्जोह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि दुनिया में इस पर इतना बड़ा वाकया बोसनिया के ताल्लुक से हो रहा है और तमाम दुनिया के ममालिक इस पर तश्वीश का इज़हार कर रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो मुल्क गैर-जानिबदार तहरीक का बानी रहा, जिस मुल्क ने पंचशील के उसूलों को पेश किया, जिस मुल्क ने बान्डुंग कॉनफ्रेन्स में अपने आपको दुनिया के सामने रखा, लेकिन आज इस ताल्लुक से उसका क्या रद्दे अमल है, हमारे सामने नहीं आता। जबकि अक्वामे मुत्तहिंदा नाकाम हो चुका है। दो लाख से ज्यादा आदमी वहां पर निकाल दिये गए वहां फौजें मुतइयन होने के बाद। लेकिन हिन्दुस्तान खामोश तमाशाई बना हुआ है। हमारी गवर्नमेंट की फोरेन पोलिसी क्या है और इस ताल्लुक से उसका क्या रवैया है, मुझे इस पर बड़ा अफसोस है। मैं चाहता हूं कि ऐवान इसके लिए करारदाद पास करे और अक्वामे मुत्तहिंदा को तवज्जोह दिलाए कि आखिर एक मुर्दा इदारा बन गया है और खुद दुनिया के ममालिक इस पर तनखीद कर रहे हैं कि अक्वामे मुत्तहिंदा एक नाकारा और बेकार इदारा बन चुका है। मैं चाहूंगा कि हमारे फोरेन मिनिस्टर साहब इस मसले पर बयान दें कि उनकी क्या पोलिसी है?

महाराष्ट्र में एनरॉन विद्युत परियोजना के बारे में

12.34 म०प०

श्री अशोक आनंदराव देशमुख (परभनी) : महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। कल महाराष्ट्र राज्य विधान मंडल ने बिजली परियोजना पर डिसीजन ले लिया है। बिजली परियोजना 2015 मेगावोट क्षमता की थी और 1997 तक उससे 695 मेगावोट बिजली हमें मिलती जिससे महाराष्ट्र की बिजली की कमी पूरी होने की आशा थी। महाराष्ट्र में 1993-94 में 1381 मेगावोट पोवर डैफिसिट थी और ऐनर्जी रिक्वायरमेंट महाराष्ट्र को 2000 ईस्वीं तक 71 बिलियन किलोवोट चाहिए। ये बिजली परियोजना एक सेण्टीमेण्टल तरीके से रद्द हुई है। जान-बूझकर इसको रद्द किया गया है। मैं आपसे अपील करता हूं कि इस पर एक कमेटी फिर से अपोइण्ट करें और कमेटी अपोइण्ट करके इस पर ध्यान दें कि इससे जो स्टे बैंक होगा, उसका असर के फोरेन इनवेस्टर्स पर भी हो सकता है। जो हमारे यहां परियोजना लगाने की सोच रहे हैं, वह कभी पैसा नहीं लगाएंगे और महाराष्ट्र तथा देश का नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा है कि उससे मछली का नुकसान होगा। समुद्र का पानी कुएं की तरह नहीं होता है। गर्म होता है, मछली मरती है, इसका यह रीजन बताया है। उन्होंने यह भी रीजन बताया है कि पर्यावरण पर भी असर हो सकता है मैं पूछना चाहता हूं कि वे दूसरी पर्यावरणीय योजना क्यों नहीं बनाते? बिजली के अभाव में हमारे फार्मर्स के जो पंप चलते हैं वे बंद होते जा रहे हैं। गांवों में बिजली नहीं है, तीन-तीन दिन बिजली नहीं मिलती है। बिजली और पानी दो ऐसी चीजें हैं जो फार्मर्स की रोटी हैं। इसलिए मैं आपको आगाह करता हूं एवं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको फिर से टैक-अप करके इसको दुरूस्त करें और एक कमेटी बनाकर इसको बहाल करें।

श्री राम कापसे (ठाणे) : मंत्रीजी, आप क्यों नहीं बोलते हैं? आपको इस विषय पर बोलना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि उन्होंने यह कहते हुए मुझे एक सूचना दी है कि वे एक वक्तव्य देना चाहते हैं। मैं सदस्यों को बोलने की अनुमति दे रहा हूं और तत्पश्चात् वे उत्तर देंगे या वक्तव्य देंगे।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आज यह सदन के लिए, देश के लिए अच्छी खबर है, कि एनरॉन कम्पनी का महाराष्ट्र इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ जो करार था उसको महाराष्ट्र सरकार ने सोच-विचार करने के बाद स्क्रैप किया है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने तीन मुख्य कारण बताए हैं जिनका मेरे पूर्व स्पीकर ने जिक्र नहीं किया। जोशीजी का कहना था कि यह महाराष्ट्र के स्वार्थ के खिलाफ है, दूसरा एनवायरनमेंटल काजेज के खिलाफ है और तीसरा कोस्ट पैडिंग ज्यादा हुआ है। ये तीनों कारण महाराष्ट्र सरकार ने बताए हैं।

मैं दूसरा महत्वूर्ण कारण सदन के सामने उठाना चाहता हूं। एनरॉन की तरह उड़ीसा में भी एक विदेशी कम्पनी आई थी और पूर्व सरकार के साथ करार हो गया था, वहां वर्तमान में कांग्रेस दल की सरकार है। मैं ऊर्जा मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहता हूं, उड़ीसा के मुख्य मंत्री का कहना था और कहना है, 250 करोड़ का पैडिंग हुआ था। वह भी अमरीका की कम्पनी थी। उन्होंने कहा था कि हम उसको नहीं मानेंगे। मेरा यह कहना है कि यह क्या हो रहा है? यह सदन निरादृष्टा बनकर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता।

एनरॉन एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी है। ये दावा करते हैं और अखबार में भी आ चुका है कि 60 करोड़ रुपया हिन्दुस्तान के लोगों को दिया है और कहते हैं कि हमने हिन्दुस्तानियों को शिक्षित बनाया है। मैं आपके जरिये सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह 60 करोड़ रुपया एनरॉन कम्पनी ने कांट्रेक्ट के पहले किस मद पर खर्च किया? किसको दिया है? बहुत सी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हिन्दुस्तान में आएंगी और हमारा पैसा अपने देश में ले जाएंगी तथा यहां आकर हिन्दुस्तान के बुद्धिजीवियों को, हिन्दुस्तान के लोगों को भ्रष्ट करेंगी। क्या हम यह देखकर चुप रहेंगे? इसलिए मैं महाराष्ट्र सरकार को कहूंगा कि जिस तरीके से व जिन कारणों से इसको स्क्रैप किया है उन पर अड़े रहें। यह देश हित में है, महाराष्ट्र के हित में है और लोगों के भी हित में है।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : मैंने भी उसी विषय पर एक सूचना दी है। हमें प्रसन्नता है कि एनरॉन परियोजना को अन्ततः रद्द कर दिया गया है। हम समझते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव से पहले, परियोजना के विरुद्ध कहा एक जन-आंदोलन हुआ था और चुनावों के दौरान इस जन-आंदोलन ने ऐसा रूप धारण कर लिया था कि महाराष्ट्र में नव-निर्वाचित सरकार को उस जन-आंदोलन को ध्यान में रखना ही पड़ा। उन्होंने इसको ध्यान में रखा। इसलिए, हम प्रसन्न हैं, हम भी दो बातें जानना चाहते हैं, सबसे पहले, इससे दो प्रश्न उठते हैं। पहला यह है कि उसी प्रकार की अन्य विद्युत परियोजनाएं हैं जिनमें भी दोहरी गारंटी की शर्तें हैं और हमने भी यह पाया है कि राज्य बिजली बोर्डों को नजर-अंदाज किया जा रहा है।

उन पर कतिपय शर्तें लादी गई हैं जो कि राज्य के हितों के प्रतिकूल होंगी। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या उसी प्रकार की सभी परियोजनाओं की समीक्षा की जानी है।

दूसरा, हम जानना चाहते हैं कि क्या इन परियोजनाओं में लगे धन का अद्वैध संव्यवहार हुआ है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या केन्द्रीय सरकार इन परियोजनाओं की शर्तों की जांच करवायेगी और क्या इसमें कोई लीपापोती हुई है, क्या धन का कोई अवैध संव्यवहार हुआ है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : क्या श्री साल्वे ने अपना त्याग-पत्र दे दिया है ?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, यह भी प्रश्न है कि कतिपय बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां भारत को धमकी दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यदि एनरॉन परियोजना को रद्द कर दिया गया तो वे भारत में निवेश नहीं करेंगे। यह बहुत ही अनुचित है। बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा इस प्रकार की खींचातानी बहुत ही निंदनीय है और हम यह कहना चाहते हैं कि जहां कहीं भी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ कोई समझौते होते हैं तो ये समझौते हमारी शर्तों के आधार पर होने चाहिए न कि उनकी शर्तों के आधार पर।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस मुद्दे पर पूर्व वाद-विवाद करना पड़ेगा क्योंकि कई सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं। मैं नहीं जानता कि विधिक स्थिति क्या है, क्या हम इस पर चर्चा कर सकते हैं या नहीं और किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध है और कौन इन सबका उत्तर देगा।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, इस पर फूल-फ्लैज्ड डिस्कशन हो जाये तो अच्छा होगा क्योंकि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तब आप केवल मुझसे चर्चा न करें।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में महाराष्ट्र सरकार के निर्णय पर चर्चा हो, यह उचित नहीं लगता। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के निर्णय के बारे में केन्द्रीय सरकार को अगर कुछ कहना है तो केन्द्र सरकार उसे कहे और उस पर यहां चर्चा हो, वह उचित होगा।

जहां तक महाराष्ट्र सरकार के निर्णय का सवाल है, देश में व्यापक रूप से उसका स्वागत हुआ है और कहा जा रहा है कि बहुत उचित निर्णय हुआ है। कुछ लोगों का उस सरकार की नीतियों के साथ मतभेद भी होगा, वैचारिक मतभेद भी होगा लेकिन फिर भी व्यापक रूप से उसके निर्णय का स्वागत हुआ है। इसीलिये मैं यहां अपेक्षा कर रहा था कि आज शायद हमारे ऊर्जा मंत्री स्वयं इस बारे में केन्द्र सरकार का रवैया बतायेंगे और उस पर चर्चा होगी लेकिन मुझे इस बात का खेद हुआ कि सबसे पहले सरकारी पार्टी की ओर से, शिवसेना से उधर गये हुये एक व्यक्ति को यहां इनीशियेट करना पड़ा–**(व्यवधान)** यह कोई ठीक तरीका नहीं है। यदि आप अपनी बात कहते या कोई प्रमुख व्यक्ति कहता तो समझ में आता। –**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जब मैं खड़ा हूं तो आपको बैठना चाहिये।

मैं समझता हूं कि कुछ वैल-इन्फार्म्ड सीनियर मैम्बर्स भी इस विषय पर बोलना चाहते हैं, मैं उनको एक-एक मिनट जरूर दूंगा मगर प्लीज, इस विषय को अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से डिस्कस करेंगे तो मुझे पता नहीं हम कहां पहुंचेंगे।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : आप इस पर अलग से डिस्कशन करा दीजिये लेकिन दूसरे जो ईश्यू हैं, उनको अभी ले लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (करवा) : स्टेटमेंट आने दीजिये अभी –**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाईये। यदि आप सब लोग एकसाथ बोलेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वक्तव्य दिलाइए।

अध्यक्ष महोदय : हमें इसे व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए और यदि सभा में माननीय वरिष्ठ सदस्य समझते हैं कि वक्तव्य देना उचित होगा, तो वक्तव्य होने दीजिए और मैं नहीं समझता कि वक्तव्य पर प्रश्न पूछे जायेंगे, यदि आप समझते हैं कि किसी प्रकार चर्चा की आवश्यकता है तो हम इसे नेताओं की बैठक और कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा करेंगे और यह पता लगाएंगे कि इसे कैसे किया जा सकता अथवा, यदि आप आग्रह करते हैं तो मैं एक या दो सदस्यों को अनुमति दे सकता हूं। तब आप यह कहेंगे, "नहीं, नहीं"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया।

[हिन्दी]

श्री अशोक आनंदराव देशमुख : अध्यक्ष महोदय, मेरे बारे में जो कहा गया है, वह रिकार्ड पर है। कम से कम उसे रिकार्ड से तो निकलवा दें।

अध्यक्ष महोदय : उसे कैसे रिकार्ड में से निकाल दें। जो है, वहां पर है।

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : महोदय, मेरे वक्तव्य देने से पूर्व मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं किसी भी समय किसी भी रूप में जैसा भी आप निश्चित करें चर्चा के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : बात यह है कि समय कहां उपलब्ध है और इसे कैसे करें। मेरे विचार से अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और हमें उनके लिए समय चाहिए। बात केवल यह है कि सभा में कम महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा के लिए न धकेला जाये ताकि हमें महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए समय मिल सके। यह सभी सदस्यों पर लागू होता है।

श्री एन०के०पी० साल्वे : लेकिन जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि हम तैयार हैं और जो लांछन लगाए गये हैं वे बहुत अनुचित हैं। हमें किसी एजेंसी की आवश्यकता नहीं है। मुझे किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। **(व्यवधान)**

12.47 म०प०

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

एक महाराष्ट्र सरकार द्वारा दभोल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण का परित्याग किया जाना और द्वितीय, चरण को रद्द किया जाना

विद्युत मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : महोदय, मैं महाराष्ट्र सरकार द्वारा दभोल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के परित्याग और द्वितीय चरण को रद्द किए जाने के बार में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं :

वक्तव्य

महाराष्ट्र सरकार के सचिव (ऊर्जा) से विद्युत मंत्रालय में वल एवं फैक्स संदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र में दभोल में एनरॉन विद्युत परियोजना के बारे में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य का उल्लेख किया गया है। यह वक्तव्य मराठी भाषा में है। इस समय लम्बे वक्तव्य का गहराई से विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है, जोकि किया जा रहा है। वक्तव्य में ठेके का परित्याग करने और दभोल परियोजना के प्रथम चरण से संबंधित कार्यस्थल पर कार्य को रोकने और परियोजना के चरण-दो को रद्द किए जाने के विकल्प को मूर्त रूप देने के बारे में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का उल्लेख किया गया है, जैसाकि वक्तव्य से स्पष्ट है, यह प्रतीत होता है कि निर्णय निम्नलिखित पांच मुख्य पहलुओं के कारण लिया गया है :—

(1) मैसर्स दभोल पावर कारपोरेशन (डीपीसी) को परियोजना का ठेका दिए जाने से पूर्व प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया,

(2) डी०पी०सी० के साथ इस कारोबार को पूर्णतः गुप्त रखा गया है और यह सुस्पष्ट भी प्रतीत नहीं होता,

(3) पर्यावरणीय पहलुओं की ओर भी समुचित ध्यान नही दिया गया,

(4) परियोजना के लिए अवास्तविक पूंजीगत लागत का अनुमोदन किया गया, और

(5) अनुमत्य वैरिफ की उच्च दर का राज्य और उपभोक्ताओं के लिए अहितकर होना।

उपरोक्त पांच मुद्दे बम्बई और दिल्ली उच्च न्यायालयों तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में दायर की गई याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों के संबंध में मैसर्स डी०पी०सी० के साथ किए गए ठेके को वैध ठहराया है, के समान प्रतीत होते हैं। यद्यपि निश्चय ही यह मामला महाराष्ट्र सरकार, इसके बिजली बोर्ड और मैसर्स डी०पी०सी० से संबंधित है, तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा मैसर्स डी०पी०सी० के पक्ष में दी गई प्रति-गारण्टी के अधीन अपने दायित्वों के प्रति प्रत्यक्ष रूप से चिंतित है और भारत में निवेश संबंधी वातावरण पर महाराष्ट्र सरकार के निर्णय से संभावित प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से भी चिंतित हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के निहितार्थों का वक्तव्य में जो उल्लेख किया गया है, जिसमें उपेक्षित प्रति-गारण्टी संबंधी कानूनी जटिलताएं भी शामिल हैं, उनकी व्यापक रूप से जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, --(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री खण्डूरी का कथन ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यानं उत्तरांचल को पृथक प्रदेश बनाने के बारे में दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, एक हफ्ते के बाद 12 अगस्त को 4 साल पूरे हो जाएंगे जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने केन्द्र के पास एक प्रस्ताव भेजा था कि उत्तरांचल के 8 जिलों का एक अलग प्रदेश बनाया जाए। इसके ऊपर आज तक केन्द्र सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इसके बाद एक साल पहले एक दूसरी सरकार ने भी एक और प्रस्ताव भेजा जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि पृथक प्रदेश बनाया जाए।

12.49 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की और मसूरी, खटीमा और मुजफ्फरनगर जैसे भयंकर काण्डों के बाद भी सरकार अभी तक पूरी तरह से मौन धारण किए हुए है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को और प्रधान मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का मौन वहां की परिस्थिति को बिगाड़ रहा है और वहां भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि केन्द्र सरकार ने आज तक किसी भी चुने हुए जन-प्रतिनीध के साथ किसी भी प्रकार का वार्तालाप या विचार-विमर्श नहीं किया है। इस प्रस्ताव को चार साल हो गये हैं। इस सदन के हर सत्र के अंदर मैंने सवाल उठाये हैं और केन्द्र सरकार से निवेदन किया है कि कम से कम प्रदेश के और लोक सभा के चुने हुए प्रतिनिधियों से बात कीजिये लेकिन आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया। इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कल 3 अगस्त, 1995 को मेरे तारांकित प्रश्न के जवाब में सरकार ने भ्रामक और गलत जवाब दिया है। सरकार ने कहा है कि हमने कुछ पार्टियों के नेताओं से बात की है। सरकार यह गलत बता रही है। कि विपक्ष की मुख्य पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी प्रकार का कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष जी, यहां पर माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं। भारत सरकार की तरफ से हम जो हिल कौंसिल बनाने जा रहे हैं, अखबारों में उसका विस्तार से वर्णन आता है कि उसमें कितने सदस्य होंगे व किस प्रकार से होंगे। यह लिकेज करके आप जनता को और भड़का रहे हैं। माननीय पायलट साहब आप पिछले साल वाले आन्दोलन को दुबारा आन्दोलित कर रहे हैं। आप दुबारा लोगों को भड़का रहे हैं कि जब तक आप आंदोलन नहीं करेंगे, खून-खराबा नहीं करेंगे, हम आपकी बात सुनने वाले नहीं हैं। आप चुने हुए प्रतिनिधियों से बात क्यों नहीं करते? क्या समस्या है? आप अपने कुछ आदमियों

* कार्यवाही—वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

को बुला लेते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं और टी०वी० में दिखा देते हैं कि बहुत भारी मीटिंगें हो रही हैं। आपको चुने हुए प्रतिनिधियों से क्यों डर लगता है? क्यों नहीं आप उनसे बात करते?

यहां पर माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं मैं उनके माध्यम से प्रधान मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि आप कृपया स्थिति को और मत बिगाड़िये। यह सीमावर्ती क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है। वहां के लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि वे असवैधानिक तरीके से आंदोलन करें? क्यों आप उनको उकसा रहे हैं, क्यों आप उनके ऊपर निर्णय टाल रहे हैं? इस प्रस्ताव को आये हए चार साल होने जा रहे हैं। आपके पास यह प्रस्ताव 12 अगस्त, 1991 को आया था।

उपाध्यक्ष महोदय, आज तक सांसदों को वहां के लोगों की खून से लिखी हुई चिट्ठियां आ रही हैं। इतने लोग आंदोलित हैं। आप क्या चाहते हैं? किस प्रकार वे लोग अपना खून आपको दें। खून से लिखे हुए पोस्ट कार्ड सब सांसदों के यहां आ रहे हैं। आप इस पर क्यों नहीं निर्णय लेते? माननीय गृहमंत्री जी, वहां के लोगों के खून से लिखे हुए हजारों पोस्टकार्ड लोक सभा व राज्य सभा के सब सांसदों के पास आ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, क्यों आप निर्णय नहीं दे रहे? यह प्रस्ताव राजनीतिक प्रस्ताव नहीं है। यह प्रस्ताव वहां के क्षेत्र के विकास के लिए है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप तुरंत इसके ऊपर निर्णय दीजिये और उसे पृथक प्रदेश बनाने की घोषणा कीजिये।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : उपाध्यक्ष जी, संसदीय कार्यमंत्री यहां उपस्थित हैं। खण्डूरी जी ने जो बात कही, वह वास्तव में गंभीर है। देश के अलग-अलग भागों में स्थिति जब विस्फोटक बन जाती है तभी उसकी ओर ध्यान देना क्या उचित है या पहले पहल उसका वजन देखकर कि मांग क्या है, उस पर विचार करना चाहिये। यहां पर विधान सभा में दो बार प्रस्ताव पारित किया है लेकिन आज तक सरकार ने इसके बारे में कोई अधिकृत बयान नहीं दिया कि संसद और केन्द्र सरकार इस बारे में क्यों नहीं कार्यवाही कर रही है, क्यां आपत्ति है? कम से कम वहां के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनको विश्वास में लेना चाहिए। एक बयान यहां पर करना चाहिए लेकिन इस विषय पर यहां कई बार चर्चा हुई, दो बार गैर सरकारी प्रस्ताव भी यहां पर चर्चा में आये लेकिन सरकार ने अधिकृत रूप से आज तक कुछ नहीं कहा है। यह स्थिति उचित नहीं है। इस पर तुरंत आप कार्यवाही करें *कम से कम सांसदों को बुलाकर या विधान सभा के उस क्षेत्र के लोगों को बुलाकर उनसे चर्चा करें और यहां आकर एक अधिकृत बयान दें कि सरकार की नीति क्या है, यह जरूरी है।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, सोनीत से लिखे हुए पत्रों का जवाब मैं अभी देकर आ रहा हूं। मैं सिवाय शुभकामनाओं के कुछ और नहीं दे सकता। मेरा आपसे आग्रह है कि हिचक की गुंजाइश नहीं है। भारत और तिब्बत की सरहद तक हम हिंसात्मक उपद्रव नहीं चाहते हैं। इसलिए सरकार उत्तराखंड राज्य को एक अलग राज्य होने का ऐलान करें। नहीं तो कम से कम जैसे दार्जिलिंग में आपने किया, झारखंड के लिए किया, उस आधार पर आप ऐलान करें। मेरा आपसे आग्रह है कि आप हमारी उत्तरी सीमा को, जो भारत और तिब्बत के बीच है, उसको अशांत न होने दें।

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान बिहार राज्य के अपने क्षेत्र की ओर खींचना चाहता हूं जहां कि डाकखानों में न लिफाफा है, न अन्तर्देशीय पत्र है, न स्टैम्प है और न ही पोस्ट कार्ड हैं। यदि मिल भी रहा है तो मुनाफाखोर ज्यादा दाम लेकर बेच रहे हैं। मैंने जब वहां के डाकखानों में सम्पर्क किया तो कहा कि दो महीने से ऐसे ही चल रहा है शर्म की बात है कि जो केन्द्र सरकार लोगों को लिफाफा, स्टैम्प आदि मुहैया नहीं करवा सकती, वह करप्शन दूर करने का दावा करती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन डाकखानों में पोस्ट कार्ड, लिफाफे आदि की आपूर्ति की जाए और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। –**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान लीजिये। मैंने श्रीमती सुशीला गोपालन का नाम पुकारा है। आपका नाम नहीं पुकारा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान लीजिये। आप सुशीला गोपालन नहीं हैं। मेरे सामने नामों की सूची है। मैं एक-एक करके नामों को पुकारूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिंकिल) : महोदय, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को अंतरिम राहत दी जाती है। परन्तु, यह खेद का विषय है कि हालांकि कुल डाक कर्मियों में 50 प्रतिशत से अधिक विभागेत्तर कर्मचारी हैं अर्थात तीन लाख विभागेत्तर कर्मचारी हैं, अपितु उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है। आप सभी को मालूम है कि वास्तव में अधिकांश विभागेत्तर कर्मचारियों को 500 रुपए अथवा 600 रुपए माहावार ही मिल रहा है। उनको अंतरिम राहत नहीं दी जा रही है। यह अन्याय है।

महोदय, यह लोग डाक कार्य के अलावा अन्य दूसरे कार्य जैसे एजेंसी सेवाएं और इस तरह के कार्य भी कर रहे हैं। वास्तव में यह लोग 16,000 करोड़ रुपए के मूल्य का कार्य कर रहे हैं जो कि कुल डाक कार्रवाई का एक-चौथाई है। परन्तु उनकी तरफ उचित ध्यान नहीं दिया जाता है।

इसलिये, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह डाक विभाग के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को 100 रुपए अंतरिम राहत के रूप में दे। यह कर्मचारियों की उचित मांग है। इसलिये, सरकार को तत्काल इस पर ध्यान देना चाहिये और उनको अंतरिम राहत देनी चहिये।–**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : उपाध्यक्ष जी, बिहार राज्य के बक्सर जिले में बहुत पहले से दूरदर्शन केन्द्र स्थापित है। करीब एक साल से उसकी हालत खराब है। मैंने उसके लिए कई बार मंत्री महोदय के पास पत्र लिखे लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैंने यहां तक कहा कि कुछ अधिकारियों को हटा देने के बाद वहां की स्थिति ठीक हो जाएगी और दूरदर्शन केन्द्र

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

ठीक से काम करने लगेगा। मंत्री जी ने पत्र द्वारा अश्वासन भी दिया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहां के लोग राष्ट्रीय प्रोग्राम तथा और भी कई प्रोग्राम देखना चाहते हैं। लाखों लोग इन कार्यक्रमों के देखते हैं। इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री से कहना चाहता हूं कि बक्सर के दूरदर्शन केन्द्र को जल्द से जल्द चालू किया जाए ताकि वहां के लोग राष्ट्रीय प्रोग्राम देख सकें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष जी, राजस्थान सबसे शान्त प्रदेश है, वहां पर किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होता। लेकिन कुछ दिनों से जैसलमेर और बाड़मेर में पाकिस्तानी तत्व सक्रिय हैं। पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं और वहां से नशीली वस्तुएं और हथियार ला रहे हैं। जैसलमेर और बाड़मेर राजस्थान की सीमाएं पाकिस्तान से लगी हुई हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार जैसलमेर और बाड़मेर में भी तारबन्दी करवाए ताकि वहां पाकिस्तान के लोग न आ सकें, हथियार न भेज सकें, सेना न भेज सकें, आतंकवादी ने भेज सकें और राजस्थान में नशीली वस्तुओं की रोकथाम हो सके।

1.00 म०प०

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह, आपके नाम में दो विषय दिरवाये गए हैं। परन्तु, आप केवल एक ही विषय को उठा सकते हैं ।

श्री हन्नान मोहल्लाह (उलूबेरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र और मेरे जिले में खाना पकाने की गैस की अत्यंत कमी है। खाना पकाने की गैस की सप्लाई नहीं हो रही है और इसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है सरकार ने नए खाना पकाने की गैस की सप्लाई के केन्द्र खोलने की भी स्वीकृति नहीं दी है। विभिन्न शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में खाना पकाने की गैस की मांग बढ़ती जा रही है। परन्तु, सरकार नए केन्द्र नहीं खोल रही है और लोगों को पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल रही है। हावड़ा के पुराने जिले में और विशेषतः मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बगनान, उलूबेरिया, आमता, श्यामपुर और उदयनारायण पुर में लोगों को काफी भाग दौड़ करने पर भी खाना पकाने की गैस नहीं मिल रही है। इसलिये, मैं सरकार से अनुरोध करना-चाहता हूं कि खाना पकाने की गैस की पर्याप्त सप्लाई की जाए और मेरे संसदीय क्षेत्र में गैस की सप्लाई के नए केन्द्र खोले जायें।

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल के हावडा जिले में पिछले पांच सप्ताह से चीनी की सप्लाई नहीं की जा रही है। पिछले दिनों जो चावल सप्लाई किया गया था वह मानव प्रयोग के लिये उपयुक्त नहीं था। इसी के कारण हावड़ा जिले में सम्पूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली बंद होने के कगार पर है। जिला और राज्य प्रशासन ने मामला सम्बद्ध प्राधिकरण के समक्ष रखा है, लेकिन अब तक कोई उत्तर नहीं मिला है। जब हम खाद्य मंत्रालय से सम्पर्क करते हैं तो वह करते हैं तो वह कहते हैं कि चीनी को ढोने के लिये टैंक उपलब्ध नहीं हैं और जब हम रेलवे से सम्पर्क करते हैं तो उनका कहना है कि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है। इस प्रकार हावडा जिले के लोगों को एक के बाद दूसरे अधिकरण से सम्पर्क करना पड़ रहा है। महोदय, मैं, आपके माध्यम से सम्बद्ध मंत्रालयों अर्थात खाद्य मंत्रालय और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे हावड़ा जिले में चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करें। मैं खाद्य मंत्री से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वह रेल मंत्रालय के साथ मामला उठाये ताकि चीनी को ढोने के लिये टैंक उपलब्ध हो सकें और हावड़ा को नियमित रूप से चीनी की आपूर्ति हो सके।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज शुक्रवार है। इसलिये, मैं अनुरोध करता हूं सभा की कार्यवाही स्थगित कर दी जाये।

[हिन्दी]

श्री बी०एल० शर्मा प्रेम (पूर्व दिल्ली) : मान्यवर, मैं आपका ध्यान दिल्ली उच्च न्यायालय के 26 जुलाई, 1995 के उस निर्णय की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें इण्डिया गेट पर महात्मा गांधी जी की मूर्ति स्थापित करने से पूर्व वर्तमान कनोपी को तोड़ने, हटाने अथवा परिवर्तन करने के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को आदेश दिये थे।

यह मामला उच्च-न्यायालय में इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एण्ड कल्चरल हैरीटेज द्वारा दायर याचिका पर दिया गया था। उच्च-न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार एवम् अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को अपना पक्ष 29 सितम्बर, 1995 तक प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिये हैं।

यह मामला परम पूज्य महात्मा गांधी जी की 125वीं जन्म तिथि पर राजधानी के प्रमुख स्थल पर सम्मानपूर्वक उनकी मूर्ति स्थापित करने से सम्बन्धित है। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि वह इस सदन में अपना पक्ष प्रस्तुत करे और उच्च-न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने से पहले सदन की राय लें।

इतना ही नहीं, महात्मा गांधी जी की मूर्ति स्थापित करने का यह मामला 30 साल से लटक रहा है। अब हमें यह मामला अधिक देर तक नहीं टालना चाहिए और इसी सैशन के अन्दर कोई-कोई निर्णय लिया जाय।

[अनुवाद]

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, दक्षिण असम में बरक घाटी में कई रुग्ण और कम चाय उगा रहे चाय बागान हैं। वर्तमान में करीमगंज जिले में पाथिनी चाय बागान की हालत काफी खराब है। मजदूरों को उनकी मजदूरी और राशन नहीं मिल रहा है और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। बागान का प्रबंधन भारतीय चाय व्यापार निगम के पास है और इसके प्रबंधन में बागान बुरी तरह रुग्ण हो गया है। कोई नए पौधे नहीं लगाये गए हैं, कारखाने की इमारत जीर्ण-शीर्ण है, मशीनें खराब हैं और केवल कुछ किलोग्राम हरी पत्तियाँ ही पड़ोसी राज्यों को बेची जा रही हैं। यह किसी भी तरह से मजदूरों और कर्मचारियों की वेतन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है वर्ष 1993 में 10 मजदूरों की भूख के कारण मृत्यु हो गई थी। महिलाएं और बच्चे भूख और अल्पपोषित हैं। मुझे अब तक इन रुग्ण बागान के मजदूरों से 17 तार प्राप्त हो चुके हैं और उनमें से 2 को मैने माननीय वाणिज्य मंत्री को भेज दिया है। इसलिये, मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह करीमगंज जिले के पाथिनी चाय बागान के मजदूरों के जीवन की रक्षा हेतु तत्काल कदम उठाये और बागान में जान डालने के लिये तत्काल कदम उठाये। महोदय, माननीय मंत्री जी यहां मौजूद हैं और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में कुछ कहें।

[हिन्दी]

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के पचास

वर्ष बाद भी आज हजारों स्वतंत्रता सेनानी दिल्ली में आकर खाक छान रहे हैं। 31 मार्च, 1982 तक सारे देश में चार लाखों पैंतालीस हजार स्वतंत्रता सेनानियों ने आवेदन पत्र दिया था। बिहार से तिरान्नवे हजार लोगों का आवेदन पत्र आया था जिसमें से छब्बीस हजार लोगों को स्वतंत्रता संग्राम सम्मान पेंशन मिल गई। बिहार का मामला केन्द्र सरकार के पास लम्बित है। चव्हाण, साहब ने कहा था। कि वहां बिहार की परामर्शदात्री समिति के जो अध्यक्ष हैं वे और वहां के संबंधित गृह निदेशक तथा इस मामले से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के राज्य मंत्री, संबंधित केन्द्रीय गृह निदेशक के साथ मिलकर बिहार के लंबित मामले तय करेंगे। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जो स्वतंत्रता सेनानियों की 17 हजार दरख्वास्ते बिहार से अनुमोदित होकर केन्द्र के यहां पैंडिंग पड़ी हैं, उनका जल्दी से जल्दी निष्पादन करायें, क्योंकि वे लोग भूखे मर रहे हैं और जीवन के अंतिम चरण में हैं। --**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। श्री प्रभु दयाल जी, आप अपना स्थान लीजिये। आप इस अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री ठाकुर महेन्द्र कुमार सिंह (खंडवा) : नेपा पेपर मिल को भ्रष्टाचार का अड्डा बताकर उसको बेचने की कोशिश की जा रही है। यह एशिया की सबसे पुरानी पेपर मिल है जो मेरे लोक सभा क्षेत्र में स्थित है। इस मिल के सी०एम०डी०*–है इनकी मिल में भ्रष्टाचार के अनेक मामले सरकार के सामने समय-समय पर प्रस्तुत किये गये हैं। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई होने की वजह से*– करीब तीन हजार परिवार इस मिल से उदर-पोषण कर रहे हैं। वर्तमान में मिल प्रतिमाह एक से दो करोड़ रुपये का लाभ कमा रही है। ऐसी स्थिति होने पर भी मिल को निजीकरण की ओर धकेला जा रहा है।*

उपाध्यक्ष महोदय : मि० महेंद्र आपको पता होगा कि नियम 377 के अधीन सूचना में पढ़ना पड़ता है, आपको अभी जो कुछ बोलना है वह आप पढ़कर नहीं बोल सकते।

श्री ठाकुर महेन्द्र कुमार सिंह : बस हो गया। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाये। जो भ्रष्ट अधिकारी इस षड़यंत्र में लगे हैं, उससे बचें। हजारों मजदूर और यूनियन के साथी भी इस मिल का निजीकरण नहीं चाहते हैं। इसलिए सरकार इस तरफ ध्यान देकर इस मिल का निजीकरण होने से बचाये।

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका) : गुजरात में कुछ जिलों मे अच्छी बरसात हुई है। लेकिन वहां के किसान बहुत परेशान हैं। जो ट्रैक्टर की सप्लाई गुजरात में होनी चाहिए। वह बहुत कम है। परिणामस्वरूप किसानों को पांच से दस हजार रुपये ब्लैक देना पड़ता है। वहां डीलर इस वास्ते घूम रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि ट्रैक्टर की सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए। इसी तरह से वहां गत साल उर्वरक की सप्लाई कम हुई थी, परिणामस्वरूप किसानों को ब्लैक से उर्वरक लेना पड़ा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा उर्वरक गुजरात की ओर सप्लाई किये जायें और गुजरात के किसानों को आबाद होने में भारत सरकार सहयोग करे। यही मेरी गृह मंत्री जी से मांग है।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तात से निकाल दिया गया।

श्री प्रभू दयाल कठेरिया (फिरोज़ाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोकतंत्र का एक मैन इश्यू आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि फोटो पहचान पत्र के सम्बन्ध में समूचे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है। सरकारी अधिकारी न तो ग्रामीण क्षेत्र में इस बात की सूचना किसानों को देते हैं कि फोटो पहचान पत्र बनाने जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों द्वारा इतनी अनियमिततायें हो रही हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात के लिए निर्देशित करें कि उन अधिकारियों को तुरन्त इस बात की सूचना मिलनी चाहिये ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत में पोलिंग बूथ रखा गया है, **(व्यवधान)** यह सरकार किसी की भी हो। यह लोकतंत्र का विषय है। मैं कहना चहता हूं कि जो पोलिंग बूथ में व्यवस्था की गई है। एक-एक पोलिंग बूथ में 10-10, 11-11 छोटे-छोटे मसला आते हैं। इनकी व्यवस्था प्रत्येक ग्रामसभा में अगर फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की जायें तो ग्रामीण क्षेत्र का जो आम किसान मजदूर है, वह अपना फोटे पहचान पत्र बन सकता है तभी लोकतंत्र की व्यवस्था बन सकती है। नहीं तो आने वाले भविष्य में चुनावों में वह मत का प्रयोग नहीं कर पायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर विषय है। सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता हैं। – श्री सैयद शाहाबुद्दीन जी....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम मैं न बुलाऊं।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं चन्द लफ्जों में बहुत ही अहम मसले की ओर आपकी और पूरे सदन की और तमाम सरकार की तब्जोह दिलाना चहाता हूं। 1991 में हमने इसी सदन में कानून पास किया था। जितने हमारे धर्म स्थान हैं, उनकी जो हैसियत 15 अगस्त 1947 को थी, वह कायम रहेगी और हम लोगों ने उस कानून में यह भी कहा था कि न सिर्फ यह कि उस कानून के तोड़ने की इज़जत नहीं दी जायेगी बल्कि इस बारे में अगर कोई अबैटमेंट होगा या इनसाइटमेंट होगा, वह भी पैनल्टी अटैक करेगा। मुझे यह बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में एक संस्था बार-बार कानून को चुनौती दे रही है। रोज अखबार पढ़ता हूं तो यह बात सामने आती है कि कहा जा रहा है कि हम बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह को रहने नहीं देंगे और उसको तोड़ करके रहेंगे। हम इसको तबदील करेंगे और उसे तोड़कर रहेंगे। मैं समझता हूं कि सरकार ने अब तक कुछ हिफ़ाजती कदम तो उठाये हैं मगर अब तक इस बात का पूरा नोटिस नहीं लिया है इसके बारे में जो कानूनी कदम उनको उठाने चाहिये वह नहीं उठाये हैं और मैं समझता हूं कि इसके बारे में आर्टिकल 355 का सहारा लेकर राज्य सरकार को भी एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन देना चाहिये कि इस तरह से कानून के तोड़ने की इज़ाजत नहीं दी जायेगी और जो लोग हिन्दुस्तान भर में इसके बारे में अभियान चलाकर फ्रिजा को गर्म करना चाहते हैं ओर आग लगाना चाहते हैं, उनके ऊपर हर तरह की कानूनी पाबन्दी लगानी चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि कल नेशनल इंटीग्रेशन काउन्सिल की स्टैन्डिंग कमेटी की एक बैठक बुलाई गई थी लेकिन जैसा कि मझे मालूं है कि उसमें किसी तरह के कोई फैसले नहीं हुए। मैं समझता हूं कि अगर हमें अयोध्या को फिर दुबारा हिन्दुस्तान में इनेक्ट होने से रोका है तो हमें इस मामले पर

पूरे ध्यान के साथ, पूरी हिम्मत के साथ और पूरी ताकत के साथ तवज्जोह देनी पड़ेगी। यह सरकार का फर्ज है और सरकार को यह फर्ज अदा करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम 1.30 म०प० तक बैठेंगे। कृपया मेरे साथ सहयोग करें।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : श्रीमान्, मैं आपके माध्यम से सारे भारत के ग्रामीण बैंक के लाखों कर्मचारियों के द्वारा इस समय जो दिल्ली के अन्दर धरना दिया जा रहा है 21 तारीख को आम हड़ताल सारे भारत में करने के लिए जो जारी किया गया विज्ञापन है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं कि ग्रामीण बैंक के लाखों कर्मचारी अब यह चाहते हैं कि जो सरकार ने रेड्डी कमीशन के द्वारा निर्णय किया था कि उनको समान वेतन दिया जायेगा अन्य कौमर्शियल बैंक की तरह वह समान वेतन 1991 के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया। उसको बाद में दिया गया लेकिन अभी-अभी जो समझौता हुआ अन्य कर्मचारियों के साथ में, उसमें इनको वंचित रखा गया है। श्रीमन, भारत गांवों में रहता है। ग्रामीण बैंक का कर्मचारी अपना खून पसीना गांव में रहकर और जनता की सेवा करने के लिए लगाता है। उनको वंचित रखना बहुत खतरनाक है। अतः मेरा निवेदन है कि आज जो धरना चल रहा है-

भारत गांवों में रहता है। ग्रामीण बैंकों का कर्मचारी अपना खून पसीना एक करके गांव में रह कर जनता की सेवा में लगा रहता है। उनको इससे वंचित रखना बहुत खतरनाक है। मेरी निवेदन है कि आज जो धरना दिया जा रहा है, यहां हजारों ग्रामीण कर्मचारी देश के विभिन्न भागों से आए हैं, उनको वित्त मंत्री जी जाकर के आश्वासन दें कि उन्हें वेतन दिया जाएगा। अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक की रचना की जाकर के निर्माण किया जाएगा, ताकि उनका जीवन-स्तर ऊपर उठ सके और गांवों में रहने वाले किसानों की सेवा हो सके। **(व्यवधान)***

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा। सभा मे अनुशासन होना चाहिए। मुझे बहुत ही खेद है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : वित्त मंत्री जी जवाब दें, कुछ करें, यह मेरी प्रार्थना है। बहुत महत्वपूर्ण मामला है, लाखों कर्मचारी बैठे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप शून्य काल के दौरान किसी उत्तर की आशा नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री रामदेव राम (पलामू) : उपाध्यक्ष महोदय, उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर गठित राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण ने प्रायोजक बैंकों के समान वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधायें देश भर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी देने के निर्देश 30 अप्रैल, 1990 को भारत सरकार को दिए थे। भारत सरकार ने 22 फरवरी, 1991 को इस एवार्ड की क्रियान्विति के निर्देश भी दिए थे। तद्नुसार, बैंकिंग उद्योग स्तर पर 5वें वेतन समझौते तक की सुविधायें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में लागू कर दी गई। 14 फरवरी, 1995 को बैंकिंग उद्योग में छठा वेतन समझौता सम्पन्न हो चुका है, जिसकी बैंकिंग उद्योग में क्रियान्वित भी हो चुकी है, लेकिन भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अभी तक निर्देश जारी नहीं किए हैं। इसके विरोध में देशभर से आए कर्मी धरना संसद मार्ग पर दे रहे हैं। 22 अगस्त को देश व्यापी हड़ताल पर होंगे।

राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष भी भारत सरकार ने घाटे का बहाना बनाया था, लेकिन इस तर्क को निरस्तर कर दिया गया था। एवार्ड के क्रियान्वयन के समय भी यह बैंक घाटे में चल रहा था। अब यह कुतर्क पुनः दोहराना उचित नहीं है। वर्तमान में 27 में से 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी घाटे में चल रहे हैं। वहां पर भी छठा समझौता लागू किया गया हे। अतः यह कुतर्क ग्रामीण बैंक के लिए उचित नहीं है। वित्तमंत्री जी से निवेदन है कि इस संबंध में स्पष्ट वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : रामदेव जी, जीरो-आवर में पढ़ना नहीं होता है। आप नियम 377 में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां नहीं।

...(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुम्बई महानगर की आबादी एक करोड़ 20 लाख हो गई है और इसमें 60 लाख लोग झौंपड़-पट्टी में रहते हैं तथा नारकीय जीवन बिताते हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना की नई सरकार आई है। उन्होंने एक जनवरी, 1995 तक जिनकी झौंपड़ पट्टियां थी और मतदाता सूची में जिनका नाम था, उनको सुरक्षा देने का तय किया है। इसके अन्दर महाराष्ट्र सरकार ने आज तक राज्य सरकार की जमीन हो, मुम्बई नगरपालिका की जमीन हो और प्राइवेट जमीन हो, उनमें झौंपड़-पट्टी में रहने वाले लोगों को नगरीय सुविधायें दी हैं। लकिन केन्द्र सरकार ने इस प्रकार की सुविधायें देने के लिए अभी तक नौ-आब्जैक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया है। इस कारण लगभग 20 लाख लोगों को नगरीय सुविधायें नहीं मिल रही है। महाराष्ट्र सरकार ने इस समय 40 लाख झौंपड़-पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए एक क्रान्तिकारी योजना बनाई है, जिसके अन्दर केन्द्र सरकार की जमीन पर रहने वाले लोगों को भी सहूलियत देना है। इसलिए केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार की जमीन पर जो झौपड़-पट्टी वासी रहते हैं, उनके लिए इस योजना में सम्मिलित होने के लिए नौ-आब्लैक्शन-सर्टिफिकेट दिया जाए। मुम्बई शहर मे रहना मुश्किल होता जा रहा है, घर की कीमत आसमान छू रही है, उनको अपना घर देन के लिए सुविधा हो जाए। इसलिए नौ-आब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाए, ऐसी मेरी मांग है। इस बारे में सरकार क्या करना चाहती हे, वक्तव्य दें।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े महत्वपूर्ण विषय को शून्यकाल में उठाना चाहता हूं। वन महानिरीक्षक ने वानिज्यक असंतुलन के बारे में यह कहा है कि यह स्थिति गरीबों की जरूतर तथा अमीरों के लालच के चलते हो गई है, वही लोग इसके लिए सवाधिक जिम्मेदार हैं। दनिया के 20 प्रतिशत अमीर लोग दुनिया के तीन चौथाई से अधिक संसाधानों का दोहन करते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि जिस पर हमारे गरीबों की जीविका निर्भर है वह प्रभावित हो रही है। ऐसी स्थिति

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

में हम सरकार से चाहेंगे कि वन संरक्षण नियम को ऐसा बना दें जिससे गरीबों को लाभ मिले, जो अभी तक उनको नहीं मिल पाता है। इससे सिर्फ अमीरों को ही लाभ मिलता है, अमीर लोग इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाते हैं। **(व्यवधान)**

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान बिहार में भारतीय जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों में जनता को होने वाली परेशानियों एवं प्रशासनिक कठिनाईयों की ओर ले जाना चाहता हूं। मैंने स्वयं भी कई दफा मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया है कि वहां जो क्षेत्रीय कार्यालय है, जिसका पूरा प्रारूप बन चुका है और बहुत बड़े हिस्से में बिहार से लोगों ने एलआईसी करवाया है। वहां कई बार क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए कहा है। कलकत्ता में है मगर बिहार में इस कार्यालय को नहीं खोला जा रहा है। वहां औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा है, इसके खुलने से वहां काफी संख्या में औद्योगिक विकास होगा, काफी मात्रा में लोगों को फायदा होगा और प्रशासनिक कठिनाई से भी वहां लोगों को फायदा होगा। मगर बार-बार अनरोध करने के बावजूद भी अभी तक वहां एलआईसी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं खुल सका है, जिसके कारण वहां लोगों को कठिनाई हो रही है और बिहार के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो बिहार में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का मामला अभी तक लम्बित है उसको निश्चित तौर से खुलवाने का काम करें और बिहार की जनता के साथ न्याय करने का काम करें।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय,*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं यह, विषय नहीं है। क्या आप ने इसी विषय की सूचना दी है?

श्री मोहन रावले : नहीं

उपाध्यक्ष महोदय : आप ने क्षेत्रीय डिजाइन और हस्तशिल्प तकनीकी विकास केन्द्र के स्थानान्तरण पर बोलना है। आप अवसर का गलत उपयोग कर रहें हैं। मुझे खेद है। आपका अवसर चला गया है। अब, मैं डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय को बोलने के लिए बुलाता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : महोदय, **(व्यवधान)***

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे अगली बार उठा सकते है।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज मिल को निजी हाथों में सौंपने की सरकार तैयारी कर रही है। इस कारण वहां के मजदूरों में पर्याप्त असंतोष है। नेपानगर मुनाफे में चलने वाली एक अखबारी कागज मिल है। उसमें हजारों मजदूर लगे हुए हैं लेकिन सरकार ने उन मजदूरों की बातों को अनदेखा करके निजी हाथों में सौंपने का जो निर्णय लिया है उसके कारण आज मजदूर आंदोलित हैं। आज वहां पर हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।

मैं सरकार का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहता हूं कि इस कारखाने में कागज का अच्छा उत्पाद हो रहा था और मिल नफे में चल रही थी, लेकिन सरकार की दुनीति के कारण इसको प्रतिस्पर्धा में आना पड़ा और इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर दी गई। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मिल को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाए और इस मिल को पुनर्जीवित करने का काम किया जाए और इसको निजी हाथों में न सौपा जाए। मेरा यह भी निवेदन है कि मंत्री महोदय इस संबंध में एक वक्तव्य दें।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में एलपीजी गैस की बड़ी किल्लत चल रही है और 2-3 महीने लाईन में लगने के बाद उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिल पाता है। इसी बीच इंडियन आइल कार्पोरेशन का एक सर्कुलर निकला है कि प्रत्येक उपभोक्ता को प्रति वर्ष 143 के जी यानी प्रति माह 11.5 के जी गैस दी जाएगी, अर्थात 40 दिन में एक गैस सिलेंडर दिया जाएगा, यह भी गलत है। जिन लोगों के पास गैस कनेक्शन होता है, उनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण उनको बहुत दिक्कत हो जाती है। सरकार ने एक तरफ तो एलपीजी को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया है और दूसरी तरफ इस तरह गैस की कमी चल रही है और उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। देश में गैस इतनी उपलब्ध है कि उसको जलाना पड़ रहा है। बिहार में रोजाना स्थानीय अखबारों में और हिन्दुस्तान टाइम्स में इसके बारे में लगातार खबरें छप रही हैं, पटना शहर में भी यही स्थिति है। मेरा सरकार से निवदेन है कि 11.5 के जी प्रति माह के राशन को समाप्त किया जाए और आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक 20 दिन में प्रत्येक उपभोक्ता को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए। इस हिसाब से ही राज्य का और उपभोक्ता का कोटा निर्धारित किया जाना चाहिए।

श्री जगमीत सिंह बराड़ (फरीदकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। लगभग 2 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में लातूर और उस्मानाबाद जिलों में भूकंप आया था और बहुत बड़ी तबाही हुई थी, जिसमें हजारों लोग बेघर हो गए थे। उस वक्त महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि 18500 लोगों को मकान दिए जाएंगे, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी एक भी मकान अभी तक इन लोगों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। गैर सरकारी आर्गनाइजेशंस द्वारा 11000 के करीब मकान उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार ने जो मकान बनाए हैं, उनके बारे में गुलहा और ससतूर ग्राम के लोगों ने बताया कि हमारी झोपड़ी तो भूकंप के हजारों झटके सहन कर लेती थी, लेकिन जो मकान सरकार ने बनाए हैं, वे भूकंप का एक झटका भी सहन नहीं कर पाएंगे। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो लोग भूकंप में उजड़ गए हैं, जिनको इतने दुःख झेलने पड़े, जिनके बारे में जाकर तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री शरद पवार ने जाकर कहा था कि दशहरे तक सारे लोगों को मकान दे दिए जाएंगे, लेकिन तीन दशहरे बीत जाने के बाद भी उन लोगों को मकान नहीं मिले हैं। महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार इस ओर कोई ध्यान नही दे रही

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन उजड़े हुए लोगों को बसाने का काम सरकार को करना चाहिए।

श्री राम कापसे (ठाणे) : भूकम्प के विषय में बहुत ध्यान दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री महोदय और उपमुख्यमंत्री महोदय स्वयं वहां गये थे।

श्री जगमीत सिंह बरार : मान्यवर, रिपोर्ट्स यही आई हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : आप बहुत गलत आरोप लगा रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आगे चर्चा नहीं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। मैं इन बातों को बहुत गम्भीरता से लूंगा। आप अनावश्यक रूप से इमसें हस्तक्षेप क्यों करते हैं? आपको सभा में अनुशासन बनाये रखना चाहिए। मुझे बहुत खेद है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्ज़ापर) : उपाध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिन्दस्तान का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। उसमें पहले से ही 60 सीटें एम०बी०ए० के लिए निर्धारित हैं। वहां के प्रशासन ने विश्वविद्यालय की किसी भी निर्णय लेने वाली फोरम के बिना किसी आदेश के या सरकार के बिना किसी आदेश के 30 सीटों को डेढ़ लाख रुपये प्रति सीट के हिसाब से नीलाम कर दिया है। 15 सीटें आरक्षण के नाम पर अनुसूचित जाति और पिछड़ों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं और 15 सीटों को सामान्य रखा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि 15 सीटें जो सामान्य छोड़ी गई थीं वह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध हैं क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि योग्यता के अनुसार आधी सीटें कहीं भी आरक्षित की जाएंगी। वहां छात्र आंदोलित हैं। छात्रों के आंदोलन को शांत करने के लिए सरकार कोई कदम उठाए और सामान्य सीटें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जो निश्चित की गई हैं सरकार उस निर्णय को मनवाने का प्रयास करे।—**(व्यवधान)***—

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : उपाध्यक्ष जी, संविधान के 8(एफ) शेड्यूल्ड के मुताबिक हमारे देश में 18 रिकोग्नाइज लैंग्वेजिज हैं। हमको इस बात का बड़ा दुःख है कि इस सदन में बार-बार इस विषय पर चर्चा चलती है लेकिन कोई ध्यान इस बात पर नहीं दिया गया है। अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने साफ तौर से यह कह दिया है कि उच्च-शिक्षा में भारतीय भाषाओं को लागू नहीं किया जाएगा। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। इससे पहले यू०पी०एस०सी० की 12 परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं का कहीं उल्लेख नहीं है।—**(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री मृत्युजंय नायक (फुलबनी) : महोदय, इस भाषण के पश्चात सभा पटल पर पत्र रखे जा सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : यदि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है, तो आपको यह देखना चाहिए कि सभा में व्यवस्था बनी रहे।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बहुत भूख लगी हुई है।

श्री राम विलास पासवान : लेकिन यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

आपको मालूम है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में उनका नाम आयेगा जो लोग यू०पी०एस०सी० पर भारतीय भाषाओं के प्रश्न को लेकर धरने पर बैठे हैं। यू०पी०एस०सी० की परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं को लागू न करना, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। संविधान की धारा 343 में कहा गया है कि :—

[अनुवाद]

"343(1) संघ की सरकारी भाषा देव नागरी लिपि में हिन्दी होगी।"

[हिन्दी]

हमने हिंदी की भी बात नहीं की है। हम तो देशी भाषाओं की बात करते हैं। संविधान की मंशा यह थी कि धीरे-धीरे भारतीय भाषाएं सभी परीक्षाओं का माध्यम बनेगी। लेकिन आज शिक्षा मंत्रालय के सुझाव को ठुकरा दिया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने साफ कहा है कि हायर एजुकेशन में भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, इससे देश की एकता और अखंडता को खतरा होगा। यू०जी०सी० ने किस आधार पर यह कहा है मैं नहीं समझ पाया हूं। इंडियन आफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास हुआ, जिसके तहत दोनों भाषाओं—हिंदी और इंग्लिश को समान्य रूप से लागू करने का काम किया गया और संविधान की धारा 3(3) में ऑफिशियल एक्ट के मुताबिक कहा गया है। रविराय जी, आप और हम सब लोग गये थे। भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह जी नहीं रहे, कांग्रेस आई सहित सभी पार्टियों के लीडर्स ने धरना देने का काम किया। सरकार बताये कि भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा में लागू किया जायेगा या नहीं और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में उसे स्थान दिया जायेगा या नहीं? क्या इसी तरह से भारतीय भाषाओं के साथ मजाक होता रहेगा? इस देश से अंग्रेज चले गये लेकिन अंग्रजीयत नहीं गई। यह यहां से कब जायेगी? मैं भारतीय सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वह इस मामले को गम्भीरता से ले और इस बारे में सदन को यह बताने का काम करें कि उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं को स्थान दिया जायेगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भारतीय भाषाओं को वही स्थान मिले जिस तरह का अंग्रेजी को मिला है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की मध्याह्न योजना के लिए 2.35 म०प० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित हुई।

1.35 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न योजन के लिए 2.35 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.42 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.42 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

उपाध्यक्ष महोदय : डा० जाखड़ और श्री चिदम्बरम, मुझे खेद है, यदि आपने पहले कोई संकेत दिया होता तो मैंने उस समय आपको अपने पत्र सभा पटल पर रखने के लिए बुलाया होता। अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेते हैं और अब आप उन्हें रख सकते हैं।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत अधिसूचना

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): श्री पी०ए० संगमा की ओर से, मैं औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 40 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० आ० 967, जो 20 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में एक और मद जोड़ना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 7968/95]

मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत, अधिनियम

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 40 के अन्तर्गत मसाला बोर्ड (निर्मातओं का पंजीकरण) (संशोधन) विनियम, 1995, जो 29 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल०न० एमडी/एलएण्डआर/01/92-94 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 7969/95]

लोक ऋण अधिनियम 1944, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 इत्यादि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) लोक ऋण अधिनियम, 1994 की धारा 28 की उपधारा (3) के अंतर्गत लोक ऋण (संशोधन) नियम, 1995, जो 2 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 469(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए सं० एल०टी० 7970/95]

(2) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत डाक घर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम, 1995, जो 19 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 413(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति में (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए सं० एल०टी० 7971/95]

(3) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 467(अ), जो 25 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि लोक भविष्य निधि हेतु किये गये अभिदान तथा अभिदाताओं की जमा रकम के अतिशेष पर ब्याज की दर वर्ष 1995-96 के दौरान बारह प्रतिशत वार्षिक, होगी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए सं० एल०टी० 7972/95]

(4) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत ऋण वसूली अपील अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1994, जो 16 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 815(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए सं० एल०टी० 7973/95]

(5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) सा०का०नि० 490(अ), जो 8 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा विनिर्दिष्ट निर्यात प्रसंस्करण जोनों और विशेष निर्यातोन्मुखी काम्पलैक्स, झंडेवालान, नई दिल्ली में स्थित शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों में सोने, चांदी और प्लेटिनम के आभूषण वाली वस्तुओं के विनिर्माण में स्वीकार्य अपशिष्ट के मानकों को निर्धारित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 491(अ), जो 8 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 0.999 तक की शुद्धता वाले सोने और कार्यालय उपस्करों के आयातों पर प्रतिबंधों को हटाना और सोने, चांदी और प्लेटिनम आभूषणों वाली वस्तुओं के विनिर्माण में स्वीकार्य अपशिष्ट के मानकों को निर्धारित करना और शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों में सोने की छीलन, बुरादे या भस्म से सोने की पुनः प्राप्ति की अवधि की व्यवस्था करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 498(अ), जो 12 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कार्यालय उपकरणों पुर्जों और उनसे संबंधित उपभोज्य वस्तुओं के आयात के लिए अनुमोदन बोर्ड की सिफारिश/ अनुमोदन की अपेक्षा को समाप्त करके 100% निर्यातोन्मुखी उपक्रम योजना के अंतर्गत इकाइयों द्वारा इन वस्तुओं के द्वारा सीमा शुल्क मुक्त आयात की शर्तों में ढील देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 539(अ), जो 6 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पुनः निर्यात के लिए आशयित वस्तुओं के परीक्षण, व्यास मापन या रख-रखाव (सर्विसिंग सहित) के प्रयोजनों के लिए, सीमा शुल्क बाण्ड प्रक्रियाओं के अंतर्गत परिचालित एककों को शुल्क मुक्त आयातों की सुविधा प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल०टी० 7974/95]

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) सा०का०नि० 477(अ), जो 2 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रम योजना के अंतर्गत, निर्यात इकाईयों द्वारा विनिर्मित माल की निकासियों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दसवां संशोधन) नियम, 1995, जो 14 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 549(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल०टी० 7975/95]

(7) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने और शस्ति अधिरोपित करने की प्रक्रिया) नियम, 1995, जो 10 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 541(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए सं० एल०टी० 7976/95]

2.43 म०प०

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(दो) खरीफ फसलों के लिए मूल्य नीति

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1995-96 के मौसम में सरकार ने अच्छी औसत किस्म की धान(सामान्य) का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु० 360 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इससे 1994-95 की फसल के लिए निर्धारित रु० 340 प्रति क्विंटल में रु० 20 की वृद्धि हुई है। उत्तम और अति उत्तम किस्म की धान का मूल्य क्रमशः रु० 375 और रु० 395 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इससे दोनों किस्मों में पिछले मौसम के मूल्यों में रु० 15 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है।

अच्छी औसत किस्म के मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा और रागी) का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु० 300 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जिससे पिछले मौसम के निर्धारित मूल्य में रु० 20 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। मक्का के मूल्य में भी रु० 20 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है और न्यूनतम समर्थन मूल्य रु० 310 निर्धारित किया गया है।

अच्छी औसत किस्म की खरीफ दालों जैसे अरहर (तूर), मूंग और उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पिछले वर्ष के मूल्य में रु० 40 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है और मूल्य रु० 800 प्रति क्विंटल निर्धारित हुआ है।

अच्छी औसत किस्म की छिलके वाली मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य

रु० 900 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जिससे पिछली फसल के निर्धारित मूल्य में रु० 40 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है।

पीली सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु० 680 प्रति क्विंटल निर्धारित हुआ है, जिससे 1994-95 के निर्धारित मूल्य में रु० 30 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार काली सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु० 600 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जिससे पिछले मौसम के निर्धारित मूल्य में रु० 30 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है।

सूरजमुखी के बीजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु० 930 प्रति क्विंटल रखा जो पिछले मौसम की अपेक्षा रु० 50 प्रति क्विंटल की वृद्धि दर्शाता है।

एफ-414/एच-777 कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु० 1150 निर्धारित किया गया है, जिससे पिछले वर्ष के मूल्य में रु० 150 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार एच-4 किस्म का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु० 1350 प्रति क्विंटल रहा जो पिछले मौसम के निर्धारित मूल्य की अपेक्षा रु० 150 प्रति क्विंटल की वृद्धि दर्शाता है।

पहली बार रामतिल और तिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः रु० 850 और रु० 700 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इससे किसानों को इन फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।

यह आशा की जाती है कि इन न्यूनतम समर्थन मूल्यों से किसानों को इन फसलों के उत्पादन में तथा उत्पादकता में और अधिक वृद्धि करने का प्रोत्साहन मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सोयाबीन का समर्थन मूल्य बढ़ना चाहिये। सोयाबीन की देश में अच्छी फसल हो, इस आधार पर भारत सरकार ने सोयाबीन उत्पादन करने वाले किसानों के साथ थोड़ा न्याय किया है। इसका समर्थन मूल्य निश्चित रूप से बढ़ना चाहिये था। पिछली बार काश्तकारों को अच्छे दाम नहीं मिल पाये। मैं चाहता हूं कि इसके समर्थन मूल्य के संबंध में कृपा करके आप पुनर्विचार करें।

[अनुवाद]

2.46 म०प०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

दसवां प्रतिवेदन

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2.46 1/4 म०प०

रेल संबंधी स्थायी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : महोदय, मैं "भारतीय रेल द्वारा वैगनों

की मांग, खरीद और उपयोग" के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (1995-96) का सोलहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

2.46½ म०प०

गृह कार्य संबंधी समिति

बीसवां प्रतिवेदन

प्रो० एस० कामसन (बाह्य मणिपुर) : मैं संघ लोक सेवा आयोग (यू०पी० एस०सी०) के कार्यकरण के बारे में गृह कार्य संबंधी समिति के बीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

2.47 म०प०

सभा का कार्य

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, मैं, आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि 7 अगस्त, 1995 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य की निम्नलिखित मदें होंगी :—

(1) आज के आदेश पत्र से लिए गए सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार-विमर्श।

(2) विचार तथा पारित करना :

(क) भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 1995।

(ख) रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 1995।

(ग) कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1995।

3. चर्चा तथा मतदान :

(क) वर्ष 1995-96 के लिए अनुदानों की मांगें (जम्मू-कश्मीर)।

(ख) वर्ष 1995-96 के अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)।

(ग) वर्ष 1992-93 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)।

4. विचार तथा पारित करना :

(क) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (संशोधन) विधेयक, 1995।

(ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1995।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में कृपया निम्न विषयों को जोड़ा जाये :

(1) रोजगार को मौलिक अधिकार बनाया जाए।

(2) देश के हर प्रखंड में रोजगार गारंटी योजना को लागू किया जाये।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशन गंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाए :

(i) देश में धार्मिक तथा भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर चर्चा।

(ii) देश में मानवाधिकार संबंधी स्थिति पर चर्चा।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए :—

1. कोटा राजस्थान की औद्योगिक राजधानी है वहां निजी विमान सेवा कार्यरत थी जिसे अचानक बंद कर दिया गया, वहां इंडियन एयरलाइंस का विमान प्रारम्भ करने बावत।

2. कोटा नगर में जहां 5 हजार नये टेलीफोन लगाए गए थे उनमें से वर्तमान में आधे से अधिक टेलीफोन बंद हैं। उन्हें चालू करवाने बावत चर्चा के लिए।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया निम्न विषय अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित कर लें :

1. राष्ट्रीय राजमार्ग-24 (लखनऊ-दिल्ली) पर यातायात की अधिकता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बरेली बाईपास निर्माण की घोषणा की जाए।

2. पूर्वोत्तर रेल इज्जतनगर स्थित डिब्बा सुधार कारखाना जो कार्य न होने की वजह से बन्द होने के कगार पर है, उसको पुनर्जीवित करते हुए, इस स्थान पर कोच फैक्ट्री की स्थापना की घोषणा की जाए।

श्री जनार्दन मिश्र (सीतापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय जोड़ने की कृपा करें :

1. सीतापुर जनपद में घाघरा और शारदा नदियों की बाढ़ व कटान से बचने के लिए तटबन्ध व चहलारी घाट पर पुल निर्माण कराया जाए।

2. उ०प्र० के सीतापुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार व्यवस्था को प्रभावी एवं कारगर ढंग से लागू किये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं।

डा० सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित दो विषय सम्मिलित करें :

1. मध्यप्रदेश में उज्जैन-इंदौर-रतलाम जिलों में विदेशी आयुध यू०एस० कार्बाईन, ए०के० 47 तथा विदेशी पिस्तौल जैसे संघातक और खतरनाक शस्त्रों के सौदागरों की धरपकड़ हुई। इसके कारण जनजीवन में इस गम्भीर स्थिति से तत्काल निपटने के लिए नियंत्रणात्मक और सुरक्षा कार्यवाही की आवश्यकता है।

2. देश के कपड़ा उद्योग का कार्यक्षेत्र क्षमतावान बनाने के लिए कारगर नीति और कार्यान्वयन के लिए वित्तीय प्रबंध किए जाएं तथा उज्जैन की एन०टी०सी०, हीरा मिल्स, एम०टी०सी०, इन्दौर टैक्सटाइल्स और बंद विनोद-विमल मिलों का आधुनिकीकरण कर चलाएं और सभी मजदूरों को रोजगार दिया जाए।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, आगमी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को भी जोड़ने की आवश्यकता है :

1. बीड़ी मजदूरों को प्राविडेंट फंड जमा होने का बाजाप्ता प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता।

2. जापान एवं अन्य बुद्धिस्ट देशों से बैद्ध तीर्थ स्थान एवं पर्यटन।

केन्द्रों के विकास के लिए आए धन से बिहार राज्य स्थित राजगीर की तमाम पहाड़ियों को रज्जू मार्ग से जोड़ने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, मैं निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह को कार्य-सूची में शामिल करने का अनुरोध करता हूं :—

1. हाल ही के वर्षों में आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा अन्य तटीय राज्यों में खारे पानी में झींगा पालन का कार्य बहुत प्रगति पर है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे झींगा पालन करने वाले किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को अनुदेश जारी करें।

2. हाल ही में बीमा कम्पनियों ने अपने कार्यालयों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे झींगा पालन तालाबों का बीमा न करें। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे झींगा पालन तालाबों का बीमा न करें। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे झीगा पालन तालावों का बीमा करने के लिए अनुदेश जारी करें।

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : महोदय मेरा अनुरोध है कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए :—

(I) राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता प्रदान करना तथा उसे शामिल करना।

(II) पाली जिले में बार और बालीडा के बीच जैतरन पर रेलवे स्टेशन के निर्माण की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष जी, मेरा आग्रह है कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को विचारार्थ जोड़ा जाए :—

1. हमारे मस्तक पर उच्चतम पर्वत हिमालय है। —**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भोगेन्द्र झा, केवल स्वीकृत विषय ही कार्यवाही वृतान्त में शामिल किए जायेंगे और कुछ नहीं।

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, मेरा अनुरोध है कि निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :—

1. कोसी, कमला, कारूली, पंचेश्वर इत्यादि नदियों पर ऊंचे बांध जैसी बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के शीघ्र निर्माण के लिए भारत और नेपाल के बीच करारों को अन्तिम रूप देना।

2. उत्तरी बिहार में मधुबनी, हरभंगा तथा समस्तीपुर में साढ़े सात लाख एकड़ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कमला नदी पर साइफन बनाए जाने के साथ-साथ पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को पूरा करना।

2.55 म०प०

प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब राज्य सभा द्वारा यथा प्रगति सभा विधायी कार्य लेगा—विचारार्थ और पारित करने के लिए विधेयक। श्री पी०ए० संगमा,

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): महोदय, श्री पी०ए० संगमा की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

जैसा कि माननीय सदस्य जानते होंगे, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 कतिपय संस्थानों में महिलाओं के नियोजन को शिशु के जन्म से पूर्व और पश्चात विनयमित करता है और प्रसूति और कतिपय अन्य प्रसुविधाओं का उपबंध करता है। यह अधिनिमय प्रथमतः कारखानों, खानों, वृक्षारोपण, दुकानों या संस्थानों और सर्कस उद्योग पर लागू होता है। राज्य सरकारों द्वारा इसे अन्य संस्थानों पर भी लागू किया जा सकता है इस अधिनियम के अन्तर्गत शामिल करने के लिए कोई मजदूरी की सीमा नहीं है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत सीमाक्षेत्र में धीर-धीरे विस्तार के साथ, जिसमें भी प्रसूति और कतिपय अन्य लाभों की व्यवस्था की गई है, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम की प्रायोजना के क्षेत्र में कुछ सीमा तक कमी हुई है। तथापि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत वर्तमान में कारखाने और विशिष्ट क्षेत्रों में स्थिति कतिपय अन्य विनिर्दिष्ट श्रेणियां ही शामिल की गई हैं। इसलिए प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम अभी भी उन संस्थानों में नियोजित महिला कर्मचारियों पर लागू होता है जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं। इसी प्रकार यह उन महिला कर्मचारियों पर भी लागू होता है जो ऐसे संस्थानों में नियोजित हैं जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं लेकिन मजदूरी की सीमा के कारण इसकी सीमा-क्षेत्र से बाहर हो गये हैं।

इस अधिनिमय के अन्तर्गत, महिला कर्मचारी प्रसूति के कारण 12 सप्ताह तक उनकी वास्तविक अनुपस्थिति के अवधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा औसत दैनिक मजदूरी के हिसाब से प्राप्त करने की हकदार हैं। गर्भावस्था आदि के कारण बीमारी के मामलों में, वे मजदूरी सहित एक अतिरिक्त महीने की अवधि की छुट्टी की हकदार हैं, गर्भपात के मामले में वे छः सप्ताह की प्रसूति छुट्टी के भी हकदार हैं। गर्भवर्ती महिला कामगारों के हित की सुरक्षा के लिए अधिनियम में कतिपय प्रावधान भी किए गए हैं।

अधिनियम में पिछली बार 1988 में संशोधन किया गया था। महिला कर्मचारियों को परिवार कल्याण के तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और सुप्रवाही बनाने हेतु, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए कतिपय सिफारिशें की थीं। उनकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि महिला कर्मचारियों को निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जा सके:

(1) से गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति के मामलों में वेतन सहित छः सप्ताह की छुट्टी देने का प्रावधान।

(2) नल-बंदी आपरेशन कराने वाली महिलाओं को वेतन सहित 2 सप्ताह की छुट्टी देने का प्रावधान

(३) एम०टी०पी० या ट्यूबक्टोमी के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारी के मामले में वेतन सहित अधिकतम एक महीने की छुट्टी देने का प्रावधान।

इस विधेयक के जरिए ये महत्वपूर्ण संशोधन किए जाने प्रस्तावित हैं। श्रम और कल्याण संबंधी संसद की स्थायी समिति ने भी इन प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया है और उन्हें अनुमोदित किया है। मुझे आशा है कि सदस्य प्रस्तावित संशोधनों का स्वागत करेंगे क्योंकि ये विवादास्पद नहीं हैं, इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक पर इस सभा द्वारा, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किए जाने की सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि प्रसूति प्रसुविधा अधिनिमय में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

3.00 म०प०

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम में संशोधन करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों का समर्थन करने के लिए खड़ा होता हूं।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक की मुख्य बात गर्भ को चिकित्सीय समाप्ति के मामलों में भी 6 सप्ताह की छुट्टी देने का प्रावधान है। लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि उपबंध इस प्रकार है "गर्भपात या गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति के मामले में, कोई महिला ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करने पर जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है मजदूरी सहित छुट्टी की हकदार होगी"। इस प्रावधान का दुर्पयोग हो सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि हमें किसी सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, अस्पताल से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है। ऐसे मामले में इसकी पूरी सम्भावना है कि पात्र महिलाएं इस सुविधा से वंचित हो सकती हैं, जिसे सरकार गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति के मामले देना चाहती है। इसलिए, नियम में ही इस बात की सावधानी रखी जानी चाहिए कि 'प्रमाण' से सक्षम व्यक्ति जैसे चिकित्सक से प्रमाण अभिप्रेत है, चाहे वह प्राइवेट चिकित्सक ही क्यों न हो।" यह मेरा निवेदन है।

जहां तक नसबंदी आपरेशन का संबंध है, उसमें भी यह कठिनाई सामने आ सकती है। इसलिए प्रमाण प्रस्तुत करने की शर्त निमयों में ही विहित की जानी चाहिए। यदि कोई निर्बंधन या सशर्त विधान बनाया जाता है तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। इस बात की सावधानी रखी जानी चाहिए कि गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति और नसबंदी आपरेशन के दोनों ही मामलों में वास्तविक मामलों में ही सुविधा दी जानी चाहिए।

मुझे यह मालूम नहीं है कि जो बात मैं अब कहने जा रहा हूं उसके बारे में घाटोवारजी को मालूम है या नहीं लेकिन मुझे विश्वास है कि संगमा जी को इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। छः या सात वर्ष पहले अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन में मांग की गई थी जिसे पितृत्व लाभ कहा गया था। मेरा यह सुझाव न्यायोचित है कि छोटे परिवार में जहां केवल पति और पत्नी ही रहते हैं और दोनों ही नौकरी-पेशे वाले होते हैं, गर्भपात, मेडिकल विधि से गर्भपात या नसबंदी के कारण महिला काम करने के समर्थ नहीं होती है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए, घर पर कोई उसकी देखभाल करने वाला होना चाहिए। हम सब यह अच्छी तरह जानते हैं कि अच्छी तरह देखभाल केवल पति ही कर सकता है। अतः उसे भी कुछ छुट्टी की सुविधा दी जानी चाहिए ताकि व अपनी गर्भवती पत्नी की देखभाल कर सके। पितृत्व छुट्टी के लिए यह मांग न्यायोचित है। मैं समझता हूं कि ऐसी मांग पूर्णतः न्यायोचित है। यह मांग अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन में कुछ सात या आठ साल पहले उठी थी और कई विकसित देशों ने इस मांग का समर्थन किया था। अभी इस समय मेरे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि जिससे मैं यह दिखा सकूं कि विश्व में बनाए गए किसी अधिनियमन में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। लेकिन, कम से कम हम शुरूआत तो कर सकते हैं। हम अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध शामिल कर सकते हैं। निसंदेह विद्यमान अधिनियम में जो शर्तें हैं वे भी लागू होंगी जैसे लाभ तब तक मिलेगा जब तक कोई महिला दो बच्चों को जन्म नहीं देती या पहले बच्चे के लिए और तत्पश्चात गर्भपात या गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति के मामले में, या, वस्तुतः जब तक कोई नसबंदी आपरेशन नहीं करा लेता है। इसलिए महोदय, ये बातें भी—

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : कोई पिता नस-बंदी आपरेशन नहीं करा सकता है।

श्री वी० धनंजय कुमार : मैं उस दो सप्ताह की छुट्टी के लाभ की बात कर रहा हूं जो नलबंदी ऑपरेशन के लिए दिया जाता है। महोदया मालिनी जी जानती हैं कि कोई महिला जो भी नसबंदी आपरेशन कराती है उसकी देखभाल के लिए भी किसी व्यक्ति को कम से कम एक सप्ताह या इतनी छुट्टी दिये जाने की आवश्यकता है। मेरे सुझाव पर माननीय मंत्री महोदय द्वारा विचार किया जा सकता है। वे एक संशोधन प्रस्तावित कर सकते हैं ताकि लाभ जरूरतमंद व्यक्ति को मिल सके और सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा लाभ का आनंद लिया जा सके।

इन शब्दों के साथ, मैं सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों का समर्थन करता हूं और मुझे यह अवसर देने के लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय के लिए एक घंटे का समय आबंटित किया गया था। अब मैं डॉ० वसंत पवार को बोलने के लिए बुलाता हूं —अनुपस्थित।

श्री के० सुरेश—अनुपस्थित

श्री के०डी० सुल्तानपुरी

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो बिल हमारे समक्ष है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस बिल के जो उद्देश्य बताये गये हैं, उसमें यह खास तौर पर है कि जो महिलाऐं आर्गेनाइज्ड सैक्टर में मजदूरी करती हैं, उनको इससे फायदा पहुंचेगा। लेकिन जो आर्गेनाइज्ड सैक्टर में काम नहीं करती हैं, उनको इससे कोई लाभ नहीं पहुंचने वाला है। मैं समझता हूं कि जहां तक महिलाओं का ताल्लुक है, जिस तरह से कहा गया है कि अगर यह गर्भवती हो जाय और गर्भवती होने के बाद उसका आपरेशन हो जाय या गर्भ में ही उसके बच्चे को खत्म कर दिया जाये तो मैं यह समझता हूं कि इस तरह से अगर वह लड़की हो तो लड़की के लिए उस महिला को पूरी सजा होती है और दो तीन बार उसको गर्भ गिराना पड़ता है, लेकिन इसमें इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है।

जहां तक डाक्टरों को दिखाने की बात है तो मैं समझता हूं कि डाक्टरों को भी वह दिखा सकते हैं, जो बेचारे डाक्टरों के पास जाते हैं। लेकिन गांवों में हजारों महिलाऐं ऐसी हैं जो भूख से, प्यास से मर जाती हैं, उनके लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। आर्गेनाइज्ड सैक्टर में तो महिलाओं की तादाद बहुत कम है। यह बैनीफिट सभी महिलाओं को मिलना चाहिए, चाहे इसके लिए पंचायत को जिम्मेदार बनाया जाय, चाहे जिला परिषद् को जिम्मेदार बनाया जाय, चाहे लैजिस्लेटिव असेम्बली को जिम्मेदार बनाया जाय, सारे राष्ट्र के अन्दर यह लागू होना चाहिए ताकि सभी महिलाओं को इसका लाभ पहुंच सके।

मैं यहां यह बात कहना भी आवश्यक समझता हूं कि जो महिलाऐं कारखाने में काम करती हैं, वहां पर डेली वेजिज़ पर, दैनिक मजदूरी पर भी महिलाऐं काम करती हैं, उन महिलाओं का किस तरह से शोषण होता है, जो जवान महिला है, जिसके अधीन वह काम करती है, वह किस तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, इस प्रकार की अनेक शिकायतें हमें देशभर से मिलती हैं। उनके साथ बलात्कार होता है, फिर बच्चे होते हैं, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है, कई लड़कियां जहर खाकर मर जाती हैं।

दैनिक मजदूरी में कोई भी महिला लगती है चाहे वह किसी कारखाने में लगे या बैंक में लगे या किसी संगठित क्षेत्र में, उसको भी यह सुविधा मिलनी चाहिए और श्रम कानून के मुताबिक उसको भी कार्ड मिलना चाहिए। जिसे उसको पता चले कि वह इतने रोज वहां काम करती रही है। यहां पर कहा गया कि 80 दिन काम करे तो उसका उसको बेनिफिट मिल सकता है। मैं चाहता हूं कि जो पी०डब्ल्यू०डी० की सड़कों पर काम करती है या किसी भी कारखाने में काम करती है उसको भी यह सुविधा मिले। कारखानों में अक्सर देखा गया है कि वे लोग दो रजिस्टर रखते हैं। एक रजिस्टर सिर्फ दिहाड़ी मजदूरों का होता है और दूसरे पर रेगुलर वर्कर्स का नाम होता है। उनको तो फायदा पहुंचता है, लेकिन दिहाड़ी मजदूर में जो औरतें होती हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलता है। मंत्रीजी यहां पर एक अच्छा बिल लाये हैं। उन्होंने सोचा है कि महिलाओं को कैसे फायदा पहुंचाया जाये। लेकिन पूरे देश के अंदर महिलाओं पर अत्याचार होते हैं उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। इस कानून का अमल, चाहे कोई महिला दफ्तर में हो, चाहे मजदूरी करती हो या असंगठित क्षेत्र में काम करती हो, होना चाहिए, तभी यह फायदेमंद हो सकता है।

हम जो कानून बनाने जा रहे हैं उसको कारखानों या सरकारी संस्थानों की महिलाओं के लिए लागू करेंगे। इसलिए इसका लाभ बहुत कम महिलाओं को ही मिल पायेगा। क्योंकि जो संगठित क्षेत्र में महिलायें काम करती हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। आप 1991 की एक रिपोर्ट को मद्देनजर रखिये जिसमें कहा गया है कि 40.28 मिलियन महिलाओं में से 22.69 मिलियन ही संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। उसमें से 87 प्रतिशत महिलायें खेत-मजदूर के रूप में रोपणी का काम करती हैं, बीड़ी मजदूर के रूप में और अन्य फैक्ट्रीज में, ईंट भट्टों पर दैनिक मजदूरों के रूप में काम करती हैं। उनके हितों की रक्षा की बात भी इसमें होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि हम हर जगह महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं। पंचायती राज में भी उनको 30 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। मैं चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर इनकी मर्दमशुमारी कराई जाये और आंकड़े बनाये जायें कि कितनी महिलायें ऐसी हैं जो अपनी जिन्दगी से हाथ धो रही हैं। गांव में जो महिलायें मजदूरी का काम करती हैं, उनको रोटी भी मुश्किल से ही प्राप्त होती है। उनका जो लैंड-लार्ड है वह उनसे कड़ा काम कराता है और कोई छुट्टी नहीं देता है। प्रसूति के तुरंत बाद उसको कह दिया जाता है कि एक-दो दिन के बाद काम पर आ जाये। इसी तरह वह अपनी जिंदगी के दिन काटती है। उसके हितों की रक्षा उसका पति भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे भी रोटी चाहिए। इसलिए वह ऐसे लोगों के चंगुल में फंसती है जो उसका शोषण करते हैं। इस शोषण को खत्म करने के लिए हमें उचित कदम उठाने चाहिए।

दूसरी जो महिलायें देश के अन्दर रहती हैं, उनके लिए यह कार्यान्वयन करना है तो ग्रामीण पंचायत से लेकर जिला परिषद, ब्लाक समिति और फिर हमारी विधान सभा में यह होना चाहिये। हर राज्य को यह करना चाहिए और हर राज्य में ऐसा कानून होना चाहिए कि जिसमें ऐसी कोई प्रसूति महिला के बच्चा हो, उसकी देखभाल पूरी तरह से हो। अगर पति और पत्नी दोनों ही काम कर रहे हों तो उन दोनों को बराबर छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके घर में देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। बेशक उसके पति की तनख्वाह में से पैसा काट लें, ताकि वह पत्नी की सेवा कर सकें। कुछ पति भी ऐसे हैं, वे पैसा भी खर्च नहीं करते हैं। वे कहते है कि महिलायें ऐसी ही हैं। कई पति हमने ऐसे देखे, जो महिला को पूरी तवज्जह नहीं देते। यह सारी बातें तय करनी हैं। जब नसबन्दी की बात आती है, तो वे कहते हैं कि तुम अपनी नसबन्दी कराओ और अगर हम नसबन्दी करायेंगे, तो हमारी पीठ में दर्द हो जाएगा और हम कैसे काम करेंगे। उनको इस बात की भी चिन्ता नहीं होती है। कि महिला की नसबन्दी में चाहे महिला मर भी जाए। वास्तविकता यह है कि पुरुष की नसबन्दी आसानी से हो जाती है, जबकि महिला की नसबन्दी में उसकी जान जाने का खतरा रहता है। इसलिए मैं समझता हूं कि यहां हम महिलाओं को नसबन्दी के लिए प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं सारे राष्ट्र की महिलायें नसबन्दी के लिए आगे आयें, वहां यह होना चाहिए कि पुरुषों को नसबन्दी के लिए प्रोत्साहित करें। यदि आप आंकड़ों को देखें, तो उससे यह जाहिर होता है कि सारे देश के अन्दर सबसे ज्यादा महिलाओं ने अपनी नसबन्दी कराई है और पुरुष इससे बच कर रहते हैं। पुरुष चाहे सरकारी नौकरी में अधिकारी हों या कर्मचारी हों, सबकी स्थिति यही है होना या चाहिए कि पुरुष ही अपनी नसबन्दी करायें। जब कोई महिला गर्भवती होती है, तो यह देखने के लिए कि बच्चा लड़का है यहा लड़की है, महिला का अल्ट्रासाउन्ड करवाया जाता है और अल्ट्रासाउन्ड में बदकिस्मती से लड़की पाई जाती है, तो उसका गर्भपात करवा दिया जाता है। राजस्थान में तो लड़की को जिन्दा ही मार दिया जाता है।-(**व्यवधान**)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मान्यवर, हमारे यहां तो लड़की की बड़ी केन्द्र की जाती है, इनके राज्य में नहीं की जाती होगी। -(**व्यवधान**) लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है।...(**व्यवधान**)

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी : जब किसी महिला का पति मरता है, तो उसको मारते-मारते श्मशान घाट ले जाते हैं और उसको सती कर दिया जाता है। इस तरह की बातें आज भी राजस्थान में हैं और यदि आप महाराष्ट्र में जायें, तो वहां पर दासी प्रथा और देवदासी प्रथा अभी-भी विद्यमान है। देवदासी प्रथा में लड़की को मन्दिर में चढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार की बातें हमारे देश में होती हैं और मैं समझता हूं कि इस प्रकार महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता आया है।-(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप दूसरे विषय के बारे में कह रहे हैं। इस बिल से संबंधित बोलिए।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : मैं इसी के संबंध में बोल रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं। कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, उनमें गर्भपात भी एक अत्याचार है। दिल्ली के बारे में जो कहा जा रहा है, तो दिल्ली में तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसको सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि समाज में जो कोई भी आदमी, चाहे वह कैसा भी आदमी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, सजा दी जाएगी। जहां तक मैं समझता हूं, महिलाओं के लिए मंत्री जी बहुत ही अच्छा बिल लाए हैं और अन्य राज्यों को भी इसको इम्पलीमेंट करना चाहिए तथा भारत सरकार को इसको जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए। यह जो असंगठित महिलायें हैं, उनका खास ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारे देश के अन्दर उनको भी कोई न कोई लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, इस विधेयक पर बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपकी आभारी हूं। जहां तक इस विधेयक की विषयवस्तु का संबंध है, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं है। इस विधेयक में गर्भ के चिकित्सीय समापन संबंधी एवं महिलाओं की नसबंदी संबंधी मामलों में भी प्रसूति प्रसुविधा को बढ़ाये जाने का प्रावधान किया गया है। जैसा कि आपको विदित ही है कि हमारे देश में सन् 1971 में गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम लागू हुआ था तथा हमारे देश में स्थिति ऐसी है कि इस प्रकार से गर्भ समापन करवाना अत्यंत कष्ट दायक एवं विकट परिस्थितियों में अक्सर आवश्यक हो जाता है। ऐसा तब होता है जब महिलाओं को ऐसी विकट स्थिति में धकेल दिया जाता है क्योंकि उनका अपने ही शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता, इसलिए उनको गर्भ का चिकित्सीय समापन कराने का अधिकार प्रदान किये जाने की जरूरत है। ऐसी बात नहीं है कि महिलाएं खुशी से गर्भपात कराने की इच्छुक होती हैं, बल्कि ऐसा किन्हीं कष्टदायक परिस्थितियों में करवाना आवश्यक हो जाता है। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनिमय अपने आप में एक प्रगतिशील अधिनियम है तथा इन मामलों में प्रसूति-प्रसुविधा का विस्तार करके मेरे विचार से हम महिला आंदोलन की मांग को भी पूरा कर रहे हैं।

तथापि, जब मैं इस विधेयक के उद्देश्यों और कारवों के कथन पर दृष्टिपात करती हूं, तो मुझे इसमें एक बात अत्यंत आपत्तिजनक नजर आती है। अतः, मैं इस विधेयक से सहमत हूं, लेकिन जिन उद्देश्यों और कारणों से यह विधेयक लाया जा रहा है, उनसे मैं सहमत नहीं हूं। इनमें यह कहा गया है :—

> "महिला कर्मचारियों को परिवार कल्याण उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुछ सिफारिशें कीं तथा इन्हीं सिफारिशों के अनुरूप यह संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं।"

अब मैं यह जानना चाहती हूं कि गर्भ का चिकित्सीय समापन परिवार कल्याण कार्यक्रम का अंग कब से बना है। जहां तक मुझे विदित है, हमारे परिवार कल्याण कार्यक्रम के इतिहास में गर्भ का चिकित्सीय समापन को कराये जाने पर परिवार नियोजन के नियमित उपाय के रूप में कभी भी विचार नहीं किया गया है। यदि हम गर्भ का चिकित्सा समापन विधेयक का अवलोकन करें, तो हमें पता चलेगा कि इस विधेयक में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमें कि गर्भ का चिकित्सीय समापन कराया जा सकता है तथा मैं इन परिस्थितियों की ओर अत्यंत संक्षेप में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। इस विधेयक में यह उल्लेख किया गया है कि (एक) गर्भ का समापन तब करवाया जाये, जबकि गर्भ को जारी रखने से प्रसूता स्त्री के जीवन का खतरा हो अथवा इससे उसके शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य को गम्भीर चोट आने का जोखिम हो तथा (दो) जिन परिस्थतियों में अत्याधिक जोखिम हो अर्थात् बच्चे को जन्म देने से प्रसूता को शारीरिक एवं मानसिक असंतुलन के फलस्वरूप गम्भीर विकलांगता से पीड़ित होने का खतरा हो।

विधेयक के प्रथम उपखण्ड में मानसिक आक्रोश से क्या अभिप्राय है, इसकी व्याख्या की गई है। मेरे विचार से इसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है। यह कहा गया है कि इसमें दो व्याख्याएं दी गई हैं। एक व्याख्या में तो बलात्कार से संबंधित मामले हैं। जहां महिला को बलात्कार के परिणामस्वरूप गर्भ धारण करने पर मजबूर किया गया है, इससे उस महिला को अत्यधिक मानसिक पीड़ा होती है। अतः, ऐसे मामलों में, उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह जरूरी है कि वह गर्भ का चिकित्सीय समापन कराये। जहां तक व्याख्या (दो) का संबंध है यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण खण्ड है, जहां कि किसी विवाहित महिला अथवा उसके पति द्वारा बच्चों की संख्या सीमित करने के प्रयोजन से इस्तेमाल किए गए किसी उपाय के विफल होने के परिणामस्वरूप कोई महिला गर्भ धारण कर लेती है। मुझे विदित है कि कुछ व्यक्ति, विशेष तौर पर उन व्यक्तियों जोकि परोक्ष रूप से महिला भ्रूण समापन की वकालत करते हैं।— ने कई बार यह कहा है कि मूल मामलों में गर्भ का चिकित्सीय समापन विधेयक ही परिवार नियोजन के ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करने की मंजूरी देता है। लेकिन मेरे विचार से इस व्याख्या का यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें उस स्थिति का उल्लेख किया गया है जिसमें हम ऐसी कल्पना कर रहे हैं। यह ऐसी स्थिति है जिसमें कि कोई महिला किसी प्रकार के परिवार नियोजन के तरीके अथवा किसी अन्य विधि को प्रयोग करती चली आ रही है, सम्भवतः ऐसा वह महिला डाक्टर की सलाह पर कर रही हो अथवा डाक्टर ने यह सलाह दी हो कि उसे और बच्चे पैदा नहीं करने चाहिये अथवा अन्य कठिनाइयां भी हो सकती हैं जिनकी वजह से वह परिवार नियोजन के कतिपय तरीकों का इस्तेमाल कर रही है।

जहां यह तरीके विफल हो जाते हैं, तो उस स्थिति में उस महिला का गर्भ धारण करना अत्यंत खतरनाक हो सकता है तथा ऐसे मामलों में परिवार नियोजन के तरीकों के विफल होने के कारण उस महिला के लिए गर्भ का चिकित्सीय समापन कराना जरूरी हो जाता है। अतः गर्भ का चिकित्सीय समापन विधेयक में इस प्रकार के गर्भ समापन को कभी भी परिवार नियोजन के नियमित तरीके के रूप में नहीं लिया गया तथा मेरे विचार से यह जो इन उद्देश्यों एवं कारणों में उल्लेख किया गया है—अपने आप में किसी महिला के लिए उत्पीड़न, गर्भपात, आकस्मिक आधात, कष्टदायक एवं त्रास दायक अनुभव है। क्या हम इस विधेयक से-जिसे कि अब लाया गया है—उस सम्भावना को एकदम निकाल सकते हैं, जिसकी वजह गलत लाभ उठाया जा रहा है, अधिकाधिक महिलाएं—मान लीजिये कि उनके पास दो-दो बच्चे हैं—किसी तरीके से तीसरी बार भी गर्भ धारण कर लेती हैं—इस तथ्य के बावजूद कि गर्भपात करवाना उनके शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं होगा अथवा ऐसा करना उनके लिए खतरनाक हो सकता है—क्या ऐसी स्थिति

में उन पर गर्भपात कराने के लिए दबाव डालना सही है? अतः, इस उत्पीड़न संबंधी तथ्य को इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिये।

मेरे विचार से कुछ समय पहले श्रम मंत्री जी प्रसूति सुविधा को दो गर्भ धारण करने तक सीमित करने के लिए विधेयक लाने की कोशिश कर रहे थे। वे तीसरी बार गर्भ धारण करने की स्थिति में प्रसूति प्रसुविधा का लाभ वापिस लेने की कोशिश कर रहे थे। मजदूर संघों एवं महिला संगठनों के विरोध के कारण, वे उस विधेयक को नहीं ला सके। अब, यदि प्रगतिशील आयों के तहत वे गर्भ के चिकित्सीय समापन को परिवार नियोजन के तरीके के रूप में लागू करना चाहते हैं, तो मैं सरकार को महिला संगठनों की ओर से चेतावनी देना चाहती हूं कि उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। वास्तव में, इसका असर उल्टा पड़ेगा, इससे इस विधेयक के लाने का प्रयोजन विफल हो जायेगा तथा इससे अत्याधिक खतरे उत्पन्न हो सकते हैं तथा इससे महिलाओं को और अधिक मानसिक पीड़ा एवं शारीरिक जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।

अतः, इस विधेयक की विषय-वस्तु से सहमत होते हुए, मैं यह उम्मीद करती हूं कि सरकार इस विधेयक में गर्भ के चिकित्सीय समापन के मामलों में प्रसूति-प्रसुविधा के बढ़ाये जाने के संबंध में जिन उद्देश्यों एवं कारणों का उल्लेख किया गया है, उनको ज्यों-के-त्यों पारित करवाने की कोशिश न करें। मैं इतना ही कहना चाहती हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं मेटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंड बिल 1955 माननीय मंत्री जी द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है उसके लिए धन्यवाद देती हूं। लेकिन मैं इस बात का स्वागत तहे दिल से नहीं कर पा रही हूं यद्यपि इसमें महिलाओं को जो सुविधा देने की बात की गई है उससे मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री जी ने इस पर बहुत सहृदयता से विचार नहीं किया है इसमें महिलाओं को क्या सुविधा मिलनी चाहिए, उनको शारीरिक कष्ट उठाने के बाद किस प्रकार की सुविधा व आराम मिलनी चाहिए, इस पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। अगर किसी महिला विशेषज्ञ या गायनोकोलोजिस्ट को बैठा कर राय कर लेते तो शायद इस बिल में एक संपूर्णता आ जाती और इससे महिलाओं को काफी लाभ हो सकता था।

इस बिल के तहत यह बताया गया है कि मेडीकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में वेतन सहित 6 सप्ताह का अवकाश, ट्यूबेक्टौमी में 2 सप्ताह का वेतन सहित अवकाश, और आगे है कि अगर इसमें कोई कॉम्प्लीकेशन होता है तो आगे भी 1 माह की छुट्टी दी जाएगी। लेकिन मैं मंत्री जी को बता देना चाहती हूं कि जब भी कोई नारी गर्भ धारण करती है, –(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण बाद में जारी रख सकती हैं। अब हम गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य पर चर्चा करेंगे।

3.29 म०प०

विधेयक—पुरःस्थापित

(एक) वरिष्ठ नागरिक पेंशन संदाय विधेयक

श्री डी० वेंकटेश्वर राव (बापतला) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के सभी वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन का संदाय करने तथा उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के सभी वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन का संदाय करने तथा उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री डी० वेंकटेश्वर राव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.30 म०प०

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(दसवीं अनुसूची में संशोधन)

श्री डी० वेंकटेश्वर राव (बापतला) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री डी० वेंकटेश्वर राव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.31 म०प०

(तीन) एकसमान शिक्षा विधेयक*

श्री डी० वेंकटेश्वर राव (बापतला) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण भारत में एकसमान शिक्षा का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सम्पूर्ण भारत में एकसमान शिक्षा का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री डी० वेंकटेश्वर राव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.32 म०प०

(चार) मंत्रियों और संसद सदस्यों द्वारा अपनी आस्तियों की घोषणा विधेयक*

श्री डी० वेंकटेश्वर राव (बापतला) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंत्रियों

---

* भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II खंड 2 दिनांक 4-8-95 में प्रकाशित

और संसद सदस्यों द्वारा अपनी आस्तियों की घोषणा और उसकी लोक संवीक्षा का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मंत्रियों और संसद सदस्यों द्वारा अपनी आस्तियों की घोषणा और उसकी लोक संवीक्षा का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री डी० वेंकटेश्वर राव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

इसमें एक छोटी-सी त्रुटि है, जिसको ठीक किया जाना है। मैं सभा की सूचना में यह बात लाना चाहता हूं कि विधेयक के खंड 5 को मोटे टाइप में मुद्रित किया जाना था, पर ऐसा नहीं हुआ है।

3.33 म०प०

(पांच) चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक*
(नई धारा, 6क, का अंतः स्थापन आदि)

श्री उत्तमराव देवराव पाटील (यवतमाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उत्तमराव देवराव पाटील : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.34 म०प०

(छः) बालिका शिशु हत्या निवारण विधेयक*

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बालिका-शिशु हत्या निवारण विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बालिका शिशु हत्या निवारण विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.34½ म०प०

संविधान (संशोधन), विधेयक
(नये अनुच्छेद 330क और 330ख, का अंतः स्थापन आदि)—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री के०पी० रेड्डय्या यादव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे विचार करने के लिए मद संख्या-10 को लेंगे।

इसके लिए दो घण्टे का समय आबंटित किया गया है। अब तक 14 मिनट का समय लिया जा चुका है। अभी एक घण्टा, 46 मिनट शेष हैं। श्री के०पी० रेड्डय्या यादव अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री के०पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : उपाध्यक्ष महोदय मैंने अन्तिम सत्र के दौरान, विधेयक प्रस्तुत किया था और, विधान सभा, संसद, परिषद एवं राज्य सभा में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के संबंध में संविधान (संशोधन) विधेयक, 1992 पर चर्चा शुरू की थी।

पिछली बार मैंने संसद और विधान सभाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मांग करने के कारणों को सभा के समक्ष रखा था। उसी विषय पर चर्चा जारी रखते हुए मैं, इस सभा के ध्यान में यह तथ्य लाना चाहूंगा स्वंतत्रता के बाद 15 वर्ष बीत जाने पर भी विधान सभाओं और संसद में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने की आवश्यकता क्यों हैं। इसके कई कारंण हैं। पिछले 47 वर्षों के दौरान इस देश पर जिंस किसी का भी शासन रहा है, इस देश की जनता ने उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने, संपत्ति को बढ़ाने व उसका सभी क्षेत्रों और वर्गों में समुचित बंटवारा करने तथा संवैधानिक प्रावधानों को अक्षरक्षः लागू करने के लिए अपना संरक्षक बनाया था परन्तु वे अपने कर्तव्य निभाने में बुरी तरह से विफल हुए हैं। यही कारण है कि हम विधान सभाओं और संसद में अन्य पिछड़े वर्गों की भागीदारी की मांग कर रहे हैं। इस देश में संपत्ति के सृजन में पिछड़े वर्ग एवं मुसलमानों का बड़ा हाथ रहा है। लेकिन इन सैंतालीस वर्षों में जो संपत्ति का सृजन किया गया, वह कुछेक व्यक्तियों ने हथिया ली। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि संविधान के संरक्षक अर्थात विधान सभाओं एवं संसद ने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

3:36 म०प०

(श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं)

प्रजातांत्रिक व्यवस्था चार स्तम्भों पर टिकी हुई है, व्यवस्थापित, कार्यकारणी, न्यायपालिका और स्वतंत्र प्रेस। डा० अम्बेडकर, पंडित जवाहर लाल नेहरू और सरदार बल्लभ भाई पटेल, जब संविधान बना रहे थे तब उन्होंने सोचा था कि ये चार स्तम्भ सुपुर्द किए गए कार्यों का निर्वहण करेंगे, किन्तु ये सब असफल हो गए। डा० अम्बेडकर ने भी यह कल्पना की थी कि विपक्ष और सत्ताधारी दल भी संवैधानिक मान्यताओं के अनुरूप अपने कर्तव्य का निर्वाह किन्तु इस सैंतालीस वर्ष के दौरान उन्होंने सांठगांठ कर ली है। जब तक विरोधी दल और शासित पार्टी में साठगांठ नहीं, तब तक पिछड़े वर्गों के लाखों लोगों द्वारा कमाया धन देश के केवल पांच प्रतिशत लोग मिलकर नहीं लूट सकते। पिछड़े वर्गों को इतनी आसानी से उन कुछ प्रतिशत लोगों की इच्छाओं के अनुरूप नहीं मोड़ा जा सकता है। वे शहरी नागरिकों की तरह आसानी से खरीदे नहीं जा सकते हैं। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि पिछड़े वर्गों को संसद व विधान सभाओं में प्रवेश दिया जाना चाहिए।

इसके लिए मांग किए जाने के कई कारण हैं। मैं उनमें से कुछ कारणों को बताऊंगा। रूस का विघटन केवल भ्रष्टाचार और समाज की मूलभूत आवश्यकताओं को नकारे जाने के परिणामस्वरूप हुआ था। अब हम भारत में भी संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। हम समाज की मूलभूत आवश्यकताओं को भूल रहे हैं। हम तमाम अनावश्यक मुद्दों जैसे धर्म, जाति

---

* भारत के राजपत्र, असाधरण, भाग-II खंड 2 दिनांक 4-8-95 में प्रकाशित

आदि को विवाद का रूप देकर जन-मानस में तनाव पैदा कर रही हैं। इस प्रकार हम भी ऐसी स्थिति तक पहुंच चुके हैं कि जब भारत की 23 राज्यों या 40 राज्यों या 100 छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित हो सकता है । इसलिए देश में हितों की रक्षा के लिए और राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए, हम पिछड़े वर्ग के लोगों और मुसलमानों को संसद और विधानसभाओं में समुचित सीटें मिलनी चाहिए। जहां से कानून बनना शुरू होता है। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि उन्हें संसद और विधानसभाओं में प्रवेश करना चाहिए। मैं उन लोगों को चुनौती देता हूं जो कहते हैं कि आगे की सीटों पर बैठने वाले चाहे किसी भी दल के हों जो देश में पिछले 47 वर्षों से शासन कर रहे हैं उनकी सांठगांठ अवश्य रहती हैं। यदि वे सांठगांठ नहीं करते तो देश का धन यहां से बाहर स्विरजरलैण्ड नहीं जाता। ऐसा हो सकता है?

मैं दो-तीन उदाहरणों के साथ यह बताना चाहता हूं कि इन चार स्तम्भों ने किस तरह से संविधान का उल्लंघन किया है। मैंने सत्ताधारी दलों और विपक्षी दलों के बीच सम्बन्धों का उल्लेख किया था। यह एक बात है। दूसरी बात जाति कार्य मुखीकरण के बारे में है। भारतीय जनता के सामने यही जताया गया है कि हम दलीय आधार पर कार्य करेंगे। श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन के कुछ साल बाद अब भातीरय राजनीति केवल जातिगत आधार पर चलायी जा रही है। आंध्र प्रदेश में श्री एन०टी० रामाराव की सरकार को जाति वामपन्थी दल सी०पी०आई०(एम) का समर्थन प्राप्त है। वहां श्री पी०वी० नरसिंहराव की सरकार है। श्री ज्योतिबसु जो बड़े बामपन्थी हैं कुछ मामलों वह श्री नरसिंह राव को समर्थन दे रहें हैं। इस देश के लोगों को स्पष्ट रूप से समझ लेनां चाहिए कि संविधान डा० अम्बेडकर, पं० जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री राजीव गांधी की इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है। समय की मांग है कि पिछड़े वर्गों और मुस्लिमों के प्रतिनिधियों, जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावशाली है, उनको संसद और विधान सभा में पहुंचना चाहिए।

मैं नौकरशाही के बारे में कहना चाहता हूं। नौकरशाहों का एक निश्चित भूमिवादी गई है। संविधान प्रावधानों के बदले उन्हीं के कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। किन्तु वास्तव में क्या है रहा ही क्या वे अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और मुसलमानों को कुछ सीमा तक आरक्षण देकर कमजोर वर्गों को सब कुछ दिया जा चुका है किन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है। देश में कुछ नौकरशाह ऐसे हैं जिनका अपना कारखाना हैं, फार्म हाऊस हैं और स्विजरलैण्ड में खाता भी हैं और उनके अन्य कार्यकलाप, भी हैं। उसमें से कुछ के व्यापारिक सम्पर्क भी हैं और आपात-निर्यात गठन भी हैं। यह कैसे सम्भव है? क्या उनके लिए विशेषाधिकार का प्रावधान किया जाना अनेक कारणें में से एक नहीं है। इसमें असीमित रूप से धन लगा हुआ है। अब दिल्ली के आसपास बहुत से नौकरशाह और राजनीतिज्ञ और सामज विरोधी तत्व 20 करोड़ रुपए मूल्य के कार्य हाऊसों के स्वामी हैं। यह कैसे सम्भव है? कि संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत उन्हें 20 से 30 करोड़ रुपए मूल्य के ऐसे कार्य का स्वामित्व प्राप्त करने की अनुमति प्राप्त है?

'जब केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के पास के लिए धन नहीं होता है तो वे कहते हैं कि : उत्पाद कर पर एक पैसा बढ़ा दे और बिक्री कर पर 2 पैसे बढ़ा दो।' बिक्री कर राज्य सरकार के पास जाएगा और उत्पाद कर केन्द्रीय सरकार के पास जाएगा। आप जातने हैं कि हमारा वार्षिक बजट 120,000 करोड़ रुपए है। इसमें से 85000 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष रूप से इस देश के सर्व साधारण द्वारा दिया जाता है। सर्वसाधारण से 30% प्राप्त होता है जो वे उपभोक्ता मदों यथा कपड़ा, चीनी, सिगरेट, बीड़ी आदि पर बिक्रीकर के रूप में देते हैं। लगभग 20,000 करोड़ रुपए की रकम आयकर के रूप में आती है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि बजटीय योगदान मुख्य रूप से हरिजनों, मुसलमानों और देश के अन्य साधारण लोगों से प्राप्त होता है और 20000 करोड़ रुपए आयकर के माध्यम से आता है।

हमें समझना होगा कि बजटीय प्रावधानों के लिए धनराशि, मुख्य रूप से देश के हरिजनों, मुसलमानों, और अन्य साधारण व्यक्तियों से प्राप्त होती है।

यहां तक कि एक रिक्शा चालक भी भारतीय बजट में और राज्य बजट में योगदान देता है। योगदान देने वाले लोग देश के गरीब लोग हैं। योगदान देने वालों की अधिकता ग्रामीण भारत से है जो देश की जनसंख्या का 70% से 80% तक है।

न्यायपालिका के सहयोग से विधायक और नौकरशाहों ग्रामीण भारत की गरीब जनता द्वारा दिए गए धन के मालिक बने हुए हैं। सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में यही वास्तविकता है। इसलिए हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है। जो निहित स्वार्थों के द्वारा खरीदे न जा सकें। ग्रामीण भारत को विधानमण्डलों में और संसद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना होगा। यही कारण है कि देश में अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आधार पर मैं आरक्षण की मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदया, काका मालेलकर आयोग ने सिफारिश की थी कि जनगणना करते हुए जाति सम्बंधी ब्यौरे भी एकत्र किए जाने चाहिए।

जब ये सीटें किसानों के पुत्रों द्वारा और ग्रामीण भारत की जनता द्वारा हथियायी जाएगी तब वे प्रत्येक जाति अथवा पिछड़े वर्गों या मुस्लिमों आदि को विशेषाधिकारों को आनुपातिक आधार पर प्रदान कर सकेंगे महात्मा-गांधी को भी यही आशा थी। वे नहीं चाहते थे कि भारत उर्ध्वाधर रूप में विकसित हो। वे चाहते थे कि भारत का विकारा सर्वतोमुखी निवास हो धन को केवल बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली के लोगों के बीच ही नहीं बांटा जाए। पिछले 47 वर्षों में हम संवैधानिक प्रावधानों को पूरी तरह सुरक्षित करने में असफल रहे हैं और हम इस देश के पिछड़े वर्गों और मुसलमानों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में असफल हुए हैं। हमने अपने समाज के इन दो वर्गों को लूटा है।

हरिजनों के मामलों में भी यही स्थिति है एक नौकरशाह, या नेता या मंत्री को सभी सुविधाएं प्रदान की। किन्तु ग्रामीण भारत में हरिजनों की क्या स्थिति है? महोदया, अगर आप मुझे गलत न समझें, तो मैं कह सकता हूं कि नब्बे प्रतिशत हरिजन दैनिक मजदूरी पर जीवन यापन करते हैं। यदि किसी को एक महीने के लिए अस्पताल जाना हुआ तो उनके पास खाना खाने के लिए पैसा भी नहीं रहता है। इस देश के हरिजनों और मजदूरों की यही स्थिति है। मैं इससे सहमत हूं कि भारत में 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका जीवन स्तर अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के लोगों के समान है। किन्तु शेष 60 करोड़ लोगों का जीवन स्तर क्या है इसलिए समय की यह मांग है कि हमें नागार्जुन सामर भाखड़ा नागल आदि जैसे जलाशयों को संरक्षित करना है जहां से खेतों के लिए नहरों में पानी छोड़ा जाता है। इस प्रकार फील्ड कैनाल को पानी मिलता रहेगा किन्तु हमें यह देखना है कि विभिन्न फील्ड कैनाल को अधिक से अधिक पानी कैसे भेजा जाएगा।

इस देश के सांसद और विधायक अपना मौलिक कर्त्तव्य भूल गए हैं। नौकरशाही को इस बात की जरा भी चिंता नहीं है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा असीमित धन इकट्ठा किया गया है। व्यवसायी के पास धन होना किसी भी देश के लिए अच्छी बात है, किसानों के हाथ में धन हो और उद्योगपतियों के हाथ में अधिक धन होना भी किसी देश के लिए अच्छा हो, किन्तु नौकरशहों या राजनीतिज्ञों या असामाजिक तत्वों के हाथ में धन होना किसी भी देश के लिए हानिकारक हो।

चूंकि नौकरशाह और राजनीतिज्ञ असीमित धन-सम्पदा के मालिक हो गए इसीलिए वे राजनीति का अपराधीकरण कर रहे हैं। यही कारण है कि आज पूरे देश में हमारे सामने ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। किसी प्रकार का नियंत्रण और नियमन नहीं किया गया और हमने प्रशासन को मनमाने ढंग से काम करने की ढील दे दी है, जिसके परिणामस्वरूप देश का धन कुछ नौकरशाहों निहित स्वार्थों, व्यापारियों और राजनीतिज्ञों ने हथिया लिया है।

महोदया, आज हम खतरे में हैं, प्रजातंत्र खतरे में है। अब ये नौकरशाह कुछ राजनीतिक दलों के सदस्य भी बन गए हैं और उनकी व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। यह बिल्कुल सच है कि प्रत्येक नौकरशाह की राय में और केन्द्र में कम से कम दो संसद सदस्य या दो विधान सभा सदस्य या किसी एक मंत्री से अवश्य जान-पहचान है। अतः, समय की मांग है कि ग्रामीण वातावरण में पले-बाढ़े व्यक्तियों को यहां प्रवेश की अनुमति दी जाये। हमारे देश में कई महान व्यक्ति हुए हैं जैसे श्री कामराज ओर श्री देवराज अर्स जो हालांकि उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं थे फिर भी उन्होंने मद्रास और कर्नाटक को स्वच्छ प्रशासन दिया था। वे ही दोनों राज्यों के औद्योगिक, आर्थिक और कृषि-क्षेत्र में विकास के लिए मुख्यतः उत्तरदायी थे। इसलिए, किसी को उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड जाने की आवश्यकता नहीं है। वे यहां शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और देश पर शासन करने और स्वच्छ व ईमानदार प्रशासन देने के लिए भाषा पर अधिकार होने की आवश्यकता नहीं है। डॉ० अम्बेडकर ने चार स्तम्भों सृजन किया था और उन्होंने उनके लिए अर्भहा वाली दीवारें या अलग खाने बनाये अर्थात् विधायिका न्यायपालिका, कार्यपालिका और स्वतंत्र प्रेस का गठन किया। आज यह हो रहा है कि ये दीवारें निहित स्वार्थों, विधायकों और नौकरशाही द्वारा गिरा दी गई हैं, अब एक का दूसरे पर कोई नियंत्रण नहीं रहा है। यही कारण है कि आज नौकरशाही और विधायिका एक साथ मिल गये हैं। कोई नियंत्रण नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है और एक-दूसरे के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। न्यायपालिका ने पर्यवेक्षीय और नियातक नियंत्रण खो दिया है क्योंकि यह दीवार भी इन दो वर्गों द्वारा गिरा दी गई थी।

इस चार खानों जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है, इनमें से एक 'स्वतंत्र प्रेस है। आज भारत में 'स्वतंत्र प्रेस, नहीं है, केवल स्वतंत्र पत्रकार रह गये हैं, वे भारत में प्रजातंत्र की सफलता और अस्तित्व के लिए मुख्य रूप से साह्यक हैं। प्रेस पर निहित स्वार्थों का अधिकार है। हरेक व्यक्ति जो प्रेस चला रहा है उसे एक लोक सभा सीट या एक राज्य सभा सीट दी जा रही है और वह नौकरशाही, विधायिका और मंत्रियों को खरीदने के लिए आता है। इस देश में यही परिदृश्य है जो पिछले दस वर्षों से विद्यमान है। इसीलिए, हम देश की कतिपय समस्यओं को हल करने में असमर्थ हैं। हम एक दूसरे को बुरा-भला कह रहे हैं। साम्यवादी दल कांग्रेस दल पर अंगुली उठा रहा है और कांग्रेस दल भारतीय जनता पार्टी पर अंगुली उठायेगा और विरोधाभास यह है कि वे सभी एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। वे एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं यहां पीछे बैठने वाले सदस्यों की आवाज नहीं सुनी जाती है। ग्रामीण भारत से आये सदस्य जो ग्रामीण भारत और उनके भाईयों और बहिनों द्वारा झेली जा रही समस्याओं के लिए आवाज उठाना चाहते हैं उनके लिए अवसर कहां है? यदि कोई कहता है कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, वह गलत है तो ग्रामीण भारत के लोगों के पास पर्याप्त पेयजल, अस्पताल, सड़कें, संचार और प्रसूति केन्द्र क्यों नहीं हैं? यदि किसी मेजर जनरल को अपेक्षित धनराशि दी जाती है तो मुझे विश्वास है कि वह आवश्यक सुविधाएं जैसे, पेयजल, अस्पताल, शैक्षणिक सुविधाएं आदि एक ही पंच-वर्षीय योजना में प्रदान करने में सक्षम होगा।

आगे बैठने वाले सदस्य जिनमें चन्द्रजीत यादव भी शामिल हैं, जान-बूझ कर 90 करोड़ लोगों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले समय का प्रतिदिन सभा का समय ले रहे हैं। यह केलव नाटक ही है और उससे अधिक कुछ भी नहीं है। वे मंत्री या नेता के घर के सामने विद्रोही का झंडा क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं। महोदय, हमें इस प्रकार के मंत्रियों के खिलाफ लड़ना है। श्री चन्द्रजीत यादव आपने मंडल आयोग की रिपोर्ट लाने में रचनात्मक योगदान किया है और हम सामाजिक न्याय के लिए आन्दोलन में भाग ले रहे हैं। मैं जो बता रहा हूं वह यह है कि वामपंथी दलों और कांग्रेस पार्टी का संविधान की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने कत्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए तथा विभिन्न दलों के साथ सांठ-गांठ नहीं करनी चाहिए।

इस देश के लोगों को यहां अभिनीत हो रहे नाटक को समझना चाहिए। जब 70 करोड़ लोगों का पैसा घोटालों में फंसा हुआ है फिर भी हम सभी यहां चुप्पी साधे हुए हैं और एक-दूसरे को हास-परिहास कर रहे हैं। यह क्या है? हम पर 2 लाख करोड़ रु० का विदेशी ऋण है और 2 लाख करोड़ रु० का ही स्वदेशी ऋण है। यह सारा धन कहां गया? हम बढ़ा हंसी-दिल्लीगी कर रहे हैं क्या हम उत्तरदायी लोग हैं? दूसरे देशों को क्या हुआ? अमेरिका स्वयं के बारे में क्या सोचता होगा? उन्होंने हमें चेतावनी देनी शुरू कर दी है। यह क्या हो रहा है? इसीलिए, जो कुछ भी हमारा ऋण है। हमें उसे चुकाना है। यह काम हमें स्वयं ही करना है। हमें यह कह कर नहीं लड़ना चाहिए कि शासक दल अलग है और विरोधी दल अलग है। आप मेरे बारे में अन्यथा सोच सकते हैं, इस सभा के नेता मेरे में दोष निकाल सकते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का कोई व्यक्ति इन सब चीजों के बारे में बातें कर रहा है। लेकिन सचाई तो यही है। आप इसे अस्वीकार नहीं कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति में इसे गलत कहने का साहस नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि यदि आप देश द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो आपको संवैधानिक उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए। कृपया जन-साधारण को धोखा न दें।

सभापति महोदय, अधिकांश गांवों के अपराधों में शामिल व्यक्ति या तो पिछड़ी जातियों या फिर मुस्लिम समुदाय के माने जाते हैं। मैं यह जानता हूं और स्वीकार भी करता हूं। देश के प्रत्येक थाने में पिछड़ी जाति के लोगों का नाम षड्यंत्रकारियों के रूप में दर्ज होता है जबकि वास्तविक उच्च जाति के लोग होते हैं। उनके खिलाफ कभी भी कार्यवाही नहीं की जाएगी 'कन्सपिरेसी' शब्द को ऑक्सफोर्ड शब्दकोष से हटा दिया गया है। क्यों? मुख्य बात यह है कि, कृपया सभी मंत्रियों, सभी नौकरशाहों और सभी उद्योगपतियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए क्योंकि वे ही सभी में नहीं बल्कि अधिकांश जिलों में षड्यंत्रकारी हैं और कुछ नेता समाजावादी दल और भारतीय जनता पार्टी के भी कतिपय नेता हैं, वे भी षड्यंत्रकारी हैं।

4.00 म०प०

यदि हम एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोपण लगाते रहे तो हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते। हमें समस्या को समझना चाहिए। इस प्रकार किसी भी थाने में आप केवल पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों को ही पायेंगे। लेकिन वे षड्यंत्रकारी कहां हैं जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने देश को संकट ग्रस्त किया है? उनके विरुद्ध कोई मामला क्यों दर्ज नहीं किया जाता है। इसका उत्तर कौन देगा? क्या अमेरिका का राष्ट्रपति या रूस का प्रधान मंत्री इसका उत्तर देगा? इसका कौन जवाब देगा? आपने हमें लूटकर अपराधी बनाया है, इस देश के अभागे लोगों अर्थात् मुसलमानों और पिछड़ी जातियों के कठिन परिश्रम द्वारा कमाई गई धन-सम्पदा को लूटकर उन्हें अपराधी बनाया है। इसका उत्तर कौन देगा? आपने केवल देश के इन लाखों लोगों का ध्यान अपनी समस्याओं से हटाने के लिए बाबरी मस्ज़िद —रामजन्मभूमि मुद्दा बनाया है। आपने ये मामला खड़ा किया है ओर इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमें आर्थिक शोषण के विरुद्ध कुछ करना है। [हिन्दी] भगवान तो संबका है मगर [अनुवाद] काशी विश्वनाथ और बाबरी मस्ज़िद जैसे मुद्दे उठाकर हम इस देश के अभागे लोगों को खिला नहीं सकते हैं। वे राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखना है, हमें इस देश के संविधान, राज्य व्यवस्था और प्रजातांत्रिक पद्धति को बनाए रखना है। अतः हमें अन्य दोषों से ध्यान हटाना होगा। देश बहुत कठिन आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है और आर्थिक शोषण भी हो रहा है। इस संसद ने राजस्व आसूचना, पुलिस, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और आय-कर विभाग बनाए हैं लेकिन उन्हें निष्क्रिय बना दिया गया है। क्यों? क्या ऐसा इन लोगों को धन-सम्पदा हड़पने की अनुमति देने के लिए किया गया है? केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस देश में कार्य नहीं कर रहा है। इसीलिए, शहरी मुसलमान या शहरी पिछड़ी जातियों को नहीं अपितु वे लोग जो ग्रामीण भारत में रह रहे हैं, मुसलमानों और पिछड़ी जातियों को आगे आना चाहिए और इस स्थान पर कब्जा करना चाहिए ताकि उन्हें निहित स्वार्थों, नौकरशाही और विधायिका द्वारा खरीदा न जा सके।

हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने पहले ही अपनी दूरदर्शिता और अनुभव से पंचायती राज और नगर पालिका विधेयक पेश किया है और उन्हें अधिनियमित किया है जिसमें पिछड़े वर्गों को 30 प्र० श० आरक्षण दिया गया है और अपनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने केन्द्रीय नौकरियों में मंडल आयेाग का 27 प्र०श० आरक्षण लागू किया है। इस बारे में हम माननीय प्रधान मंत्री के बहुत आभारी हैं। तदनुसार, नगर पालिकाओं, नगरपरिषदों और पंचायतों में नौकारियों में पहले से ही आरक्षण दिया जा चुका है।

इसलिए, विधान सभा, लोक सभा और राज्य सभा में भी अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाये।

अनुसूचित, जातियों और अनुसूचित जनजातियों को 1950 से ही भारत सरकार के अधीन सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया गया है।

अन्य पिछड़ी जातियों जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की तरह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई हैं तथा जिन्हें संविधान में पिछड़ी जातियां कहा गया है, को काफी लम्बे समय से आरक्षण से वंचित रखा गया है। अनुसूचित वर्गों तथा पिछड़े वर्गों में कोई अन्तर नहीं है। बाबासहेब अम्बेडकर ने सिर्फ छुआछूत के कारण अनुसूचित जातियों की तरफ हमें अधिक ध्यान देना है इसी कारण से इनको उन्होंने पृथक किया था। और यह पिछड़ी जातियों की श्रेणी में आई हैं। मुस्लिम जैसे अल्पसंख्यकों का कुछ भाग, पिछड़ी जातियों में आता है। इसी कारण से मैं पिछड़ी जातियों के लिये आरक्षण की मांग करता रहा हूं।

देश सही तरह प्रगति कर रहा है। हमें पश्चिम के उन्नत देशों की बराबरी करनी है। आमतौर पर पिछड़ी जातियों के अधिकांश लोग दस्तकार हैं और वह डेरी, मोचीगिरी, ताड़ी व्यवसाय, कुम्हारगिरी और अन्य व्यवसायों से जुड़े हुए हैं। परन्तु, औद्योगिकीकरण के कारण जो बदलाव आए हैं वह अन्य पिछड़ी जातियों के लिये हानिकारक हैं क्योंकि इन सभी व्यवसायों को उच्च जातियों ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। अब इन लोगों के लिये अवसर नहीं बचे हैं? संसद को बताना चाहिये कि बुनकर उद्योग को बम्बई के बड़े उद्योगपतियों ने अपने हाथ में ले लिया है और अन्य पिछड़ी जातियों और मुसलमानों के हाथ में कुछ नहीं बचा है। मुसलमानों से अभिप्राय ग्रामीण भारत में रहने वाले मुसलमानों से है। इनके लिये जीविका अर्जन के साधन नहीं बचे हैं। इनका आत्म-स्वाभिमान भी खत्म हो गया है। अगर हमने देश को इस मार्ग की ओर अग्रसर होता रहने दिया तो इसकी स्थिति बहतर हो जाएगी।

इसलिये, देश की सम्प्रभुता और अखण्डता की रक्षा करने के लिये और सम्पत्ति के बराबर वितरण हेतु हमको काफी बदलाव लाने पड़ेंगे और अन्य पिछड़ी जातियों को उनकी संख्या के आधार पर उचित हिस्सा मिलना चाहिये।

मैं इन शब्दों के साथ मुझे बोलने का अवसर देने के लिये आपको धन्यवाद देता हूं और मैं अन्य दलों के वरिष्ठ नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे भी अन्य पिछड़ी जातियों के लिये संसद तथा विधान मंडलों में आरक्षण प्रदान करने की मांग करें।

श्री चन्द्रजीत यादव (आज़मगढ़) : सभापति महोदया, मुझे प्रसन्नता है कि श्री के०पी० रेड्डय्या यादव ने इस गैर सरकारी संविधान (संशोधन) विधेयक को पेश करके। पुनः राष्ट्रीय महत्व के एक ऐसे प्रमुख मुद्दे को इस समाननीय सभा के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसे इस सभा में कई बार उठाया गया है और जिस पर अभी तक पूरे देश में चर्चा हो रही है, मेरे विचार में आरक्षण का सिद्धांत, जो कि सामाजिक न्याय के लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है और देश के प्रशासन में सत्ता की भागीदारी की ओर उल्लेखनीय कदम है। इस देश में प्रायः गलत अर्थ निकाला गया है जबकि संविधान के निर्माताओं ने इसका यह अर्थ नहीं लगाया था। उन्होंने इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। उन्होंने भारतीय समाज की वास्तविकता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा था और इसके एतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी समझा था। इसलिये, उन्होंने संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया था।

महोदया, संविधान सभा में दिये गए कुछ भाषण काफी औजस्वी थे और इसलिए महत्वपूर्ण भी थे, क्योंकि वे देश के भविष्य के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की बुनियाद रख रहे थे। मैंने उनका एक ऐसा ही भाषण पढ़ा था। मुझे कभी आशा नहीं थी कि श्री के०एम० मुंशी आरक्षण का पुरजोर समर्थन करेंगे। वास्तव में मैं उनके विचार जानता था और उनके कई विचारों से सहमत भी नहीं हूं। कल ही मैं संविधान सभा में दिए गए उनके भाषण को पढ़ रहा था। आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वे सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ों के लिये आरक्षण का पुरजोर समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण के दो फायदे हैं। एक तो उससे समाज में प्रतिष्ठा मिलती है क्योंकि इससे आपको प्रशासन और विधायी निकायों

में उच्च पद हासिल हो जाते हैं और दूसरे इससे शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। देश के प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा बन जाने के पश्चात आपको कुछ शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। इसलिये, उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों विशेषरूप से आरक्षण के विरोधी से अनुरोध किया कि वे आरक्षण के सिद्धांत का विरोध न करें। हमारे देश के प्रथम प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे सामाजिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र के निर्माता थे, को उस समय अत्यंत निराशा हुई जब देश के उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण को रद्द कर दिया। वर्ष 1950 में उच्चतम न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया था। इसलिये पंडित जवाहरलाल नेहरू काफी खिन्न थे और उन्होंने सोचा कि उच्चतम न्यायालय के इस विनिर्णय से देश में काफी निराशा हुई है और इससे देश में समतावादी समाज का निर्माण करने में बाधाएं पैदा होगीं। इसलिये, इस सभा में मैं आपको पुनः स्मरण कराना चाहता हूं कि पंडित जवाहरनलाल नेहरू ने आरक्षण के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय द्वारा उत्पन्न असंगतियों को दूर करने के लिये भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन पेश किया था। उन्होंने इस प्रकार कहा "सरकारी सेवाओं में जिनका यथेष्ठ प्रतिनिधित्व नहीं है अगर उनकी आरक्षण दिया जाता है तो इससे समता के सिद्धांत का उल्लंघ्न नहीं होगा और न ही मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा क्योंकि यह खुद ही एक मौलिक अधिकार है।" इसलिये, आरक्षण का सिद्धांत मूलतः सत्ता में भागीदारी और लोकतंत्र में भागीदारी है। भारतीय समाज में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से अशक्त लोगों को ऊपर उठाने की ओर कदम है तथा इससे उनके देश में अधिक अवसर मिलेंगे। इसलिये, हमारे संविधान में हमारे समाज के एक वर्ग अर्थात अनसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों, के लिये दो प्रकार के आरक्षण का प़ावधान है पहला, सरकारी सेवाओं में आरक्षण और दूसरा विधायी निकायों अर्थात विधान मंडलों और लोक सभा में आरक्षण। मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि अगर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण नहीं किया जाता तो विधान निकायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बिलकुल नगण्य ही होता। म्यूनिसिपल बोर्डों, निगमों तथा जिला बोर्डों में भी आरक्षण नहीं था और बाद में जिला परिषदों तथा जिला पंचायतों में भी आरक्षण नहीं था। अनुसूचित जाति का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो ब्लाक अथवा म्यूनिसिपल बोर्ड का अध्यक्ष बन सके। आरक्षण के बिना इन पदों को अनुसुचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों से भरना असम्भव था। इसलिये, इन परिस्थितियों मे हमारे समाज में आरक्षण राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई थी। आज भी आरक्षण के विचारधारा को एक सिद्धांत के रूप में कई लोग नहीं मानते। वे इसके विरुद्ध हैं। इसलिये, संविधान में आरक्षण का प्रावधान करने के बावजूद भी इसे ईमानदारी पूर्वक लागू नहीं किया गया। आज़ादी के पचास वर्ष के बाद भी आजतक सरकारी सेवाओं में अनुसुचित जातियों और अनुसुचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रतिशत से अधिक नहीं हो पाया है जबकि यह प्रावधान 22.5 प्रतिशत आरक्षण का है। पचास वर्ष में भी 50 प्रतिशत आरक्षण का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है। प्रशासन में उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति इसे लागू करने में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। इसके साथ ही पिछड़ी जातियों का सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व सिर्फ 4 प्रतिशत है। अब प्रश्न यह है कि क्या लोक सभा और विधान सभाओं में भी पिछड़ी जातियों के लिये आरक्षण किया जाए। इस संशोधन का आशय इस प्रयोजन को प्राप्त करना है।

मैं कहूंगा कि यह एक अति गम्भीर प्रस्ताव है। मुझे नहीं जानता कि इससे पिछड़ी जातियों को अब फायदा होगा या नहीं जबकि इस वक्त अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों में एक नए प्रकार की विचारधारा पैदा हो रही है और इस प्रावधान से फ़ायदा होने वाला है अथवा इससे अनावश्यक टकराव पैदा होन वाला है अथवा अविश्वास पैदा होन वाला है या नहीं यह सब कहना अति कठिन है इन सब पहलुओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये। आज़ाद भारत में हमने पंचायती राज विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करके और इसको अधिनियम बनाके पहली बार एक शुरूआत की गई है। आज़ाद भारत में पहली बार पिछड़ी जातियों और महिलाओं के लिये राजनीतिक आरक्षण किया गया है। इसलिये, पिछड़ी जातियों को, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ सभी पंचायत निकायों में चाहे वह ग्राम सभा हो अथवा जिला पंचायल को अथवा म्यूनिसिपल बोर्ड हो अथवा निगम हो इन सभी में राजनीतिक आरक्षण मिल गया है। अब इसको सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया है और अब यह एक वास्तविकता बन गई है। इसलिये, एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा चुका है और महिलाओं को भी आरक्षण दे दिया गया है।

मुझे खुशी होती, अगर इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। हमारे देश की महिलाएं अत्यंत निचले स्तर पर हैं, हमारी विधायी निकायों में अथवा यहां तक कि प्रशासन में भी बहुत ही निचले स्तर पर हैं। मैं इसके लिए आरक्षण का प्रावधान करने की पुरजोर वकालत करता हूं। यह एक अत्यंत अच्छा अवसर है। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करे कि हमारे लोगों को लोक सभा, राज्य सभा, अन्य विधायी निकायों, हमारे प्रशासन एवं अन्य अनेक संस्थाओं में अत्यधिक प्रतिनिधित्व कैसे दें। यह एक ऐसा विषय है, जिसके बारे में हमें अत्यंत गम्भीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस बारे में गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

दूसरी समस्या जिसके बारे में मैं बहुत ही निराशा महसूस करता हूं वह सामाजिक न्याय के बारे में है। जब मैं सामाजिक न्याय की बात करता हूं, तो मेरे विचार से मेरा आश्य उस हर व्यक्ति विशेष से है जिसके साथ चाहे वह किसी जाति, धर्म अथवा भाषा का हो, सामाजिक न्याय नहीं किया गया, उसे सामाजिक न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। हमारे देश में सामाजिक वर्ग हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सामाजिक वर्ग हैं; पिछड़ा वर्ग एक सामाजिक वर्ग है; अल्पसंख्यक एक सामाजिक वर्ग है तथा उच्च जाति एक सामाजिक वर्ग है। मार्क्सवाद सिद्धान्त के अनुसार, ये आर्थिक वर्ग नहीं हैं। भारतीय प्रवेश में, ये ऐसे सामाजिक वर्ग हैं, जहां कि हमारे समाज में विकराल जाति प्रथा की गहरी-जड़ें मौजूद हैं। एक तरफ, तो मैंने लगातार बीस वर्षों तक मण्डल आयोग के लिए लड़ाई लड़ी है तथा दूसरी ओर मैं यह कहा करता था कि दूसरे वर्गों—जिन्हें कि प्रशासन में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है—को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। उदाहणार्थ, अल्पसंख्यकों को ही लीजिये। मैं विशेष तौर पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूं। उनकी जनसंख्या हमारी जनसंख्या का लगभग 12.3 प्रतिशत है। सरकारी सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व 1.5 प्रतिशत से कम है। क्योंकि वे भी एक समुदाय के लोग हैं, मुझे बताया गया है कि जब श्री मोहन सिंह जी ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे, तो उन्हें इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि संविधान में किसी सामुदायिक आरक्षण अथवा किसी अल्पसंख्यक आधार पर आरक्षण को मान्यता प्रदान नहीं की गई है; अतः इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह सही नहीं है। हमने अपने

संविधान में कतिपय प्रावधान अपने अल्पसंख्यकों के कुछ धार्मिक एवं संस्थागत अधिकारों की रक्षा करने के लिए किये हैं। हमारे देश में कुछ राज्यों—जैसे कि केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक—ने मुस्लिमों को—यह सोच करके कि उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है—कुछ प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है। अतः, मेरा यह कहना है कि यहां पृष्ठभूमि एवं पूर्वाग्रहों आदि जैसी अनेक बातें विद्यमान हैं—मैं इन सभी के विस्तार में नहीं जाना चाहता—लेकिन इनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। मेरी यह भी मांग है कि कोई प्रावधान ऐसा अवश्य होना चाहिए कि हमारे देश में अल्पसंख्यकों को कम-से-कम प्रशासनिक निकायों में आरक्षण मिले। हमारी सभी अच्छी नीतियां, हमारी सभी विचारधाराएं एवं हमारे सभी कार्यक्रम सरकारी तंत्र के माध्यम से लागू किये जाते हैं तथा जब इस तंत्र में इन वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, तो इसमें इनकी कोई भागीदारी नही है। वे यह कहा करते थे कि इसमें कोई गुण नहीं है। गुण को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। आज, मेरे राज्य, उत्तर प्रदेश में, 125 आई०ए०एस० अधिकारी अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं। पिछड़े वर्ग के आई०ए०एस० अधिकारियों की संख्या एक दर्जन से भी कम है। लेकिन मुझे खुशी है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों सम्बंधित आई०ए०एस० अधिकारियों की संख्या 125 है। आज, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हैं। अनेक अन्य ऐसे व्यक्ति इस राज्य में उच्च पदों पर पदासीन हैं। उनमें से कुछ अधिकारी अत्यंत प्रतिभाशाली हैं। यह दलील देना कि आरक्षण से गुणवत्ता में कमी आयेगी और स्तर नीचे गिर जायेगा, यह बात आधारहीन है।

मैं यह कहूंगा कि नागालैंड, मिजोरम एवं मेघालय में—जहां कि आदिवासी लोग रहते हैं—यहां शत प्रतिशत आरक्षण है। विधान सभा एवं सरकारी सेवाओं में शत प्रतिशत आरक्षण है। अतः, यह दलील गलत है कि इससे सब कुछ असंतुलित हो जायेगा।

सरकार ने दस प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव किया है। सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े उच्च जाति में लोगों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया था। लेकिन, उच्चतम न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने इसे बिल्कुल सही ही अस्वीकार किया है, क्योंकि संविधान के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कोई प्रावधान नहीं था। संविधान में केवल सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए ऐसा प्रावधान है। लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों को भी कुछ आरक्षण दिया जाना चाहिए। मैं इस बात की वकालत करता रहा हूं कि संविधान के अनुसार उच्च जाति में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को तब तक आरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता, जब तक कि आप संविधान में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में संशोधन नहीं करते। अतः, आरक्षण की मांग बढ़ रही है। मैं स्वयं भी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रहा हूं। मेरा यह भी अनुरोध है कि अल्पसंख्यकों, अपंग, स्वतंत्रता-सेनानियों एवं अन्य व्यक्तियों के बच्चों को भी आरक्षण मिलना चालिए। आप इसे 50 प्रतिशत के अन्दर-अन्दर कैसे विभाजित कर सकते हैं? पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत एवं अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 22.5 प्रतिशत आरक्षण पहले ही विद्यमान है।

अतः, 50 प्रतिशत की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। इस सीमा को अवश्य समाप्त किया जाना चाहिए। मैं यह अनुरोध करता हूं कि सरकार को इस सत्र में एक बैठक अवश्य बुलानी चाहिए। नेताओं की पिछली बैठक में यह प्रश्न उठाया गया था, लेकिन इसे इस तथ्य के कारण स्थगित कर दिया गया कि उनके लिए अधिक समय उपलब्ध नहीं था और हम सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति के सम्बन्ध में निर्णय लेना चाहते थे, जिसे कि उच्चतम न्यायाय के निर्णय द्वारा समाप्त किया जा रहा था। अतः, सरकार को सभी दलों की एक बैठक बुलानी चाहिए और इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करना चाहिए तथा 50 प्रतिशत की इस सीमा को समाप्त करने के लिए एक संविधान-संशोधन प्रस्ताव लाना चाहिए, ताकि अन्य वर्गों को भी आरक्षण मिल सके। पिछडे वर्गों में अति पिछड़े लोग भी हैं। विभिन्न समुदाय-जो अत्यंत गरीब हैं, जिनकी आर्थिक एवं सामाजिक दशा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों जैसी ही बुरी है—उनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है। अतः, यह देखा जाना चाहिए कि उन समुदायों से सम्बन्धित लोगों को भी सरकारी सेवाओं में समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

सैद्धान्तिक तौर पर, मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं, जिस पर गम्भीरतापूर्वक चर्चा एवं विचार किये जाने की आवश्यकता है। मैंने अन्य बातें जो ध्यान में लाई हैं, उन सभी पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं, इस विधेयक का सिद्धान्त रूप से समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, हमारे नेता ने बहुत ही विस्तार के साथ अपनी बातों को अच्छे ढंग से रखा। उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। रडैया साहब ने यह विधेयक प्रस्तुत करके मेरे जैसे लोगों को थोड़ी देर के लिए परेशानी में डालने का काम किया। क्योंकि अपने राजनैतिक जीवन के प्रारम्भ से ही मैं पिछड़े वर्गों के विशेष अवसरों के सिद्धान्त का समर्थक रहा हूं। हर स्तर पर पिछड़े वर्गों को अपनी आबादी के अनुसार सरकारी नौकरियों में, विधायी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व मिले, इसकी वकालत करता रहा हूं। मैं इस बात को जानता हूं कि भारत के संविधान ने संविधान लागू होने के साथ ही जो दलित वर्ग के लोग थे, उनको विधायी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देने का काम किया था। जिसका नतीजा हुआ कि उनका कोटा लोक सभा और विधान सभा में पूरा होता है इसी तरह उनकी स्थिति जो राजकीय नौकरियां हैं, क्लास प्रथम और द्वितीय को छोड़कर, आज की भी हालत में इतने लम्बे संघर्ष के बावजूद उनका जो कोटा है वह इतनी आबादी के होते हुए भी बड़ी नौकरियों में पूरा नहीं हुआ। लेकिन वे सारे राजनैतिक दल जिनकी प्रतिबद्धिता दलित वर्ग के प्रति थी। जिन्होंने इस संसद में बार-बार 10 साल के प्रावधान को निरन्तर बढ़ाने का समर्थन किया, जब राज्य सभा और विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो उनको आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। मैं ऐसे नेताओं को जानता हूं। जो दलित उद्धार के समर्थक हैं और दिल से भी हैं, लेकिन जब राज्य सभा में कुल दो सीट देने का सवाल आता है तो दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग को वे भूल जाते हैं। जहां तक विधान परिषद और राज्य सभा का सवाल है, जब तक हम इस प्रावधान को संवैधानिक नहीं करेंगे सारी कोशिशों के बावजूद इन दलित वर्ग और पिछड़े वर्गों को विधान परिषद और राज्य सभा में स्थान मिलने वाला नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता है।

जहां तक विधान सभा और लोक सभा का सवाल है, कुछ राज्यों की स्थिति से मैं निजी तौर से अवगत हूं। मेरी मान्यता है कि हमारे मित्र रडैयाजी जब इस प्रस्ताव को पेश कर रहे थे तो अपने भाषण में अपने प्रधान मंत्री की स्वाभावित ढंग से तारीफ की, करनी ही चाहिए। जब नये-नये उस दल

में गये हैं तो अपने प्रधान मंत्री के प्रति वफादारी उनको दिखानी चाहिए। लेकिन मेरी मान्यता है कि ब्राह्मणवाद का कांग्रेस पार्टी का टिमटिमाता हुआ चिराग है, यह अंतिम मशाल है जो बुझने वाली है। इसलिए इसकी तारीफ न करें। पूरे उत्तर हिन्दुस्तान का राजनैतिक नक्शा यह था कि जब कांग्रेस पार्टी ही एकछत्र राज्य में थी तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच-पांच राज्यों में एक साथ पूरे उत्तरी हिन्दुस्तान में एक ही बिरादरी के मुख्य मंत्री हुआ करते थे। यह कांग्रेस पार्टी की देन थी लेकिन आज की तारीख में वह स्थिति बदल गई।—(**व्यवधान**) जिस तरह दक्षिण हिन्दुस्तान में, जिस तरह तमिलनाडु में सबसे पहले सामाजिक बदलाव का आन्दोलन शुरू हुआ, अन्धविश्वास के खिलाफ आन्दोलनों की शुरूआत हुई लेकिन आज की तारीख में वह समाप्त हुआ। वहां की राजनीति में एक जाति विशेष का सामन्ती प्रभुत्व था, जिसको वहां के राजनेताओं ने सामाजिक परिवर्तन करके तबदील कर दिया और आज वह सीधे-सीधे वहां के राजनीतिक क्षितिज पर दिखलाई पड़ता है। वही स्थिति धीरे-धीरे पिछड़े वर्गों में जागरूकता के बाद 1977 से उत्तरी हिन्दुस्तान में आई और आज की तारीख में आप देखेंगे कि एक के बाद एक उन्हें बिरादरी के हाथ से सत्ता समाप्त होकर पिछड़ी और मध्य बिरादरी के हाथ में चली गई। एक नया आर्थिक और राजनीति बदलाव हुआ 1977 में जब इन शारीरिक ढंग से श्रम करने वाली जातियों के हाथ में राजनीति आई तो ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भी धीरे-धीरे उन्हीं के हाथ में जा रही है। सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन का एक नया दृश्य उजागर हुआ है और उसको हम देख रहे हैं कि 1952 में, 1957 में, 1962 में जो गांव सभाओं के चुनाव होते थे, जो स्थानीय निकायों के चुनाव होते थे, ऊपर की दबंग जातियां ऐसे लोगों का नेतृत्व करके गांव पंचायत के चुनाव में सभापति के चुनाव में जीत जाने का काम करती थी लेकिन पिछले दो तीन चुनाव नतीजे हमारे सामने हैं, वे इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं कि अब स्थानीय स्तर पर भी, निचले स्तर पर भी परिवर्तन हो रहा है और शारीरिक ढंग से काम करने वाली जातियों के हाथ में स्थानीय राजनीति, कृषि का इन्तजाम और कृषि से उत्पन्न जो आर्थिक सत्ता है, वह उनके पास आ रही है। एक नया सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन स्थानीयतौर पर हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब आप अपने स्वयं के कारण और उद्देश्य में लिखते हैं कि इन पिछड़ी जातियों की आबादी 60-62 फीसदी है। तो क्यों नहीं यदि हम जागरूकता उनमें पैदा करेंगे, तो सारी जातियां 62 फीसदी जो उनकी आबादी है, जिनमें एक नयी योजना का समावेश हो रहा है, जब माइनोरिटी, दलित जातियां और पिछड़ी जातियां इकट्ठा होकर राजनीति करेंगी, जैसा हमने बिहार के चुनाव में देखा। उसका विरोध भी हमने जाकर किया और हमने जाकर उसके विरोध में भाषण किया लेकिन पहली बार अपने एक निजी अनुभव से मैं अपने आप को इस सत्य को स्वीकारने से पीछे नहीं हटा सकता कि बहुत सारे इलाकों में जहां ऊंची जाति के लोग बूथ कैपचर किया करते थे, वहां 1972 के चुनाव हमने देखे हैं, 1977 के बाद के चुनाव हमने देखे हैं, वहां पर 1973 के चुनाव हमने देखे हैं जिस पर बड़े लोग बूथ कब्जा करके साधारण और निचले तबके के लोगों को नहीं जीने देते थे लेकिन जब उनको विश्वास हुआ कि हम भी वोट दे सकते हैं, वोट तक पहुंचने की इच्छा हुई तो एक नया दृश्य वहां राजनीति का हमको दिखलाई पड़ता है। इसलिए रेडय्या जी से मैं कहना चाहता हूं कि आवश्यकता है ऐसे वर्गों में जागरूकता पैदा करने की और जब इनमें संघर्ष पैदा होगा तो 62 फीसदी, जिसकी आप वकालत करते हैं, यह विधान सभा, लोक सभा में दिखलाई पड़ेगा। अब इस लोक सभा के कम्पोजीशन को, कंस्टीटुएन्ट एसेम्बली के कम्पोजीशन को देखने की कोशिश करिये। जातिगत आंकड़े निकालकर देखिये कि 1952 में क्या था और उनकी जाति के आंकड़ों को निकालकर देखिए कि 1977 के बाद से इसी लोक सभा का स्वरूप कितना बदला है यदि आप आंकड़े निकालकर देखें तो आपके सामने बात स्पष्ट हो जायेगी। मैंने विधेयक को ध्यान से पढ़ा है और ऐसा लगता है कि जो आबादी है..

कम से कम निलचे स्तर से जो पैदा होने वाला नेतृत्व है, उसकी नसबन्दी करने की कोशिश न करें।

इन शब्दों के साथ, पिछड़ों को विशेष अवसर मिले और उनकी आगे आने का मौका मिले, इसका समर्थन करते हुए और हमारे नेता ने इस सदन के सामने जो बातें कहीं हैं, मैं उसका भी समर्थन करता हूं।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, श्री के०पी० रेड्डय्या जी ने जो गैर सरकारी संविधान संशोधन विधेयक, 1993 प्रस्तुत किया है, इस सन्दर्भ में मैं सबसे पहले वे जिस दल से संबंधित हैं, उस दल से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। उस दल के लोगों का इस देश के ऊपर केन्द्रीय सरकार में शासन रहा है। क्या वे इस बात से सहमत हैं कि इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था की जाए? क्या उन्होंने नीतिगत निर्णय ले लिया है, जिससे देश की जनता को अन्धेरे में रखा जा रहा है, जिसके आधार पर अपने सदस्यों को इस प्रकार का संविधान संशोधन विधेयक लाने की अनुमति प्रदान की है? जब मंत्री महोदय इस बिल पर जवाब दें, तो वे स्पष्ट रूप से केन्द्रीय सरकार की नीति का स्पष्ट प्रतिपादन करें, ताकि देश की जनता के सम्मुख सही तस्वीर आ सके।

इस संबंध में मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, वह सामाजिक न्याय की पक्षधर रही है और पूर्णरूपेण पक्षधर रही है। हम सामाजिक समता, दलितोत्थान, हरिजन उद्धार और सामाजिक समरसता के प्रबल समर्थक रहे हैं तथा उसके लिए निरन्तर प्रयत्नशील हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय ने सारे देश की परिस्थिति को जानकर निर्णय दे दिया, सारे देश की परिस्थति को समझ कर, मंडल आयोग का जो विचार था और मंडल आयोग के विचार को लेकर सारे देश के अन्दर जो सामाजिक विचार का बदलाव सामने आया और उसके कारण सारे देश में जो उथल-पुथल हुई, इन सारी परिस्थितियों के सन्दर्भ में राजनैतिक नेतृत्व अस्पष्टता की ओर था, ऐसे समय में सर्वोच्च न्यायालय ने सारे पहलुओं के ऊपर गम्भीरता से विशद विवेचन करने के बाद निर्णय दे दिया। उस निर्णय के अनुसार कहा कि हमारे यहां संविधान में जैसे अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 7.5 प्रतिशत और देश में पिछड़ों की आबादी मंडल आयोग के अनुसार 52 प्रतिशत मानी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 27 प्रतिशत उनके लिए नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया। इसके बाद फिर क्रिमिलेयर की बात कही गई क्रिमिलेयर की बात में भी जो साधन सम्पन्न लोग हैं उन्हें छोड़कर उनमें भी जो पिछड़ों में भी ज्यादा पिछड़े हैं, उनकी ओर पहले ध्यान दिया जाए। यह सारी व्यवस्था कर दी और उसके बाद भी सरकार की मंशा थी और हम चाहते थे कि आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं, चाहे उच्च वर्ग के अन्दर हो, उनको भी 10 प्रतिशत आरक्षण अवश्य दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दे दिया और उस निर्णय के बाद हम लोगों को बार-बार दुहाई दी जाती है कि बी०जे०पी० के लोगों द्वारा समान आचार संहिता की बात कही जाती है। देश को एक सूत्र में बांधने के लिए समान आचार संहिता का समर्थन करते हैं, तो हम को भी कह दिया जाता है कि ये लोग देश की एकता

नहीं चाहते हैं। हम यदि यह कहना चाहें, जो समान आचार संहिता का विरोध करने वाले हैं, तो उस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी शायद उस परिप्रेक्ष्य के अन्दर नहीं ले रहे हैं और देश के हित में नहीं सोच रहे हैं। यह बात उनसे भी पूछी जा सकती है इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा और सदन के सम्मुख अपने विचार रखना चाहूंगा कि हमारी पार्टी सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय है। हम केवल मात्र धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं चाहते कि कोई मुसलमान है, इसलिए उसको आरक्षण दे दिया जाए। सब जातने हैं कि हिन्दुओं के अन्दर छुआछूत वृत्ति थी, हिन्दुओं के अन्दर इस प्रकार की बात थी और जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने और स्वयं बाबा अम्बेडकर ने, जो संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, उन्होंने आरक्षण की प्रमुख व्यवस्था की थी और वह व्यवस्था केवल दस बरस के लिए थी। उसके बाद आवश्यकता प्रतीत हुई कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है, उनको समुचित प्रतिनिधित्व चाहे नौकरियों में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो, नहीं मिल पा रहा है, परिणामस्वरूप निरन्तर उस आरक्षण के अन्दर दस वर्ष की वृद्धि करते चले गए और वह आज तक होती आई है।

मान्यवार, आज से दो वर्ष बाद देश स्वाधीनता की स्वर्ण जयन्ती मनाने की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसे समय में हमारे सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से नागालैण्ड तक हमारा सम्पूर्ण राष्ट्र एक सशक्त एवं समृद्धशाली राष्ट्र बनकर विश्व के मानचित्र के ऊपर गौरव के साथ खड़ा रह सकेगा? जिस देश के बारे में यह कहा जाता है कि मूसलाधार वर्षा की बूंदें कोई व्यक्ति गिनने में समर्थ हो सकता है, रेगिस्तान की बालू के कणों को भी कोई व्यकित गिनने में समर्थ हो सकता है, आसमान के सितारों को कोई व्यकित गिनने में समर्थ हो सकता है, लेकिन भारत माता की कोख से पैदा होने वाले महान सपूतों की गाथा का बखान करने में कोई व्यक्ति कभी समर्थ नहीं हो सकता। ऐसे ही महान सपूतों ने इस राष्ट्र की संस्कृति का निर्माण किया, ऐसे महान पुरूषों ने इस राष्ट्र को सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनैतिक दृष्टि से अब तक एक सूत्र में पिरोकर रखने का प्रयास किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में आरक्षण का पिटारा खोला जा रहा है। रेड्डय्या साहब जो विधेयक लाए हैं वह विधेयक नाना प्रकार के विरोधों से ग्रस्त है। उन्होंने कहा है कि 85 प्रतिशत आबादी है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इस देश में पिछड़ों की आबादी क्या 85 प्रतिशत है? आप कम से कम सही स्थिति तो रखें। अनुसूचित जाति को 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 7.5 प्रतिशत आरक्षण है। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़ों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की बात कही है। हम भी चाहते हैं और सारा देश चाहता है कि हमारा समाज सशक्त हो, पिछड़ों का शोषण न हो, दलितों का उत्थान हो और सबको सत्ता में बराबर की भागीदारी मिले। भारत एक सशक्त और समृद्धशाली राष्ट्र बने। लेकिन आज—

संगच्छध्वं संवदध्वं, सं वो मनांसिजानताम्
देवाभागं यथापूर्व, संजानाना उपास्ते।
यह जो हमारा दृष्टिकोण है इसके साथ में—
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्दे सन्त निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माकरिचद्दुख भागभवेत।

अगर हम सबका भला करने की सोचते, जिन लोगों के हाथ में केन्द्र के शासन की बागडोर थी, अगर वे समाज के विभिन्न वर्गों को सच्चे मन से उठाने की कोशिश करते तो मैं समझता हूं कि आज यह विधेयक लाने की आवश्यकता न पड़ती। लेकिन जिन लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर थी उन लोगों ने समाज के अंदर कुछ लोगों को अनुसूचित जाति के नाम पर अपना वोट बैंक मानकर उनका शोषण किया। उनको नौकरी और सत्ता में जितनी भागीदारी देनी चाहिए थी वह नहीं दी और जो समाज का मध्यम वर्ग, जो अपने आपको आज पिछड़ा वर्ग कहता है उनका भी इस प्रकार से शोषण होता रहा। परिणामस्वरूप उनके अंदर इस प्रकार के विचार पैदा हुए कि सत्ता के अंदर में भागीदारी क्यों नहीं प्राप्त हो रही है?

इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसके लिए अगर कोई दोषी है तो अब तक 45 वर्षों तक केन्द्र में जिस दल के हाथों में सर्वाधिक समय तक शासन की बागडोर रही, जो इस देश के नीति निर्माता रहे, उन्हीं का दोष है, जिन्होंने समाज में ऐसी विसंगतियां पैदा की। हम तो समग्र और एकात्म मानवतावाद के समर्थक हैं। हम चाहते हैं कि समाज के अंदर सबका विकास हो। यह जो शरीर है उसका एड़ी से चोटी तक का संतुलित विकास हो, तभी शरीर भली प्रकार से काम कर सकता है। हमारा समाज, राष्ट्र भी एक शरीर की तरह है। अगर पैर के अंगूठे में कांटा चुभता है तो हमारा दिमाग यह नहीं सोचता कि कांटा पैर के अंगूठे में चुभा है। फौरन हमारा दिमाग आखों का आदेश देता है कि नीचे देखो और हाथ कांटे को निकाले देते हैं। तब जाकर सारे शरीर को आराम का अनुभव होता है। उसी तरह से जिस दिन इस देश के कर्णधारों के मन में देश के प्रति यह भावना पैदा होगी कि पहले मेरा देश है उसके बाद मैं हूं, पहले मेरा राष्ट्र है उसके बाद में हूं; पहले मेरी भारत माता है उसके बाद मैं हूं पहले मेरी संस्कृति है उसके बाद मैं हूं, मेरा राष्ट्र दुनिया का सर्वोच्च राष्ट्र बने, इस तरह की भावना पैदा होगी तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति राष्ट्र के निर्माण में, सब लोगों को समानता का दर्जा देने में, सब लोगों को सत्ता में साथ लेकर चलने में, सब लोगों को बराबर की हिस्सेदारी में सहयोग देगा।

आज देश के अंदर जितनी आबादी है उसमें महिलाओं का 50 प्रतिशत हिस्सा है। क्या मैं इस सदन से जान सकता हूं कि जितनी महिलाओं की आबादी है उतना हिस्सा उनको मिल रहा है?

महिलाओं का समाज में 50 प्रतिशत हिस्सा है, उनको कितना आरक्षण मिलना चाहिए? इसलिए यह आरक्षण, आरक्षण, आरक्षण की बात करना, वोट बैंक खोजना, यह हमें किस अंधेरे कोने में ले जाएगा, कहां भटका देगा, यह सोचने की बात है। एक विदेशी हिन्दुस्तान की यात्रा करने आया था, वह पूरे भारत में घूमा और जब वह वापिस जाने लगा तो पत्रकारों ने उससे पूछा कि आपने हिन्दुस्तान में क्या विचित्रता देखी? उस विदेशी ने कहा कि मैंने हिन्दुस्तान में घूमते समय बहुत से लोगों से बात की और एक ही सवाल किया कि आप कौन हैं। किसी ने कहा मैं गुजराती हूं, किसी ने कहा मैं पंजाबी हूं, किसी ने कहा मैं हरिजन हूं, किसी ने कहा मैं असमी हूं, किसी ने कहा मैं मुसलमान हूं, किसी ने कहा में हिन्दू हूं, किसी ने कहा मैं सिख हूं, किसी ने कहा मैं बौद्ध हूं, लेकिन कोई भी मुझे यह कहने वाला नहीं मिला कि मैं भारतीय हूं। इस बारे में हमें विचार करने की बहुत आवश्यकता है। रेड्डय्या जी भी देश की उन्नति चाहते हैं, समाज के हर वर्ग की उन्नति चाहते हैं, सभी लोग देश की उन्नति चाहते हैं, लेकिन अफसोस यह है कि टुकड़ों में उन्नति चाहते हैं। यदि हम समाज को टुकड़ों में बांट दें, भेदभाव की दीवारें खड़ी कर दें, शहर-गांव के नाम पर आरक्षण, अमीर-गरीब

के नाम पर आरक्षण, अगड़े-पिछड़े के नाम पर आरक्षण, सवर्ण-दलित के नाम पर आरक्षण की बात करें, भेदभाव की दीवार खड़ी करें, इन आधारों पर समाज के वर्गों में असंतोष पैदा करने की बात करें तो यह असंतोष की आग हमको कहां ले जाएगी? आज पड़ौसी के घर की आग को देखकर यदि कोई यह कहे कि मेरा घर तो सुरक्षित है, लेकिन यह भी सोचना चाहिए कि कल को यही आग उसके मेरे घर को भी भस्म कर सकती है, इसलिए उस आग को बुझाने का प्रयास करना चाहिए। आज सभी राजनीतिक दलों को इस पर बैठ कर विचार करना चाहिए और राष्ट्र के हित में जो बात सर्वोपरि हो, उसको कहना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में समाज को एक सूत्र में बांधने के लक्ष्य को सामने रख कर हमको चिंतन करना चाहिए। राजनीति और सत्ता हमारे लिए साधन है, साध्य नहीं हैं। हमारा साध्य राष्ट्र की उन्नति है। राष्ट्र की उन्नति को चरम सीमा पर पहुंचाना, प्राचीन संस्कृति की रक्षा करना, देश को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना, गरीबी दूर करना, लोगों को रोजी-रोटी और रोजगार उपलब्ध कराना, यह हमारा साध्य होना चाहिए और इसी पर सब को मिल कर चिंतन करना चाहिए। हमारे देश में एकता पैदा हो, देश सोने की चिड़िया बने, इस बारे में समग्र चिंतन हो और इस चिंतन के बाद, समद्र मंथन के बाद जो रत्न प्राप्त होंगे, वे कल्याणकारी रत्न होंगे? और राष्ट्र का कल्याण करने वाले होंगे।

मैं कहना चाहता हूं कि संपूर्ण समाज को एक मानकर और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को सामने रख कर समाज में एक व्यवस्था, एकता पैदा करने की भावना को लेकर काम करना चाहिए।

अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि रेड्डय्या साहब ने जो प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया है, वह अस्पष्ट है, इसमें आंकड़ों की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, अंतरविरोधी है। इन सारी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और जो बातें मैंने कही हैं, उन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति महोदया, हमारे कांग्रेस के मित्र यह विधेयक लाए हैं, मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि इस सब के लिए यदि कोई दोषी है तो हमारा सत्तारूढ़ दल है, जो आज़ादी के 45-47 वर्षों के बाद भी देश की यह स्थिति है। वास्तव में यदि किसी समस्या की जड़ तक नहीं जाएंगे जब तक उसको हल नहीं किया जा सकता समस्या है कि देश की आजादी के बाद हम देश को किस तरीके से चलाना चाहते थे? अभी मेरे मित्र रासा सिंह रावत जी ने बहुत सी बातें इस संदर्भ में कहीं। वास्तव में प्रारंभ से ही समाज को एक दिशा दी जानी चाहिए थी, लेकिन वह दिशा देने का काम नहीं किया गया, जिसका परिणाम यह है कि आज समाज के बहुत से वर्ग यह सोचते हैं कि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

हम बहुत-सी बातें रखते हैं, लेकिन अगर हम समाज को बराबरी पर लाने का काम नहीं करेंगे तो देश को सही दिशा में चलाने का काम नहीं कर पाएंगे। 47 वर्षों में जो राजनीतिक दल रहे उनको इस समाज के प्रति क्या आचरण रहा? क्या कभी उन्होंने इस बात का ध्यान दिया कि सामान्य सीटों पर कितने अनुसूचित जाति के लोगों को चुनवाकर भेजें। राज्य सभा और विधान परिषद में कितने अनुसूचित जाति के लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को चुनवाकर भेजें। वे अपने को टटोलेंगे तो अपनी बात को कहीं नहीं पाएंगे। देश में समान शिक्षा लागू की जानी चाहिए थी, एक कॉमन सिलेब्स होना चाहिए था और समाज के उस वर्ग को जिसकी बात हमारे माननीय सदस्य कर रहे थे और जो गांव में रहता है जहां मूल सुविधाओं का अभाव है। अभी हमारे देश के आधे गावों में प्रारम्भिक स्कूल नहीं हैं। हम अगले वर्षों तक क्या सारे गांवों में प्राथमिक स्कूल खोल पाएंगे? हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे इस वर्ग के लोग बराबरी पर आ सकें। यह संशोधन लाने से नहीं हो सकता। इस पर सब लोगों को समग्र रूप से विचार करना चाहिए। सभी पार्टियों के लोग धर्म, जाति से ऊपर उठकर बात करेंगे तभी हम देश का भला कर पाएंगे। यह बात सही है कि हमने देश को बांट दिया है। हम अब ढूंढ़ते हैं कि आरक्षण लागू कर दिया तो बैक-लॉग कैसे पूरा होगा। हम उसे कायदे से लागू करने की बात नहीं कर रहे हैं। इस दिशा में तो हमारी सोच सीधी होनी चाहिए, तभी लोगों को लगेगा कि हम कुछ करना चाहते हैं। अभी हम कोई प्रस्ताव ले आएं। छः महीने बाद चुनाव होने वाले हैं तो मतदाताओं को हम कहें कि हम आपके हित की बात कर रहे हैं। लेकिन लगे यह कि हम इसके बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि देश की सर्वोच्च फोर्म से यह संदेश जाना चाहिए कि यह देश एक है। इससे यह सोच जानी चाहिए कि समाज के जो निचले स्तर के व्यक्ति हों हम उन्हें ऊपर उठाना चाहते हैं।

मैं आज एक पुस्तक पढ़ रहा था जो महिलाओं के लिए यहां वितरित की गई है। उसमें लिखा है कि 52 प्रतिशत साक्षरता मुश्किल से महिलाओं में है। कैसे हम इनको सही दिशा में ला पाएंगे? पिछड़ी जाति की महिलाओं में, उनके बच्चों में इससे ज्यादा निरक्षरता है। इसे हम कैसे दूर करेंगे? आरक्षण की बात तो हम यहां पर कर दें लेकिन निश्चित रूप से बाद में उसमें अड़चनें आएंगी। मैं चाहूंगा कि सभी राजनैतिक दलों के लोग इस पर विचार करें और उपयुक्त निर्णय लें और सही दिशा में काम करें। हमें देखें कि इसके माध्यम से हम समाज में कोई लड़ाई तो पैदा नहीं कर रहे हैं इस दिशा में भी हमको सोचना चाहिए। इस दिशा में अगर हम सोचेंगे तो निश्चित रूप से देश को सही दिशा भी मिलेगी और आपस में बंटवारे की बात नहीं होगी। आज हम बंटवारे के हिसाब से बात करते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि राजनैतिक लोग जब अपनी लिस्ट तैयार करते हैं चाहे वह मंत्रियों की हो या मतदाताओं की, जातिगत आंकड़े पहले प्रसारित करते हैं। उनके गुणों को जानने की चिंता नहीं करते हैं। फिर कहते हैं कि फलानी जाति के व्यक्ति को हमने टिकट दिया है इसलिए हमें वोट दें। सवाल यह है कि पिछड़े समाज को ऊपर उठाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग विपरीत राय रखते हैं लेकिन हम अपने सदस्यों का चुनाव जाति के आधार पर नहीं करते। राज्य सभा और विधान सभा में जब मौका आता है तब हम जिस प्रकार से चुनकर मेम्बर्स भेजते हैं उस प्रकार से अन्य दल नहीं भेजते हैं। अन्य दलों के लोग उद्योगपतियों को भेजते हैं लेकिन हम इस प्रकार से भेजते हैं कि वह समाज का हित कर सकता है या नहीं। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस बात की भी चिंता करें कि समाज को हम क्या दे रहे हैं? समाज के हर वर्ग और तबके को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या काम कर रहे हैं? तभी हम देश को और समाज को ऊपर उठाने की दिशा में सार्थक कदम उठा पाएंगे। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : सभापति महोदया, रेड्डय्या साहब ने यद्यपि सुलझे ढंग से नहीं लेकिन जिस बिन्दु को उठाया है और जिस

प्रश्न को उजागर किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। कम्युनिस्ट मूवमैंट शुरू से ही जाति विहीन समाज की स्थापना के लिये संघर्ष करता रहा है और आज भी कर रहा है। आज सामाजिक न्याय की लड़ाई अंतिम मंजिल पर पहुंच गई है। सब के साथ सामाजिक न्याय होना चाहिये, इस बात की लड़ाई में कम्युनिस्ट मूवमैंट किसी राज्य में पीछे नहीं रहा है। बिहार में हमने इस पर अमल करके दिखा दिया है कि हम लोग इस लड़ाई में कहीं पीछे नहीं हैं। मोहन सिंह जी यहां नहीं हैं। उनको तो मालूम है कि बिहार में चुनावों से पहले यह भविष्यवाणी की गई थी कि लालू जी की हार हो जायेगी और उनके द्वारा चलाया आन्दोलन फेल हो जायेगा। बहुत से नेता लोग यहां से बिहार गये थे और ऐसी भविष्यवाणियां कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय एकता की बराबर बात करती है लेकिन राष्ट्र को खोखला करके करती है। जरूरत इस बात की है कि सामाजिक न्याय को और ऊंची मंजिल पर पहुंचाया जाये। विधान सभा, लोक सभा और राज्य सभा में आरक्षण का कोटा बढ़ाया जाये।

सिद्धांत रूप में यह बिल सही है लेकिन इसे वर्क आउट करना पड़ेगा। तमाम पार्टियां उसूलन इसको मानती हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको उसूलन नहीं मानती है। वह कहने के लिये बातें बहुत करती है। उनका राष्ट्रवाद हिन्दुवाद है, ब्राह्मणवाद है और मुसलमान विरोधी है। इससे राष्ट्रीय एकता नहीं आयेगी और देश मजबूत नहीं होगा।

हिन्दुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस पर जब-जब खतरे आये, उनका हिन्दू, मुसलमान और ईसाई लोगों ने मिलकर मुकाबला किया और राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा की। आज भी हिन्दुस्तान की संस्कृति की बात की जाती है। हिन्दुस्तान की संस्कृति एक विशेष संस्कृति है। वह गंगा की तरह है। पंडित नेहरू ने इसके बारे में बहुत पहले से ही कह दिया था। ये पुरातन बातें हैं। राष्ट्र की एकता को तोड़ने का जो प्रयास चल रहा है, वह कभी भी सफल नहीं हो पायेगा। यहां पर सभी जातियों के धार्मिक अधिकारों की पूजा की जाती है और सब को समान अधिकर प्राप्त हैं। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत आगे चल कर प्रबल और कामयाब होगा।

4.54 म०प०

(श्री पीटर जी मरबनिआंग पीठासीन हुए)

इस बिल में एक बात यह जरूर कही गई है कि देहाती जहां हैं, चाहे वे मुसलमान हों या दूसरे लोग हों या बैकवर्ड लोग हों, उनका एक ऐसा सामाजिक समूह है जिनको ऊपर उठाना आवश्यक है मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूं। एक जाति को तो अपर हैंड मिल जाता है लेकिन उसी के नीचे आने वाले हिन्दू समाज में जो यादव हैं, कुशवाहा हैं, मुनिया हैं, धानुक हैं, कोरी हैं और बहुत-सी अन्य जातियां हैं।

जागृति सबमें पैदा हो रही है और सब अपने अधिकार मांग रहे हैं। इसको वर्कआउट करना चाहिए और संविधान में संशोधन करना चाहिए। सप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं बढ़ेगा। उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था और सुप्रीम कोर्ट के प्रति मैं अदब से कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का कहा कोई ब्रह्मवाक्य नहीं है। समाज की आवश्यकताओं और देश की आवश्यकताओं पर संविधान में संशोधन लाया जा सकता है। संशोधन लाकर जो पिछड़ी जातियों की संख्या है उनके आधार पर विधान सभा तथा लोक सभा में उनकी संख्या बढ़ायी जा सकती है। जैसे रेड्डय्या साहब कह रहे हैं वह बात नहीं हो सकती है। इस पर विचार करना पड़ेगा और चन्द्रजीत यादव जी ने ठीक कहा है और राष्ट्रीय मुद्दे को उन्होंने उभारा है। सभी लोग और खासकर वे दल जो इस बात को मानते भी हैं, वे लोग विचार करें कि किस हद तक हम जाएंगे। इस पर आम सहमति बनाकर एक मूवमेंट के रूप में इसको चलाना चाहिए। केवल संसद में भाषण देने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने भी कहा है और हम भी इस बात को जानते हैं। हमारे जिले में आरक्षण लागू हो रहा है या नहीं इस बात को देखने के लिए एक कमेटी है और उसका चेयरमैन मैं हूं। बैठक में कलेक्टर साहब कहते हैं कि अभी आरक्षण पूरा नहीं हुआ है। कांग्रेस के लोग या सरकारी बैंच के लोग कानून बनाते हैं मगर वह उनके द्वारा अमल में नहीं लाये जाते हैं। इसीलिए आज भी मुसलमान, हरिजन और दलितों के लिए आरक्षण का जो कोटा है वह भरा नहीं जा रहा है। आप अपने दृश्य पर हाथ रखकर बताइए कि क्या वह पूरा हो रहा है? आपके आंकड़े क्या बताते हैं? आगे चुनावों का साल आ रहा है। हम सरकार को धन्यवाद देंगे अगर सरकार आने वाले छह महीनों में चुनावों से पहले नौकरियों में मुसलमान, हरिजन, क्रिश्चियन और आदिवासियों तथा दलियों का कोटा पूरा कर दे। अगर सरकार यह काम कर दे तो उनकी बड़ी भारी कामयाबी होगी लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपके लोग डेडिकेटेड नहीं हैं। इधर के पक्ष के लोग डेडिकेटेड हैं और चाहते हैं कि समाज का सर्वांगीण विकास हो। पिछड़ा और गरीब समाज ब्राह्मण समाज की नीतियों और उनके शास्त्रों के ब्राह्मणवादी का शिकार है। उसमें दलित, डोम और दूसरे लोगों को घृणा की निगाह से देखा जाता है। ऐसे शास्त्रों की दुहाई देने वाले लोगों के लिए शर्म की बात है। समाज में ऐसी किताबों ने कुछ मुट्ठी भर लोगों को ब्राह्मण, कायस्थ, क्षत्रिय लोगों को ऐसा बनाया है कि ये लोग ऊंचे हो गए, भगवान के यहां से आ गए, बाकी 80-85 प्रतिशत लोग दलित और गरीब हैं। विशाल बहुमत को उन्होंने हेय निगाह से देखा। मुसलमानों को उन्होंने जौन कहा। जीन शब्द का शब्दिक अर्थ जो भी हो लेकिन उनसे घृणा पैदा की कि वे म्लेच्छ हैं। इन शास्त्रों की दुहाई देने वाले लोगों से हमें घृणा करनी चाहिए। इन्होंने देश और समाज को बांटा है और आज एकता कायम करना चाहते हैं। समाज को आपने बांट दिया, और उसके बाद कहते हैं कि राष्ट्र प्रबल हो, एकताबद्ध हो। कहां सोए हुए हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य? उनसे कुछ नहीं होगा। हमे विश्वास है कि हिन्दुस्तान की जनता इस सत्य को पहचान चुकी है। वह सत्य है कि हिन्दुस्तान की बहुमत जनता को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक न्याय मिले। सामाजिक न्याय की गंगा की छोटी-सी धारा से निकलकर एक विशाल धारा बनती जा रही है और यही सत्य है।

[अनुवाद]

इस की जीत होगी। लेनिन का कहना है कि मार्क्सवाद सत्यवाद है क्योंकि यह सच्चाई पर आधारित है क्योंकि यह सामाजिक सत्य है, अतः यह विद्यमान रहेगा। यह विद्यमान रहेगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं।

5.00 म०प०

डा० के०वी०आर० चौधरी (राजामुन्दरी) : सभापति महोदय, इस विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर दिया है इसके लिए आप का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं श्री रेड्डय्या यादव द्वारा पुरःस्थापित इस विधेयक का स्वागत करता जा रहा हूं संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में पिछड़ा वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण के लिये है। आरम्भ से ही हमारे संविधान का उद्देश्य रहा है कि देश में जातिरहित, धर्मरहित एवं एक धर्मनिरपेक्ष समाज स्थापित हो।

परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के अड़तालीस वर्षों के बाद भी हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाये हैं। अभी भी हम समाज को और अधिक जातियों, धर्मों, आदि में बांटने लगे हैं। अड़तालीस वर्षों की स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, है? अनुसूचित जातियों में साक्षरता की दर केवल 15 प्रतिशत है जबकि सामान्य औसत 60 प्रतिशत है। ऐसा क्यों है? अनुसूचित जातियों को सभी सुविधाएं देने के बाद भी वे पिछड़े हुए हैं। उनको सरकार द्वारा दिये गये लाभों से वंचित रखा गया है।

महोदय, तथा कथित धनाढ्य राव नव धनाढ्य लोग अपनी-अपनी जातियों का लाभ उठा रहे हैं। परन्तु पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोग अभी भी शिक्षा, रोजगार आदि से वंचित हैं। इसलिए इन लोगों को अपनी मांगों के लिए उसी प्रकार संघर्ष करना चाहिए जिस प्रकार उन्होंने आरक्षण के लिए संघर्ष किया था। अतः मैं श्री रेड्डय्या यादव के विधेयक का स्वागत करता हूं।

हाल ही में, आन्ध्र प्रदेश में पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव हुए थे। वहां हमने लगभग 35 प्रतिशत सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए एवं 25 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की थी। हमें इस बात क़ी बहुत, खुशी है। सामन्तवादियों को उन गांवों में अपना दबदबा बनाये रखने नहीं दिया गया। हमें इस बात की भी खुशी है। इससे पहले वहां केवल एक सरपंच हुआ करता था जो वहां 30-35 वर्षों तक अपना शासन चलाता रहता था। लेकिन इस आरक्षण के कारण एवं आरक्षण की व्यवस्था करने हेतु अपनायी गई लाटरी व्यवस्था के कारण वह परम्परा खत्म हो चुकी है। पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जातियों के सम्पन्न वर्ग के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अपने बच्चों को कोडईकेनाल अथवा ऊटी अथवा देहरादून अथवा और किसी स्थान पर भेज सकता है, जबकि उस क्षेत्र में काम करने वाले अन्य लोग उन अधिकारियों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए सम्पन्न वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।

अब, मैं संसद एवं विधान सभाओं में आरक्षण के विषय में बोलूंगा। वहां पर भी नव-धनाढ्य एवं धनाढ्य लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए, मेरा सुझाव है कि कम से कम कुल 50 प्रतिशत सीटें पिछड़ा वर्ग अथवा अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की जानी चाहिएं और शेष 50 प्रतिशत सीटें, सभी जातियों के लिए अर्थात अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा सामान्य वर्ग अथवा अन्य वर्गों के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

इन शब्दों के पास मैं श्री रेड्डय्या यादव जी के इस विधेयक का स्वागत करता हूं जिसे यहां स्वीकृति किया जाना चाहिए।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापित महोदय, मैं श्री रेड्डय्या द्वारा प्रस्तुत विधेयक का एक भावना के साथ समर्थन करता हूं परन्तु मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं उनकी हर बात से सहमत हूं।

महोदय, मण्डलीकरण ने सम्पूर्ण देश में हलचल मचा दिया है। यह इतिहास की एक बदली न जा सकने वाली प्रक्रिया है। इसे पलटा नहीं जा सकता। जैसाकि श्री वी०पी०सिंह ने कहा कि मंडल-उपग्रह अपनी कक्षा में है। मैं समझता हूं कि उसके विकिरण राष्ट्र को पथ दिखाते रहेंगे और उन सामाजिक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करेंगे जिन्हें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस प्रकार हम एक विशेष दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इस दिशा का निर्धारिण सामाजिक परिस्थिति के कतिपय तथ्यों के आधार पर किया जाता है। इस महान देश में हमारा समाज अनेकता वाला समाज, विधितापूर्ण मिश्रित समाज ही नहीं है बल्कि यह विभिन्न खण्डों वाला समाज भी है। हमारा एक ऐसा समाज है जिसमें ऐतिहासिक रूप से कई सामाजिक समूह साथ-साथ रहते हैं। जो अधिकतर शांतिपूर्वक रहते हैं और कभी-कभी एक दूसरे से झगड़ पड़ते हैं। परन्तु सच्चाई यह है कि वे विभिन्न समूहों में विभाजित हैं। इनमें हरेक समूह अपने ढंग से अपने सीमित स्थान में अपने सीमित दायरे में रहता है। हर एक के चारों ओर एक लक्ष्मण-रेखा है। उनके अपने जुड़ा बिन्दु हैं लेकिन यदि आप सामाजिक विन्यास को देखें उदाहरण के लिए सगोत्र-विवाह, सामाजिक मेल-जोल, भाईचारे को देखें तो आप पायेंगे कि ऊपर के लोगों के एक छोटे वर्ग को छोड़ कर बाकी सारा समाज बहुत सारे खण्डों में विभाजित है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने देश में एक सीमा तक समांगीकरण कर दिया है लेकिन यह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, इसमें अभी और बहुत समय लगेगा और वास्तव में आज यदि सम्पूर्ण विश्व की ओर ध्यान दिया जाये तो वहां आज समांगीकरण की यह प्रक्रिया विपरीत दिशा में जा रही है। अमरीका में एक पीढ़ी पहले तक वे 'मेल्टिंग पॉट' की बात करते थे जो कि ऐसी परिस्थिति का द्योतक है जिसमें विभिन्न नृ-जातियों और संस्कृतियों का मिलन होता है। आज वे 'मेल्टिंग पॉट' की बात से सहमत नहीं हैं। 'मेल्टिंग पाट' की प्रक्रिया समांगीकरण की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया थी। अब उन्होंने मोजैक सिद्धांत को अपना लिया है जिसमें उस हर एक सामाजिक तत्व को, हर एक सामाजिक समूह को जो अपनी पहचान के प्रति जागरूक है तथा जिसकी पहचान की जा सकती है; अपने पहचान योग्य अस्तित्व को बनाये रखने का अधिकार है अर्थात आज हम जातीयता के युग की दहलीज पर है। यह दूसरी बात है कि 'जातीयता' का वर्णन कौन किस रूप में करता है परन्तु यह जातीयता कई कारकों पर निर्भर करती है। यह जातीयता भाषा जीति/वंश, धर्म, भौगोलिकता ऐतिहासिक स्मृतियां, संस्कृति वंश-परम्परा और कई कारकों पर निर्भर करती है। परन्तु जैसे ही एक सामाजिक समुदाय अपनी पहचान के बारे में जागरूक होता है, वह एक जातीय शक्ति के रूप में बदल जाता है। समाज में एक जातीय शक्ति के रूप में वह अपना एक संयोग उत्पन्न करता है। और आज इस विश्व में, सर्वाधिक समांगीकृत सूमहों में जो वर्ग-वार एवं आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई दृष्टि से हमसे कहीं अधिक समांगीकृत हैं यहां तक कि पश्चिमी यूरोप जैसे समाजों में भी प्रत्येक जाति के लोगों को नया जातीय प्रादुर्भाव देखा जा सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसकी हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सम्पूर्ण विश्व में आज हम केवल रोटी की ही नहीं बल्कि सम्मान, इज्जत, अधिकार शक्ति साझेदारी, भागीदारी की भी बात कर रहे हैं। इसलिए हमारे इस महान देश में यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े तो हमें ऐसी स्थिति पैदा करनी होगी, चाहे हम चाहते हों अथवा न चाहते हों और विशेष सुविधा प्राप्त वर्गों को इसके लिए जो भी बलिदान देना पड़े, जिसमें हर एक सामाजिक समूह भागीदारी, अपनत्व, स्वाभिमान, सत्ता में भागीदारी एवं अधिकार होने की भावना महसूस करेगा। इससे बातें बन सकती हैं और बिगड़ भी सकती हैं।

हमारी भी चलती है। हमारी भी सुनता है।

आज हमारे समाज में कई सामाजिक समूह हैं जिन्हें हमने संविधान के अंतर्गत सैद्धांतिक रूप से मताधिकार प्रदान किया है परन्तु हम जानते हैं कि वे अपना मताधिकार कितनी आजादी से प्रयोग करते हैं। आज वे

अपनी शक्ति के प्रति जागरूक हो रहे हैं। अब कोई भी उनका दमन नहीं कर सकता। अब कोई भी उन्हें बहका नहीं सकता और इसलिए उनकी महत्वाकांक्षाओं को सम्मान देना होगा, उनके अधिकारों की परिरक्षा करनी होगी और इसीलिए मैंने कहा कि मण्डलीकरण ने देश को ऐसे मार्ग पर ला खड़ा किया है जिससे पीछे नहीं हटा जा सकता भले ही हमें यह पसन्द हो अथवा नहीं।

महोदया, अब हम सरकारी रोजगार में आरक्षण को लेते हैं। हां, वह एक स्तर था। मैं यह कहूंगा कि यह बहुत प्रारम्भिक स्तर था। आरक्षण बहुआयामी है। आरक्षण अधिकार प्रदान करना नहीं है। आरक्षण हिस्सेदारी भी नहीं है क्योंकि, जैसाकि आप जानते हैं राज्य एक बहुत बड़े आधार पर खड़ा होता है। इसका एक विधानमण्डल होता है। इसकी एक कार्यपालिका होती है। इसके पास एक न्यायपालिका होती है। यह राज्य अपनी शिक्षा व्यवस्था रखता है। इसकी अपनी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है और हम इसमें प्रत्येक क्षेत्र में समानता और न्याय पाना है यदि हम किसी एक क्षेत्र को छोड़ देते हैं, तो सामाजिक न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, अभी इसे प्राप्त करना है और इसीलिए हमें इसी पर संतोष नहीं करना चाहिए जो कुछ हम कर चुके है। हम अपने किए गए कार्यो तक ही सीमित नहीं रह सकते। समाज को धीरे-धीरे आगे बढ़ना है और हममें से जो लोग इस वोट में सोचते हैं उन्हें यह अवश्य देखना चाहिए कि यह सही दिशा में चल रहा है, यह कम से कम संघर्ष के साथ चल रहा है, यह अधिक से अधिक सहयोग अधिक समझदारी, अधिक भाईचारा और अधिक सदिच्छी से चलता है। फिर भी इसे आगे बढ़ना है और इस प्रगति के मार्ग को कोई रोक नहीं सकता है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। समाज और कानून में अन्र्तद्वन्द है। दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं। कभी समाज आगे है और कानून को इसके साथ चलना होता है, और श्री साल्वे इसकी प्रसंशा करेंगे—ओर कभी कानून आगे होता है और समाज को उस स्तर तक आना होता है जो निकटतम स्तर कानून के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और यह कार्य नेतृत्व का है। यह कार्य जागृत समाज का है। कि हमारी कानूनी व्यवस्था जो राज्य का मजबूत आधार है जो राज्य की नींव है जिस पर राज्य खड़ा है, वह अवश्य ही दिखने में हमेशा प्रगतिशील हो। इसे स्थिर नहीं होना चाहिए। राज्य का स्थिर होना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसे गतिशील होना चाहिए। इसे यह देखना चाहिए कि राज्य किस रास्ते से गुजर रहा है और इसे ही समाज को आगे एक विशेष दिशा में आगे ले जाना है। इसलिए, समाज और कानून की इस दौड़ में, मैं यह सोचता हूं कि श्री रेड्डयाह के विधेयक ने रास्ता बताया जिसमें अब संविधान और कानून आगे बढ़ने चाहिए। प्रथम निर्णय प्राप्त करने के बाद, अब हमारे लिए समय आ गया है कि आगे बढ़ा जाए और मण्डलीकरण की प्रक्रिया को लाभ लाया जाय और इसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शुरू किया जाना चाहिए।

मैं आप को एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने बिहार में 1952 से 1995 तक के, विधान सभा के पैटर्न का अध्ययन किया है और मैंने क्या पाया? जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार एक बहुत अधिक जातिवादी समाज है और हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सके। यह सब वहां है। वे ऊंची जातियों के हैं। जिन्हें ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कहा जाता है उनकी आयस्थ को मिलाकर लगभग जनसंख्या 15% जनसंख्या है। 1952 में, यदि हम विधान सभा की संरचना को देखते है तो 65 प्रतिशत सदस्य इन चार जातियों के ही होते थे, किन्तु एक समय के पश्चात्, एक विकास की एक प्राकृतिक प्रक्रिया रही है। आज इनकी संख्या नीचे आ गई है। मैं सोचता हूं कि आज इनकी संख्या 18 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के लगभग है। प्रतिनिधत्व के अनुपात के स्तर पर वे अब ठीक स्थिति में आ रहे हैं।

हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों का हिस्सा दे चुके हैं— 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत बिहार में मुस्लिम 14 प्रतिशत हैं, अब 15 प्रतिशत तक हो सकते हैं। हाल की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 15 प्रतिशत है और मैं समझता हूं कि विधान सभा में उनकी जनसंख्या के अनुपात में 1952 से 1995 के बीच में 5 प्रतिशत से अधिक से अधिक 8.5 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। हां, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। वहां जागरूकता नहीं थी। किन्तु आज, जागरूकता आ रही है कि क्यों वे ही इस प्रतिनिधित्व का स्थाई बनाए हुए हैं, मेरे मत की कीमत किसी अन्य के मत से कम, क्यों आँकी जानी चाहिए, यह प्रश्न किया जा रहा है कि मैं ही आंशिक रूप से या स्थाई से रूप से क्या वंचित होऊं।

मैं अपने पिछड़े वर्ग के ही मित्रों को लेता हूं जिन्होंने आश्चर्यजनक प्रगति की है। किन्तु यहां भी भ्रांति है। बिहार में पिछड़े वर्गों, जिन्हें **मनुस्मृति** के शब्दों में **सूद्र,** जो एक समय नीचे देखे जाते थे, जिनका शक्ति संरचना में कोई हाथ नहीं होता था, जिनकी सत्ता में भागेदारी नहीं थी उनकी जनसंख्या कम से कम 52 प्रतिशत है यदि बिहार की जनसंख्या का 60 प्रतिशत नहीं है और 1952 में उनकी जनसंख्या 15 प्रतिशत थी।

आज यह 50% तक हो गयी है या इससे कुछ अधिक यह 60% भी हो सकती है। किन्तु इनमें से कोई भी समूह जिसे आप अनुसुचितजातियों कहें या अनुसूचित जन जाति कहें या पिछड़े वर्गों आदि पर सभी संवैधानिक बनावटी शब्द हैं। जैसाकि श्री साल्वे जानते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसुचित जनजाति, शब्द केवल 1937 के अधिनियम के अन्तर्गत प्रयोग में आ गए। वे प्राकृतिक हस्तियां नहीं हैं, यह संवैधानिक शब्द हैं। वे अलग-अलग समूहों का संयोजन है। उसमें से प्रत्येक को पहचाना जा सकता है, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ छोटे-बड़े और कुछ छोटे नीचे आदि। और तब, जब आप गहराई से देखते हैं और गम्भीर विश्लेषण करते हैं, तब आप क्या पाते हैं।

मैं उस महान व्यक्तित्व कपूरी ठाकुर को सलाम करता हूं—जिसने यह देखा था—भारत के किसी दूसरे नेता ने इसे नहीं देखा था जो पिछड़े वर्गो में भिन्नताएं और असमानताएं हैं उन भिन्नताओं पर भी अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। ब्राह्मणवाद से लड़ने के लिए इतना ही काफी नहीं है, यह प्रतिशत या प्रभुत्वशील ऊंची-जातियों की प्रभुता को नीचे लाने के लिए काफी नहीं है। जो इस देश में एक हजार वर्षों से शासन कर रहे हैं। किन्तु आपको इन वर्गों में प्रत्येक को न्याय देना है। अतः, उन्होंने अनुसूची-I और अनुसूची-II बनायी है।

अब क्या स्थिति है? मैंने उसे भी विश्लेषित किया है और मैंने पाया कि पिछड़े वर्गों के उच्च पिछड़े वर्गों को ही अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया, निम्न पिछड़े वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, उनको किसी तरह का कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। बिहार की 30% जनसंख्या जिसे मैं निम्न पिछड़ा वर्ग कहूंगा, से सम्बन्द्ध है। उनका प्रतिनिधत्व 1952 से 1995 से तक विधान सभा में 3 प्रतिशत से अधिक नहीं हुआ। उनमें वे 90 प्रतिशत की सीमा में भी कम प्रतिनिधत्व दिया गया है। क्या यह न्याय है। अथवा क्या यह अन्याय है।

विधुत मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : माननीय सदस्य बहुत अच्छा भाषण

दे रहे हैं। मेरा व्यवधान डालने का कोई इरादा नहीं है। किन्तु जब से वह स्थिति का विश्लेषण बड़े ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो मुझे एक संदेह है। मैं आभारी रहूंगा यदि वह उस पर प्रकाश डालेंगे। एक क्षण के लिए भावावेश, यह राजनीतिक जागरूकता ही पिछड़े वर्गों से सामाजिक मुक्ति लाई है जो सब कुछ नहीं है और अन्त नहीं है जीवन की वास्तविकता और निर्धनता को दूर करने की क्या वास्तविकता है। इनके विकास इन लोगों के आर्थिक विकास की स्थिति क्या है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं आर्थिक मुक्ति के मुद्दे की पूरी तरह से प्रसंशा करता हूं। किन्तु अभी भी बात शेष है कि हमारे समाज में हमेशा ही धन का वितरण उनके द्वारा नियंत्रित होता है जिनके हाथ में सत्ता रही है। यही वास्तविकता है। हम ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें सभी मानव सम्मान का जीवन जी सकेंगे जिसमें राज्य की सभी वस्तुएं और संसधान और सेवाएं, सभी लोगों को सामान्य रूप से उपलब्ध होंगी। **(व्यवधान)**

मैं प्रश्नों के उत्तर देने में नहीं जा सकता। आप अपना प्रश्न बाद में पूछ सकते हैं। इसलिए, मैं आप की बात से सहमत हूं और यह बात तो है। सभी लोगों के दिमाग है। यदि विधानमंडल में हमारी संख्या केवल तीन प्रतिशत है जब कि हम जनसंख्या का 30 प्रतिशत हैं; मेरे साथ क्या घटा है? मुझे आर्थिक रूप से वंचित किया गया है, मुझे सामाजिक रूप से नीचे ढकेला गया है, मुझे शैक्षणिक रूप से वंचित किया जा रहा है। मेरे मोहल्ले में बिजली नहीं दी जाएगी, मेरे इलाके में सिंचाई और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, हम हमेशा छोटे-मोटे कार्य ही करते रहेंगे।

किन्तु जब हमें अधिकार प्राप्त है; जब हमारा पंचायत में 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है, जब हमारा 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व विधान सभा में है, तो मुझे कोई वंचित नहीं कर सकता है। तब मैं अपना हिस्सा पाऊंगा। मैं अपना हिस्सा प्रत्येक चीज में पाऊंगा जैसे वस्तुएं सेवाएं, और समाज में संसाधनों और यहीं से सामाजिक न्याय आता है।

सभापति महोदय : श्री शहांबुद्दीन, विधेयक के लिए दिया गया समय समाप्त हो गया है। मैं समझता हूं कि इसे एक घन्टे और बढ़ा दिया जाना चाहिए।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है।

सभापति महोदय : क्या हम दो घन्टे और समय बढ़ा सकते हैं।

कई माननीय सदस्य : हां।

सभापति महोदय : ठीक है। हम दो घन्टे समय बढ़ाते हैं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं आप को एक उदाहरण दे सकता हूं। बहुत से उदाहरण हैं। मैं जानबूझकर अपने समुदाय की स्थिति पर टिप्पणी करना नहीं चाहता।

लेकिन मुझे एक बात कहने की अनुमति दीजिये। मैंने वर्ष 1952 से लेकर अब तक की प्रत्येक लोक सभा में और व्यवहार्यतः दस बड़े मुस्लिम बहुल राज्यों की प्रत्येक विधान सभा में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधित्व विश्लेषण किया है। भारत के दस राज्यों में देश की मुस्लिम जनसंख्या का लगभग 80-85 प्रतिशत भाग बसता है और निश्चित रूप से ऐसा एक भी उपवाद नहीं है, जहां मैंने मुस्लिमों का अधिक प्रतिनिधित्व देखा हो। उनका प्रतिनिधित्व हमेशा ही कम होता है।

आज बिहार में हमारी जनसंख्या 15 प्रतिशत है, लेकिन वहां केवल सात प्रतिशत बनाता है और केवल 2.3 मुस्लिम विधायक हैं, जो विधायकों की कुल सदस्य संख्या का उस संख्या से आधे से भी कम है, जितना हमें होना चाहिये। महोदय, आप जिस महाराष्ट्र राज्य से आते हैं, कृपया उस पर नज़र डालिये। श्री साल्वे भारत के अत्यधिक प्रगतिशील राज्य से आते हैं जो अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करता है तथा जो औद्योगिक दृष्टि से सबसे अधिक विकसित है और सारे देश के लिए एक आदर्श स्थापित करता है। वह स्वयं विधान सभा में पुलिस विधायकों की संख्या याद कर सकते हैं और मैं उस नेता का नाम नहीं बताऊंगा, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता से जब मैंने एक बार पूछा : ऐसा क्यों है कि आपके राज्य में मुस्लिम विधायकों की संख्या बहुत कम है? और श्री केसरी को हमेशा यही शिकायत रहती है : देखिए, हमारी पार्टी में मुस्लिमों की संख्या इतनी है पर्याप्त नहीं है कि वे मुसलमानों के बारे में अथवा उनकी समस्याओं के बारे में बात कर सके अथवा उनकी समस्याओं को हमारे ध्यान में ला सकें। और उस बड़े नेता ने—मैं जहां उनका नाम नहीं लूंगा—कहा : "मराठा लोग मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे।" उन्होने जो कहा, मैं उसे दोहराता हूं : "मराठा लोग मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे।" इसलिए, भारत के सर्वप्रथम स्वतंत्रता सेनानी, मोलाना आजाद को रामपुर अथवा मेवात में एक मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से तथा श्री शहाबुद्दीन को किशनगंज जाना पड़ा और वहां से चुनाव लड़ना पड़ा। अतः, यह सब हो रहा है। हमारे समाज की यह दशा है। हम जीवन के इन तथ्यों की उपेक्षा नहीं कर सकते।

अतः, अगर सामाजिक न्याय का कोई अर्थ है, तो फिर हमें सामाजिक जागरूकता पर भी विचार करना पड़ेगा। सामाजिक जगरूकता एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की भावना तथा एकता की भावना उत्पन्न करता है, अखंडता को बढ़ाता है और हमें यह महसूस कराता है कि हम सभी एक हैं। लेकिन अगर मैं स्वयं को यह कहकर अलग-थलग कर लेता हूं कि राज्य तथा समाज मेरे प्रति न्यायोचित तथा विषक्ष रुख नहीं अपनाता तथा कुछ भी करने पर अंश मुझे अंश नहीं मिलेगा, कोई मिलेगा, कोई मुझे वोट नहीं देगा और जिस पार्टी के प्रति मेरा सारा जीवन समर्पित कर दिया है वह मुझे टिकट नहीं देगी तो फिर क्या होगा? यही हो रहा है और मैं उस बात पर कुछ देर बाद आता हूं।

फिर, इससे एक विशेष प्रकार की मनस्फिति, विशेष प्रकार का रोष और एक विशेष प्रकार की पीड़ा उत्पन्न होती है। इस प्रकार की स्थिति समाज को विस्फोट की ओर ले जा सकती है और मैं चाहता हूं कि यह देश उस विस्फोटक स्थिति से बचे। मुझे विश्वास है कि श्री रेड्डया यही चाहते हैं। वह समाज को उस विस्फोट से बचाना चाहते हैं। जब किसी समाज में सत्ता के विभाजन और भिन्न-भिन्न जातियों वाले एक संयुक्त समाज में उनकी संख्या में विभेद उत्पन्न होता है तो फिर कभी-न-कभी आपको विस्फोटक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। आप कुछ समय के लिए लीपापोती कर सकते हैं, कुछ समय के लिए उसे कागजी कार्रवाई द्वारा इस पर पर्दा डाल सकते हैं कुछ समय आप राष्ट्रीय एकता के मंत्र में उलझाने का प्रयास कर सकते हैं और कुछ समय आप दरवाजे पर खड़े शत्रु और समाचार पत्र की सुर्खियों से एकता की भावना को बनाये रख सकते हैं। लेकिन असलियत सामने आने पर प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा : "मेरी रोटी कहां है मेरी इज्जत कहां है, मेरा सम्मान कहां है और वस्तु: इसी प्रकार समाज का विकास होता है।

अतः हमें अपने संविधान की प्रस्तावना के प्रति निष्ठावान होना चाहिये।

मैं प्रस्तावना को उद्धृत नहीं करूंगा। प्रस्तावना में न्याय, समानता और भाईचारे के बारे में कहा गया है और वह भाईचारे की भावना अब समाप्त हो रही है। कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता।

जब न्याय की बात की जाती है तो हम कई बार सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं। लेकिन हम राजनीतिक न्याय के बारे में बात करने में असफल रहे हैं। राजनीतिक न्याय का अर्थ केवल एक-व्यक्ति-एक-मत नहीं होता। ऐसा तभी संभव हो सकता है जबकि समाज पूर्ण रूप से समजातीय हो। इसका अर्थ यह है कि उसमें प्रत्येक सामाजिक समूह का, चाहे वह किसी जाति से धर्म से अथवा जनजाति से अथवा क्षेत्र से संबंधित हो, का एक समुचित प्रतिनिधित्व हो। सभापति महोदय, मेरे विचार से पूर्वोत्तर क्षेत्र में रह रहे नेपालियों को भी उनका, भाग मिलना चाहिये। हमारे देश के कुछ अन्य भागों में रह रहे भीटिया लोग भी अपने हिस्से के हकदार हैं। वे बिल्कुल भिन्न इकाइयां हैं। उनको अपनी अलग पहचान अपनी आस्मता है, मैं "सामुदायिकता" शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा—उनमें समूह की भावना है और आप उनमें इस सामूहिक जागरूकता की भावना से वंचित नहीं कर सकते। अतः आप यह कहेंगे कि इस प्रकार की, स्थिति भारत को विस्फोट की ओर, राजनीतिक विखंडन की ओर ले जा सकती है ओर हमें कमजोर कर सकती है। परन्तु मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं इन तर्कों को अमान्य करता हूं। एक प्रकार के संतोष, समानता, भाईचारे, न्याय और बंधुत्व की भावना ही हमारे सामाजिक ताने-बाने को मजबूत कर सकती है और प्रत्येक व्यक्ति इस बात से आश्वस्त है कि अगर मैं सही दिशा में प्रयास करता हूं तो मुझे अपना हिस्सा जरूर मिलेगा और मुझे इसलिए किसी अधिकार से वंचित नहीं किया जायेगा कि मेरा नाम एक्स, वाई अथवा जैड है अथवा मेरे नाम से यह पता चलता है कि मैं किसी जाति अथवा समूह विशेष से संबंध रखता हूं। फिर उसका संपूर्ण हृदय, संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण मस्तिष्क तथा उसका संपूर्ण अस्तिाव किसी और काम में नहीं बल्कि भारत के लोगों के कल्याण और उनकी एकता में ही लगा रहेगा क्योंकि वे केवल एक बात जानता है कि अगर देश रसातल में जाता है तो हम सभी रसातल में चले जायेंगे और बंटवारे के लिए, हिस्सा बंटाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जब तक हम उस सत्ता को प्राप्त करने और उसे बनाये रखने के लिए एक नहीं हो जाते तब तक उसमें हिस्सा बंटाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा रहेगा। जब तक जितनी हमें जरूरत है, उतनी विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम एक नहीं हो जाते तब तक बंटवारे के लिए हमारे पास विद्युत कहां होगी—हालांकि यह कार्य एनरॉन की मदद से नहीं किया जा सकता?

अब, हमारी दलीय व्यवस्था किस प्रकार काम करती है? आखिरकार, हमारी राजनीतिक प्रक्रिया दलों पर आधारित है। मैं आपमें से प्रत्येक को, चाहे वह किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, चुनौती देता हूं। मैंने यह कार्य अपनी पार्टी के लिए किया है और पंद्रह वर्ष के अपने राजनीतिक जीवन में मैं विभिन्न पार्टियों से जुड़ा रहा हूं। उम्मीदवारों की सूची पर नजर डालिये तो आपको पता चलेगा कि प्रत्येक पार्टी में कुछ समूहों को अन्य सभी समूहों की कीमत पर अधिक प्रतिनिधित्व मिला है। किसी पार्टी में यह समूह ब्राह्मणों का होगा, दूसरे पार्टियों में यह जाटों का होगा कुछ अन्य पार्टियों में राजपूतों का होगा और किसी पार्टी में यह किसी अन्य समूह का होगा और वही समूह विशेष यह सोचते हैं कि वह पार्टी उन्हीं की है। हमारे देश में राजनीति इसी प्रकार चलती है। आखिरकार राजनीति है क्या ? राजनीति दुर्लभ संसाधनों को प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा है और राजनीतिक पार्टियां किसी सामाजिक समूह विशेष के उद्देश्यों को प्राप्त करने के उपकरण से अधिक कुछ नहीं हैं। मुझे खेद है, मेरे कम्युनिस्ट मित्र यहीं हैं बिहार में कम्पयुनिष्ट पार्टी का मेरी पूर्व आलोचनाओं में से एक यह है कि—मुझे आशा है कि वह इसका बुरा नहीं मानेगें—बिहार में काफी लम्बे समय तक कम्यूनिस्ट आंदोलन पर एक ही शीर्षक वर्ग **भूमिहारों** का प्रभुत्व रहा। कोई भी इसे रोक नहीं सकता भूमिहार इसे नहीं रोक सके थे। कांग्रेस पार्टी पर **ब्राह्मणों** का प्रभुत्व था। क्या वे **गैर-ब्राह्मणों** को रोक सकते हैं। चन्द्र शेखर जी की पार्टी को **राजपूतों** की पार्टी समझा जाता था। क्या **राजपूत** इसे बनाये रख सकते हैं? क्या जनता दल अपने आपको राजपूतों की पार्टी मानती है? क्या लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी के द्वारा **गैर-यादवों** के लिए बन्द रखते हैं? वह ऐसा नहीं कर सकते। वे उसमें आ रहे हैं। जो कुछ मैं कहना चाहता हूं, उसका तात्पर्य यह है कि इसमें अड़चन मत डालिये। इस प्रक्रिया में कोई बाधा मत पहुंचाइये। यह स्वाभाविक विकास कम है। यह चल रहा है, इसे रोकिये मत। इस पर धूल मत फैंकिये। इसे बदनाम करने का प्रयास मत कीजिये और फिर इसके दांव-पेच जानने का प्रयास कीजिये। इस बात का ध्यान रखिये कि प्रत्येक पार्टी जो स्वयं को राष्ट्रीय पार्टी कहती और जो ऐसा कहलाने की अधिकारी भी हो, अपने टिकट इस प्रकार से वितरित करे कि समाज के सभी वर्गों का उसमें समान और उचित प्रतिनिधत्व हो। मैं एक दिन वी०पी० सिंह जी के पास गया और उनेस कहा कि बिल्कुल निचले स्तर से यह प्रक्रिया शुरू कीजिये। उत्तर प्रदेश में कई समूह हैं। वहां कई सामाजिक समूह, सुपरिभाषित सामाजिक समूह हैं, जो 0.25 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। 425 विधायकों वाली सभा में वे एक स्थान के अधिकारी हैं। वे उस एक स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि अब उनके बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। उन्हें डिग्रियां मिल रही हैं, वे वकील बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हैं और फिर वे कहते हैं, कि हमें एक स्थान क्यों नहीं मिलना चाहिये? मैंने एक समूह से पूछा। वे दो स्थानों के हकदार थे।

[हिन्दी]

हमने कहा, आपके यहां है कोई आदमी, जिसको टिकट दिया जा सके?

[अनुवाद]

उन्होंने कहा कि खुर्जा में फलां-फलां नाम का एक वकील है और फलां-फलां आदमी कानपुर में बैठता है। आपकी पार्टी उनको टिकट क्यों नहीं दे सकती? लेकिन वह उन्हें टिकट नहीं देती। आप निचले स्तर से यह प्रक्रिया शुरू नहीं करते। आप समुदायों अथवा समूहों से, जो अपनी जनसंख्या के अनुसार एक, दो अथवा तीन स्थनों के अपने छोटे से अंश की मांग करते हैं, से यह प्रक्रिया शुरू नहीं करते; आप शीर्ष नियमों की वजह से शीर्ष से ही प्रक्रिया शुरू करते क्योंकि शीर्ष ही शासन करते हैं। अतः, आप **ब्राह्मणों, राजपूतों, भूमिहारों** और अन्य इसी प्रकार की जातियों से यह प्रक्रिया शुरू करते हैं। और जब आप निम्नतम स्तर तक पहुंचते हैं तो उन्हें प्रदान करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं बचता या बहुत थोड़ा सा ही अंश ही बचता है। और यही गलती अधिकांश राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। पार्टियों को अपना पुनर्गठन करना चाहिये और अपनी इस सम्मिलित राजनीतिक व्यवस्था में किसी जाति, समुदाय अथवा सामाजिक समूह विशेष के आधिपत्य के उपकरण के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के अग्रदूत के रूप में अपनी भूमिका पर पुनर्विचार अवश्य करना चाहिये। और केवल तभी भारत आगे बढ़ेगा। केवल तभी पार्टियां राष्ट्रीय भूमिका अदा करेंगी।

अतः, सबसे पहली ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आप टिकट

किसे देते हैं। दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि वे कौन हैं, उनका अपने समाज में क्या स्थान है अथवा वे आपके ड्राइंग रूम की सजावटी वस्तुओं की भांति ही हैं।

[हिन्दी]

हमने भी मुसलमान को टिकट दिया। हमने भी इतने बंधुओं को टिकट दिया, काम नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

आप सिंगापुर अथवा मलेशिया पर नजर डालिये। वे एक ऐसा समाज बनाने में समर्थ हो सके हैं, जो तीन प्रमुख जातियों मलयों, चीनियों और भारतीयों के बीच पूर्ण न्यायोचित ढंग से कार्य कर रहा है। वे किसी भारतीय अथवा चीनी की ओर इशारा करके यह नहीं कहते हम श्रीमान् को पसंद करते हैं और इसीलिए वह चीनियों का अथवा भारतीयों का प्रतिनिधित्व करेगा। जी नहीं, वह पूर्ण रूप से भारतीय प्रतिनिधि है; वह पूर्ण रूप से चीनियों का प्रतिनिधि है। केवल तभी वह अपने समुदाय को, जो यह महसूस करते हैं कि : हां, सत्ता में हमारा भी प्रतिनिधित्व है, हम किसी के इशारे पर नाचने वाली कठपुतलियां नहीं हैं और शोषण करने के लिए हमारा प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

और तीसरी बात यह है कि हमारी प्रणाली जो मारे सो मीर कहावत पर आधारित है। हमारे यहां आनपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नहीं है। अतः आपको किसी ऐसे स्थान से उम्मीदवार खड़ा करना पड़ेगा जहां से उसके विजयी होने की संभावना हो। उन्हें कुछ वोट तो अपने समुदाय के मिल जायेंगे और कुछ वोट पार्टी के नाम के मिल जायेंगे। और पार्टी तथा समुदाय दोनों के वोटों को मिलाकर वे उस स्थान से जीत जायेंगे बशर्ते कि वे वास्तव में वोट प्राप्त करने में समर्थ हों और उनकी पार्टी भी वोट अपनी ओर कर सकने में समर्थ हो।

लेकिन हमारी राजनीतिक प्रणाली में एक भी राजनीतिक पार्टी इन तीनों कारकों में से किसी का भी अनुपालन नही करती। या तो आप उम्मीदवारों को पर्याप्त संख्या में खड़े नहीं करते या फिर उन्हें गलत स्थान से खड़ा करते हैं, जहां से उनका हारना निश्चित हो या फिर ऐसे लोगों को खड़ा करते हैं जो अपने समूहों का, अपने समुदाय की भावनाओं, इच्छाओं और आशाओं जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है। का प्रतिनिधित्व ही नहीं करते।

ऐसा नहीं चलेगा। इससे समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो जायेगी। अतः, एक ऐसा समय आयेगा जब प्रत्येक समुदाय— चाहे सरकारी अथवा प्राइवेट रोजगार पाने का प्रश्न हो अथवा विधान सभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न हो, उसकी जनसंख्या के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सार्वभौमिक आरक्षण की मांग की जायेगी। आपको रोटी का विभाजन करना ही पड़ेगा और वह भी ईमानदारीपूर्वक, स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रूप से सभी के मतानुसार उसका विभाजन करना होगा। केवल तभी सभी को पता चलेगा कि न्याय किया जा रहा है। और किसी को भी उसके अंश से कम या अधिक नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि अगर कोई अपने अंश से अधिक लेता है तो इसका तात्पर्य यह है कि वह निशिचित रूप से किसी और का हक मार रहा है। जैसाकि प्राउदन न कहा है संपत्ति चोरी के सिवाय और कुछ नहीं है। अगर आप संपत्ति एकत्रित करते हों, तो क्या होगा? यही बात गांधी जी ने कही है—ईश्वर ने प्रत्येक प्राणी को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काफी दिया है और अगर कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करता है तो फिर निश्चित रूप से वह किसी और का हक छीन रहा है। यह कोई नैतिक कहावत मात्र नहीं है बल्कि एक सामाजिक सच्चाई है।

मेरे मित्रों ने शिक्षा संबंधी जो चर्चा की, मैं उससे सहमत हूं। मैंने हमेशा ही इस सभा में कहा है कि भारत की उत्तरवर्ती सरकारों ने अगर भारत के लोगों के विरुद्ध कोई अपराध किया है तो वह इस देश के 14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को समान प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले नीति निदेशक सिद्धान्त को लागू नहीं करके किया है। अगर हमने ऐसा किया होता तो दस वर्ष के भीतर ही हमारी स्थिति कुछ अलग ही होती। हमने ऐसा नहीं किया और आज हम उसे उनके अधिकार से वंचित करने के लिए बहाने के रूप में प्रयुक्त करते हैं। क्या ऐसा करना उचित है? ऐसा करना उचित नहीं हैं ऐसी स्थिति हमेशा तो बनी नहीं रह सकती।

हमारी अर्थव्यवस्था के नियोजनकर्त्ताओं को शिक्षा के लिए हर प्रकार से अधिक संसाधन उपलब्ध कराने चाहिये। सभी बच्चों के लिए समान और बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिये। पांच या दस वर्ष के समय में हम संपूर्ण भारत का नक्शा बदल देंगे। हमें विधान सभाओं अथवा संसद अथवा सरकारी नरौकरियों के लिए उम्मीदवारों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी।

लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। यही तो तरीका है। और मैं एक बात और कहूंगा। महिलाओं को प्रतिनिधत्व दिये जाने के बारे में मैंने जो कुछ सुना है, अगर उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूं तो मुझे उम्मीद है कि मुझे गलत नहीं समझा जायेगा। निचले और उच्च वर्ग की महिलाओं के शिक्षा और राजनीतिक विवेक के स्तर में बहुत अधिक अंतर है। अतः, जब ऊंची जातियों जो पहले से ही समृद्ध हैं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है तो उससे उन्हें नुकसान होने की संभावना है। इस प्रकार वे यह व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, जिसका अर्थ है "इस हाथ दे, उस हाथ ले।" एक समुदाय के रूप में आपको जो नुकसान होगा, उसे आप महिलाओं के नाम पर प्राप्त कर लेंगे। मैं महिलाओं के विरुद्ध नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसा समय आये जब महिलायें भी पुरुषों की तरह योग्य हों और एक वर्ग अथवा समुदाय के रूप में नहीं बल्कि स्वयं अपने अधिकार के लिए आगे आयें।

महोदय, मैंने मुश्किल से ही इस दिल्ली महानगर के अत्यधिक आधुनिक और शिक्षित परिवारों से आने वाली किसी महिला को अशोक होटल में अपने पति के साथ आते हुए देखा होगा। वह अपने पति से एक-दो कदम पीछे चलती है। साल्वे जी क्या आपने इस पर ध्यान दिया है? यह मैं आपकी पत्नी के बारे में नहीं बल्कि एक आम बात बता रहा हूं। अतः, केवल 'महिलायें' 'महिलायें' चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बल्कि सभी सामाजिक समूहों के साथ न्याय कीजिये, महिलाओं सहित प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान शिक्षा उपलब्ध कराइये और राष्ट्र के संसाधनों पर यही सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिये।

सभापति महोदय : अब मैं अंतिम बात पर आता हूं। रहने दीजिये।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : जी हां, यही मेरी अंतिम बात है। मैं केवल आधा मिनट और लूंगा।

जब मैं सामुदायिक आरक्षण की बात करता हूं तो आप कहेंगे "जब हमारे समाज में इतने छोटे-छोटे समूह हैं तो उनमें उनके अंशों का विभाजन आप किस प्रकार करेंगे?" जी हां यह एक प्रशासनिक प्रश्न है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मामले में मैंने यह अनुपात 0.25 प्रतिशत का रखा है क्योंकि

इसका तात्पर्य है कि अगर आप सौ सिपाहियों की भर्ती करते हैं, तो उसमें कम से कम एक स्थान निम्नतम स्तर के समुदाय के व्यक्ति को दिया जायेगा। अतः, मेरा कहना यह है कि आप जनसंख्या का एक प्रतिशत की सीमा निर्धारित करें और यह निर्णय करें कि किसी भी जाने-पहचाने सामाजिक समूह, जिसकी जनसंख्या एक प्रतिशत हो, को उतनी ही योग्यता होने पर—मैं किसी भी निर्धारित मानक को कम नहीं करना चाहता—कम से कम एक प्रतिशत भाग मिलेगा लेकिन उससे कम होने पर अर्थात् अगर वह बहुत ही छोटा समूह है, तो इसके दो विकल्प हैं।

वे या तो किसी बड़े समूह के साथ, जिसके साथ वे अधिक मेल-मिलाप की भावना रखते हों, मिल सकते हैं—कई बार ऐसा होता है कि छोटे समूहों की कुछ बड़े समूहों के साथ एक प्रकार की भाईचारे की भावना होती है—अतः, वे या तो ऐसा कर सकते हैं या फिर ये छोटे समूह मिलकर एक इतना बड़ा समूह बना सकते हैं जो अधिकारों के वितरण और आरक्षण में अपना अंश प्राप्त कर सकें। इसमें अधिकता की कोई सीमा नहीं होनी चाहिये। तथाकथित 50 प्रतिशत आरक्षण की बात बेवकूफी है क्योंकि बहुत से लोग जो परिभाषा से, निर्धारित मानदंडों, हमारे परिभाषित राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार पिछड़े हुए हैं, की संख्या प्रत्येक राज्य में और एक राज्य की तुलना में पूरे देश में अलग-अलग है। मेरा कहना यह है कि आरक्षण प्रथमतः जनसंख्या और दूसरे पिछड़ेपन के स्तर से निर्धारित होना चाहिये।

महोदय, अगर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के पिछड़ेपन का सूचकांक 100 लें; कुछ अन्य समुदायों का सूचकांक 90 हो सकता है, किसी का 60 और किसी का 20 हो सकता है। अतः, इसे इसकी जनसंख्या के हिसाब से नहीं बल्कि इसके पिछड़ेपन के सूचकांक के आधार पर महत्व मिलेगा। तब दो चीजें अवश्य होनी चाहिये। पहली, जैसा कि श्री रेड्डया यादव ने सुझाव दिया था कि प्रत्येक सामाजिक समूह की दसवर्षीय जनगणना की जानी चाहिये और उसकी जनसंख्या के आधार पर ही उसे महत्व दिया जाना चाहिये।

दूसरे, हर दस वर्षों के बाद यह जांच की जानी चाहिये कि प्रत्येक वर्ग में पिछड़ेपन का स्तर कितना है, ताकि हमने जो व्यवस्था लागू की है, यदि उसकी वजह से पिछड़ेपन का स्तर कम होता है, तो आरक्षण कोटा भी कम हो जायेगा।

मुझे उम्मीद है—श्री साल्वे जी का मन इस वक्तव्य से प्रसन्न होगा—तथा मुझे विश्वास है कि एक दिन ऐसा आयेगा जब सभी समुदायों में पिछड़ेपन का सूचकांक शून्य हो जायेगा तथा आरक्षण समाप्त हो जायेगा। हमारे समाज में सजातीयता वास्तव में ही होनी चाहिये। इस दिन की मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं ऐसी ही व्यवस्था का सपना देखता हूं। लेकिन इसी बीच, हमें अपने समाज के सभी वर्गों के साथ न्यायोचित एवं समान व्यवहार करना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, के०पी० रेड्डय्या जी ने जो बिल सदन में विचार के लिए प्रस्तुत किया है, मैं उसकी ताईद करता हूं, लेकिन इस बिल को प्रस्तुत करने का जो तरीका है, उससे मेरी असहमति है।

इस विधेयक की जो मंशा है, जो उद्देश्य है और जिस सिद्धान्त पर यह आधारित है तथा यह बिल क्यों प्रस्तुत किया गया है, उसके औचित्य के विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं इस बिल के जस्टिफिकेशन के सन्दर्भ में कहना चाहता हूं कि क्यों यह बिल लाने की आवश्यकता हुई। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत ही दर्दनाक है। आजादी के 47-48 वर्षों के बाद और आजादी के पहले समाज का जो ढांचा बना, उस ढांचे में सामाजिक परिवर्तन कितना हो पाया, उसको देखते हुए क्यों इस बिल को लाने की आवश्यकता पड़ी और वे इस रूप में इस सदन में गैर सरकारी संशोधन विधेयक लाए हैं।

महोदय, इस देश में विषमता मूलक समाज पांच हजार वर्षों से बना हुआ है, जिस समाज में मुट्ठीभर लोगों का आधिपत्य रहा हैं, कब्जा रहा है। इस देश की शिक्षा, इस देश के साहित्य, इस देश की संस्कृति, इस देश की राजनीति, इस देश की दौलत पर उनका कब्जा रहा है। इस पांच हजार वर्षों से विषमता मूलक समाज के चलते रहने के कारण माननीय सदस्य आज इस बिल को सदन में लाए हैं, जैसा मैं माननीय सदस्य को समझ रहा हूं। मेरे विचार से इस विधेयक को और गम्भीरता से सोच-विचार करके लाना चाहिए था। इस विधेयक से क्या परिणाम हो सकते हैं, मैं उन पर बाद में आऊंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस बिल को प्रस्तुत करने की उनकी मंशा क्या है और एप्रोच क्या है। इसके पीछे एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और वह ऐतिसासिक पृष्ठभूमि यह है कि पांच हजार वर्षों से समाज में विषमता मूलक समाज बना था, जिसमें इस देश में मुट्ठीभर लोगों का कबजा था। वह कब्जा था इस देश की शिक्षा पर, इस देश की संस्कृति पर, इस देश के साहित्य पर, इस देश की दौलत पर और इस देश की राजनीति पर रहा है। मैं इस बात को दावे से साथ कह सकता हूं कि इस मुल्क में 85-90 फासदी लोग जब तक शूद्र की कैटेगरी में रहेंगे, यह मुल्क अन्तर्राष्ट्रीय पंचायत में शुद्र बना रहेगा। भारत जैसा देश जब तक शूद्र बना सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, तब तक वह दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए इस पृष्ठिभूमि का मैं जिक्र करना चाहता हूं।

हमारे देश के अशोक स्तम्भ और अनेक जगहों पर लिखा है—सत्यमेव जयते। इस संसद के कण-कण में लिखा है और कहा जाता है कि सच की विजय होती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सच की विजय होती, तो आजादी के 47-48 वर्षों के बाद भी 90 फीसदी लोग जानवरों की जिन्दगी नहीं जी रहे होते। जो पिछड़े हुए हैं, जो दबे हुए है, जिनको सामाजिक दृष्टि से सम्मान नहीं मिला है, इज्जत नहीं मिली है, इन लोगों को इस प्राकर की जिन्दगी जीने के लिए छोड़ दिया है। इसलिए हमें सच के पक्ष मे खड़ा होना पड़ेगा रेड्डय्या साहब कुछ मक्खन लगा देते, बिल तो बहुत अच्छा था, माफ करेंगे, वे नरसिंह राव जी का भी नाम लेते हैं। यह प्रश्न किसी एक दल का नहीं है, राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है। हमारे देश के जो चार स्तम्भ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रैस, जब तक ये मजबूत नहीं होंगे, तब तक लोकतन्त्र मजबूत नहीं रह सकता है। इसी तरह से हमारा समाज का जो ढ़ांचा है, उसको भी मनुवादी ढांचा बनाकर रख दिया है और पुनर्जन्मवाद तथा जातिवाद भी है।

यह वर्णवाद, पुनर्जन्मवाद, भाग्यवाद और चमत्कारवाद है। आप गांव में देखिए वहां आज भी बहुत से लोग पुनर्जन्मवाद, भाग्यवाद और चमत्कारवाद में विश्वास करते हैं। आज भी वहां जात-पांत, वर्णवाद में विश्वास करते हैं, यह जब तक नहीं टूटेगा तब तक कैसे समाज प्रगतिशील बनेगा? इसीलिए

हमें यह पीड़ा है। इसके पीछे जो हजारों वर्ष पहले का समाज का ढांचा रहा है उसमें आजादी के बाद जो परिवर्तन होना चाहिए वह नहीं हुआ है, ऊंच—नीच की खाई बनाकर रखा गया है।

आज मैं इस बिल पर बोलते हुए साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि समाज में बड़े लोग कौन हैं? इस देश में बड़े लोग किस को माना जाता है। "बड़े लोगों की क्या पहचान, गिटविट बोले, कर न काम" और छोटे तथा गरीब लोगों की क्या पहचान "करे काम और पावे अपमान" यही परिभाषा और सच्चाई है। जो मेहनत नहीं करता है, खेत में हल नही चलाता, मेरे जो मरे हुए चमड़े से जूते नहीं बनाता, जो लकड़ी और लोहा नहीं छूता, जो मिट्टी से धरती से जुड़ कर कभी अन्न पैदा नहीं करता वह इस देश का बड़ा आदमी है। वह बड़े लोगों की श्रेणी में है और जो गरीब लोग हैं वे 24 घंटे काम करते हैं। जो मेह्नत करता है, खेत-खलिहान जुतता है, रात-दिन मेहतन करता है और पसीने की कमाई खाता है उसको देश के अंदर छोटा कहा जाता है। बड़े लोगों की क्या हपचान "अंग्रेजी बोले और करे न काम" और छोटे लोगों की क्या पहचान "भर दिन काम करें और शाम को पावे अपमान।" जो मेहनत करने वाले हैं वे लोग अपमान पाते हैं, इस देश में यही परिभाषा बनी हुई है। इसलिए इस देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए, समाज को समरस बनाने के लिए, समतामूलक बनाने के लिए सरकार को कठोर संकल्प लेना चाहिए। सरकार के पास इच्छाशक्ति होनी चहिए, इच्छाशक्ति नहीं है लेकिन सरकार के पास कोई निर्णय नहीं है, कोई संकल्प नहीं है तो सामाजिक परिवर्तन कैसे हो सकता है। इसलिए मैंने रेड्डय्या जी की इस बात का जिक्र किया है, आजादी के बाद जो हालात रहे हैं उंस पर एक नजर डाली जाए, जो आरक्षण रहा उसकी क्या हालत रही है। एससी, एसटी को अभी तक संविधान के तहत साढ़े बाइस प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है और तो साढ़े बाइस प्रतिशत में से केवल आठ प्रतिशत ही प्राप्त हुआ है, यही हिसाब है जब कि 47 वर्ष आजादी को हो गए हैं आजादी की कांग्रेस, गांधी का नाम लेने वाली पार्टी के सर्वेसर्वा क्या कर रहे हैं? इतने दिन तक इन लोगों की क्या जिम्मेदारी थी? क्या इनकी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं थी कि एससी, एसटी को कोटा भरा जाता। अभी इनका बेकलाग चल रहा है। ओ०बी०सी० के लिए मण्डल कमीशन आया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसमें तो सब मिलकर 4 प्रतिशत का हिसाब आया है। उच्च श्रेणी, क्लास वन ऑफिसर्स की श्रेणी में अभी तक 4 प्रतिशत लोग भरे गए हैं। माइनोरिटी में जो मुस्लिम भाई हैं उनकी हालत यह है कि 13 प्रतिशत रहते हुए भी अभी तक उच्च नौकरी में उनका हिस्सा 1.5 प्रतिशत आया है।

7 अगस्त, 1990 को हम इसी लोक सभा से उस तरफ बैठे थे। तब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी, वी०पी० सिंह जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा तब एक प्रस्ताव लाया गया था।

इस लोक सभा में वह ऐतिहासिक दिन 7 अगस्त 1990 का था, जब 52 प्रतिशत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हए लोगों का मंडल कमीशन की उस रिपोर्ट के तहत, जो कि दस साल से कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हुई थी, उसको लागू किया गया और इन लोगों को संविधान सम्मत आरक्षण दिया गया लेकिन इससे बीजेपी के लोगों को तकलीफ हो गई और उन्होंने रथ यात्रा शुरू कर दी। रथ यात्रा के और भी कारण बताये जा सकते हैं, परन्तु 7 अगस्त की इस घोषणा को जो कि वी०पी० सिंह द्वारा की गई, बहुत से लोग सहन नहीं कर पाये। पता नहीं कौन सा कांटा उनको चुभ गया। कुछ लोग कहने लगे कि यह देश जल जायेगा, टूट जायेगा। मैंने उस समय भी कहा था कि यह देश तो नहीं टूटेगा, लेकिन कुछ लोगों का दिल जरूर टूट जायेगा। जो इतने कमजोर दिल वाले लोग हैं उनको अपना दिल मजबूत बनाना चाहिए। परमार्थ के हित के लिए समाज को समता दिलाने के लिए, सामाजिक न्याय का रास्ता खोलने के लिए लोगों को अपना दिल चौड़ा करना चाहिए तो उनका दिल नहीं टूटेगा। जब पिछड़े हुए लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी, सेवाओं में स्थान मिलेगा, प्रतिष्ठा देने की बात होगी, इन सारी चीजों को देखकर उन लोगों को अपना दिल चौड़ा करना चाहिए। आज देश की बड़ी भारी उन्नति की बात की जा रही है, बहुराष्ट्रीय कम्पनीज आ रही हैं और महात्मा गांधी के स्वाबलम्बन और आत्मनिर्भरता की बात को भुला दिया गया है। देश को विदेश कम्पनीज के हाथ में गिरवी रखने का काम हो रहा है, तो मेरा कहना यह है कि समाज के 85 शूद्रों को भी गले लगा लो। विदेशी पूंजी लगाने में आप लोगों को बहुत उतावली हो रही है, 3500 फीट ऊपर हवाई जहाज में उड़ने की बात हो रही है, लेकिन जो पांच फीट की जमीन पर रहने वाला पिछड़ा वर्ग है उसकी आर्थिक विषमता को दूर करने वाला कोई नहीं है। जब यह आर्थिक विषमता बढ़ती जायेगी तो असंतुष्ट वर्ग ए०के० 47 की तरफ नहीं जायेगा तो कहां जायेगा। मैं इस विषय को नई आर्थिक नीति के साथ इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि मंडल कमीशन को खत्म करने के लिए अमरीका कमीशन आ रहा है। विदेशी कम्पनीज यहां पर आयेंगी और नौकरियां समाप्त हो जायेंगी, गरीबों को नौकरी नहीं मिलेगी, मशीनीकरण हो जायेगा। हमारे यहां लोगों को काम देने की जरूरत है। हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या है विदेशी कम्पनीज को व्यापार की जरूरत है, हमें रोजगार की जरूतर है। जो नये समझौते हमारे देश के साथ हो रहे हैं उनके तहत हमारे यहां रोजगार समाप्त हो जायेगा तो आप 27 प्रतिशत आरक्षण किस को देंगे। इसलिए इसके प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है कि आर्थिक विषमता बढ़ेगी। जब आर्थिक विषमता बढ़ेगी तो देश में शांति नहीं रह सकती, हिंसा भड़केगी, आतंक का वातावरण बनेगा और इस सबके लिए हमारी सरकार जिम्मेदार होगी। जिसके हाथ में सियासत है, सत्ता है। मैंने इसलिए इस बात का जिक्र किया।

हिंसा का वातावरण बन सकता है, यदि हम आर्थिक विषमता की खाई को दूर नहीं करेंगे। हमारे मंत्री जी को आर्थिक विषमता की चिंता हो गई कि कैसे इनको आर्थिक रूप से उन्नत किया जाए। यह केवल आर्थिक सवाल नहीं है यह तो हजारों वर्षों का जो अपमान है उस अपमान को सम्मान में, प्रतिष्ठा में बदलने का सवाल है। सम्मान मिल जायेगा तो हम आर्थिक स्थिति अपने आप ठीक कर लेंगे। आज हमारे समाज की स्थिति यह है कि जो खेत में, खलिहान में काम करते हैं और जो मिट्टी से जुड़े हुए हें, जो मेहतनकश हैं वही दबे हुए हैं। समाज में जाति-व्यवस्था ने पूर्णरूप से समाज को बेकार बना दिया है जाति-व्यवस्था से ही वर्ण-व्यवस्था बनी है। इसलिए जाति-व्यवस्था सभी बीमारियों की जड़ है। इसलिए जाति-व्यवस्था को समूल रूप से उन्मूलन करने की जरूरत है। यह एक कोढ़ है जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है। यू०पी०एस०सी० की परीक्षा जो होती थी अगर एक जांच कमीशन बैठाया जाए कि पहले ओ०बी०सी० के लड़के कितने आए और किस प्रकार से लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू में उनको जाति के आधार पर पीछे कर दिया जाता था। इसीलिए आज आरक्षण की जरूरत हुई। पहले ओ०बी०सी० के लड़कों में टैलेंट नहीं था ऐसी बात नहीं थी। एक रिव्यू करके देख लिया जाए कि लिखित परीक्षा में कितने अच्छे अंक हैं लेकिन मौखिक में उसको अलग छांट दिया गया और जाति के आधार पर एक मापदंड बना दिया गया। जाति मिटनी चाहिए। जाति का मापदंड था इसलिए आरक्षण की बात थी। आज जो हम अपने बल पर चुनकर आते हैं ठीक है, रेड्डय्या साहब को बहुत तकलीफ है, दक्षिण में

नहीं आ सकते हैं, तो लोगों को जाग्रत करें। हम अपने बल पर बिहार में आए, उत्तर प्रदेश में आए। हम लोक सभा में आ जाते हैं। जब बहुमत हमारा है तो सत्ता में भागीदारी भी हम छीनकर के ले सकते हैं। हमको सत्ता में भागीदारी भीख मांगकर नहीं मिली, न ही हम उसके लिए कह रहे हैं। इस बिल का एक पक्ष भीख मांगने का भी है जिससे हम सहमत नहीं हैं। समाज को जाग्रत करके, समाज को शिक्षित करके, संघर्ष के जरिये हम अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। बिना संघर्ष के कोई चीज मिलेगी तो समाज नहीं बन पाएगा। इसलिए संघर्ष के ज़रिये हमको अपना हिस्सा, अपने हक्क़ूक मिलने चाहिएं ताकि इस धरोहर को आगे भी ले जाया जा सके। इतिहास में कितनी बेईमानी हुई है मैं उसका जिक्र करूंगा तो बहुत लम्बा होगा, लेकिन मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। डा० लोहिया शायद 1962 में जीतकर लोक सभा में आए थे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी अब समय समाप्त हो चुका है। आप अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं एक मिनट और लूंगा, इसके बाद समाप्त करूंगा,

सभापति महोदय : आप अपनी बात कह रहे हैं। आपको बोलने के लिए दोबारा समय दिया जायेगा क्योंकि आपने अपनी बात अभी पूरी नहीं कही है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, ठीक है।

सभापति महोदय : सभा सोमवार, दिनांक 7 अगस्त, 1995 को 11.00 म०पू० पर समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.00 म०प०

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार, 7 अगस्त, 1995/16 श्रावण, 1917(शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।